अंक 84 जनवरी-मार्च, 1999

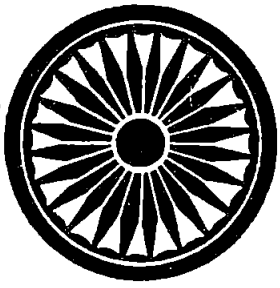

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे—निराला

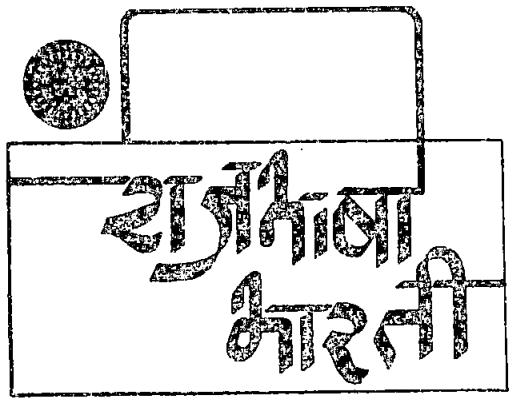

राजभाषा की त्रैमासिकी

वर्ष : 21

अंक : 84

माघ-चैत्र, 1920-21 जनवरी-मार्च, 1999

☐ संपादक :
प्रेम कृष्ण गोरावारा
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 4617807

☐ उप संपादक :
नेत्र सिंह रावत
फोन : 4698054
सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोन : 4698054

नि:शुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (दूसरा तल)

अनुक्रम			पृष्ठ
☐ संपादकीय			1
☐ लेख			
1. पूर्वोत्तर में लोकतंत्री हवाएं	—	बी. पी. सिंह	3
2. बिन्नी यांगा : एक हिंदी प्रेमी राष्ट्रभक्त जनजातीय महिला	—	चन्द्रधर त्रिपाठी	5
3. भारत और पाकिस्तान की राजभाषाओं का समान आधार : खड़ी बोली	—	डा. परमानन्द पांचाल	7
4. हिंदी सक्षम है, समृद्ध है	—	विश्वम्भर प्रसाद 'गुप्तबंधु'	10
5. अनुवाद और शब्द विचार	—	रमेश चंद्र	14
6. हिंदी और नेपाली : दो जुड़वां बहनें	—	प्रकाश प्रसाद उपाध्याय	25
7. स्वभाषा चेतना	—	गीता जोशी	27
8. सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाइयां और निदान	—	देवीदत्त तिवारी	29
☐ साहित्यिकी			
9. दक्षिणी वाङ्मय: संत परम्परा	—	डा. शीलम वेंकटेश्वर राव	32
10. हिंदी काव्य शास्त्र की नई दिशाएं	—	डा. रामदास नादार	40
11. नारी एक अनुशीलन	—	दयानाथ लाल	43
☐ पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य			
12. बालकृष्ण नवीन : लोकपथ से लोकसभा का शिखर पुरूष	—	डा. लक्ष्मी नारायण दूबे	47

1656 HA-99—1A

☐ विश्व हिंदी दर्शन

13. हिंदी का भूमण्लीकरण — डा. विमलेश कांति वर्मा 49

14. विश्व स्तर पर हिंदी के बढ़ते कदम — गुणानंद थपलियाल 52

☐ भाषा संगम

● कविताएं

15. मोहनदास करमचंद गांधी — नवकान्त बरूआ 54

16. सर्वव्यापी और शाश्वत — नीलमणि फूकन 55

17. बापू जी — मेघराम पाठक 56

☐ पुस्तक समीक्षा

गांव की राधा (डा. इंद्र सेंगर/मीनाक्षी रावत), धार पर हम (वीरेन्द्र आस्तिक/वीरेन्द्र सिंह), भारतीय बैंकिंग और भाषा प्रयोग (डा. ब्रजेश कुमार जैन/घनश्याम गुप्ता), अक्षरों के साए (अमृता प्रीतम/एम. एल. मैत्रेय), मानव अधिकार और पुलिस बल (भूषण लाल वोहरा/कैलाश नाथ गुप्ता), कि भोर हो गई (डा. दिनेश चमोला/अलका), समालोचना (प्रवीण कारखानीस/वी.एस. कस्तूरिया), श्रीमद्भगवद्गीता (मोहन चंद्र वहुगुणा/स्मिता), आनंद गीता (हरि शंकर गौतम गीतेय/डा. राम बाबू शर्मा) 57

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा माह, 98 66

☐ कार्यशालाएं 74

☐ समिति समाचार 80

☐ संगोष्ठी/सम्मेलन 85

☐ विविधा 92

जिंक स्मेल्टर विशाखापटनम में राजभाषा कार्यान्वयन के बढ़त चरण●

●प्रशिक्षण ●आदेश-अनुदेश ●राजभाषा हिंदी पुस्तक 96

संपादकीय

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च, 1999 का अंक नई साज-सज्जा एवं कलेवर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है।

वर्ष 1999 का हमारे लिए विशेष महत्व है। 14 सितम्बर, 1999 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुए 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनसे देश में हिंदीमय वातावरण बनेगा।

सचमुच में देखा जाए तो इन 50 वर्षों में ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। इसका श्रेय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। कुछ समय पूर्व यह धारणा बन रही थी कि सूचना-प्रौद्योगिकी के विकास से हिंदी पिछड़ जाएगी लेकिन यह एक कोरी कल्पना सिद्ध हुई है। आज हिंदी में काम करने के लिए अनेक साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनके जरिए परिमाण एवं गुणवत्ता की दृष्टि से राजभाषा हिंदी का प्रयोग-क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित दो विशेष लेख संकलित हैं। श्री बी.पी. सिंह ज़ी ने अपने "पूर्वोत्तर में लोकतंत्री हवाएं" लेख में जहां इस क्षेत्र के पर्यावरण, जैव-विविधता, आतंकवाद, बगावत, भ्रष्टाचार आदि विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला है वहीं श्री चन्द्रधर त्रिपाठी जी ने अपने "बिन्नी यांगा: एक हिंदी प्रेमी राष्ट्रभक्त जनजातीय महिला" लेख में एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पर अपनी लेखनी चलाई है जिससे अधिकांश हिंदी जगत अनभिज्ञ है। यह व्यक्तित्व न केवल हिंदी प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है अपितु उन सभी के लिए प्रेरणादायी है, जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया है।

पत्रों का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि रचनात्मकता का आनन्द विज्ञान और संस्कृति दोनों ही क्षेत्रों में सिर्फ एक स्थानीय विषय बनकर न रहें बल्कि मनुष्यता की सांझी सम्पदा बने। अगर सूचनाओं का वैश्विक सम्प्रेषण ''विश्व ग्राम'' की सांस्कृतिक उपलब्धि पर अपेक्षित ध्यान आकृष्ट कर पाता है तो, 21वीं सदी में इसका फलक और भी व्यापक होगा।

इसलिए मुझे विश्वास है कि बगावत, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की शक्तियां वर्चस्व की अपनी लड़ाई में लोकतांत्रिक संस्थाओं, पारिस्थितिकी चेतना और सांस्कृतिक प्रभुता के हाथों एक दिन जरूर पराजित होंगी। बहरहाल ऐसा लगता है कि अगली शताब्दी के पहले दशक में इस क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता की अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं अपने मानस में एक बार फिर उन्हीं चीजों को देख रहा हूं जिन्हें मैंने 1965 में ब्रह्मपुत्र के किनारे देखा था। मगर आज जो कुछ मैं देख रहा हूं वह तब से अलग है। स्थिति में यह बदलाव क्यों आया है ? नदी आज भी वैसे ही बह रही है जैसे आज से तीस दशक पहले बहा करती थी। सूर्य उसकी लहरों पर अब भी वैसे ही अठखेलियां करता रहता है जैसे तब किया करता था। इसलिए बदलाव शायद मानवीय कारक में आया है— उसकी मन:स्थिति में, उसके विश्वासों में, जैव विविधता के प्रति उसके सम्मान में, उसकी वैज्ञानिक सोच में, अहिंसा के प्रति उसके रुख में। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति उसकी वचनबद्धता में, अपनी सांस्कृतिक पहचान और भाषा आदि को बनाए रखने और उसे नया कलेवर देने के प्रति उसकी ललक में। और यह मानवीय कारक हमेशा कभी एक जैसा नहीं होता।

इसलिये मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या 21वीं सदी और नई सहस्त्राब्दि के आगमन पर सूर्य की जो पहली किरण ब्रह्मपुत्र का स्पर्श करेगी, वह क्या वैसी ही होगी जो हर रोज उसके जल को आलोकित करती रहती है। उत्तर जो कि भविष्य के गर्त में छिपा है, निश्चित रूपेण हमारे कर्मों से निर्धारित होगा। मेरे विचार पूर्वी हिमालयवासी एक बौद्ध भिक्षु के गीत में शायद कहीं बेहतर अभिव्यक्त होते हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह होगा :

''बर्फ गिर चुकी है, मगर उदास मत होओ क्योंकि हिमपात के बाद सूर्य की ऊष्मा जरूर आती है।''

''यह सच है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है । हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं बोल सकते हैं लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होता । नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं । इसलिए हमें भारत की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है और हिन्दी का तो एक विशेष स्थान है ही । हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के सभी लोग अगर हिन्दी न बोल सकें तो कम से कम समझ तो सकें । मैं समझती हूँ कि यह काम आगे बढ़ रहा है ।

इतने बड़े देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, वहां देश की एकता के लिए कड़ी आवश्यक है कि कोई भाषा ऐसी हो, जिसे सब बोल सकें, जो एक कड़ी की तरह सबका मिला-जुला कर रख सके । इसलिए हिन्दी को बढ़ाना सबका काम है ।''

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

बिन्नी यांगा : एक हिंदी प्रेमी राष्ट्रभक्त जनजातीय महिला

—चन्द्रधर त्रिपाठी

सितम्बर 1998 की बात है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 1998 (ह्यूमन डेवेलपमेण्ट रिपोर्ट 1998) के विमोचन के सिलसिले में भारत के चार स्थानों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी थीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक कार्यशाला अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हो रही थी। अनेक स्थानों से आये प्रतिनिधिगण एक सभागार में एकत्र थे और रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। एक ओर बैठे हुए मैं वक्ताओं के विचार सुन रहा था कि सहसा दूसरे कोने से किसी नारी कण्ठ में हिन्दी सुनायी पड़ी। अब तक लगभग पचास लोग बोल चुके थे। किसी के हिन्दी में बोलने का प्रश्न ही नहीं था! यू.एन.डी.पी. की कार्यशाला, अंग्रेजीपरस्त विशेषज्ञों की सभा, अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट पर चर्चा और स्थान हिन्दी हृत्प्रदेश से बहुत दूर जनजातीय इलाके में - और भाषण हिन्दी में! सहसा विश्वास नहीं हुआ। पर अनहोनी तो प्रत्यक्ष घट रही थी! और वह साहसी महिला कह भी तो क्या रही थीं! आप लोग विकास की इतनी बातें कर रहे हैं, वह तो ठीक है; पर यह न भूलें कि बिना अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को संरक्षित किये कोई विकास नहीं हो सकता, जो होगा वह निरर्थक एवं निष्प्रभावी होगा! अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और फैशनेबुल समाजकर्मियों की उस सभा में दो क्षण के लिए नीरवता छा गयी! विकास की सुपरिचित बातों के बीच यह क्या बात उठायी इस महिला ने और वह भी किस भाषा में!

बाद में चायपान के समय लॉबी में उन भद्र महिला के पास गया। अपनी परम्परागत वेश-भूषा में सज्जित सौम्यमूर्ति महिला से पूछा, "हिन्दी में आप ही बोल रही थीं?" किंचित् सलज्ज मुस्कान से स्वीकृति दी तो मैंने उन्हें इस साहस और राष्ट्रप्रेम के लिए बधाई दी और एक हिन्दी भाषी भारतीय होने के नाते धन्यवाद भी दिया। बातें चल निकलीं तो उन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा छोड़ दें तो यह तो अच्छी बात नहीं होगी। वह तो हमारी माँ है। उनके विचारों को प्रशंसनीय बताते हुए मैंने कहा "हां, माँ तो माँ ही रहेगी चाहे जैसी भी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कहे कि यह सुन्दर नहीं इस लिए मेरी माँ नहीं!"

अगले दिन अरुणाचल के राज्यपाल माताप्रसाद जी की ओर से सभी प्रतिनिधि चाय पर निमन्त्रित थे। वहां मैंने राज्यपाल जी से पिछले दिन के सुखद अनुभव की चर्चा की कि किस प्रकार अपनी संस्कृति और भाषा की बात-और वह भी हिन्दी में करके इस साहसी महिला ने सब को अभिभूत कर दिया था। माताप्रसाद जी का हिन्दी प्रेम सर्वविदित है और इसी कारण उनसे यह चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा, "अरे आप इन्हें जानते नहीं, ये तो हैं ही ऐसी।" फिर एक कहानी सुनायी। तीन-चार वर्ष पूर्व चीन में हुए विश्व महिला सम्मेलन में ये भी गयी थीं। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों की बस में चढ़ना चाहा तो भीतर से आवाजें आयीं, "नो, नो, दिस इज फॉर इण्डियन डेलीगेट्स!" ये बोलीं, "तो मैं भी तो भारत से ही आयी हूँ।" और भीतर घुस गयीं। उन बिचारी "इण्डियन" महिलाओं को कैसे समझ में आता कि जिसने न बनारसी साड़ी पहन रखी है न कांजीवरम् सिल्क और न आधुनिक जीन्स, जो एक अनजानी-सी जनजातीय पोशाक में मोटे कण्ठों और गुरियों की माला पहने हुए हैं और हिन्दी बोल रही हैं वह भी भारतीय हो सकती है और अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने वाली भारतीय!

कौन हैं यह विलक्षण हिन्दी प्रेमी और स्वदेशाभिमानी महिला? जिज्ञासा हुई तो पता चला कि ये ओजू कल्याण संघ नामक संस्था की अध्यक्षा हैं। यह संस्था गत दस वर्षों से अरुणाचल में गरीब महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा गरीब और अनाथ बच्चों के पालन-पोषण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लगभग चालीस वर्षीया श्रीमती बिन्नी यांगा का एक प्रचलित नाम माया भी है। इनका जन्म पर्वतीय मिरी जनजाति में हुआ था जो अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। पारम्परिक परिवार की होते हुए भी पिता के सरकारी नौकरी में होने के कारण इन्हें कुछ प्रेरणा मिली और अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन भी। फिर इन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की। आगे चल कर इन्होंने अपनी पुत्री को भी वनस्थली भेजा पढ़ाई के लिए। बचपन से ही सामाजिक-संस्कृतिक विषयों के प्रति जागरूक रहीं। सुबन्सिरी जिला बालिका कल्याण संघ के संस्थापक-अध्यक्ष और बाद में अखिल अरुणाचल छात्र संघ की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में बिन्नी ने अरुणाचल की जनजातियों में फैली अनेक कुप्रथाओं, जैसे बलात् विवाह, बाल विवाह, वधू-मूल्य आदि के विरोध में सशक्त आवाज उठाई। कुछ दिन अध्यापिका रहीं फिर पुलिस सेवा में भर्ती हो गयीं। वापस फिर अध्यापिका बनीं और अन्ततः नौकरी के बन्धनों से मुक्त हो कर समाज-कल्याण के क्षेत्र में स्वतन्त्र काम करने में इन्हें जीवन का लक्ष्य दिखायी पड़ा। अरुणाचल में महिलाओं की दशा देखकर ये विशेष चिन्तित हुई और लगभग बीस वर्ष पूर्व महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा तथा नर्सरी केन्द्र आरम्भ कर महिला और शिशु कल्याण के कार्य की शुरुआत की। सन् 1988 में ओजू कल्याण संघ की स्थापना की जो महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं की अनूठी संस्था है। सरकार और समाज द्वारा भी बिन्नी को आगे चल कर काफी प्रोत्साहन मिला और आज वे अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ससम्मान बुलाई जाती हैं।

यह सब बिन्नी ने किन्हीं राजनीतिक सम्पर्कों द्वारा नहीं उपलब्ध किया वरन् मात्र अपनी संगठनात्मक प्रतिभा, व्यक्तिगत गुणों और कर्मशीलता

निदेशक, वृंदावन शोध संस्थान, रमण रेती, वृंदावन-281124

के बल पर। उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, अरुणाचल और विशेषत: वहां की महिलाओं का सही सर्वांगीण उत्थान ही उनकी एकमात्र अभिलाषा और काम्य है।

ईटानगर में बिन्नी यांगा का हिन्दी भाषण सुनकर जो सुखद अनुभूति हुई वह चिरस्मरणीय और अद्भुत थी। बचपन से आजतक जब साठ की वय पार कर गया हूँ हिन्दी से सम्बंधित सैंकड़ों अनुभव हुए हैं। अपने आप पर, हिन्दी समाज पर और देश पर लज्जा आती है कि इनमें से अधिकांश कटु या उपहासास्पद ही रहे हैं। उस दुखद श्रृंखला में ऐसे सुखद अनुभव का जुड़ना विशेष आनन्द देता है। हिन्दी का रथ जो सैंकडों वर्षों से अनगिनत विघ्नों-बाधाओं को रौंदता हुआ उन्नति के पथ पर सतत बढ़ता जा रहा है वह केवल हमारे सन्तों-मनीषियों के आशीर्वाद और बिन्नी जैसे नि:स्वार्थ राष्ट्रवादियों के साहस और साधना के बल से ही वरना हिन्दी के नाम पर खाने-पीने, गालियां देने और वोट बटोरने वाले तो कभी का इसका पुरजा-पुरजा तोड़ कर धूरे पर डाल चुके होते!

गीता सार

★ क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है।

★ जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो। भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है।

★ तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था? जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आये, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया, यही पर दिया। जो लिया इसी (भगवान) से लिया। जो दिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा हैं, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दु:खों का कारण है।

★ परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।

★ न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, बालू, पृथ्वी, आकाश से बना है, और इसी में मिल जायेगा। परन्तु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान् को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है, जो उसके सहारे है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वथा मुक्त है।

★ जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान् को अर्पण करता चल। इसी से तू सदा-जीवन-मुक्त का आनन्द अनुभव करेगा।

भारत और पाकिस्तान की राजभाषाओं का समान आधार 'खड़ी बोली'

—डा. परमानन्द पांचाल

आज भारत और पाकिस्तान दो प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हैं। दो पृथक राष्ट्र होते हुए भी दोनों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषाई पृष्ठभूमि समान ही है। भारत के विभाजन का आधार भले ही अंग्रेजों की कुटिल नीति से प्रसूत द्विराष्ट्र का सिद्धांत रहा हो, फिर भी दोनों देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की साझी परम्परा है। दोनों देशों में नि:सन्देह अनेक समृद्ध भाषाएं और बोलियां हैं फिर भी दोनों देशों ने जिन भाषाओं को अपनी राजभाषा या सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है उनका आधार भी समान है और वह है—'खड़ी बोली'।

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 251 के खंड-1 के अनुसार उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और इसी अनुच्छेद के खंड-2 में कहा गया है कि '15 वर्षों' तक शासकीय प्रयोजनों के लिए तब तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा जब तक कि उर्दू द्वारा उसका स्थान लेने की व्यवस्था न हो जाए''। पाकिस्तान में विभिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हैं, जिनमें पंजाबी बोलने वाले 65 प्रतिशत, सिंधी 11 प्रतिशत और उर्दू भाषी केवल 9 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त यहां सेरायकी, बिलोची, पश्तो और ब्रुही भाषी लोग भी रहते हैं जिनके अलग-अलग भाषाई क्षेत्र हैं। उर्दू किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, फिर भी वह वहां की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है क्योंकि इसमें भी सम्पर्क भाषा होने के वही गुण मौजूद हैं, जो हिन्दी में हैं। भाषिक दृष्टि से उर्दू और हिन्दी की बहस बहुत पुरानी है किन्तु नए संदर्भ में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच परस्पर सौहार्द्र के सूत्र यदि भाषाई एकता में कहीं मिलते हैं तो क्यों न हम समान हित में उनकी पहचान करें।

उर्दू और हिन्दी मूलत: एक ही भाषाएं हैं। दोनों की वाक्य-रचना, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और शब्द-भंडार प्राय:समान हैं। मुख्य अंतर केवल लिपियों में भिन्नता ही है। डा. रामविलास शर्मा जी ने ठीक ही कहा है —'' हिन्दी और उर्दू दो भाषाए नहीं हैं क्योंकि उनका व्याकरण एक है, उनका मूल शब्द भंडार एक है''। कवि मुराद शाह उर्दू को केवल हिन्दी मानते हैं। उनका कहना है—

''वह उर्दू क्या है, यह हिन्दी ज़बां है
कि जिसका कायल अब सारा जहां है''

17वीं शताब्दी के अन्त तक भी मुसलमान लोग इस भाषा को हिन्दी ही कहते रहे। नूर मुहम्मद (सन् 1773 ई.) की यह उक्ति उसके इस सन्दर्भ में विशेष रूप में उल्लेखनीय है—

''हिन्दू पग पर पाँव न रख्यौ
का जो बहुते हिन्दी भाख्यौ।''

इससे उनका तात्पर्य यह था कि मैंने हिन्दू मत को नहीं अपनाया है। इससे क्या अन्तर पड़ता है यदि मैं हिन्दी में वर्णन करता हूं अर्थात् फारसी या अरबी में नहीं। लोक प्रचलित भाषा के लिए 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग उन्नीसवीं सदी तक होता आया है। गिलक्राइस्ट के समय तक 'हिन्दी' शब्द 'उर्दू' और रेखता का समानार्थी रहा है। हातिम से मीर तक ने अपनी रचनाओं को 'हिन्दी' शेर कहा था। यहां तक कि मिर्जा गालिब ने अपने पत्रों के संकलन को 'उदे हिन्दी' नाम देना ही श्रेयस्कर समझा था। मौलाना मुहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी रचना 'आबे-हयात' में उर्दू का पुराना नाम ''हिन्दी'' ही माना है। 'हमने ऊपर साबित किया है कि इब्तदा से आखिर तक हमारी जबान का नाम हिन्दी रहा।'

अंग्रेजों की 'विभाजन और शासन' की कुटिल नीति के परिणाम स्वरूप ही इस लोकप्रिय भाषा में दरार पड़नी आरम्भ हो गयी। कहना न होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से तो इस भाषा के विभाजन का विधिवत् मार्ग ही प्रशस्त हो गया। डा. भोलानाथ तिवारी ने ठीक ही लिखा है कि यदि गिलक्राइस्ट ने मध्य—देश की वास्तविक प्रतिनिधि भाषा को जो न तो अधिक अरबी-फारसी की ओर झुकी हुई थी और न संस्कृत की ओर अपनाया होता तो आज हिन्दी—उर्दू नाम की दो भाषाएं न होती और भाषा एवं उसके साहित्य का नक्शा कुछ और ही होता। इस प्रकार इस एक ही भाषा की दो शैलियों को राजनीतिक कारणों से अलग-अलग भाषाओं के रूप में मान्यता मिलती गई। नहीं तो यह एक ही भाषा थी। जॉन बीम्स ने इस सत्य को स्वीकारते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'हम जब भी इस भाषा की रूप-रचना अथवा ध्वनि-तत्वों पर विचार करते हैं तो हम विशुद्ध रूप से इसे एक आर्य बोली ही पाते हैं। यह बोली उतनी शुद्ध 'वली' और 'सौदा' की रचनाओं में है जितनी की 'तुलसीदास' या बिहारी की रचनाओं में। इस प्रकार हिन्दी और उर्दू को दो भिन्न भाषाएं मानना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गलतफ़हमी है। 1700 ई. में दक्खिनी के कवि 'बहरी' भी 'मन लगन' में हिन्दी को अपनी भाषा कहते हैं—

हिन्दी तो जबां च है हमारी
कहमे न लग हमन कूं भारी।

हिन्दी और उर्दू नाम की इन भाषाओं के विकास में हिन्दुओं के साथ-साथ मुसलमानों और अन्य सभी वर्गों का पूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार हिन्दी को हिन्दुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा कहने का कोई आधार ही नहीं है। उर्दू साहित्य को जैसे अनेक हिन्दू कवियों और लेखकों ने समृद्ध किया है वैसे ही हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में भी मुसलमानों का ऐतिहासिक योगदान रहा है। उर्दू साहित्य में पं. दयाशंकर कौल ''नसीम'' पं. रतन नाथ दर ''सरशार'', पं. ब्रजनारायण ''चकबस्त'' प्रेमचन्द, कृशन चन्दर 'फिराक' गोरखपुरी, मुल्ला मुनव्वर, कन्हैयालाल

232 ए पाकेट 1, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091

1556 HA/99—2A

कपूर जैसे सैंकड़ों नाम हैं, जिनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसी प्रकार हिन्दी में तो असंख्य मुस्लिम साहित्यकारों का आरम्भ से ही योगदान रहा है। अमीर खुसरो से लेकर आज तक की एक लम्बी परम्परा रही है, जिनका नामोल्लेख कर पाना भी यहां असम्भव है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये दोनों ही भाषाएं 'खड़ी बोली' की पुख्ता नींव पर खड़ी हैं। यह बोली कहीं बाहर से नहीं आई थी। इस बोली का अस्तित्व एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में रहा है। किन्तु इसे साहित्यिक क्षेत्र में लाने का प्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों, विशेषकर अमीर खुसरो (1253—1325) ने ही किया था। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में —'खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने ही बनाया। हिन्दी वाले तो अपभ्रंश का प्रभाव ढोते हुए एक खास परम्परा पर चल रहे थे और इस परम्परा का जो मेल अवधी और ब्रजभाषा से बैठता था वह मेल खड़ी बोली से नहीं बैठता था। इस बोली की ओर ध्यान पहले मुसलमान कवियों का ही गया, क्योंकि यह वह भाषा थी जिससे इनकी नज़दीकी पहचान हो सकती थी।'

पाकिस्तान के प्रसिद्ध आलोचक डा० सुहेल बुखारी भी उर्दू का आधार खड़ी बोली ही मानते हैं। उनका कहना है कि 'लिपि के साथ-साथ हमने इस ज़बान को जो पहले खड़ी बोली कहलाती थी और आज भी माहिराने जबान (भाषाविद्) इसे इसी नाम से याद करते हैं। 1647 से दिल्ली के नौआबाद इलाके उर्दू-ए-मौअल्ला की निस्बत से एक नया नाम 'उर्दू' भी अता कर दिया।'

इस बोली के लिए "खड़ी बोली" नाम के दर्शन हमें 1803 ई. के पूर्व कहीं नहीं होते। इसके प्रथम प्रयोगकर्ताओं में लल्लूलाल और उनके समसामयिक लेखक हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट हैं। लल्लू जी लाल प्रेमसागर में लिखते हैं"........जॉन गिलक्राइस्ट महाश्य की आज्ञा से सन् 1860 में लल्लूलाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवदीच आगरे वाले ने विसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह प्रेम सागर नाम धरा"।

सदल मिश्र ने 'रामचरित' (पांडूलिपि इंडिया ऑफिस ला०) में लिखा है मिस्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने आज्ञा दी कि आध्यात्म रामायण को ऐसी बोली में करो जिसमें अरबी फारसी न आवे ....तब मैं इसको खड़ी बोली में कहने लगा। इससे पता चलता है कि 1803 से पहले इस बोली को किसी ने भी "खड़ी बोली "नहीं कहा था। किन्तु यह सत्य है कि यह बोली दिल्ली और मेरठ के आस-पास के क्षेत्र में पहले से ही बोली जाती रही थी। जब-जब दिल्ली में केन्द्रीय सत्ता स्थापित हुई तब-तब इसके विकास और प्रयोग में वृद्धि होती रही। गुलाम वंश के शासन में भी अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इसे अपनी रचनाओं का माध्यम बनाने का प्रयास किया। मुगल शासन की राजधानी बहुत समय तक आगरा रही इसलिए उस क्षेत्र की ब्रज भाषा को विकास का अधिक अवसर मिला। यह बात अवश्य है कि अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मुहम्मद तुगलक के दकन विजय और दौलताबाद को राजधानी बनाने के निर्णय से दिल्ली की खड़ी बोली का प्रवेश दक्षिण में भी हो गया और वहां इसे साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होने का सर्वप्रथम अवसर मिला। बन्दा नवाज़ गेसदराज से 'वली दकनी' तक कई सौ वर्षों तक 'दक्खनी हिन्दी' के नाम से इसमें साहित्य रचना होती रही। यहीं हमें खड़ी बोली में हिन्दी या उर्दू के आरम्भिक साहित्य के विकास के दर्शन होते हैं। उस समय इस बोली (भाषा) को किसी ने भी "उर्दू" नहीं कहा था इसे केवल हिन्दवी, हिन्दी, गुजरी, रेख्ता और अधिकांशत: 'दक्खिनी' ही कहा गया। वली दकनी जो दक्खिनी के अन्तिम कवियों में थे जब दिल्ली आए तो उन्होंने मोहम्मद-शाह रंगीले के शासन में दिल्ली की इसी बोली में अपनी गजल पढ़ी तो दिल्ली के लोग अश-अश कर उठे। उन्होंने पहली बार इस बोली में इतनी अच्छी गज़ल सुनी। फिर क्या था। दिल्ली वासियों ने भी उसका अनुसरण आरम्भ कर दिया। नहीं तो यहां गजलें केवल फारसी में ही होती थी। शाहजहां के बाद इस बोली पर आधारित एक ऐसी मिश्रित भाषा का प्रयोग होने लगा जिसमें अरबी, फारसी तथा तुर्की के बड़ी संख्या में शब्दों का समावेश हो गया और उसकी लिपि भी फारसी हो गई। खड़ी बोली के इसी रूप को कालान्तर में 'ज़बान उर्दू-ए-मौअल्ला' और फिर "उर्दू" ही कहा जाने लगा। उर्दू के आरम्भिक कवि अपनी भाषा को जैसे पहले कहा गया है, हिन्दी ही कहते थे।

'खड़ी बोली' नाम अचानक 1803 ई. से सुनने को मिलता है। खड़ी बोली के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। केलाग जैसे विद्वान अपने हिन्दी व्याकरण में इसे "खड़ी बोली" अर्थात् शुद्ध बोली कहना पसंद करते हैं। प्लेट्स सेम्पसन, सुधाकर द्विवेदी, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' प्रभृति विद्वानों का यही मत है। कुछ लोग इसे पड़ी से खड़ी की गई बोली मानते हैं। चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और सूनीति कुमार चाटुर्ज्या इसी मत के पक्षधर हैं। कुछ विद्वान इसे कर्कश, गंवारु भाषा होने के कारण खड़ी बोली कहते हैं, तो किशोरी दास वाजपेयी जैसे कुछ भाषाविद् खड़ी पाई अर्थात् आकारान्त प्रधान प्रकृति के कारण इसे खड़ी बोली कहना पसंद करते हैं। कतिपय विद्वान इसे 'स्टेंडर्ड' मानक भाषा होने के नाते अंग्रेजी के स्टेंड 'STAND' खड़ा होने के आधार पर खड़ी बोली कहते हैं। प्रो. सुहेल बुखारी तो खड़ी का अर्थ 'सुस्थिर' सुप्रचलित परिष्कृत मानते हैं। इस प्रकार 'खड़ी बोली' शब्द को लेकर मतैक्य नहीं है। वास्तव में खड़ी का सम्बन्ध बेलाग, बेतकल्लुफ, अनौपचारिक बात से है, जिसमें कोई लाग लपेट न हो। सीधी और सपाट बोलचाल ही खड़ी बोली है। इसमें न तो संस्कृत का ही और न अरबी फारसी का ही कोई आवरण है। यह शब्द रूप में दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों की देसी बोली है। पहले इसका कोई नाम नहीं था। खड़ी बोली नाम इसे बहुत बाद में मिला। खड़ी शब्द को लेकर आम बोलचाल में कई प्रयुक्तियां हैं, जैसे 'खड़ा-खड़ी' या 'खड़ी-चोट' जिनका अर्थ है 'तत्काल'। इसी आशय से इस बोली को 'खड़ी' विशेषण दिया गया लगता है। अमीर खुसरो ने इसे 'देहलवी भाषा' कहा था। उसने अपने ग्रन्थ 'नूह-सिपहर' में भारत की जिन 12 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें 'देहलवी' भाषा तो है 'ब्रज' नहीं है। जब आगे चलकर ग्वालियरी भाषा को कृष्ण भक्ति प्रभाव के कारण 'ब्रज भाषा' नाम दे दिया गया तो इस भाषा के लिए केवल 'देसी' या 'खड़ी' ही रह गया। इसी बोली को 'कुरू' जनपद की भाषा होने के कारण महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'कोरवी' कहना ही तर्क संगत समझा, किन्तु यह शब्द अधिक प्रचलित नहीं हो सका। यह "खड़ी बोली" ही रह गई।

1556 HA/99—2B

राहुल जी कहते हैं कि मानक हिन्दी को जिस बोली ने जन्म दिया उसका लोक साहित्य भी अवश्य होगा। उन्होंने कुरू प्रदेश को ही खड़ी बोली की जननी माना।

पाकिस्तान के प्रसिद्ध आलोचक प्रो. सुहेल बुखारी तो एक नई बात कहते हैं। उनका कहना है कि पंजाबी और सिन्धी की भांति यह बोली भी किसी क्षेत्र विशेष की बोली होने के कारण "खड़ी" नाम से अभिहित है। वे इसे खौंड, गौंडवाना क्षेत्र से सम्बंधित करने का प्रयास करते हुए कहते हैं 'चुनांचे खड़ी बोली का मतलब हुआ खड़, खड्या, खौंडं की (खंडी खौंडी) और खंड्या खौंड हिन्दुस्तान के उस इलाके को कहते हैं जो सूबा उड़ीसा के मगरिब (पश्चिम) में वाके है। इस इलाके में आज जो बोली बोली जा रही है उसे ही खड़ी या "खड्या" कहते हैं। उनका मानना है कि ध्वनि विज्ञान के नियमानुसार 'खौंडं' और 'गौंडं' दोनों एक ही बोली के दो रूप हैं क्योंकि "ख" ध्वनि का "ग" में परिवर्तित होना स्वाभाविक है। इलाका 'खौंड' को "गौंडिया", या "गौंडवाना" भी कहते हैं। इन तमाम बातों से यह नतीजा निकलता है कि यह इलाका हिन्दुस्तान की कदीम नस्ल 'गौंड' का मस्कल (निवास) हैं और इसकी बोली खड़ी बोली कहलाती है। क्यास गालिब यह है कि यही उर्दू का असली देश है, जिसमें वह हजारों सालों से बोली जा रही है।

किन्तु सुहेल बुखारी साहब के इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता। यदि यह बोली मूल रूप से उड़ीसा के समीपवर्ती क्षेत्र, जिसे वह 'गौंडवाना' कहता है, में बोली जाती तो आज भी उसके बोलने वाले ग्रामीण लोगों में वह किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित होती। अत: खड़ी बोली का क्षेत्र वह नहीं रहा है, जिसे सुहेल साहब कहना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि खड़ी बोली का मूल क्षेत्र दिल्ली और उसका समीपवर्ती प्रदेश है जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद के जिले सम्मिलित हैं। यहीं की भाषा को महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'कौरवी' का नाम दिया है। यमुना नदी के समीपवर्ती क्षेत्र रोहतक, करनाल, पानीपत और अम्बाला तक के क्षेत्र जहां हरियाणवी बोली जाती है, खड़ी बोली के ही अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र पहले पंजाब के ही भाग थे। इसीलिए प्रो. शीरानी उर्दू का विकास पंजाब से ही मानते हैं।

पद्मसिंह शर्मा भी यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करते कि 'विदेशी मुसलमानों ने आगरा, दिल्ली, सहारनपुर और मेरठ की पड़ी भाषाओं को खड़ी कर अपने लसकर और समाज के लिए उपयोगी बनाया।' हिन्दी गद्य और पद्य खड़े रूप में मुसलमानी हैं।

आज पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू का आधार भी यही खड़ी बोली है, जैसा कि भारत की राजभाषा हिन्दी का आधार खड़ी बोली है। इसी में सरकारी आदेश एवं विज्ञप्तियां आदि जारी होते हैं। पाकिस्तान में उर्दू की साहित्यिक रचनाएं भी हिन्दी रचनाओं के सदृश्य हैं। अन्तर केवल लिपि और कुछ अरबी फारसी बहुल शब्दावली को लेकर है। बोलचाल में अधिक अन्तर दिखाई नहीं पड़ता। विदेशों में यदि भारतीय और पाकिस्तानी लोग कहीं मिलते हैं, तो उन्हें परस्पर बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि भाषा का माध्यम यही बोली होती है। विदेशों में जो कवि सम्मेलन या मुशायरे आयोजित होते हैं उनमें दोनों देशों के नागरिक समान रूप से रसास्वादन करते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रसिद्ध शायर अहमद फराज जब भारत आए तो उन्होंने अपनी रचना पढ़ी :—

"तुम्हारे देश में आया हूँ अब के,
न साजो नग्मे की महफिल शायरी के लिए,
अगर तुम्हारी अनाही का है सवाल, तो फिर
चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए"।

इसी अवसर पर हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गोपाल दास 'नीरज' ने भी ये पंक्तियां पढ़ी :—

"अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए"।

वहां उपस्थित सभी श्रोताओं ने समान रूप से इनका रसास्वादन किया। इस प्रकार दोनों देशों की राजभाषाओं के मौखिक स्वरूप में अद्भुत समानता है।

पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन से जो समाचार प्रसारित होते हैं उन्हें हिन्दी जानने वाले बखूबी समझ सकते हैं बल्कि स्थिति यह है कि वे हमारी उर्दू सेवा से कहीं अधिक सरल और सहज होते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बी. बी. सी. लंदन ने उर्दू और हिन्दी प्रसारण के अलग-अलग विभागों को एक ही विभाग के अन्तर्गत रख दिया है जो दोनों की आधारभूत एकता का द्योतक है। इस प्रकार हमारे दोनों पड़ोसी देशों की दोस्ती के जो समान सूत्र हैं उनमें से दोनों की राजभाषाओं का मूल आधार यह खड़ी बोली भी एक है।

हिन्दी सक्षम है, समर्थ है

—विश्वम्भर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु'

'हिन्दी है हम सबकी भाषा : जन-जन की मुखरित अभिलाषा;
हिन्दी है पहिचान हमारी : भारत के गौरव की आशा।'

ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके डा. लक्ष्मीमल सिंघवी। यह है हिन्दी-वन्दना का अंश जो मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लन्दन में प्रति वर्ष आयोजित हिन्दी सम्मेलन में गूंजती थी। एक और जानकारी भी है, जो आश्चर्यजनक लगेगी अपनी हिन्दी के प्रति हीन भावना पालने वालों को। आज़ादी मिलते ही भारत से संबंध रखने के लिए लालायित संसार के अनेक देशों में हिन्दी का, भारत की सहज-स्वाभाविक भाषा हिन्दी का, पठन-पाठन शासकीय स्तर पर शुरू हो गया था। यूरोप के ही नहीं, रूस, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आस्ट्रेलिया और एशियायी देशों के बहुत से विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई थी। भारत के बाहर 37 देशों के 111 (जो संख्या अब 130 के ऊपर पहुंची बताई जाती है) विश्वविद्यालयों, संस्थानों की सूची, जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है, जनवरी 1998 में भारत सरकार के गृह-मंत्रालय की मासिक पत्रिका 'राजभाषा पुष्पमाला' अंक 69 में प्रकाशित हुई थी।

हिन्दी के प्रति हीन भावना त्यागनी है :

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में प्रसिद्ध विदुषी महीयसी महादेवी वर्मा ने कहा था, 'आज हम अंग्रेजी की ओढ़ी हुई दीनता में जी रहे हैं, किन्तु बाहर से महानता का दंभ भरते है।...... इस दीनता को उतार फेंकना होगा। हमारी संस्कृति का समुद्र बहुत गहरा है। सूखा है तो हमारा हृदय। अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के प्रति हमारे हृदय में संवेदना होनी चाहिए। हमें हर हृदय में यह संवेदना भरनी चाहिए। हिन्दी से उपयुक्त कोई अन्य भाषा नहीं।'' यह दीनता या अपनी संस्कृति और उसकी वाहक भाषा के प्रति हीन भावना लंबी गुलामी के ज़माने में इतनी गहरी जम गई थी कि आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी देश उससे मुक्त नहीं हो पा रहा। इसका कारण है हिन्दी की सामर्थ्य और क्षमता के प्रति व्यापक अज्ञान या जान-बूझकर फैलाया हुआ मिथ्या भ्रम, जो दूर होना चाहिए और वास्तविक स्थिति प्रकाश में आनी चाहिए।

सच तो यह है कि आज हिन्दी सक्षम है, समर्थ है, संसार की किसी भी अच्छी से अच्छी भाषा से कहीं अधिक। हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर गर्व करते हुए प्रसिद्ध लेखक-कवि-पत्रकार श्री कन्हैयालाल 'नंदन' (जागरण 4-1-1999 में) कहते है, 'उसके साहित्य को विश्व की किसी भी भाषा के समकक्ष रखकर देखता हूं और संतोष के साथ सुख का अनुभव करता हूं कि हिन्दी का गद्य और पद्य दोनों संसार की समृद्धतम भाषाओं की कोटि में रखे जाने की क्षमता रखता है। उसके सरोकार प्रांतीय और दैशिक परिधियों से परे सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं।' 'राष्ट्रभाषा' के अगस्त 1998 अंक में प्रकाशित, विद्वान् डा. जी.पी. श्रीवास्तव का मत भी उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि :

'आज अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान हिन्दी में होने लगी है। भारत के अतिरिक्त आज मारिशस, फ़ीजी, सूरिनाम, गुयाना, मोज़ांबीक, अंगोला, युगांडा, सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका आदि के भारतीयों ने हिन्दी को एक अंतर-राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दिया। आज अपने देश में हिन्दी लगभग वही भूमिका निभाती है, जो कभी, बहुत पहले संस्कृत ने भारत की एकात्मक संस्कृति की रचना के लिए की थी। संस्कृत ने जिस प्रकार अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर संपूर्ण देश की विचार-धाराओं को आत्मसात् करते हुए सर्व-स्वीकृत भारतीयता की पहचान बनाई थी, उसी प्रकार आज हिन्दी भी अपनी मूल सीमाओं को लांघकर सर्व-देशीय रूप में भारतीयता की प्रतीक बन रही है। हिन्दी के अतिरिक्त इस देश की किसी भी अन्य भाषा का इतना बड़ा विस्तार-क्षेत्र नहीं है। आज हिन्दी किसी क्षेत्र, धर्म अथवा जाति की धरोहर नहीं रही, वरन् वह भारतीयता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई है।'

हिन्दी पर गर्व होना चाहिए :

इन कही-सुनी बातों को छोड़कर आइए, तथ्यों को देखें कि साहित्याचार्य डा. शीलम् वेंकटेश्वर राव, विद्यासागर, साहित्य-रत्नाकर, क्यों कहते हैं कि 'हिन्दी केवल भाषा नहीं, अपितु समस्त देश की संस्कृति और आत्मा भी है।' भारतवासी सारे संसार में फैले हुए है जो अपने-अपने देश की भाषाओं से अधिक हिन्दी को अपनी भाषा मानते हैं। उर्दू भी हिन्दी की ही एक शैली हैं; अत: पाकिस्तान और बांग्ला देश में भी हिन्दी-भाषी पर्याप्त संख्या में हैं। इस प्रकार सूरीनाम के विद्वान श्री रामनारायण शास्त्री के अनुसार हिन्दी बोलने वाले भारत और विदेशों में कुल मिलाकर 60 करोड़ से अधिक हैं। यह संख्या चीनी (103 करोड़) के बाद दूसरे नंबर पर ही है (अंग्रेज़ी का नंबर उसके बाद है, यद्यपि हिंदी-भाषियों की संख्या कम बताकर प्राय: अंग्रेज़ी-भाषियों की संख्या दूसरे नंबर पर प्रचारित की जाया करती है)। चीनी का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि यह लगभग एक ही देश में सीमित है और इतनी क्लिष्ट है कि अन्यत्र इसके फैलने की संभावना नहीं है। अंग्रेज़ी सीखना भी कठिन ही है, बल्कि इसे सीखना जापानी तो असंभव समझते है। वे हिन्दी आसानी से बोलते और समझते हैं। अंग्रेज़ी कई देशों में फैली है, तो हिन्दी भी विश्व में फैली हुई है, और इतनी सरल, सुबोध, सक्षम, समर्थ एवं सर्व-गुण-संपन्न है कि संसार के विद्वान् इस पर मुग्ध हैं और इसे विश्व-भाषा बनाने का विचार सर्वत्र पनप रहा है।

बी-154, लोक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

अंग्रेज़ी, जिसे कुछ लोग भ्रम-वश विश्व-भाषा समझे बैठे हैं, ऐसा श्रेय पाने की कल्पना भी नहीं कर सकती; क्यों कि वह ऐसी जड़, दुराग्रही, अवैज्ञानिक, अविकसित और अटपटी भाषा है जिसके दोष सदा से ही बड़े-बड़े विद्वानों को चिंतित और परेशान करते रहे हैं—आर्थर मैक-डोनल के शब्दों में:

> 'यूरोपीय लोग 2500 वर्ष बाद इस वैज्ञानिक युग में भी वही वर्ण-माला प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी भाषा की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने में भी अक्षम है, यहां तक कि हम उसी अव्यवस्थित वर्ण-क्रम से भी चिपके हुए हैं जो यूनान के आदिवासियों ने 3000 साल पूर्व अपनाई थी।'

इसी प्रकार सर आर्थर विलियम जोन्स कहते हैं कि 'अंग्रेज़ी वर्ण-माला और वर्तनी ऐसी बुरी तरह अधकचरी हैं कि प्राय: अत्यंत हास्यास्पद तक हो जाती है'। और रिचर्ड लैडरर महोदय ने तो झल्लाकर 'क्रेज़ी इंग्लिश' अर्थात् 'पागलपन की भाषा अंग्रेज़ी' नामक एक ग्रंथ ही लिख डाला जिसे न्यूयार्क (अमेरिका) की प्रसिद्ध संस्था 'साइमन ऐंड शुस्टर' ने 1968 में प्रकाशित किया था।

अब भी इस भाषा के सुधार के न कोई लक्षण हैं न प्रयास ही। इसलिए यह न तो विश्व-भाषा है, न होने-योग्य ही है। अनेक राष्ट्रों में, जहां यह साम्राज्यवादी व्यवस्था में लादी गई थी, इसके प्रति चाह ही नहीं है। कहीं-कहीं इसके प्रति घृणा अवश्य है। चीन, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, इटली आदि, यहां तक कि 'ग्रेट ब्रिटेन' के ही एक द्वीप आयरलैंड की भी, सबकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं, कोई अंग्रेज़ी पर निर्भर नहीं है। भारत में तो अंग्रेज़ी-भाषी दाल में नमक-बराबर भी नहीं हैं। यहां 1991 की जन-गणना के अनुसार अंग्रेज़ी 1,78,596 (अर्थात् कुल जनसंख्या 90 करोड़ के 0.20 प्रतिशत से भी कम) भारतीयों की मातृ-भाषा है, जबकि हिन्दी-भाषी सारे देश में ही बहुतायत से हैं।

हिन्दी की गुणवत्ता :

बेल्जियम में जन्में फ़ादर कामिल बुल्के संस्कृत-हिन्दी सीख भारत में बसकर पक्के भारतीय बन गए थे और रामायण के प्रकांड विद्वान थे। वे कहते थे कि 'संस्कृत मां, हिन्दी गृहणी और अंग्रेज़ी नौकरानी है'। अर्थात् हिन्दी इयत्ता की दृष्टि से (क्वांटिटेटिवली) ही नहीं, ईदृक्ता की दृष्टि से (क्वालिटेटिवली) भी अत्यंत श्रेष्ठ है, अतएव विश्व-वरणीय है। यह कोई आत्मश्लाघा नहीं, बल्कि अमेरिका के प्रो. माइकेल सी. शेपिरो के अनुसार 'दुनिया भर के साहित्य के संदर्भ में हिन्दी-साहित्य की विविधता और प्रचुरता का महत्व बढ़ गया है'। इंग्लैंड के विद्वान् डा. आर.एस. मेक-ग्रेगर तो यहां तक कहते हैं कि 'विदेशी विद्यार्थी यह जानकर प्राय: आश्चर्य-चकित रह जाता है कि आज हिन्दी-साहित्य आबदार चमकीले जवाहरातों से ठूंस-ठूंसकर भरा एक ख़जाना है'।

और यह खजाना, जहां तक भारत का संबंध है, निरंतर बढ़ रहा है (विशेषकर अंग्रेज़ी की तुलना में, जिसकी हिन्दी से प्रतिद्वंद्विता है)। भारतीय प्रकाशकों ने 1997 में कुल 57386 पुस्तकें प्रकाशित की जिनमें से हिन्दी की 16026 और अंग्रेज़ी की 12528 थीं, अर्थात् भारतीय भाषाओं की कुल 80 प्रतिशत (25 प्रतिशत हिन्दी की मिलाकर) थीं जबकि अंग्रेज़ी की केवल 20 प्रतिशत थीं।

यह स्थिति तो तब है, जब भारत में हिन्दी के प्रकाशन व्यवसाय में अड़ंगे हैं और अंग्रेज़ी-प्रकाशन को सभी प्रकार का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिल रहा है। हिन्दी पुस्तकों के लिए ख़रीददार नहीं है, और पाठकों की जेबें भी तंग है जिसे छिपाने के लिए मूल्य अधिक होने का भ्रम फैलाया जाता है। वास्तव में पुस्तक के मूल्य में दो-तिहाई तो कागज़ का मूल्य ही होता है जो भारत में महंगा है।

हिन्दी-विरोधियों के कुचक्र का सामना करें :

एक और धुआंधार झूठा प्रचार विदेशियों द्वारा यह किया गया है कि भारत में 560 से अधिक भाषाएं हैं। यह सच है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले, बीस कोस पर बानी'। किंतु बानी का अर्थ बोली है, भाषा नहीं। कुछ भारतीय विद्वान भी उसी झूठ को सच मान बैठे, क्योंकि कोई झूठ हज़ार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। फिर ज्ञानवृद्ध भारत की बहुत सी बोलियां सचमुच इतनी सुमधुर, समृद्ध, सुव्यवस्थित और व्याकरण-सम्मत भी हैं कि वे संसार की अनेक भाषाओं से श्रेष्ठ हैं और भाषा कही जा सकती हैं; किन्तु सभी संस्कृत से व्युत्पन्न या अत्यधिक प्रभावित होने के कारण, भिन्न-भिन्न नाम होते हुए भी, प्रकृति और प्रवृत्ति में समान हैं। एक परिवार की सभी बहिनों की भांति सब भारतीय भाषाएं/बोलियां विस्तृत मैदानों, गहरी नदियों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम वनों को लांघती हुई, एक-दूसरी के कंधे से कंधा मिलाकर निकटतम संबंध स्थापित करती हुई अपनी भारत-माता की सेवा में लगी हैं। हिन्दी अपने उद्भव-काल से ही इन सभी बहिनों को गले लगाती हुई इन्हीं अग्रजाओं की यथासंभव अधिक से अधिक शब्द-संपदा और विशिष्टताएं अंगीकार करती हुई स्वयं को समृद्ध और भारत-जैसे विशाल देश की राष्ट्र-भाषा, राज-भाषा, एवं संपर्क-भाषा के पद के योग्य बनाती रही है। भारत के संविधान में यह पद इसे सर्वसम्मति से दिया गया है और क्षेत्रीय उपयोग के लिए 14 अन्य राष्ट्रीय भाषाएं (जिनकी संख्या अब 18 हो गई है) अष्टम अनुसूची में स्वीकृत की गई है।

हिन्दी के बारे में 1655 ई. में एक अंग्रेज यात्री ने भ्रमण के बाद लिखा था— 'हिंदी भारत में हर जगह बोली जाती है'। 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' के संपादक आचार्य रघुनाथ भट्ठ कहते हैं कि 'तीर्थ-स्थानों में, पर्यटन-केन्द्रों में, 'व्यापारिक मंडियों में, साधु-संतों में, सार्वजनिक उत्सवों में, कवि-पंडितों में, राज-दरबारों में आदान-प्रदान की भाषा हिन्दी रही है। बंगाल से लेकर काबुल तक और श्रीनगर से लेकर कोलंबो तक आम बोल-चाल की भाषा के रूप में हिन्दी फैली है। हिन्दी का यह फैलाव स्वयंभू है।'

संविधान के अनुच्छेद 351 में **आदेशात्मक स्वर** में कहा गया है कि 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने'। तदनुसार संघ-सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों, राजभाषा विभाग और राज्यों में हिन्दी अकादमियों आदि की स्थापना करके हिन्दी के स्वयंभू फैलाव को स्वीकृत, सुव्यवस्थित, नियंत्रित और

प्रोत्साहित करते हुए अपने संविधान-प्रदत्त दायित्व के निर्वाह का भरसक प्रयास किया। 'राजभाषा भारती', 'राजभाषा पुष्पमाला' और अनेक मंत्रालयों/विभागों की उत्कृष्ट हिन्दी-पत्रिकाएं निकल रही हैं। वैज्ञानिक शब्दावलियां और शब्द-कोश तैयार हुए हैं; वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार हुआ है। स्वैच्छिक कार्यकर्ता विद्वानों का सहयोग लिया गया है और साहित्यकारों को पुरस्कारों, पारितोषिकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है। फलस्वरूप हिन्दी विश्व-भाषा बनने योग्य हो गई है—भारत की राष्ट्र-भाषा तो यह थी ही, कभी पुरानी रियासतों की राजभाषा भी थी।

किन्तु हिन्दी की यह श्री-वृद्धि कुछ आंग्ल-भक्त षड्यंत्रकारियों को फूटी आंखों भी नहीं सुहाई। भारत के 32,87,262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 25 राज्य और 7 संघ-शासित क्षेत्र हैं, और सारे भारत की राजभाषा एक हिन्दी अपने क्षेत्रों की 18 प्रादेशिक भाषाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है, जबकि लगभग उतने ही (3,27,417 वर्ग किमी) क्षेत्र में बसे पश्चिमी यूरोप के 20 देशों में 22 भाषाएं (पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, डच, जर्मन, जेक, स्लोवाक, इटैलियन, रोमन, हंगेरियन, मगयार, पोलिश, बल्गेरियाई, नवीन यूनानी, डेनिश, लटवियन, लियुआनियन, अल्बैनियन, एस्टोनियन, सर्बो, क्रोशियन, और मैसीडोनियन) हैं जो परस्पर मिलने-जुलने से कतराती हैं। भारत की ऐसी राष्ट्रीय एकता से खार खाए हुए विदेशियों ने 560 भाषाओं वाले झूठे प्रचार का आश्रय लेकर अनेक भारतीय भाषाओं के विद्वानों को अपनी बोलियों को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के लिए आन्दोलन-रत कर दिया। हिन्दी-प्रेमियों की ही यह मांग कितनी भी निश्छल भाषा-प्रेम और औचित्य से पूर्ण हो, हिन्दी-विरोधियों के षड्यंत्र से भावित होने के कारण त्याज्य है, क्योंकि हिन्दी के विकास में सहयोग देने वाली जितनी ही अधिक भाषाएं आठवीं अनुसूची में होंगी, उतने ही अधिक उनके बोलने वाले हिन्दी-भाषियों की संख्या से कट जाएंगे। फिर हिन्दी का संख्या-बल घटने से अंग्रेज़ी का विरोध मंद पड़ जाएगा और वह धड़ल्ले से चलती रहेगी। यह बहुत सोचा-समझा हुआ षड्यंत्र है, जिसमें फंसने से हमें बचना चाहिए। सरकार भी इन मांगों की ओर ध्यान बंट जाने से अपना लक्ष्य चूक सकती है। सरकार का संविधान-सम्मत कर्तव्य तो हिन्दी का प्रसार और विकास करना है, और सभी राष्ट्र-वेता विद्वानों का लक्ष्य भी उसी पर केन्द्रित होना चाहिए, क्योंकि हिन्दी राष्ट्र-गगन की वह दिव्य ज्योति है जिसके बिना सारा राष्ट्र अंधतम गहराइयों में डूब जाएगा और विश्व के मानचित्र में भारत कहीं दिखाई भी न देगा।

हिन्दी की शानदार विकास-यात्रा :

इसी संदर्भ में हिन्दी की विकास-यात्रा की कुछ चर्चा भी आवश्यक दीखती है। संस्कृत संसार की श्रेष्ठतम और पूर्णतया संस्कारित (अत: संस्कृत) भाषा है। पाणिनि-सरीखे विद्वानों ने इसका व्याकरण रचा जो इतना गहन और विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित, ध्वन्यात्मक और सर्वांग-संपूर्ण है कि इसका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए डाक्टरेट स्तर तक का अध्ययन आवश्यक होता है, जबकि किसी भी अन्य भाषा के व्याकरण का ज्ञान कक्षा 10-12 तक की पढ़ाई में ही पूरा हो जाता है। किंतु भाषा में इस सीमा तक शुद्धता का प्रवेश होने से यह विद्वानों की ही भाषा बनकर रह गई और जन-सामान्य के लिए दुरूह; अत: उससे दूर हो गई। भाषा (भाष, धातु=बोलना) वही हो सकती है जो बोली जा सके। अत: जन-सामान्य के लिए स्थान-स्थान पर संस्कृत से मिलती-जुलती ही, किंतु बोली जा सकने-योग्य, अलग-अलग लोक-भाषाएं या बोलियां बन गईं। पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसे इनके नाम हुए, फिर धीरे-धीरे और भी विकसित होकर स्थान और जलवायु-भेद तथा उच्चारण की सुविधा का भी ध्यान रखते हुए अनेक सुप्रतिष्ठित, सुसंपन्न और समर्थ भाषाएं बनीं जो क्षेत्रों के नामों के अनुसार पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, असमी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि कहलाईं।

एक ही भाषा संस्कृत से निष्पन्न/प्रभावित होने के कारण इनमें बहुत सी समानताएं भी थीं, किंतु ये सभी अभिजात्य-वर्ग की भाषा की आवश्यकतानुसार असंस्कृत या भ्रंश हुई भाषाएं (जैसा प्राकृत और अपभ्रंश नामों से ध्वनित होता है) समझी जाती रहीं। धीरे-धीरे जन-भाषा को महत्व और जन-बल को मान्यता देते हुए विद्वानों ने जनता की आवश्यकतानुसार बदले हुए इन सभी रूपों को भ्रंश नहीं, विकास मान लिया। अब भाषा-वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि भाषा का (जो बोली जाती हो) भ्रंश या पतन तो होता ही नहीं, विकास ही होता है—सुधार या संस्कार भी नहीं होता, क्योंकि 'विकार' तो होता ही नहीं, बस विकास होता है। इसलिए एक ही परिवार की, थोड़े-थोड़े अलगाव-वाली बहुत सी भाषाओं (या बोलियों) को राष्ट्र की एकता के हित में पुन: विकसित करके एक राष्ट्र-भाषा 'हिन्दी' बनाई गई।

हिन्दी के विकास के लिए विद्वानों द्वारा निर्धारित (और फिर संविधान द्वारा भी स्वीकृत) इस नीति के अनुसार आवश्यक शब्दावली प्रथमत: भारतीय भाषाओं से और तत्पश्चात् संस्कृत से ली गई। व्याकरण भी सभी भाषाओं के व्याकरण से मिलता-जुलता बनाया गया। इस प्रकार एक सर्वप्रिय, सर्वमान्य, सर्व-स्वीकार्य और फिर भी प्रयोग में सरल-सुगम, सुबोध और वैज्ञानिक भाषा 'मानक हिन्दी' का विकास करके भारत-सरकार के 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' ने राष्ट्र का महान् उपकार किया है। इसके प्रयोग में आनेवाली सभी बाधाओं को दूर करना राष्ट्रहित में आवश्यक है। इस दृष्टि से हिन्दी की बोलियों को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कराने का लोभ संवरण करना ही दूरदर्शिता है। अपनी अच्छी से अच्छी समृद्ध और समर्थ बोलियों की अच्छाइयों का लाभ राष्ट्र-भाषा हिन्दी को देना राष्ट्र के लिए त्याग है, बलिदान है, राष्ट्र-सेवा है और गौरवास्पद राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह किसी बोली के प्रति हीनभावना नहीं है, बल्कि उनका महत्वपूर्ण योगदान है राष्ट्र के निर्माण, उत्थान एवं एकता हेतु।

विश्व की श्रेष्ठतम भाषा संस्कृत से विकसित ओर परिवर्धित (अत: उससे भी श्रेष्ठ) हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क-भाषा हिन्दी सर्व-गुण-संपन्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और गंभार से गंभीर विचार व्यक्त करने में समर्थ है, और सरल तथा क्लिष्ट सभी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सक्षम है। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द 'हस्त' (हाथ) से हस्तगत करने के अर्थ में 'हथियाना', इसी प्रकार 'निवृत्त होना' के लिए 'निबटना', आदि जैसे सरल, सुबोध, श्रवण-सुखद और स्वर-संपन्न शब्द विकसित करने का श्रेय हिन्दी को है। एक और उदाहरण है: 'देवर' संस्कृत में पति के भाई को कहते हैं, चाहे पति से छोटा हो या बड़ा। किंतु हिन्दी में देवर शब्द पति के अनुज के लिए सीमित हैं, 'अग्रज' के लिए 'ज्येष्ठ' से बना 'जेठ' शब्द

अंगीकार हुआ है। यह 'ज्येष्ठ' का अपभ्रंश नहीं, विकसित रूप ही है। 'ज्येष्ठ' शब्द ज्यों-का-त्यों भी हिन्दी में अंगीकृत है किसी अन्य अर्थ में। यह है पूर्णता की दिशा में भाषा की विकास-यात्रा की एक बानगी।

हिन्दी की लिपि भी सर्वश्रेष्ठ :

दो शब्द लिपि के बारे में भी ज़रूरी हैं जिनके बिना हिन्दी की सामान्य या गंभीर कोई भी चर्चा सार्थक नहीं होगी। भाषा के दो तत्व होते हैं: ध्वनि और अक्षर —बोलने -सुनने के लिए ध्वनियां और लिखने-पढ़ने के लिए अक्षर जिनका वर्ग 'लिपि' कहलाता है। हिन्दी की लिपि नागरी (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा विकसित 'परिवर्द्धित देवनागरी') है, जिसकी विकास-यात्रा अत्यंत वैज्ञानिक और बहुत लंबी है। इसी लिए इसके गुणों पर संसार मुग्ध है। भारत में संस्कृत, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी आदि भाषाओं के लिए नागरी अक्षर काम में लिए जाते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियां भी नागरी से मिलती-जुलती है। इसलिए आसानी से सीखी जा सकती है। भारत के बाहर नेपाल की राष्ट्र-लिपि नागरी है : भूटान की भोटी लिपि (तिब्बती) का नागरी से भगिनी संबंध है। पाकिस्तान की पंजाबी, बलूची सिंधी। भाषाओं को प्रकट करने की पूरी क्षमता नागरी में है। श्रीलंका और बांग्ला-देश की सिंहली एवं बांग्ला लिपियों का नागरी से साम्य है और दोनों भाषाएं संस्कृत पर आश्रित हैं। इस प्रकार सार्क-देशों के विद्वान यदि नागरी को अपनी एक साझी लिपि बनाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है।

नागरी के बारे में आचार्या विनोबा भावे कहते हैं कि यह भारत में (1) दक्षिण के चार प्रांतों को जोड़ेगी, (2) उत्तर भारत को जोड़ेगी, (3) उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ेगी,(4) भारत और एशिया को जोड़ेगी, और अंत में भारत और दुनियां को जोड़ेगी। चीनी और जापानी भाषाएं रोमन में लिखना संभव नहीं है, उनके लिए नागरी लिपि अच्छी है। इंडोनेशिया की वही हालत है। चूंकि नागरी में सभी ध्वनियां साफ-साफ बिना किसी भ्रम या भुलावे के लिखी और पढ़ी जा सकती है, इसलिए संसार की अन्य सभी भाषाओं के लिए भी यह अत्यंत उपयुक्त लिपि है, उनकी अपनी लिपियों से भी कहीं अधिक अच्छी। हिन्दी विश्व-भाषा बनने की ओर अग्रसर है तो नागरी विश्व-लिपि का सर्वोत्तम स्वरूप प्रस्तुत करती है। भले ही वह दिन दूर नहीं, विद्वान यह पूर्वाभास पा रहे हैं कि एक-न-एक दिन ज्ञान का ऐसा उदय होगा कि सारा अज्ञान छिप जाएगा, नागरी लिपि में लिखी हिन्दी विश्व-भाषा होगी, और नागरी विश्व-लिपि होगी, जिससे सभी भाषाओं की निकटता और गहरी होगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनके प्रयोग का क्षेत्र बढ़ेगा। फलस्वरूप लोगों में एकता, एकात्मता, एकमनता, एकजुटता, समंत्रण तथा सामंजस्य बढ़ेगा जो वसुधैव कुटुंबकम् के आदर्श की ओर ले जाएगा। सत्य तो यह है कि विश्व में राष्ट्रीय एकता और फलत: विश्व-शांति स्थापित करने में हिन्दी का जितना योग होगा, नागरी का उससे कहीं अधिक होगा।

ओ३म् शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।
(शान्ति व्यक्ति में, शान्ति राष्ट्र में, शान्ति विश्व में आए)॥

स्वास्थ्य चर्चा

क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम बदलाव के साथ हमारे मनोदशा में क्यों परिवर्तन हो जाता है? बारिश के मौसम में अक्सर कुछ लोग उदास हो जाते हैं। ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोग अक्सर शीत निष्क्रियता से पीड़ित रहते हैं।

मनोचिकित्सकों के अनुसार आत्महत्या का प्रयत्न, ज्यादा शराब पीना, भूख से अधिक भोजन करने जैसी खराब मनोदशा सर्दियों की अंधेरी रात और मानसून के दौरान बढ़ जाती है।

वैसे ऊब, अकेलापन और घर में ही बैठे रहना भी खराब मनोदशा पर प्रभाव डालने वाले कारक हो सकते हैं लेकिन इसके जैविक कारण भी हैं। हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने में सूर्य की रोशनी भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अंधेरी सर्दियों और मानसून के महीनों में जब हम घर के अंदर बंद हो कर रह जाते हैं तो सूर्य की रोशनी की आपूर्ति कम होने से मस्तिष्क की पाइनल ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों में इस कारण शारीरिक द्रव्यों में असंतुलन पैदा हो जाता है जिस कारण वे उदास व मूडी हो जाते हैं।

ऐसे लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में धूप सेंकना ही इसका इलाज है। घुप्प मौसम में बिजली की तेज रोशनी में रहने से भी मदद मिल सकती है।

अनुवाद और शब्द-विचार

—रमेश चन्द

शब्द के प्रकार, रूप और व्युत्पत्ति का ज्ञान अनुवादक से एक पूर्वापेक्षा होती है। शब्द-रचना और उसके प्रयोग से अनेक बातें जुड़ी होती हैं—शब्द का प्रकार, उसकी उत्पत्ति; वर्तनी, अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार, प्रासंगिकता, सार्थकता, प्रचलन इत्यादि। अत: किसी शब्द का प्रयोग करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। अनुवादक यदि इनसे भली-भांति परिचित न होगा, तो उसके लिए प्रासंगिक शब्द खोजना, उसकी रचना करना या उसका प्रयोग करना अत्यंत दुष्कर होगा। फलस्वरूप अनूद्य सामग्री की भाव-वहन क्षमता सीमित होगी और वह मूल पाठ के समक्ष पंगु बन कर रह जाएगी। शब्द-विचार इनका समाधान प्रदान करता है। शब्द वाक्य की सार्थक इकाई होते हैं, अत: ये भाषा की ओर बढ़ने का एक कदम हैं। शब्द भाषा की भाव-भूमि का काम करते हैं, अत: ये भाषा रूपी माला के मोती हैं। इनका विधान जितना सुंदर होगा, भाषा भी उतनी ही सुंदर होगी। शब्द भाषा सीखने के साधन भी हैं। अत: इन्हें ठीक होना ही चाहिए। शब्द-दोष से युक्त भाषा उस गांठ-गंठीली माला की तरह होगी, जिसमें भाव रूपी मणियों का स्वतंत्र प्रवाह नहीं हो सकता। शब्द ही भाव-संप्रेषण के साधन हैं और अनुपयुक्त शब्द ही इसके बाधक हैं। भाषा का जो शब्द भंडार हमारे मन में अंकित होता है, वह कोई व्यवस्थित नहीं होता, बल्कि वह समय-समय का बेतरतीबवार संग्रह होता है। उस संग्रह से हमें उपयुक्त शब्द चुनना होता है। यही कारण है कि भाषा जानने वाला हर व्यक्ति अनिवार्यत: अच्छा अनुवादक, कवि या लेखक नहीं हो सकता। परंतु अभ्यास, ज्ञानार्जन और लगन से मनुष्य सब कुछ सीख सकता है। अनुवाद के मामले में भी यह बात सौ प्रतिशत सही है।

भाषा सार्थक शब्दों का समूह होती है। अनुवाद के मामले में प्रासंगिक शब्द ही वस्तुत: सार्थक शब्द होता है। अनुवाद में प्रसंग से इतर शब्द का कोई महत्व नहीं होता और दुग्ध-मक्षिका की भांति त्याज्य होता है, चाहे भाषा की दृष्टि से वह कितना ही सार्थक क्यों न हो।

शब्द-विचार की बात आते ही शब्द के विविध पहलुओं अर्थात् सार्थकता-निरर्थकता, प्रासंगिकता, संक्षिप्तता, भाव-संप्रेषणीयता, दुरूहतारहितता, आलंकारिकता, लयोत्पादकता, रागात्मकता, प्रचलन तथा व्याकरण-सम्मतता पर ध्यान आ टिकता है। शब्द को इन सभी कसौटियों से कसकर भाषा रूपी स्वर-लहरी के सुरों में बांधते हुए और अन्य शब्द-सुरों से सामंजस्य करके वागेन्द्री द्वारा उच्चारणोपयुक्त एवं मननेंद्री द्वारा ग्राह्य रूप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में शब्द का विश्लेषण अनुवादक के बौद्धिक स्तर की अग्नि-परीक्षा से कम नहीं होता। ऐसे अनेक क्षण आते हैं, जब अनुवादक को संपूर्ण मस्तिष्क आलोड़ित करने पर भी प्रसंग के अनुकूल शब्द रूपी अमृत नहीं मिल पाता। भाषा के विशाल शब्द-सागर में से इंच्छित शब्द ढूंढ लाना किसी गहरे सागर से मोती ढूंढने के समान होता है। उपसर्ग, प्रत्यय एवं धातुओं के सहारे शब्द-निर्माण की शक्यता उस मोती तक पहुंचने के साधन का काम करती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों में भेद करने की अवस्था मार्गगत संघर्ष की सूचक है और वाक्य-विचार की दृष्टि से उसे उपयुक्त स्थान पर रखना जड़ाऊ माल्यारोपण सम है। अनुवादक के मस्तिष्क में जितने अधिक पर्यायवाची, विलोमार्थी आदि शब्द अंकित होंगे, वह अनुवाद में उतना ही अधिक सक्षम होगा।

शब्द-प्रयोग से संबंधित जिन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है :

क. शब्द के प्रकार, शब्द-ग्रहण और रूप परिवर्तन

प्रत्येक भाषा में अपने आस-पास की भाषा से प्रभावित होने और उसे प्रभावित करने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रक्रिया से भाषा शब्द ग्रहण करती है। हिंदी में कई प्रकार के शब्द हैं—रूढ़ि, यौगिक और योगरूढ़ि। रूढ़ि शब्द तो नितांत प्रचलन और व्यवहाराश्रित होते हैं। अत: इन पर अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार योगरूढ़ि शब्द यद्यपि यौगिक होते हैं, परंतु उनका अर्थ भी निश्चित हो चुका होता है जैसे गिरिधर का शाब्दिक अर्थ तो है पर्वत को धारण करने वाला, परंतु हिंदी में इसके शाब्दिक अर्थ पर न जा कर गिरिधर से तात्पर्य 'कृष्ण' लगाया जाता है। यौगिक शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्तिगत शब्दों में रूढ़ि और योगरूढ़ि शब्दों का रूप प्राय: स्थिर होता है और यौगिक शब्दों का रूप भी निश्चितप्राय: ही होता है। शब्दों के रूप परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है उपसर्ग एवं प्रत्यय के मेल से, तद्भव शब्दों के उद्भव से, विदेशी शब्दों के देशीकरण से और धातुरूपण से। हिंदी भाषा में शब्दों के रूप उनके लिंग, वचन, कारक के आधार पर भी बदल जाते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं। परंतु क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, योजक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप सदा स्थिर रहता है, इसीलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं।

रूप परिवर्तन की यह प्रक्रिया बिना किसी सिद्धांत के अपनी इच्छानुसार नहीं होती। हिंदी में शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं।

उदाहरणार्थ—संज्ञा = बच्चा, बच्चे ने, बच्चों ने
सर्वनाम = कौन, किसका, किसने
क्रिया = करता है, किया, करेगा
विशेषण = अच्छा, अच्छे

मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

हिंदी में अपनाए गए और व्यवहृत विदेशी शब्दों के रूप परिवर्तन के लिए भी हिंदी व्याकरण के नियम ही लागू होते हैं। उदाहरणार्थ—

विदेशी शब्द	लिंग	वचन
मास्टर	मास्टरनी (न कि मिस्ट्रेस)	मास्टर (न कि मास्टर्स)
स्कूल	—	स्कूल या स्कूलों (न कि स्कूल्ज)
रेल	—	रेलें (न कि रेल्ज)

इसी प्रकार विदेशी शब्दों के देशीकरण से भी कुछ शब्दों में रूप परिवर्तन होते हैं—जैसे bicycle > साइकिल, interim > अंतरिम, college > कॉलेज, litre > लिटर।

ख. शब्दानुकूलन

शब्दानुकूलन एक ऐसी सहज प्रक्रिया है, जो दो भाषाओं के पर्याप्त समय तक साथ-साथ फलने-फूलने के दौरान जन्म लेती है। जब दोनों भाषाओं की लिपि एक हो, तो शब्दानुकूलन की जगह तत्सम या तद्भव शब्द अपनाए जाते हैं, परंतु जब भाषाओं की लिपियां भिन्न-भिन्न हों, तो तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा में अनुकूलन कर लिया जाता है। यह अनुकूलित शब्द उच्चारण में मूल भाषा के शब्द से मिलता-जुलता होता है और इसका अर्थ एवं भाव भी वही होता है, जो मूल भाषा के शब्द का होता है। यह अनुकूलन संज्ञा, क्रिया, वचनादि स्तर के साथ-साथ औच्चारणिक स्तर पर भी होता है। शब्दानुकूलन भी शब्द-ग्रहण की तरह अनायास नहीं होता, बल्कि एक दीर्घ परंपरा का परिणाम है। अत: अनुवाद में पूर्व अनुकूलित शब्दों को ही अपनाना चाहिए, इनके सद्य-अनुकूलन से बचना चाहिए।

ग. शब्द-सृजन

जहां भाषा में स्वयं में एक सृजना है, वहां अनुवाद एक सृजनात्मकता कला है। अनुवाद-कार्य स्रोत भाषा के शब्दों की जगह लक्ष्य भाषा के शब्द रख देना मात्र नहीं है, बल्कि स्रोत भाषा की सामग्री के समकक्ष लक्ष्य भाषा में एक ऐसे वातावरण का सृजन कर देना है, जो नकल न हो कर स्वयं में मूल का आभास कराए। अनुवाद की इसी प्रभावकता तक पहुंचने के लिए अनुवादक को जिन अनेक विधानों का सहारा लेना पड़ता है, उनमें शब्द-निर्माण भी एक है। शब्द-निर्माण कोई आसान अथवा नेमी कार्य नहीं है, बल्कि अनुवाद को हर प्रकार से बेहतर बनाने के इच्छुक और दक्ष अनुवादक में ही यह कला पनप सकती है। जो अनुवादक भावात्मक अनुवाद का चिंतक होता है, वही अनुवाद के सृजनात्मक पक्ष पर ध्यान देता है और वही इस सृजनात्मकता पर विचार करता है। अनुवाद में सृजनात्मकता कर महत्ता को रेखांकित करते हुए मेडम फिट्जेराल्ड ने कहा है—एक मरे हुए गिद्ध की जगह जिंदा गौरैया ज्यादा बेहतर है। अनुवाद, विशेषकर तकनीकी अनुवाद, के समय ऐसे कितने ही क्षण आते हैं, जब साधारण शब्दावली से काम नहीं चलता, न ही विषय के अनुकूल शब्द शब्दावलियों में मिल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अनुवादक को शब्द-सृजन का सहारा लेना होता है और अपेक्षित भाव के अनुकूल शब्द की हर छटा पर मनन करके शब्द बनाना होता है। जो अनुवादक ऐसा नहीं कर सकता, वह अपने अनुवाद का प्रभाव नहीं छोड़ सकता। कुछ नव-सृजित शब्दों के उदाहरण निम्नानुसार देखे जा सकते हैं। ऐसे शब्द शब्दकोशों में नहीं मिलते, बल्कि प्रसंगगत आवश्यकतानुसार और उसके अनुकूल सृजित किए जाते हैं :

get together	सम्मिलन
keynote address	मुख्य अभिभाषण
dead man and dead boy	(बर्फ में गाड़ने का) आधार कुंदा और आधार कुंदी
direct weighing	साधारण तोलन
doubly	द्वित:
dead room	गूंजहीन कमरा
deep frying	अधिक घी में तलाई
disposable	एक बार प्रयोज्य
open top	ढक्कनरहित
table top	मेज का उपल्ला

शब्द-निर्माण करते समय शब्द-प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं पर सूक्ष्म रूप से विचार करना और तकनीकी तथा भाषिक बारीकियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे जिज्ञासु पाठकों को अपने भाषागत ज्ञान में वृद्धि करने में भी सहायता मिलती है।

शब्द-निर्माण का कार्य अन्य साहित्यिक कार्यों से इसलिए अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें विषय की संकल्पना का समावेश करने के साथ-साथ उसका अर्थ भी निर्धारित करना होता है। फिर राष्ट्र के प्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ जहां भाषा की शब्द-संपदा में भी निरंतर वृद्धि होनी आवश्यक है, वहां इस शब्द-संपदा में वृद्धि करना एक अत्यंत विशेषज्ञीकृत एवं चुनौती भरा कार्य है। अत: इस कार्य में किसी स्वाभाविक त्रुटि को दूर करने के लिए बहुज्ञ विद्वानों की सत्सम्मति भी प्राप्त करनी चाहिए।

घ. अर्थ-विस्तार और अर्थ-संकोच

भाषा का रूप सदैव परिवर्तनशील होता है तथा यह परिवर्तन उसके तीनों मुख्य घटकों—ध्वनि, शब्द और वाक्य में होता है। यह परिवर्तन पहले मौखिक स्तर पर अर्थात् वाक् (exphasia) में होता है और फिर लिखित स्तर पर। मौखिक भाषा के इन घटकों में मौखिक स्तर पर परिवर्तन जिस रूप में होता है, लिखित स्तर पर भी उसी रूप में होता है। यह परिवर्तन भाषा के परिवेश अर्थात् उसके संपर्क में आने वाली अन्य भाषाओं, समाज के सामाजार्थिक स्तर में परिवर्तन, राजनैतिक सत्ता के परिवर्तन या भिन्न-भिन्न समाज के व्यक्तियों के अक्सर परस्पर मिलने अथवा दूसरे समाज में जा बसने के कारण होता है। इन सभी कारणों से भाषा के कुछ शब्दों की जगह दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होने लगता है और कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक होने लगता है। शब्दों के प्रयोग की आवृत्ति, प्रचलन और नए परिवेश के कारण तब इन शब्दों का अर्थ सीमित अथवा व्यापक रूप में, जैसी भी स्थिति हो, होने लगता है। शब्दों के अर्थ सीमित अथवा व्यापक हो जाने को ही क्रमश: अर्थ-संकोच और अर्थ-विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र पर जमी बर्फ पर बर्फीले घर बनाकर रहने वाले लोगों के लिए 'मिट्टी' के लिए केवल एक ही शब्द हो सकता है। उन इलाकों में "मिट्टी" शब्द का प्रयोग अति सीमित रूप में होता है और वहां इसका अर्थ-संकोच हो जाता है। परंतु गर्म इलाकों में रहने वाले लोग मिट्टी के विभिन्न नाम निर्धारित कर लेते हैं, यथा बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चीनी

1556 HA/99—3A

मिट्टी। शब्द के अर्थ में संकोच अथवा विस्तार के हम कुछ हाल के उदाहरण लेते हैं। उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को प्राय: उग्रवादी या आतंकवादी कहा जाता है। परंतु ये शब्द उग्रवादियों के जेहन में नहीं उतरते, क्योंकि ये उन्हें असामाजिक तत्व करार देते हैं। अत: अपने आंदोलन को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए पंजाब के उग्रवादियों ने पत्रकारों के मध्य आतंक फैला कर स्वयं को खाड़कू कहलाया। पंजाबी में खाड़कू का अर्थ धर्म के लिए लड़ने वाला होता है, परंतु हर व्यक्ति पंजाबी नहीं जानता, जबकि उग्रवादी के साथ-साथ देश के संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र में 'खाड़कू' शब्द का प्रयोग भी होने लग गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे इलाकों में खाड़कू की पहचान धर्म के लिए लड़ने वाले से न करके उग्रवादी से अधिक की जाने लगी, चाहे उग्रवाद के समर्थक इसके इस नए अर्थ को मान्यता दें या न दें। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में 'खाड़कू' शब्द का अर्थ-विस्तार हो गया।

अर्थ-विस्तार और अर्थ-संकोच के अन्य उदाहरण हैं :

शब्द	मूल अर्थ	परिवर्तित अर्थ	परिवर्तन
अड्डा	स्थान	बस अड्डा, हवाई अड्डा परंतु रेल-अड्डा या समुद्री जहाज अड्डा नहीं	अर्थ-विस्तार अर्थ-परिवर्तन से निरपेक्ष
queue	लाइन	waiting list queue nomination queue	अर्थ-विस्तार
television	किसी चीज को दूर से देखना	TV, जो दूर की चीज को देखने का एक साधन है। अब टेलीविजन से मतलब किसी चीज को दूर से देखना नहीं लगाया जाता।	अर्थ-संकोच
picture	तस्वीर, चित्र	चलचित्र	अर्थ-विस्तार

ङ शब्द की व्युत्पत्ति

शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का भेद और अर्थ जानने में बहुत सहायक होती है, परंतु शब्द की व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम इस बात का विवेचन नहीं करेंगे कि शब्द किस प्रकार बनते हैं और उनके धातु (root) या पदरूप क्या होते हैं। यहां इस बात पर चर्चा की जाएगी कि संधि और समास की व्यवस्था नए शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ निर्धारित करने में किस प्रकार सहायक होती है।

सभी जानते हैं कि संधि दो स्वरों तथा समास दो शब्दों के मेल की व्यवस्था होती है। शब्द का अर्थ खोजते समय इन व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखने और इन पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक को संधि और समास व्यवस्था के साथ-साथ उपसर्ग एवं प्रत्ययों, उनके पर्यायवाची तथा विपरीतार्थक शब्दों का पूरा ज्ञान हो।

उपसर्ग और प्रत्यय वे विधान हैं, जिनसे शब्द का रूप निखरने के साथ-साथ अर्थ भी स्पष्ट होता है। सही उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान सही शब्द-निर्माण में सहायक होता है। यद्यपि इनका अपना इतना स्वतंत्र महत्व नहीं होता, परंतु शब्द के साथ मिल कर ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इस दृष्टि से इनकी महता और प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता निश्चय ही बढ़ जाती है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है— अनुदान, (grant), अभिदान (delivery), उपदान (gratuity), अग्रदान (advance), अंशदान (contribution), प्रलेख (document), अभिलेख (record),सुलेख (legible writing), श्रुतलेख (dictation), उल्लेख (mention)

कुछ और उदाहरण भी देखिए :

सुख+कर (देने या उत्पन्न करने वाला)	=	सुखकर
गृह+कर (टैक्स)	=	गृह कर
कर (हाथ)+कमल	=	कर-कमल
गज+कर (सूंड)	=	गज-कर
दिन+कर (किरण)	=	दिनकर (सूर्य)
लघु+कर (ओला)	=	लघु कर (छोटा ओला)
काला+कर (पत्थर)	=	काला पत्थर
मिथ्या+कर (पाखण्ड)	=	मिथ्याकर (मिथ्या पाखंड)
क्यों+कर (युक्ति)	=	क्योंकर (किस युक्ति से)
चंद्र+क	=	चंद्रक (चंद्रमा के समान मंडल, नाखून, चांदनी, एक राग)
चंद्र+कला	=	चंद्रकला (चंद्रमंडल का सोलहवां अंश, चंद्रमा की किरण)
चंद्र+कलाधर	=	चंद्रकला धर (महादेव)
चंद्र+कांत	=	चंद्रकांत (एक रत्न)

चंद्र शब्द से बनने वाले कुछ अन्य सामासिक शब्द हैं :

चंद्रकांता, चंद्रकांति, चंद्रकाम, चंद्रकी, चंद्रकुमार, चंद्रकेतु, चंद्रक्षय, चंद्रगुप्त, चंद्रगृह, चंद्रगोलिका, चंद्रग्रहण, चंद्रगृह, चंद्रचंचल, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ामणि, चंद्रज, चंद्रजोत, चंद्रताल, चंद्रद्युति, चंद्रधनु, चंद्रधर, चंद्रपर्णी, चंद्रपुली, चंद्रपुष्पा, चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभा, चंद्रबंधु, चंद्रबधूरी, चंद्रबाल, चंद्रबाला, चंद्रबाबू, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंब, चंद्रबोड़ा, चंद्रभवन, चंद्रभस्म, चंद्रभा, चंद्रभागा, चंद्रभाट, चंद्रभाल, चंद्रभूति, चंद्रभूषण, चंद्रमस, चंद्रमा, चंद्रमात्रा, चंद्रमाललाट, चंद्रमाला, चंद्रमास, चंद्रमौलि, चंद्ररेखा, चंद्रलोक, चंद्रवंश, चंद्रवंशी, चंद्रवधु, चंद्रवल्लरी, चंद्रवार, चंद्रवेश, चंद्रशाला, चंद्रशूर, चंद्रशेखर, चंद्रस, चन्द्रसरोवर, चंद्रहार, चंद्रहास, चंद्रालय, चंद्रापीड़, चंद्रायण, चंद्रोदय, चंद्रयतं, चंद्रिल, चंद्रोपराग आदि, आदि

ये उदाहरण वे हैं, जो शब्दकोशों में मिल जाते हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो शब्दकोशों में नहीं मिलते या उनके सुबोध अर्थ नहीं मिलते। तब भी यही व्यवस्था उनके पर्याय और अर्थ निर्धारित करने व जानने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए photogenic, sophisti-

1556 HA/99—3B

cated आदि शब्दों के पर्याय या तो शब्दकोशों में मिलते ही नहीं या सटीक नहीं मिलते। इस व्यवस्था की सहायता से इनका अर्थ क्रमश: निम्नानुसार तय किया जा सकता है :

photogenic	फोटोजनिक
sophisticated	अधुनातन

च. वर्तनी

वर्तनी का भाषा में अपना विशिष्ट स्थान होता है। भाषा में ध्वनि के जिन स्वनिमों (phonemes) का हम पूर्व निश्चित क्रमबद्ध रीति से उच्चारण करते हैं, उन्हीं स्वनिमों को लिखित रूप देने पर वे अक्षर अथवा वर्ण कहलाते हैं। शब्द विशेष में इन्हीं अक्षरों अथवा वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी में स्वर, व्यंजन, स्वरों की मात्राएं और मात्रायुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, द्वित्व, संयुक्त व्यंजन, हलंत्, बिंदु, अपोस्ट्रॉफी (apostrophe) आदि सब सम्मिलित होते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं के क्रम का पालन कराना होता है।

(1) **वर्तनी में उच्चारणगत दोष**—जरा सोचिए, यदि हम शब्दों का उच्चारण करते समय उनके स्वनिमों का सही क्रम से उच्चारण न करें, अर्थात् 'सही' (उदाहरण के तौर पर) को 'हीस,' 'कारण को 'कराण' और अन्य शब्दों की वर्तनी भी उलटे-सीधे ढंग से बोलने लगें तो, सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार लिखते समय भी हम उन्हें ठीक क्रम से न लिखें तो भाषा में गड़बड़ी पैदा ही जाएगी और उसके शब्द किसी अर्थ या संकेत का संप्रेषण नहीं कर सकेंगे। इस विवेचन से दो बातें सामने आती हैं—एक, भाषा के शब्दों की वर्तनी उस भाषा में प्रचलन के अनुसार पूर्व निश्चित होती है, दूसरे, भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। शब्द की इस सार्थकता से तात्पर्य उसका प्रसंग विशेष में सार्थक होना है। यदि ऐसा नहीं है, तो वह शब्द उस प्रसंग का अंग नहीं बन सकता, चाहे वह अन्यथा कितना ही सार्थक क्यों न हो। भाषा में वर्तनी के प्रचलन के आधार पर प्रयोग का भी एक उदाहरण लेते हैं। हिन्दी भाषा के जल, मटर, घड़ी आदि शब्दों का उच्चारण बंगला भाषा में 'जौल', मौटर ''घौड़ी'' आदि है; यद्यपि हिंदी और बंगला में इनका एक ही अर्थ है और लिखते समय भी बंगला में ये शब्द 'जौल', ''मौटर'', ''घौड़ी'' आदि न लिखे जा कर उसकी अपनी लिपि में 'जल', 'मटर' और 'घड़ी' रूप में ही लिखे जाते हैं। इस विवेचन से पुन: दो बातें सामने आती हैं - एक, शब्दों का उच्चारण भाषा विशेष में प्रचलन और प्रयोग के आधार पर ही करना चाहिए; दूसरे, उच्चारण शब्दों के अर्थ संप्रेषण और अर्थ-ग्रहण को प्रभावित करता है।

अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि उच्चारण का वर्तनी पर प्रभाव पड़ता है। अनेक ऐसे शब्द हैं, जिनका उच्चारण हम अपने बोलने की सुविधानुसार करने लगते हैं, परंतु फिर कालांतर में उनकी वर्तनी भी प्रभावित हो जाती है और हम चिह्न, वापस, गलती, मिनटों, दिखता आदि शब्दों को क्रमश: चिन्ह, वापिस, गल्ती, मिन्टो, दीखता बोलते हैं और इनका लेखन भी इसी रूप में करने लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका उच्चारण तो हम जबान की सुविधानुसार करते हैं, परंतु अभी उनका लिखित रूप प्रभावित नहीं हुआ है; जैसे टमाटर को टिमाटर तथा टन-टन को टन्-टन् बोलते हैं, परंतु लिखते टमाटर, टन-टन ही हैं।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के शब्दों को बोलते और लिखते समय उनकी सही वर्तनी से परिचित होना और उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्तनी के थोड़े से परिवर्तन अथवा गलत प्रयोग से या तो शब्द प्रसंग विशेष में सार्थक नहीं रह जाता अथवा उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य को कर्म करते रहने चाहिए। यहां यदि 'कर्म' की जगह 'क्रम' रख दें तो यह शब्द सार्थक नहीं होगा। इसी प्रकार 'वह कार्य करता है' उच्चारण यदि 'वह कार्यकर्ता है' करें, तो प्रसंग विशेष में 'कार्यकर्ता' शब्द सार्थक नहीं रह जाता। दूसरे, इससे भाव भी बदल जाता है।

अत: अनुवादक को चाहिए कि वह अपना उच्चारण शुद्ध बनाए और दूसरे व्यक्ति के उच्चारण की ओर भी ध्यान दे। यह जानने का प्रयत्न करे कि वह कहना क्या चाहता है। उसे उच्चारणगत प्रवृत्तियों से भी परिचित होना चाहिए। उच्चारण का प्रभाव प्रत्येक भाषा पर पड़ता है। इसकी आवश्यकता अनुवाद की जांच करते समय अधिक पड़ती है। अनुवाद की जांच के समय ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक किस क्षेत्र से संबंधित है और उसके उच्चारणगत दोषों का भाषा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा होगा।

(2) **क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से वर्तनी दोष**—किसी एक भाषा की उच्चारणगत प्रवृत्तियां दूसरी भाषा के उच्चारण अथवा लिखित रूप को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा के शब्दों के उच्चारण की विशेष आदत पड़ जाती है। फलस्वरूप, जब वे दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वे अपनी भाषा की उच्चारणगत प्रवृति से मुक्त नहीं हो पाते। इससे दूसरी भाषा के लिखित रूप तक पर प्रभाव पड़ता है। हिंदी भी इस सत्य का अपवाद नहीं है कि प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। यह संभव नहीं है कि अंग्रेजी-हिंदी अनुवादक हमेशा खड़ी बोली के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव आदि से ही हों। अत: जब ऐसा अनुवादक किसी अन्य क्षेत्र या किसी अन्य भाषा-भाषी प्रांत से हो, तो उसे अपनी भाषा या बोली की उच्चारण प्रवृत्तियां त्याग कर मानक हिंदी की वर्तनी और उसी के उच्चारण तथा लेखन पर ध्यान देना चाहिए।

पंजाबी भाषा में 'द्र' को 'दर', 'हुआ' को 'होया' और ''मैंने'' को ''मैं'' लिखा तथा बोला जाता है। बंगला भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों के पहले अक्षर के साथ ''औ'' जोड़ कर उच्चारण किया जाता है। दक्षिण भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी हिंदी शब्दों के उच्चारण के समय क्रिया शब्दों के लिंग में गलती करते हैं। दक्षिणी भारतीय बहुवचनबोधक और स्त्रीलिंगबोधक दोनों प्रकार के क्रियापदों को पुल्लिंग, एकवचन के रूप में बोलते हैं, जैसे 'हम जाते हैं' को 'हम जाता है' और 'तुम्हारी मम्मी क्या करती है?' को 'तुम्हारा मम्मी क्या करता है?' पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी 'चर्चा की' को 'चर्चा किये' और 'मैंने किया है' को 'मैं किये हूँ' आदि बोलते हैं। इस प्रकार सर्वनाम और क्रिया दोनों प्रभावित होते हैं। राजस्थानी, भोजपुरी, मागधी, छत्तीसगढ़ी, बुन्देली, बाँगरू, गोरखाली, कुंमायुंनि आदि बोलियां तथा मराठी, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी होने, असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी आदि भाषाएं संस्कृत से उपजी होने और इनके शब्द हिंदी शब्दों से मिलते-जुलते होने के कारण हिन्दी में वर्तनी दोष अधिक दिखाई देता है। जो अनुवादक इन भाषाओं या उपभाषाओं से संबद्ध हैं, उन्हें हिंदी वर्तनी लेखन के बारे में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।

(3) **बहुवचन बनाने पर दोष**—अंग्रेजी में साधारणत: 'एस' (s) या 'ईएस' (es) लगाने से ही बहुवचन बन जाता है और शब्द की वर्तनी में अन्य कोई मुख्य परिवर्तन नहीं होता, परंतु हिंदी में बहुवचन बनाते समय शब्द में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे यदि शब्द के अंत में 'ई', 'ऊ' या इनकी मात्राएं हों, तो इनकी जगह क्रमश: 'इ', 'उ' या हरस्व मात्राएं हो जाती हैं, उदाहरणार्थ इकाई से इकाइयां, दवाई से दवाइयां, बहू से बहुएं, लड़की से लड़कियां। बहुवचन बनाने के यूं तो अन्य नियम भी हैं, पर इसी नियम के अनुपालन में ज्यादा गलती होती हैं।

इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो नित्य बहुवचन हैं। ऐसे शब्दों को हम पहले एकवचन मानकर फिर उन्हें बहुवचन रूप देते दिखाई दिया करते हैं, जो गलत है। ऐसे शब्द प्राण, दर्शन, जन, गण आदि हैं, जिनके प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :

अशुद्ध	शुद्ध
(1) उसने अपने प्राणों को बचाया	उसने अपने प्राण बचाए।
(2) अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह भाग खड़ा हुआ।	अपनी प्राण-रक्षा के लिए वह भाग खड़ा हुआ।
(3) हम आपके दर्शनों के प्यासे हैं।	हम आपके दर्शन के प्यासे हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ शब्द समुदायवाचक, नित्य एकवचन होते हैं, चाहे उनसे बहुवचन का भाव ही क्यों न निकल रहा हो। ऐसे शब्दों के साथ क्रिया का एकवचन रूप ही प्रयोग करना चाहिए, यथा —

अशुद्ध	शुद्ध
(1) खगवृंद कलरव कर रहे हैं।	खगवृंद कलरव कर रहा है।
(2) विद्यार्थीगणों ने गुरूजनों को प्रणाम किया।	विद्यार्थीगण ने गुरूजन को प्रणाम किया।

भाइयों, बहनों, माताओं आदि शब्द जब संबोधन के रूप में आएं, तो इनके साथ का अनुनासिकता चिह्न हट जाता है, यथा भाइयो! बहनो! माताओ!

(4) **विशेषण बनाने पर दोष**—विशेषण बनाने से मूल शब्द के रूप में काफी परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण विशेषण शब्द में वर्तनी दोष आने की अधिक संभावना रहती है। यह वर्तनी दोष विशेषण बनाने के नियमों की जानकारी न होने के कारण होता है। उदाहरण के लिए, यहां कुछ शब्दों का विशेषण रूप बताया जा रहा है। अन्य शब्दों के विशेषण रूप बनाते समय इसी प्रकार के नियम ध्यान में रखे जाएं:

सर्वनाम	सार्वनामिक	न्याय	न्यायिक
परिभाषा	पारिभाषिक	वन	वनैला
ध्वनि	ध्वानिक	वरण	वृणीत
अहन्	आह्निक	श्रुति	श्रौत
उर:	औरस	षण्मास	षाण्मासिक
स्त्री	स्त्रैण	स्वर	स्वरीय
ऋषि	आर्ष	ऋतु	ऋत्विक
अर्थ	आर्थी/आर्थिक		

(5) **कुछ विशिष्ट शब्दों में वर्तनी दोष**—कुछ शब्दों में वर्तनी दोष उनके अपेक्षाकृत कम व्यवहार या उनसे अल्प परिचय के कारण होता है। ऐसे शब्दों में वर्तनी दोष न तो गलत उच्चारण के कारण होता है, न नियमों की जानकारी के अभाव में। उदाहरणार्थ—प्रस्तुति-प्रस्तुतीकरण; अपूर्ण-अपूरणीय; प्राणी-प्राणि-जगत्; विद्युत-विद्युन्मय

(6) **संयुक्त व्यंजन लिखने पर दोष**—संयुक्त व्यंजनों को अलग-अलग करके लिखते समय भी वर्तनी में दोष आ जाता है। संयुक्त व्यंजनों को अलग करने का हम यह पक्का नियम जान लें कि जो व्यंजन पूरा दिखता है, वह वस्तुत: आधा होता है और अपने आधे रूप में ही पहले लिखा जाता है। जो आधा दिखता है, वह पूरा होता है और अपने पूरे रूप में ही आधे व्यंजन के बाद लिखा जाता है, यथा—

व्यंजनों का संयुक्त प्रयोग	व्यंजनों का अलग-अलग प्रयोग
चिह्न	चिह्‌न
विद्वान	विद्‌वान
उद्देश्य	उद्‌देश्य
ब्राह्मण	ब्राह्‌मण
ह्रास	ह्‌रास

(7) **दूसरी भाषा के शब्दों का लिप्यंतरण करने पर दोष**—यह पहले बताया जा चुका है कि हर भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। भाषाओं में इस प्रकार शब्दों का आदान-प्रदान चलता रहता है। यह आदान-प्रदान भाषा की पाचन-शक्ति पर बहुत हद तक निर्भर करता है अन्यथा उसमें दूसरी भाषा के शब्द ठूंसे हुए प्रतीत होंगे। किसी भाषा द्वारा अन्य भाषा से अपनाए हुए शब्द उसकी अपनी लिपि में ही लिखे जाते हैं और इस क्रिया को लिप्यंतरण (transliteration) कहते हैं। हिंदी ने अपने संपर्क में आने वाली देशी और विदेशी सभी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। जहां देशी भाषाओं के शब्दों का लिप्यंतरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, वहां विदेशी भाषाओं (मुख्यत: अंग्रेजी) के शब्दों के लिप्यंतरण में काफी परेशानी होती है। हिंदी में अंग्रेजी की ध्वनियों को लिखित रूप देने की असक्षमता इसका उतना बड़ा कारण नहीं, जितना स्वयं रोमन लिपि की अवैज्ञानिकता और उनके अक्षरों द्वारा सदा एक जैसे ध्वनि संकेत देने की असक्षमता है। भाषा के ध्वनि संकेतों का रूप यदि सर्वत्र मानक रहे, तो उसके शब्दों के लिप्यंतरण में कोई कठिनाई नहीं होती। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने विदेशी शब्दों के देवनागरी में लिप्यंतरण के नियम बनाए हैं।

विदेशी शब्दों एवं संकल्पनाओं की तरह विदेशी नामों के लिप्यंतरण में भी प्राय: वर्तनी दोष हुआ करता है। जहां विदेशी शब्दों एवं संकल्पनाओं के लिप्यंतरण के नियम तो निर्धारित हैं, वहां विदेशी नामों के लिप्यंतरण के नियम निर्धारित नहीं हैं और इन नामों पर उच्चारण के अनुसार लिप्यंतरण करने का नियम भी लागू नहीं होता, उदाहरण के तौर पर—

Nich	नीश
Garicin	गार्सा
Aristotle	अरस्तु
Socratise	सुकरात

ऐसे नामों का लिप्यंतरण करने से पहले पर्याप्त छानबीन कर लेनी चाहिए।

इस विवेचन से यह तथ्य सामने आता है कि वर्तनी दोष दिखने में चाहे तुच्छ लगे, परन्तु अपने प्रभाव में यह भाषा के मूल रूप को तहस-नहस कर उसे आमूल-चूल उखाड़ फेंकने में सक्षम होता है। भाषा के मानक रूप के पतन से तात्पर्य है उसकी संप्रेषण-शक्ति का ह्रास। यही संप्रेषण शक्ति भाषा की जीवंतता बनाए रखती हैं। वर्तनी-दोष से न केवल भाषा की संप्रेषण शक्ति का ह्रास होता है, बल्कि अनुवादक के अपने व्यक्तित्व का ह्रास होता है। अनुवादक का मुख्य उपकरण भाषा पर अधिकार होता है। यदि वह भाषा पर अधिकार बनाए नहीं रख सकता, तो सफल अनुवादक नहीं हो सकता, फलस्वरूप उसका प्रयास श्रेय नहीं होगा। वर्तनी दोष अर्थ को अनर्थ कर देते हैं और ये दोष मनुष्य के चारित्रिक दोषों की भांति अखरते हैं। अत: अनुवादक के लिए यह अपेक्षित है कि वह इनके प्रति सतर्क रहे।

छ: वचन

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में अनेक बार अंग्रेजी शब्दों को यथावत् ग्रहण करना पड़ता है। कभी ये शब्द एकवचन रूप में होते हैं और कभी बहुवचन रूप में। एकवचन शब्दों को तो उनमें कोई परिवर्तन किए बिना ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु बहुवचन शब्द हिंदी व्याकरण में यथावत् ठीक नहीं बैठते, यथा 'we purchased six wrenches' का अनुवाद यदि "हमने छह रिंचेज खरीदें" करें तो यह हिंदी व्याकरण के अनुरूप नहीं होगा। हिंदी व्याकरण में ऐसे मामलों में एकवचन रूप में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष के बहुवचन रूप में होने का आभास वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप (उपर्युक्त उदाहरण में 'खरीदे' और 'छह') से हो जाता है। यदि अंग्रेजी शब्द को बहुवचन रूप में अपनाना पड़े, तो उसका हिंदी बहुवचन रूप ही अपनाया जाए, यथा—

अंग्रेजी वाक्य	अशुद्ध अनुवाद	शुद्ध अनुवाद
Prices of such wrenches have gone up these days	आजकल ऐसे रिंचेज का मूल्य बढ़ गया है।	आजकल ऐसे रिंचों का मूल्य बढ़ गया है।

ऐसे शब्दों को लिखने में अक्सर तब गलती होती है, जब ये वाक्य के अंतर्गत नहीं आते, जैसे—"spanners, pliers and wrenches." ऐसी स्थिति में कई बार अनुवाद ऐसा देखा जाता है—"स्पैनर्स, प्लायर्स और रिंचेज"। यहां सही अनुवाद होगा—"स्पैनर, प्लायर और रिंच"।

ज. कारक

भाषा की संरचना में कारकों का विशिष्ट स्थान होता है। कारक शब्दों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने और उसे प्रकट करने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। कारकों के विभक्ति चिह्न (case-ending) निम्नलिखित अनुसार होते हैं :

कर्त्ता (nominative)	= ने
कर्म (accusative)	= को
करण (instrumental)	= से, द्वारा, के द्वारा, साथ, के साथ
संप्रदान (dative)	= के लिए (को)
अपादान (ablative)	= से (अलग होने के अर्थ में)
संबंध (possessive)	= का, के, की
अधिकरण (locative)	= में, पर
संयोधन (vocative)	= हे, भो, अरे, ओ, ऐ। (ये विभक्ति चिह्न नहीं कहलाते, अपितु विस्मयादि बोधक मात्र हैं)

कुछ कारकों के विभक्ति चिह्न एक जैसे होते हैं, परंतु स्थिति के अनुसार उनके उपयोग का प्रयोजन अलग-अलग होता है। अत: हिंदी मे अंग्रेजी अनुवाद करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी वाक्य में प्रयुक्त कारक का प्रयोजन क्या है अर्थात् वह वस्तुत: कौन-सा विभक्ति चिह्न है। यह समझ लेने के बाद भाव-ग्रहण करने में आसानी होती है और अंग्रेजी का उपयुक्त पर्याय भी सुगमता से ध्यान में आ जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में भी उपयुक्त विभक्ति-चिह्न का प्रयोग अपेक्षित है, जिसके अभाव में भाषा में द्विभावकता आ जाने के साथ-साथ उपयुक्त प्रवाह भी नहीं आ पाता। स्मरणीय है कि अनुवाद में द्विभावकता दोष मानी जाती है। कारक चिह्नों का गलत प्रयोग प्राय: का, के, की, ने के लिए, से द्वारा के व्यवहार में होता है।

प्राय: निम्नलिखित कारकों के विभक्ति-चिह्नों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग कर लिया जाता है,जो कि गलत है। इनका प्रयोग करने से पहले हमें इनका प्रयोजन समझ लेना चाहिए :

कर्त्ता और कर्म-कारक—कर्त्ता कारक को अंग्रेजी में nominative case कहते हैं अर्थात् यह क्रिया के करने वाले का संकेत देता है, जबकि कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति है, जिस पर कर्त्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है।

करण कारक और अपादान कारक—'करण' के विभक्ति चिह्न 'से', 'के' द्वारा और 'के साथ' है और अपादान का 'से'। स्मरणीय है कि करण कारक के विभक्ति चिह्न क्रिया के साधन के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, जबकि अपादान कारक के 'अलग होने' के संदर्भ में।

संप्रदान कारक और संबंध कारक—संप्रदान कारक से प्रदान करने के भाव का संकेत मिलता है, जैसे श्याम को दान दो, मेरे लिए पानी लाओ। इसीलिए इस अंग्रेजी में dative case कहते हैं। इन दोनों कारकों के विभक्ति-चिह्नों के प्रयोग का एक उदाहरण लेते हैं—specification for iron. अनुवादक ने इसका अनुवाद "इस्तरी के लिए विशिष्टि" किया। ऐसा करने में उसने कारक-संबंध पर विचार किए बिना 'for' का सामान्य अर्थ 'के लिए' लगा कर निजात पा ली। 'के लिए' संप्रदान कारक का विभक्ति चिह्न है और स्वभावत: किसी वस्तु के प्रदान (या संप्रदान) का बोध कराता है। यहां कोई वस्तु प्रदान नहीं की जा रही, बल्कि 'for' इस्तरी और विशिष्टि का संबंध सूचक है, अत: यहां विभक्ति-चिह्न भी संबंध कारक का आएगा। तदनुसार सही अनुवाद होगा—इस्तरी की विशिष्टि।

ऐसी गलती कारक चिह्नों का स्थिति के अनुसार सही अर्थ न समझ पाने तथा सही कारक चिह्न का चयन न कर पाने के कारण होती है। इसी

प्रकार 'उसने किया', 'उस द्वारा किया गया' तथा 'समिति से संबंधित', 'समिति से संबद्ध' आदि स्थितियों में यथासंभव उस कारक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाव स्पष्ट होने के साथ-साथ वाक्य भी छोटा बने। कई बार कारकों का अनावश्यक प्रयोग भी देखा जाता है। ऐसी स्थितियों में कारकों का लोप भी करना पड़ता है। वाक्य में यदि कारकों के बिना भी भाव और भाषा-प्रवाह बने रहें, तो कारकों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं, यथा 'उसे दिया' और ''उसको दिया'' में कारक चिह्न 'को' के बिना भी भाव और प्रवाह बने रहते हैं। अनुवाद में का, के, की के अनावश्यक प्रयोग से विशेषकर बचना चाहिए। इसी प्रकार 'panel for antenna' का ''एंटीना के लिए पैनल'' अनुवाद न करके 'एंटीना पैनल' अनुवाद करना सही है। वैसे भी यहां 'for' के लिए 'के लिए' कारक लगाना उपयुक्त नहीं। यहां 'पैनल' कोई वस्तु नहीं है, जिसकी एंटीना के लिए जरूरत पड़ती हो। यह 'समिति' के भाव में प्रयुक्त हुआ है। यदि 'for' का अनुवाद करना ही हो तो ''एंटीना संबंधी पैनल'' किया जा सकता है। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 'संबंधी' शब्द भी यहां अवांछित प्रतीत होता है, अत: ऐसी स्थितियों में कारक-चिह्न का लोप करना ही बेहतर है। एक और उदाहरण है—'I am going to Delhi.' यहां 'मैं दिल्ली को जा रहा हूं' में 'को' का लोप कर दिया जाए, तो वाक्य ज्यादा सहज होगा यथा मैं दिल्ली जा रहा हूं। कुछ अन्य उदाहरण हैं—

अंग्रेजी सामग्री	गलत कारक का प्रयोग	ठीक कारक का प्रयोग
Glossary of terms for television	टेलीविजन के लिए पारिभाषिक शब्दावली	टेलीविजन संबंधी पारिभाषिक शब्दावली
Standards . on Electronics	इलैक्ट्रॉनिकी पर मानक	इलैक्ट्रॉनिकी संबंधी मानक
It means that....	इसका तात्पर्य है कि...	इससे तात्पर्य है कि...
Add before item 5.	मद 5 के पहले जोड़ें।	मद 5 से पहले जोड़ें।

अंग्रेजी सामग्री	दोषयुक्त प्रयोग	शुद्ध प्रयोग	अशुद्ध प्रयोग का कारण
Specification for electric lamp	बिजली के बल्बों के लिए विशिष्टि	बिजली के बल्बों की विशिष्टि	''के लिए'' संप्रदान कारक का विभक्ति चिह्न है, जिसका फल कर्म पर पड़ता है, जबकि यहां ''बल्बों'' और ''विशिष्टि'' के मध्य संबंधबोधक विभक्ति-चिह्न की आवश्यकता है। इन दोनों चिह्नों के प्रयोग में वही अंतर है, जो ''उसका पेन'' और ''उसके लिए पेन'' में है।
Give him the pen.	उसे पेन दे दो		''से'' का प्रयोग या तो करण कारक में होता है या अपादान कारक में। चूँकि यहां ''उस'' (कर्म) पर पेन देने का फल पड़ता है, अत: यहां कर्म कारक है, जिसका विभक्ति-चिह्न ''को'' है।

''से'' और ''को'' के अर्थ में अंतर कुछ और उदाहरणों से अधिक स्पष्ट हो जाएगा—

बालक से ले लो।

बालक को ले लो।

बंदूक से गोली मारी।

बंदूक को गोली मारी।

स्पष्ट है कि पहला अनुवाद शब्दानुवाद मात्र है और दूसरा भावानुवाद। कारक-लोप के कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए जा रहे हैं —

अंग्रेजी	कारकयुक्त अनुवाद	कारकरहित अनुवाद
In this connection	इसके संबंध में	इस संबंध में
done by him.	उसके द्वारा किया गया	उस द्वारा किया गया या उसने किया।
Spent by me	मेरे द्वारा खर्च किया गया	मैंने खर्च किया।
By whom brought	किसके द्वारा लाया गया	कौन लाया।

कारक-लोप न केवल वाक्य को छोटा बना देता है, बल्कि उसका सौंदर्य भी बढ़ा देता है। इसी कारण 'किसको-किसको', 'उसको-उसको' आदि को यथावत् न लिख कर क्रमश: 'किस-किसको' तथा 'उस-उसको' और 'इसके विषय पर', 'इसके संदर्भ में' आदि को क्रमश: 'इस विषय पर' तथा 'इस संदर्भ में' ही लिखते हैं।

झ. संक्षेपण

संक्षेपण किसी सामग्री, वाक्य या शब्द का एक प्रमुख गुण होता है। संक्षेपण से जहां वाक्य छोटा बन जाता है, वहां प्रयत्न भी कम लगाना पड़ता है। संक्षेपण सामग्री की प्रवाहमयता में भी सहायक होता है। अत: अनुवाद में भी आवश्यकतानुसार संक्षेपण का सहारा लिया जा सकता है।

संक्षेपण वाक्य, शब्द और वर्ण—तीनों स्तरों पर किया जा सकता है। वाक्य के स्तर पर संक्षेपण अनावश्यक विभक्ति चिह्नों का लोप करके (यथा 'मुझको दिया की जगह' 'मुझे दिया'), आवश्यक विशेषण सूचक शब्दों को हटा कर, दो या अधिक वाक्यों का एक वाक्य बनाकर, सामग्री को सार-गर्भित करके, सामग्री में सटीक शब्दों का प्रयोग करके, अर्थात्, आदि शब्दों के प्रयोग से बचकर, अनेक वस्तुओं की जगह उनमें से कुछ का वर्णन करने के बाद अंत में आदि, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके पुनरूक्ति दोष से बच कर, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करके, सही विराम चिह्नों का प्रयोग करके, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करके, समानार्थक/विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करके किया जा सकता है।

शब्द-स्तर पर भी संक्षेपण कई प्रकार किया जा सकता है, यथा शब्द का छोटा रूप प्रयोग करके (यथा प्रमाणीकरण, संक्षिप्तीकरण, गुणवत्ता की जगह क्रमश: प्रमाणन, संक्षेपण, गुणता), संधि का प्रयोग करके (यथा अति आवश्यक की जगह अत्यावश्यक), समास का प्रयोग करके (यथा श्वेत कपड़े पहनने वाले की जगह श्वेताम्बर), विभक्ति का लोप करके (यथा उनको, मुझको की जगह उन्हें, मुझे) सर्वनाम का प्रयोग करके (यथा राम ने की जगह उसने) तथा शब्दों के लघु रूप (यथा टेलीविजन, advertisement, Prime Minister. की जगह क्रमश: TV, ad, PM) का प्रयोग करके।

वर्ण के स्तर पर संक्षेपण प्राय: संयोजन द्वारा होता है, जैसे दो व्यंजनों को मिला कर उन्हें नितांत नया रूप दे देना। उदाहरण के लिए क +ष=क्ष, ज्+ञ+ज्ञ, त्+र=त्र, श्+ऋ=श्रृ, स्+र=स्र आदि।

ञ. भाव-सम्प्रेषणीयता

अनुवाद में किसी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में हू-ब-हू प्रस्तुत करना होता है। इस बदले हुए कलेवर में सामग्री के भाव की रक्षा के साथ-साथ उसे लक्ष्य भाषा में सहज संप्रेषणीय भी बनाना होता है। अनुवाद केवल अनुवाद के लिए ही नहीं हो सकता, बल्कि स्रोत भाषा से अनभिज्ञ पाठकों को उनकी अपनी भाषा में वह सामग्री उपलब्ध कराना भी उसके उद्देश्यों में से एक होता है। इस रूपांतरण में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनुवादक को उनका समाधान करके सामग्री की भाव-प्रवणता, प्रवाह-मयता, संपेषणीयता, रोचकता तथा सहजता बनाए रखने के साथ-साथ पाठक के अंतस् तक भी पहुंचना होता है, तभी अनुवाद का उद्देश्य पूरा माना जा सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुवाद में शब्द प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करना चाहिए तथा तकनीकी एवं भाषिक बारीकियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

ट. रागात्मकता

रागात्मकता साहित्य का एक विशिष्ट लक्षण होता है। राग से तात्पर्य है अभिमत या प्रिय वस्तु के प्रति मन से होने वाला भाव, अनुराग, झुकाव या मोह, मन प्रसन्न करने की क्रिया। इस प्रकार रागात्मकता वह गुण है, जिससे साहित्य के प्रति अनुराग पैदा होता है और मन प्रसन्न होता है।

मन प्रसन्न होने की यह क्रिया अनायास ही नहीं होती, बल्कि सुनियोजित साधारणीकरण रूपी सम्मोहन से होती है और साहित्य जनमानस को अपने प्रति तभी सम्मोहित कर पाता है, जब उसमें सहजता, लयात्मकता, भाव-प्रवणता, संप्रेषणीयता सरीखे गुण हों। अनुवाद भी चूंकि एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा के अनभिज्ञ पाठकों को उपलब्ध कराता है, अत: यह भी एक साहित्यिक कोटि का कार्य है और इसका भी उपर्युक्त गुणों से युक्त होना अनिवार्य है। रागात्मकता वह गुण है, जिससे पाठक साहित्य के प्रति आकर्षित होता है और उसे पढ़ने में आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद मूल की भांति अनुवाद में भी हो, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

ठ. प्रचलन

भाषा बहती नदी की भांति है। यह एक स्थान पर जिस रूप में होती है, जरूरी नहीं कि दूसरे स्थान पर भी उसी रूप में हो। अपने प्रवाह के दौरान यह बोली रूपी विभिन्न नालों और छोटी नदियों का जल आत्मसात् करती रहती है। इस प्रकार भाषा का रूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है।

भाषा काल-निरपेक्ष भी नहीं होती। इसका एक काल में जो रूप होता है, वह रूप दूसरे काल में नहीं होता। एक स्थान अथवा काल के रूप का प्रयोग दूसरे स्थान अथवा काल में करना अखरता है। अत: अनुवाद में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसमें शब्दों का प्रयोग देशकाल के अनुसार ही हो। वर्तमान युग में यदि चाँद, सूर्य आदि शब्दों की जगह खड़ी बोली युग के चँदा, सूरज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत प्राचीन अथवा आउटडेटिड लगता है। इसी प्रकार हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द अब इस प्रकार घुल-मिल गए हैं कि जहां वर्तमान में उनका प्रयोग आवश्यक जान पड़ता है, वहां भविष्य में ऐसे शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का प्रयोग प्राचीन दिखाई देने लगेगा। उदाहरण के तौर पर picture शब्द का प्रारम्भिक अर्थ तस्वीर या चित्र हुआ करता था। परंतु प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ-साथ इस शब्द के अर्थ में विस्तार हुआ और इससे तात्पर्य चलचित्र या फिल्म (film) तथा फोटो भी लिया जाने लगा, जबकि चलचित्र का अंग्रेजी पर्याय motion picture या संक्षिप्त में movie है और film का मूल अर्थ भी pictureया motion picture न होकर परत या पतली झिल्ली हुआ करता था। आज यदि picture को केवल चित्र या तस्वीर और film को केवल परत या पतली झिल्ली ही माना जाए, तो यह ग्राह्य नहीं होगा। अत: अनुवाद का देश-काल सापेक्ष होना एक सामयिक आवश्यकता है।

ड. प्रासंगिकता और सार्थकता

अनुवाद में प्रासंगिकता और सार्थकता शब्द की प्रसंग के प्रति अनुरूपता और उसका उपयुक्त अर्थवान होना है। वास्तव में प्रासंगिकता ही सार्थकता है, क्योंकि कोई शब्द प्रासंगिक हुए बिना सार्थक हो ही नहीं सकता। प्रासंगिकता ही शब्द को जीवंतता प्रदान करती है अन्यथा वह अनेक शब्दों के मध्य भी अलग-अलग लगेगा। उसे भाषा प्रसंग विशेष में आत्मसात् नहीं कर पाएगी।

सही अर्थों में देखें तो प्रासंगिकता (contextuality) प्रोक्ति (discourse) और प्रयुक्ति (register) का ही एक पहलू है। शब्द के प्रसंगानुकूल होने के लिए उसे न केवल प्रयुक्ति (कार्य-क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त भाषा रूप), बोली (भौगोलिक क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त भाषा रूप) और उसके एक अंग अर्थात् प्रोक्ति (किसी भाव या कथन विशेष को पूरी तरह अभिव्यक्त करने में सक्षम एक ही अनुच्छेद या पाठ-सामग्री का कुछ अंश) के प्रति ही अनुरूप होना होता है, बल्कि शैली, पाठक-वर्ग के स्तर और पाठ-सामग्री के उद्देश्य के अनुरूप भी होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए यदि यह बात कि 'मैं कार्यालय-कार्य अत्यंत निपुणता से करता हूं', कार्यालयी परिवेश और ग्रामीण परिवेश दोनों में एक ही तरह कही जाए, तो यह कार्यालय में तो अंगीकार होगी, परंतु गांव में नहीं। इसी प्रकार इस बात को यदि इस प्रकार कहा जाए—"मैं आपणा काम अच्छी तरया करूं सूं" तो यह शैली कार्यालय में अंगीकार नहीं होगी। कारण है, यहां भौगोलिक क्षेत्र, पाठक/श्रोता वर्ग का स्तर और शैली सभी बदल गए हैं। इसी प्रकार यदि निम्नलिखित शब्दों (उदाहरण के तौर पर) को उनके सामने दर्शाए गए दोनों कार्य-क्षेत्रों में प्रयुक्त किय जाए, तो इनमें से किसी एक में वे अंगीकार नहीं होंगे—

शब्द	कार्य-क्षेत्र	अर्थ
ट्यूब	रबड़ उद्योग	रबड़ की ट्यूब
	धातु उद्योग	धातु की नलिका
	इलेक्ट्रानिकी	पिक्चर-ट्यूब
	विद्युत	प्रकाश-ट्यूब
भारी पानी	रासायनिकी	यह पानी, जिसमें क्लोराइड, कैल्सियम आदि की मात्रा ज्यादा हो।
कठोर पानी	परमाण्विकी	यह पानी, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नयूट्रॉन-प्रशीतक के रूप में किया जाता है।

ढ. न, नहीं और मत का प्रयोग

न, नहीं और मत तीनों निपेधात्मक शब्द हैं, परंतु ये एक-दूसरे के विकल्पी नहीं हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग स्थितियों के अनुसार होता है। जब वाक्य रचना में इनका प्रयोग बिना विचारे होता है, तो वाक्य अपना प्रभाव छोड़ने में अक्षम रहता है, चाहे वह भाव छोड़ दे। अनुवाद व्यवसायी का इनके मध्य अंतर जान लेना बहुत आवश्यक है।

'न' के प्रयोग की कई दशाएं होती हैं—(1) जब उद्देश्य केवल आशंकामूलक भाव या बात प्रकट करना हो, तब 'न' का ही प्रयोग होता है, यथा, ''आशा कल न आ सकेगी''। इस वाक्य में आगंतुक के कल न आने की आशंका मात्र प्रकट की गई है।

(2) निश्चयाभासी में 'न' का प्रयोग प्रश्नबोधक होता है, परंतु वह भी किसी निश्चय का निश्चित भाव नहीं देता। वह या तो आग्रह सूचक होता है अथवा प्रश्न सूचक, यथा चलिये न! आप आएंगे न 'न' को 'न' न कहना गलत है न?

(3) जब 'न' का प्रयोग 'तो' और 'ही' के साथ हो, तो वह सर्वथा निश्चयबोधक होता है, यथा कल न तो हुशियार आएगा न ही हुशियारी।

(4) निपेधात्मक, निश्चयाभासी और निश्चयात्मक वाक्यों के साथ-साथ 'न' साधारण वाक्यों में भी प्रयुक्त होता है, यथा—उसके ऐसे आने से तो न आना ही अच्छा था। वह किसी बात को ध्यान से सुने बिना ही 'न' कह देती है। न-न न करो।

(5) जब 'न' दो विशेपणों या क्रिया-विशेपणों के बीच प्रयुक्त हो तो अनिश्चय का बोध कराता है, यथा कुछ न कुछ, किसी न किसी, कहीं न कहीं।

नहीं—'नहीं' का प्रयोग आशंका मात्र का संकेत देने के लिए नहीं, बल्कि निश्चयात्मक भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। यथा, वह 'नहीं' जाएगा।

किसी प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देने के लिए भी 'नहीं' का प्रयोग होता है, यथा—क्या आप यायावी हैं? उत्तर 'नहीं', न कि 'न'।

मत—'न' और 'नहीं' की तरह 'मत' निश्चय या अनिश्चय का भाव प्रकट नहीं करता, बल्कि किसी कार्य के करण का निपेध करता है। यथा मत जाना, कहना मत।

ण. बहुवचन आभासी शब्द

यूं तो हर भापा की तरह अंग्रेजी में भी विविध प्रकृति के शब्द हैं, जो प्रचलित परंपरा से और मान्यताओं से हट कर हैं। यहां प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं से तात्पर्य शब्द-निर्माण और उसकी अर्थवेत्ता की वे आम परंपराएं हैं, जिनको ध्यान में रखकर शब्द-निर्माण होता है। परंतु, जब एक ही परंपरा की अर्थवत्ता में भिन्नता आ जाए, तो शब्द के अर्थ का बोध सामान्य रीति से नहीं हो सकता। सुबोधता की दृष्टि से परंपरा से विचलन के ऐसे कुछ उदाहरण भी यहां दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियों में प्रसंग और तात्कालिक अर्थवत्ता को ध्यान में रखना बेहतर होगा :

'एस' का प्रयोग—अंग्रेजी में शब्द के अंत में 'एस' शब्द का प्रयोग साधारणत: या तो तृतीय पुरुप एकवचनांत क्रिया के साथ होता है या बहुवचन बनाने के लिये संज्ञा के साथ, परंतु शब्द के अंत में 'एस' का प्रयोग अनेक बार बहुवचन का द्योतक नहीं होता, यथा—

builder	राज	builders	राजगीरी
creditor	लेनदार	creditors	देनदारी
debtor	देनदार	debtors	लेनदारी
store	स्टोर	stores	स्टोर-सामग्री
vegetable	वनस्पति	vegetables	सब्जियाँ
Engineer	इंजीनियर	Engineers	इंजीनियरी
thank	धन्यवाद देना	thanks	धन्यवाद
wood	लकड़ी	woods	जंगल
water	पानी	waters	समुद्र

इसी प्रकार हिंदी में भी ऐसे बहुवचन आभासी अनेक शब्दों का प्रयोग देखने में आता है, जो प्रसंगानुसार एकवचन और बहुवचन दोनों का काम करते हैं, यथा—आप, आपका, आपको, आपके, आपकी, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारी, उन, उनका, उनको, उन्होंने, इन, इनका, इनको, इन्होंने, इनके, इनकी।

इनके अतिरिक्त कुछ शब्द एक वचन आभासी होते हैं, परन्तु वे भी एकवचन और बहुवचन दोनों का काम करते हैं, यथा—किस, किसका, किसके, किसकी, किसने, कौन।

कुछ शब्दों का आधा रूप बहुवचन आभासी और आधा एकवचन आभासी होता है, परंतु वे न तो एकवचन होते हैं और न ही बहुवचन, बल्कि वचन-निरपेक्ष एक अन्य अर्थ का ही बोध कराते हैं, यथा—हाथोंहाथ, कानोंकान, आँखोंदेखी।

कुछ शब्द थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ बहुवचन के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु वे भी न तो एक वचन होते हैं और न ही बहुवचन। ऐसे शब्द प्राय: संबोधन के प्रयोग में आते हैं, यथा—

बहनो ! भाइयो ! सज्जनो ! देवियो !

माताओ ! बालको ! दोस्तो ! साथियो !

कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का समूह होते हैं, परंतु उनका रूप एकवचनिक और बहुवचनिक होता है, यथा—

गुरूजन विद्यार्थीगण जन-गण

छात्रगण कविवृन्द शिष्यगण

कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो वस्तुओं, व्यक्तियों इत्यादि का समूह होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से एकवचन होते हैं, यथा—

कक्षा रोड़ी बजरी जुलूस रेत

कुछेक शब्दों का रूप आवश्यकतानुसार एकवचन अथवा बहुवचन होता है, परंतु वचन की दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं होता, जैसे—

बैठना (सामान्य अर्थों में)=बैठने की क्रिया

बैठना (गाड़ी के भाग का)=गड्ढा पड़ना

इसी प्रकार व्यक्तिवाचक (proper noun) और भाववाचक (abstract noun) संज्ञाएं केवल एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। इनका बहुवचन रूप होता ही नहीं, अत: इनके बहुवचन का आभास देने वाले रूप का प्रयोग करना व्याकरणगत अशुद्धि मानी जाएगी, जैसे—व्यक्तिवाचक संज्ञा=पटियाला, होशियार, कलकत्ता, देवदत्त। यद्यपि वाक्य में लोग कई बार ''पटियाला में'' का ''पटियाले में'', ''कलकत्ता में'' का ''कलकत्ते में'' यथा ''होशियार'' का 'होशियारे'' (क्षेत्र विशेष में) उच्चारण करते हैं, परंतु अनुवादक के लिए यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि ये किसी शहर या व्यक्ति के नाम हैं, के बहुवचन अथवा अन्य रूप नहीं होते। जो मानक रूप होता है, वही उसका स्वीकार्य रूप होता है और प्रयोग के समय उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्द 'भाव' के द्योतक मात्र होने के कारण उनके बहुवचन रूप नहीं होते। यथा लम्बाई, चौड़ाई, बचपन को लम्बाइयां, चौड़ाइयां और बचपनों लिखना भी व्याकरण-विरुद्ध होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा (material noun) भी प्राय: एकवचन रूप में लिखी जाती है—यथा चाँदी, पीतल जस्ता, जल, आदि। स्मरण रहे कि बहुवचन रूप केवल जातिवाचक (common noun) समुदायवाचक (collective noun) और कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाओं (जैसे फलों, अनाजों आदि) के ही होते हैं, अन्यथा नहीं।

अत: अनुवादक को एकवचन अथवा बहुवचन आभासी शब्दों की पहचान और उनका प्रयोग करना भली-भाँति आना चाहिए। वह इनके साथ क्रियादि का प्रयोग भी तदनुसार ही करे।

त. केवल, मात्र आदि का प्रयोग

केवल, मात्र भी, ही शब्द उन शब्दों के तुरंत बाद आते हैं, जिन पर बल दिया जाना अपेक्षित हो अन्यथा अर्थ-परिवर्तन हो सकता है, यथा—वह गाना भी गाएगा। वह भी गाना गाएगा। वह गाना गाएगा भी ? मैं केवल गा रहा हूं। केवल मैं गा रहा हूं। वहां आप भी जाएंगे ? वहां भी आप जाएंगे ? यह काम मैंने ही किया है। यह काम ही मैंने किया है।

थ. समानार्थ आभासी शब्द

भाषा में अनेक शब्द समानार्थ आभासी होते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में आम तौर पर कुछ विसंगति दिखाई देती है। यह विसंगति अर्थ में भी विसंगति उत्पन्न कर देती है। अनुवादक को ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे कुछ शब्दों के नमूने हैं :

दृष्टांत	illustration	उदाहरण	example
अंतर्गत	under	अधीन	under
अवस्थापन	conditionality	अव-स्थापन	location

द. द्वि-अर्थक शब्द

द्वि-अर्थक शब्द भाषा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इससे यह तात्पर्य नहीं कि भाषा में कुछ शब्द ही द्वि-अर्थक होते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जहां अनेक शब्दों के समानार्थ/विलोमार्थ होते हैं, वहां भाषा से इतर रूप में (स्वतंत्र रूप से अकेले) लिखे शब्द के समानार्थियों पर आम तौर पर ध्यान जाने की अवस्था ही नहीं उत्पन्न होती, द्वि-अर्थकता की स्थिति उत्पन्न होने की बात तो दूर की है। द्वि-अर्थकता की स्थिति शब्द के भाषा में प्रयोग के बाद और उसके प्रयोग के ढंग पर ही उत्पन्न होती हैं। ऐसे प्रयोग अनजाने में ही हो जाते हैं, जिनसे अर्थ में भ्रामकता आ जाती है। भाषा में द्वि-अर्थकता का प्रयोग अभिव्यक्ति को विशेष प्रभावी बनाने के लिए भी किया जाता है। अत: जहां अनुवाद को भाषा में शब्द-प्रयोग के कारण द्वि-अर्थकता न आने देने का प्रयत्न करना चाहिए वहीं वह इसके माध्यम से वांछित प्रभाव छोड़ने में दक्ष हो। शब्दों के द्वित्थक रूप में प्रयोग के कुछ उदाहरण नीचे देखे जा सकते हैं :

भ्रामकता का उदाहरण

अनूद्य वाक्य	गलत अनुवाद	सही अनुवाद
The police arrested two persons for murdering a man who was alive.	पुलिस ने एक जीवित आदमी की हत्या करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।	पुलिस ने एक ऐसे आदमी की हत्या का जुर्म लगाकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी जीवित था।
देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण	Devnagari script and standardization of Hindi spellings	Standardization of Devnagari script and Hindi spellings
Simple hearted person	साधारण हृदय वाला	निष्कपट
Central Asia	केंद्रीय एशिया	मध्य एशिया
Brick work	ईंट बनाने का काम	ईंट से बनी इमारत
Blood is thicker than water	खून पानी से गाढ़ा होता है।	अपना अपना, पराया पराया

वांछित प्रभाव देने का उदाहरण

Fare well, thou art too dear for my possessions. And like enough thou knowest thou estimate. The charter of thy

HA/99—4A

worth gives thee releasing. My bonds in thee are all determinate.

इस पद्य में कवि ने dear, possessions, estimate, charter, worth, releasing, bonds, determinate आदि वाणिज्यिक शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें एक ओर निवेशकर्त्ता एवं पूंजीपति के बीच वार्तालाप का आभास होता है, तो दूसरी ओर प्रेमियों के मध्य प्रेम-प्रसंग का। पद्य में dear के महंगा और प्रिय, bond के बांड और बंधन estimate के अनुमान और महत्व तथा releasing के जारी करना और मुक्त करना दो-दो अर्थ होने के कारण जहां एक ओर तथ्यात्मक झलकती है, वहां दूसरी ओर भावात्मकता।

ध. दिनों, महीनों, शब्दों आदि के शुद्ध रूप

आप जानते हैं कि हर आदमी से लिखने में अनेक प्रकार की गलतियां होती रहती हैं। ये गलतियां न केवल अज्ञानतावश होती हैं, बल्कि लापरवाही के कारण भी होती हैं। यूं कहिए कि आधी गलतियां लापरवाही के कारण होती हैं। इस खंड में दिनों, महीनों तथा कुछ शब्दों आदि के शुद्ध रूप बताए जा रहे हैं। इनका अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनका सही वर्ण-क्रम क्या है और इनमें कौन-कौन से शब्द एक साथ लिखे जाते हैं और कौन-कौन से अलग-अलग। इन्हीं दो बातों का ध्यान रखने पर आप इन्हें सदा शुद्ध रूप में लिख सकते हैं।

(1) दिनों के नाम—रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, बृहस्पतिवार (या गुरुवार), शुक्रवार तथा शनिवार।

(2) महीनों के नाम—(क) देशी महीने : चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन।

(ख) अंगेजी महीने : जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर।

(3) कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुरुप	अनुरूप	आवाहन	आह्वान
अत्याधिक	अत्यधिक	आर्शीवाद	आशीर्वाद
आंबटन	आबंटन	इकाईयां	इकाइयां
आखरी	आखिरी	उज्वल	उज्जवल
आप से	आपसे	उलंघन	उल्लंघन
आयी	आई	उल्टा	उलटा
आये	आए	उर्जा	ऊर्जा
आल्हाद	आह्लाद	उस को	उसको
उस से	उससे		
उन से	उनसे	ड्यूटी	ड्यूटी
ऊपरिलिखित	उपरिलिखित	ढ़ंग	ढंग
कंच्छार	कछार	ढ़क्कन	ढक्कन
कागजातों	कागजात	तदानुसार	तदनुसार
कीर्तीमान	कीर्तिमान	तदोपरान्त	तदुपरान्त
कुशलपूर्वक	कुशलतापूर्वक	दवाईयाँ	दवाइयाँ
कृत्घन	कृतघ्न	दुगुणा/दोगुना	दुगुना
कृप्या	कृपया		
कौशिश	कोशिश	द्रोपदी	द्रौपदी
कम्प्यूटर	कंप्यूटर	द्वन्द	द्वन्द्व
क्वथांक	क्वथनांक	नयी	नई
चिन्ह	चिह्न	निरपराधी	निरपराध
जनम	जन्म	निरोग	नीरोग
		निर्पेक्ष	निरपेक्ष
गल्ती	गलती	निष्प्रभावी	निष्प्रभाव
गांव	गाँव	नीरोगी	नीरोग
गुरू	गुरु	नेशनल	नैशनल
गौरवता	गौरव	पढना	पढ़ना
		पढाई	पढ़ाई

"अगर आज हिन्दी भाषा मान ली गई तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा है"

– नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

1556 HA/99—4B

हिंदी और नेपाली : दो जुड़वाँ बहिनें

—प्रकाश प्रसाद उपाध्याय

हिंदी और नेपाली, दो पृथक प्रभुत्तासंपन्न राष्ट्रों की राष्ट्रभापाएं हैं। जहां हिन्दी धर्म-निरपेक्ष गणराज्य भारत की राष्ट्रभापा है, वहीं नेपाली प्रभुसत्तासंपन्न, प्रजातांत्रिक एवम् विश्व का एक मात्र हिंदू राज्य कहलाने वाले नेपाल की राष्ट्रभापा है। इन दो देशों के बीच भापागत विभिन्नता केवल ऊपरी सतह पर ही देखने को मिलती है। प्राय: इन दो प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर बहुत ही समानताएं और एकरूपता देखने को मिलती हैं। इनके सांस्कृतिक पर्व और तीज-त्यौहार ही एक समान नहीं हैं बल्कि इन्हें मनाने के तौर तरीकों मे भी एकरूपता और समानताएं देखने को मिलती हैं। इन दो राष्ट्रों को परस्पर एक सूत्र में जोड़ने का काम देवनागरी लिपि करती है क्योंकि इसी लिपि में नेपाली भापा और हिन्दी भापा पढ़ी-लिखी और समझी जाती है और इसी लिपि में दोनों देशों की राजभापा और जन-भापा विद्यमान है।

अत: हिन्दी और नेपाली को यदि देवनागरी की दो जुड़वाँ बहिने कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि लिपि के अलावा भी हिन्दी और नेपाली के शब्दों में इतनी समानताएँ हैं कि हिन्दी का कोई भी जानकार नेपाली पत्र-पत्रिका को पढ़ कर या वार्तालाप को सुनकर सहज रूप में उसका अर्थ जान सकता है। हां, लेखन शैली, वाक्य-रचना और शब्दों एवम् मुहावरों के प्रयोग में अन्तर अवश्य है। उच्चारणीय एवम् व्याकरणीय प्रयोग के अंतर भी इन दो भापाओं को उसी रूप में पृथक बना देते हैं, जिस तरह दो जुड़वाँ बहनों की शक्ल तो एक समान दिखती है लेकिन उनके रूप-रंग और जीवन-शैली में कहीं न कहीं और कुछ न कुछ अंतर तो होता ही है।

जिन दिनों मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी का छात्र था, उन दिनों अध्ययनरत रहने के कारण संभवत: भापागत गाम्भीर्य विवेचन न कर पाने से मैं इन दो भापाओं में विद्यमान एकरूपता का अनुभव न कर सका। लेकिन राजधानी में 40 साल बिताने पर और सरकारी दायित्व के निष्पादन करते हुए मुझे इन दो भाषाओं के शब्दों में विद्यमान एकरूपता का आभास तीव्रतर होता रहा। कुछ वर्ष पहले जब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी-नेपाली शब्द कोश निर्माण परियोजना से संबद्ध हुआ तो मैंने यह पाया कि हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों का भाव यदि नेपाली में स्पष्ट नहीं किया जाए तो तत्सम शब्दों के रूप में उन्हें यथावत ही उतारना होगा। उदाहरणार्थ कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे है :—

हिन्दी		नेपाली	हिन्दी	नेपाली
अंक	:	अंक, अङ०	गरीब	गरीब
अब	:	अब	धनी	धनी
आज	:	आज	घमण्डी	घमण्डी
आम	:	आँप	बहादुर	बहादुर
करेला	:	करैला	लायक	लायक
किशमिस	:	किसमिस	अभिमानी	अभिमानी
खजूर	:	खजूर	बुद्धिमानी	बुद्धिमानी
दस	:	दश	माला	माला
जिला	:	जिल्ला	पेट	पेट
प्रधानमंत्री	:	प्रधान मन्त्री	नाक	नाक
राष्ट्रीय	:	राष्ट्रिय	खाली	खाली
राजकीय	:	राजकीय	सौ	सय
सुपारी	:	सुपाड़ी	हल	हलो

यह समानता हमें इस बात की याद दिलाती है कि इन दोनों भापाओं की जननी संस्कृत है। अत: इनके तत्सम शब्द भी समान हैं और ये दोनों भापाओं में समान रूप से प्रयोग होते हैं। उदाहरणार्थ :—

अनर्थ, अनशन, अवकाश, अविश्वास, आकाश

कपाल, कंचन, कर्म, कर्मठ,मतभेद, मनोरंजन, मर्यादा, मरूभूमि, महाराजा, महारानी, महिमा, मौसम, यहाँ, योग, योगफल, राजधानी, राजनीति, राष्ट्र वक्ष, वचन, वर्ग, वाधा, विपक्ष, विरोध-प्रदर्शन, विरोधी, विलम्ब, सम्मान, सहोदर, साग, सिंह, सुरक्षा, सुश्री, सूक्ष्म, सूचना, सूर्य, स्तब्ध, स्तम्भ, स्तन,

नेपाली और हिन्दी में तत्सम शब्दों की अधिकता होने के कारण भारत के कुछ नेपाली भापी क्षेत्रों में लिखे जाने वाले नेपाली साहित्य में उन शब्दों के प्रयोग में वृद्धि भी होने लगी जिनका प्रयोग हिन्दी में होता रहा है जैसे, वाढ़, मुकदमा, बातचीत आदि। जबकि नेपाल के लेखक या साहित्यकार इन शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा नेपाली पर्याय का ही प्रयोग करते हैं जैसे बाढ़ी, मुद्दा, कुराकनी आदि।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नामों में भी समानताएं मिलती हैं जिनका उद्भव संस्कृत से ही हुआ, लेकिन कालांतर में सतत् प्रयोग से उनके उच्चारण में भी परिवर्तन होता रहा है, जैसे :-

जीरा, जिलेबी; दही, दाल, दाँत, रोटी, सांग, साग-सब्जी, आदि-आदि

देशांतर प्रसारण प्रभाग, नेपाली एकांश, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

काठमाँडू में नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान (भारत की साहित्य अकादमी के समकक्ष की संस्था) के एक भूतपूर्व सदस्य श्री देवेन्द्र राज उपाध्याय से कुछ समय पूर्व जब मैं मिलने उनके निवास पर गया तो मैंने उन्हें कुछ मित्रों से विचार-विमर्श में व्यस्त पाया। मेरे वहाँ पहुँचने की सूचना पर उन्होंने मुझे बैठक-कक्ष में बुलाया। वहाँ उपस्थित लोग हिन्दी में ही बातचीत कर रहे थे। मैं सोचता रहा-"ये उपस्थित सज्जनवृंद भारतीय साहित्यकार ! पत्रकार होंगे !" विचार-विमर्श के साथ-साथ उन्होंने मेरा परिचय उन सज्जनों से कराया। परिचय पाने पर मैं चौंका। वे सभी सज्जन नेपाली साहित्य से ही संबद्ध थे—कोई लेखक, कोई कवि तो कोई पत्रकार। सभा-विसर्जन के बाद जब मैंने श्री देवेन्द्र राज उपाध्याय से नेपाली भाषी लेखकों का नेपाली की अपेक्षा हिन्दी में बात करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा—"हम आपस में जब भी मिलते हैं तो हिन्दी में ही बात करते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने जीवन के कुछ वर्ष वाराणसी में बिताए हैं और बनारस की उस स्मृति को तरो ताज़ा रखने के लिए हम हिन्दी में बातचीत करके अधिक आनन्द का अनुभव करते हैं।"

वाराणसी में अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताने वाले इन नेपाली सज्जनों के मन में "बनारसीपन" का मोह और हिन्दी के प्रति विद्यमान प्रेम को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और सोचता हूं, नेपाल में अपने जीवन का अधिकांश समय बिताने वाले भारतीय सज्जनों में भी नेपाली भाषा के प्रति यदि ऐसी ही भावना उत्पन्न हो जाए तो कितना अच्छा हो। इससे भाषागत असमानताएं स्वतः ही हल हो जाएंगी और दोनों देश भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के और अधिक निकट आकर अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह कर सकेंगे। यही नहीं, बल्कि ऐसा हो जाने से दोनों मुल्कों में दोनों भाषाएं (हिन्दी और नेपाली) सहज रूप से फूलेंगी-फलेंगी भी।

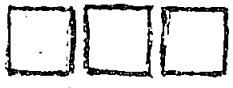

हिन्दी वह धागा है, जो विभिन्न मातृ-भाषाओं रूपी फूलों को पिरो कर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा।

-डॉ. जाकिर हुसैन

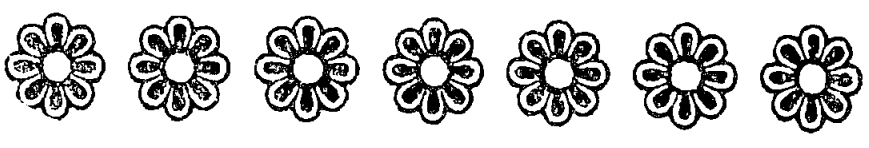

स्वभाषा चेतना

—गीता जोशी

एक बार भारतीय क्रिकेट के प्रसिद्ध गेंदवाज बाबू नाडकर्णी ने एक मैच के आंखों देखा हाल के दौरान कहा था—मेरी बैटिंग और हिन्दी एक-सी है। उनके इस वाक्य से जहां उनके एक अच्छे बल्लेबाज न होने का दर्द झलकता था वहीं अच्छी हिन्दी न बोल पाने का दुख: भी प्रकट होता था। यह बात उन लोगों के लिए कही गई है जो यह मानते हैं कि हिन्दी की हिमायत हिन्दी जानने वाले ही करते हैं। गुन्नार मीर्डल का कहना था-''जब तक भारतीय संसद के वाद-विवाद अंग्रेजी में चलते रहेंगे, देश की राजनीति का जनता से कोई सरोकार नहीं होगा और वह एक छोटे से वर्ग की बपौती बन कर रह जायेगी।'' यह एक अजीब और हास्यास्पद बात है कि हिन्दी को अपने घर में ही बेगानों और सौतेलों का सा व्यवहार झेलना पड़ता है। हिन्दी हो या अन्य कोई भारतीय भाषा अंग्रेजी शासन काल के दौरान एक षड्यंत्र के अन्तर्गत उसे पुष्पित-पल्लवित होने से रोका गया। धीरे-धीरे यह मानसिकता सामान्य लोगों के बीच जहर की तरह फैल गयी। आज आजादी के पचास वर्ष पश्चात् भी इस अंधी मानसिकता से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। यह बड़े खेद की बात है।

अंग्रेजी शासकों की हिन्दी का न पनपने देना एक निहित स्वार्थ की देन था। वे इस देश पर शासन करने आये थे इसे अपनाने नहीं, अत: शासन की भाषा शासकों की अपनी ही भाषा होनी थी। अंग्रेजों ने अपने शासन के 200 वर्षों के दौरान अंग्रेजी को शासन की भाषा बनाये रखा और वह भारतीयों पर लदी रही। इस काल में देश में शासन, शिक्षा तथा साहित्य चर्चा की प्रधान भाषा अंग्रेजी रही तथा इस विदेशी शासन के चलने में सहयोग देने वाले भारतीयों ने इसे अपनाया।

आज अंग्रेजों को भारत छोड़े और हमारे अपने शासन को आरम्भ हुए पचास वर्षों से अधिक हो चुके हैं पर हमारे नौकरशाहों का अंग्रेजी प्रेम और अंग्रेजियत अभी भी बरकरार है। हमारे शासक चाहते न चाहते, अंग्रेजी का वर्चस्व बनाये रखना चाहते हैं। हो सकता है यही उनकी राजनीति की मांग हो और इस राजनीति के चलते हिन्दी क्या किसी भी भारतीय भाषा का हित होने वाला नहीं। जिस देश की राजभाषा हिन्दी हो वहां ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहलवाना मुश्किल हो जाए तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अक्सर हिन्दी विरोध का दोष दक्षिण भारत के लोगों पर मढ़ दिया जाता है। परन्तु दक्षिण भारत के लोग आज जितनी अधिक संख्या में हिन्दी बोल तथा सीख रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि कतिपय राजनीतिज्ञ दक्षिण भारत की राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह के मत को प्रचारित करते हैं तथा उसे अपना समर्थन देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था—'' जिस प्रकार हमने सत्ता हड़पने वाले अंग्रेजों के राजनैतिक शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फैंका, उसी प्रकार हमें सांस्कृतिक अधिग्रहण करने वाली अंग्रेजी को भी हटा देना चाहिए। यह आवश्यक परिवर्तन करने में जितनी अधिक देरी होगी उतनी ही अधिक राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती जायेगी।''

प्राय: लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी के प्रबल समर्थक के रूप में जानते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि नेहरू जी इस विवाद को विषय नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था—''मैं इस विचार का विरोधी हूँ कि अंग्रेजी भारत की राजभाषा बनायी जाए। इसका विरोधी मैं इसलिए नहीं हूँ कि अंग्रेजी के कारण अंग्रेजी जानने वालों और जनता के बीच दुराव पैदा होता है, एक बड़ी खाई सी बन जाती है।'' इस प्रकार नेहरू जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत की जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। ''भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है लोगों ने इसे अपनी राष्ट्रभाषा माना है। यदि किसी की ओर से देरी हो रही है तो वह सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की ओर से। विधान के स्वीकृत करने पर भी कर्मचारी अंग्रेजी में उत्तर देते हैं, यह निषेधनीय है। इसका स्पष्ट विरोध होना चाहिए''। ये विचार हैं श्रीवाद दामोदर सातवलेकर जी के।

जब राजभाषा के रूप में हिन्दी स्वीकृत हो गयी तब राजकीय स्तर पर शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तब हिन्दी के प्रति दुराग्रह से प्रेरित लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हिन्दी में शब्दों की कमी है। वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के लिए आवश्यक शब्दों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। परन्तु देश के जागरूक व राष्ट्र प्रेमी लोग शब्दों के बारे में पहले से ही चिंतित थे और इस विषय में स्पष्ट विचार भी रखते थे।

महात्मा गांधी का विचार था कि किसी भाषा के शब्दों को अपना लेने में शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों को न जानने के कारण दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, जैसे घर को ''हाऊस'' कहें, माता को ''मदर'' कहें पिता को ''फादर'' कहें, पति को ''हस्बैंड'' और पत्नी को ''वाईफ'' कहें।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह कहकर कि सभ्य संसार के किसी जनसमुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा में हिन्दी के प्रयोग का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया।

शब्दावली के स्वरूप के बारे में निजलिंगप्पा का विचार था कि ''हमारी राष्ट्र भाषा में पर्शियन, अरबी और अंग्रेजी के जो शब्द शुरू हो गये

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

हैं उनको हम वैसा ही रहने देंगे किन्तु भविष्य में जहां नवीन शब्दों के प्रवाह का प्रश्न है वहां यदि वे हिन्दी में सरलता से आ सकें तो उनका मार्ग हमें बंद नहीं करना चाहिए। हमें दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वाभाविक स्रोत संस्कृत का या अन्य भारतीय भाषाओं का ही रहे।''

श्री आयंगर का मानना था कि ''हम राजनीतिक पचड़ों में पड़कर कोई कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयास भले ही कर लें परन्तु प्रकृति उसे चलने नहीं देगी। वह तो उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में रहने देगी जो सत्य है, कृत्रिम नहीं, जो स्वाभाविक है, बनावटी नहीं, जो विशुद्ध भारतीय है अभारतीय नहीं, जो विदेशी भाषाओं के निकट नहीं, हमारी प्रांतीय भाषाओं के निकट है।''

जब जर्मनी के लोग जर्मन में, जापान के लोग जापानी में और चीन के लोग चीनी भाषा में सभी विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो भारत के लोग हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा में इन विषयों की शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते। इसके लिए आवश्यकता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट राष्ट्र प्रेम की। परन्तु यह बड़े हर्ष की बात है कि अनेक गतिरोधों और सरकारी तंत्र की उपेक्षा के बावजूद भी दिन प्रतिदिन हिन्दी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

आज हमारे यहां सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित होने वाले चैनलों के अधिकतर कार्यक्रमों की भाषा हिन्दी है। स्टार प्लस जैसे चैनल हिन्दी में कार्यक्रम दे रहे हैं और ये कार्यक्रम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बड़ी रुचि के साथ देखे और सराहे जा रहे हैं। हिन्दी न तो किसी की गुलाम है और न वह लंगड़ी है जो इन कार्यक्रमों की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़े। हिन्दी एक बहुत समृद्ध भाषा है, वह प्राकृतिक है, जन-जन की प्रिय है, अपने विकास के लिए स्वत: समर्थ है। अन्त में हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक व सांसद शंकरदयाल सिंह के शब्दों में :

''सोचता रहता हूँ कि जिस हिन्दी को सरहपा से लेकर गोरखनाथ ने सजाया, चन्दबरदायी से लेकर विद्यापति ने चमकाया, कबीर से लेकर मीरा ने भक्ति की धारा बहाई, जायसी से लेकर तुलसीदास ने जिसे जनता के गले का हार बनाया, रसखान से लेकर बिहारी तक ने जिसे भूषणों से सजाया, गुरू अर्जन देव से लेकर गुरू गोबिन्द सिंह जी तक ने जिसे अपना माध्यम बनाया, देव से लेकर पद्माकर तक ने जिसे अलंकारों से मढ़ दिया और भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र से लेकर जयशंकर प्रसाद तक ने इसे समृद्धि के जिस शिखर पर पहुंचाया उसका लेखा-जोखा इतिहास करेगा, हम क्या करें।''

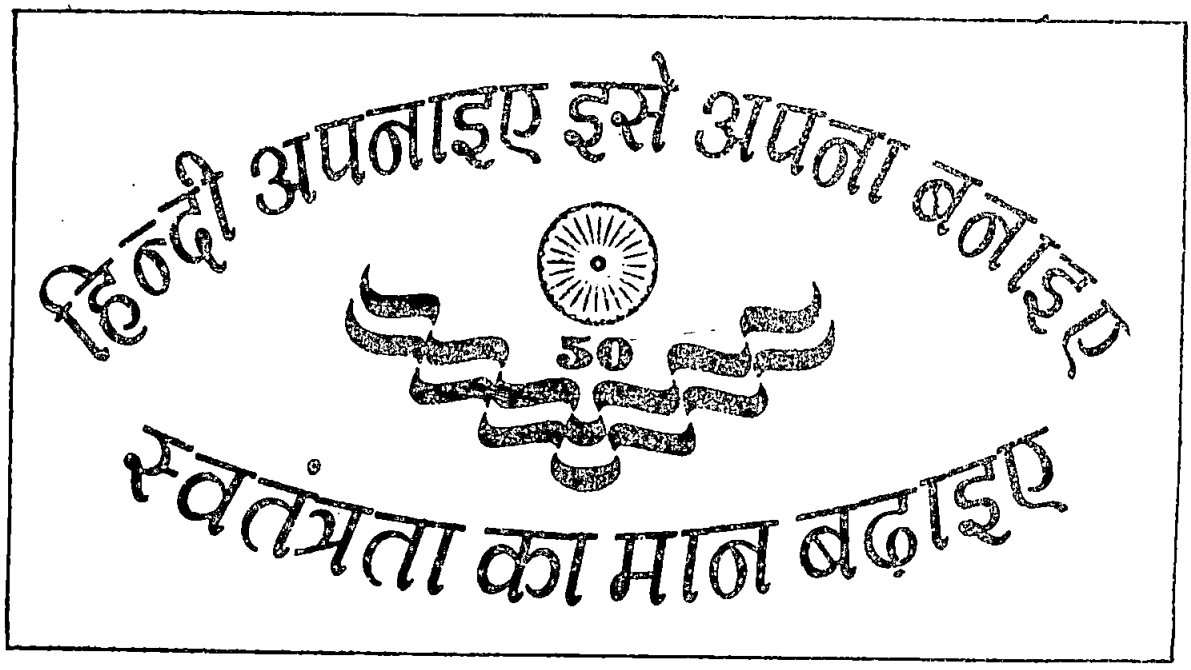

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाइयां और निदान

—देवी दत्त तिवारी

भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु इसके बावजूद भी हिन्दी सम्पर्क भाषा है। 5वीं शताब्दी गौतम बुद्ध का समय माना जाता है उस समय पाली भारत की जनभाषा (सम्पर्क भाषा) थी। उसके बाद 12वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा सम्पर्क की भाषा रही। अठारहवीं शताब्दी के आस-पास अंग्रेजों का भारत में व्यवहारिक सम्पर्क हुआ और उसके बाद उनका शासन स्थापित हुआ। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक 7 सौ वर्षों तक हिन्दी भाषा सम्पर्क की भाषा रही क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक यात्रा करने वाले लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? निश्चय ही वह भाषा हिन्दी थी। क्योंकि उस समय साधु, सन्त, तीर्थ-यात्री, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते-जाते थे, और उनकी सम्पर्क भाषा भी हिन्दी थी। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश स्वाधीन हुआ और उसके बाद हमारा संविधान तैयार किया गया जिसे 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। जब देश स्वाधीन हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं और देश के नेताओं के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि देश की कामकाज की भाषा क्या होगी? क्योंकि हमारे देश में लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा और उस समय सारा कामकाज अंग्रेजी में चल रहा था तथा देश इस स्थिति में नहीं था कि एकदम सारा काम हिन्दी में शुरू किया जाए। संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति (कठिनाई) से निपटने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया और संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था की :

(1) संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अधीन हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

(2) अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान के लागू होने की 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात् 25 जनवरी, 1965 तक संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई।

(3) अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकेगी।

तदनुसार इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया और राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन ही वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। (राजभाषा अधिनियम को 1967 में तथा राजभाषा नियम को 1987 में संशोधित किया गया)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया है। हालांकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करने की पूरी छूट है फिर भी यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए सरकारी काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

अब प्रश्न उठता है कि वे कौन से कारण हैं कि आजादी प्राप्त होने के 50 वर्षों बाद भी हम अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में कतराते हैं जिसके कारण हिन्दी पूरी तरह नहीं आ पाई है जब कि 26 जनवरी, 1965 के बाद सारा काम हिन्दी में होना था। विश्व में हर राष्ट्र की अपनी भाषा है और वहां पर अपनी भाषा में काम हो रहा है परन्तु हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दी होते हुए भी हिन्दी में काम नहीं हो पा रहा है इसके कुछ कारण हैं जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :

(1) राजभाषा अधिनियम 1963 का लागू होना :

1950 में संविधान लागू करते समय संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी, 1965 के बाद संघ सरकार की कामकाज की भाषा हिन्दी होनी थी परन्तु 1965 से पहले राजभाषा अधिनियम, 1963 को पारित कर यह व्यवस्था की गई कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हालांकि हिन्दी को राजभाषा पद पर ही बने रहने दिया गया और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। परन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों को यह छूट दी गई कि वे सरकारी कामकाज को अपनी इच्छानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में कर सकते हैं इससे हिन्दी के मार्ग में रुक़ावट आ गई क्योंकि अंग्रेजी में कार्य करने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अंग्रेजी में ही कार्य करते रहने की छूट मिल गई जिससे 1965 से जो संघ का सारा कार्य हिन्दी में होना था वह नहीं हो पाया है।

तथापि, दूसरी ओर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया और इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में पारित भाषा नीति संबंधी संकल्प : 1968 के अनुसार हिन्दी के प्रसार, विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग आदि में गति लाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक गहन तथा विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने का काम केन्द्र सरकार को सौंपा गया है। इसके अनुपालन के लिए प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग द्वारा गृहमंत्रीजी के अनुमोदन से एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें देशभर में फैले हुए केन्द्र सरकार के

सभी कार्यालयों के लिए वर्ष के दौरान हिन्दी में किए जाने वाले कार्य के क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति जानने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्रत्येक तिमाही में एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसकी संवीक्षा कर कमियों से अवगत कराया जाता है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी उन पर विचार-विमर्श किया जाता है। वर्ष के अन्त में सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की सूचना मंगाई जाती है और उसके आधार पर एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर उसे मुद्रित करके संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब तक 31 वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं और 29वीं मूल्यांकन रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी। मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए कारगार कार्रवाई अपेक्षित है।

(2) सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव :

प्राय: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम 1963 तथा नियम 1976 और इनके अनुपालन संबंधी निर्देशों की जानकारी नहीं है और थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो उनके दिमाग में इस बात की संकल्पना नहीं है कि उन्हें कौन-कौन से सरकारी कामकाज हिन्दी में करने अनिवार्य हैं। जैसे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी होने चाहिए। राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्र या हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जाना है। अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति का समुचित ज्ञान होना चाहिए। हिन्दी में कार्य करने के लिए साधन उपलब्ध हैं। आवश्यकता है केवल मानसिकता बदलने की। यह ज्ञान उन्हें हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से दिया जाता है। अब आवश्यकता है कार्यशालाओं के लिए कई नई पाठमाला तैयार करने की।

(3) अभ्यास का अभाव :

सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान का अभाव राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख अड़चन है। जब तक अधिकारी/कर्मचारी को अपने रोजमर्रा का कार्य हिंदी में करने का अभ्यास नहीं होगा उन्हें कार्य करने में व्यावहारिक कठिनाई महसूस होगी। अत: व्यावहारिक अभ्यास का होना जरूरी है। यह अभ्यास कार्यशालाओं के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

(4) अनुकूल वातावरण का अभाव :

हिंदी में कार्य करने के लिए भी कार्यालय का हिंदी में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को देखकर प्रेरणा लेकर कार्य कर सकें। जिस कार्यालय में अधिक लोग हिंदी में कार्य करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार मिलता है वहां पर अनुकूल वातावरण होने से अधिकाधिक कार्य हिंदी में किया जा सकता है।

(5) मनोवैज्ञानिक कारण :

हम अंग्रेजी ढर्रे पर टिकी कार्य प्रणाली के आदी हो चुके हैं। लंबे समय से अंग्रजी प्रशासन की भाषा रह चुकी है और हमारी सोच तथा धारणा इस प्रकार बन गई है कि अंग्रेजी में काम करना बेहतर है और इसी से तरक्की मिलती है।

आम मानसिकता अंग्रेजी परस्त होने से हिंदी में काम करने पर कर्मचारियों/अधिकारियों के दिमाग में यह झिझक/डर रहती है कि दूसरे साथी कहीं यह न समझ लें कि इसे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए यह हिन्दी में काम कर रहा है। उसके दिमाग में भी यह झिझक रहती है कि अगर हिंदी लिखने में उससे कोई गलती हो गई तो कहीं उसका मजाक न उड़ा लें क्योंकि अंग्रेजी में पुरानी फाइलें देखकर नकल करके अधिकारी/कर्मचारी अपना काम आगे बढ़ाते हैं परन्तु हिंदी में उन्हें पहले से लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता। सारा नए सिरे से बनाना पड़ता है और मार्ग दर्शन करने वाला भी कोई नहीं होता जिससे के हिंदी लिखने के प्रयास हतोत्साहित हो जाते हैं। हिंदी का प्रयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा के ज्ञान की नहीं बल्कि बनावटी डर एवं संकोच की है।

कुछ लोग सोचते हैं कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है लेकिन चीन, जापान, रूस आदि देशों ने अंग्रेजी के प्रयोग के बिना हर क्षेत्र में प्रगति की है और हमारे देश में भी हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रगति हासिल कर सकते हैं।

(6) बड़े अधिकारियों की उदासीनता :

प्राय: देखा गया है कि छोटे कर्मचारी/अधिकारी हिंदी में कार्य करने के लिए कटिबद्ध तो होते हैं परन्तु उनके अधिकारी उन्हें उतना प्रोत्साहित नहीं करते जितना करना चाहिए। बड़े अधिकारियों को भी हिंदी में कार्य करने का अभ्यास नहीं होने के कारण वे या तो अंग्रेजी में नोटिंग ड्राफ्टिंग करने को कहते हैं या हिन्दी में करने पर उसका अनुवाद साथ मांगते हैं। दो बार काम करने की मेहनत से बचने के लिए उन्हें अंग्रेजी में काम करना पड़ता है। अत: पहले हिंदी में काम करना बड़े अधिकारियों के स्तर पर शुरू होना चाहिए। उन्हें कार्यशाला में भेजकर अभ्यास कराना चाहिए।

(7) हिंदी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और हिंदी पदों पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कठिन हिंदी का प्रयोग :

सरकार की राजभाषा नीति सरल तथा आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना है। प्राय: देखा गया है कि हिंदी पदों पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी अनुवाद में या टिप्पण/प्रारूप में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग कर उसे दुरूह बना देते हैं जो गैर हिंदी पदों पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी आसानी से नहीं समझ पाते हैं और उनके दिमाग में डर हो जाता है कि हिंदी बड़ी कठिन होती है; वे हिंदी में काम नहीं कर पाएंगे। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि अन्य कर्मचारी/अधिकारी हिंदी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की तरह हिंदी लिखें। वे अपने हिंदी ज्ञान के अनुसार हिंदी लिख सकते हैं।

हिंदी लिखने में यदि आपको अंग्रेजी के किसी शब्द की हिंदी नहीं आ रही हो तो उसे वैसे ही लिख देना चाहिए जैसे अंग्रेजी draft के लिए प्रारूप तथा मसौदा हिंदी पर्याय हैं। आपको यदि इनकी हिंदी नहीं आ रही हो तो रुकिए नहीं, हिंदी (देवनागरी स्क्रिप्ट) में ड्राफ्ट लिख दें। जैसे : ड्राफ्ट अनुमोदन के लिए पेश है (मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत)। हिंदी में

अंग्रेजी के अनेक शब्द ऐसे आ गए हैं जिन्हें अलग करना कठिन है। जैसे दूध में पानी घुल मिल जाता है और उसे अलग नहीं किया जाता इसी प्रकार हिंदी में इनका प्रयोग हो रहा है, जैसे :--फाइल, पेन, पेंसिल, रेल, बस, स्टेशन, टी० वी०, रेडियो, पंच, स्टेपलर, (छिद्रक यंत्र, नत्थीकरण यंत्र) मशीन, आर्डर पार्टी, बजट आदि। आप इनका इस्तेमाल ऐसे ही कीजिए। इनकी हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि हिंदी में काम करने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है कभी-कभी अनुवाद हास्यास्पद बन जाता है। यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं :

The match was played in the flooded light.

गलत अनुवाद—मैच रोशनी की बाढ़ में खेला गया। (सही अनुवाद—मैच तेज रोशनी में खेला गया)

The matter hanging fire since long.

गलत अनुवाद—मामला आग में लटक रहा है। (सही अनुवाद—मामले में बहुत विलम्ब हो रहा है)

An early reply will be highly appreciated.

गलत अनुवाद—शीघ्र पत्रोत्तर देने पर उच्च प्रशंसा होगी। (सही अनुवाद—कृपया शीघ्र उत्तर दें)

He emigrated to America.

गलत अनुवाद—उसने अमेरिका में उत्प्रवास किया या वह अमेरिका में उत्प्रवासित हुआ। (सही अनुवाद—वह अमेरिका जाकर बस गया)

(5) एक व्यक्ति को उसकी माताजी के निधन होने पर तार विलंब से मिला। उसने तार विभाग में शिकायत की और जवाब अंग्रेजी का ड्राफ्ट बना :—

In this regard I have been directed to convey our deep regrets for delay of the telegrame which contained the tragic news of the sad demise of your mother.

गलत अनुवाद—इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हमें इस तार को विलंब से पहुंचने पर बहुत खेद है क्योंकि यह तार आपकी माताजी की दुःखद मृत्यु के बारे में था

शुद्ध अनुवाद इस प्रकार है:—इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपकी माताजी के निधन के बारे में भेजे गए तार को समय पर नहीं पहुंचाने में जो देरी हुई उसका हमें बहुत खेद है।

सरल एवं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग :

आप हिंदी में लिखें। छोटे-छोटे आवेदन पत्र, टिप्पणियां लिखकर सरल हिंदी का प्रयोग करना शुरू करें। अंग्रेजी में लिखने की एक ही fixed style होती है। और उसी के अनुसार (नकल कर) चलना पड़ता है। परंतु हिंदी में यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही style के अनुसार चलें :

अंग्रेजी में आप एक style अपनाते हैं (For reply)

I. With reference to your letter or kindly refer to your letter No. ... . dt. . . .. On the subject mentioned above I am directed to say that ....

हिंदी : (1) उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक ...... के पत्र सं. .... के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ....

(2) उपर्युक्त/उक्त/उपरिलिखित विषय के बारे में आपका दिनांक .... का पत्र सं. .... प्राप्त हुआ। इस संबंध में निवेदन है कि ....

(3) उपर्युक्त विषय से संबंधित आपका दिनांक .... का पत्र सं .... मिला। इस बारे में मुझे यह कहना है कि ....

II. I have the honour to invite your kind attention to this office letter of even No. . ... dated and to say that ....

हिंदी : (1) इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक .... की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहना है कि ....

(2) कृपया इस कार्यालय के दिनांक .... के इसी संख्या का पत्र का संदर्भ लें। इस संबंध में निवेदन है कि ......

(3) कृपया इस कार्यालय के इसी संख्या के दिनांक .... के पत्र .... को देखें। आगे निवेदन है कि ....

III. The undersigned is directed to say that :

हिंदी (1) अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ....

(2) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ....

यदि पत्र अन्य उच्च अधिकारी के नाम से प्राप्त हुआ है और उत्तर आप दे रहे हैं :

IV. With reference to your letter or kindly refere to your letter No. .... dated . ... addressed to Secy/D.S./........ ... ...M/O I. & B. I am directd to say that ....

हिंदी : (1) इस मंत्रालय/कार्यालय के सचिव/उप सचिव/अधिशासी अभियंता को संबोधित आपके दिनांक .... के पत्र सं. .... के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ....

(2) इस मंत्रालय/कार्यालय के अधिशासी अभियंता के नाम भेजा गया/लिखा गया आपका दिनांक .... का पत्र सं. .... मिला। इस संबंध में निवेदन है कि ....

(3) इस मंत्रालय/कार्यालय के .... के नाम लिखा गया कृपया आपका दिनांक .... का पत्र सं. .... देखें। इस बारे में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि ....

1558 HA/99—5A

दक्षिणी वाङ्मय : संत परम्परा

—डॉ. शीलम् वेंकटेश्वर राव

महत्व :

दक्षिणी भारत की भूमि एक ऐसी तप:पूत उर्वरा भूमि है जिसमें सर्व प्रथम भक्ति और आध्यात्मिक दर्शन के बीज अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित हुए हैं। यहां के कण-कण में भक्ति भावना एवं दार्शनिकता परिप्लावित है। सर्वत्र जड़-चेतन में भक्ति के स्वर अनुगुंजित हैं।

दक्षिणी भारत के संतों ने मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भक्ति का प्रचार किया और व्यक्ति के नैतिक आचरण पर बल देकर मानवता की ज्योति को अखण्ड रूप से उद्दीप्त रखा। कुछ संतों ने तो भक्ति की अति उदार व मानवतानिष्ठ व्याख्या करके उसको सर्व सुलभ बना दिया। दक्षिणी भारत की संत-परम्परा की यह भी एक विशेषता रही है कि इसमें अनेक नारी-संत भी समाविष्ट हैं। इस तरह दक्षिणी भारत में शताब्दियों पूर्व ही नारी संतों की भी उज्ज्वल परम्परा स्थापित हो चुकी थी।

दक्षिणी भारत में पावन तीर्थ-स्थल एवं विशालतम् देव मंदिर जितनी संख्या में पाये जाते हैं, उतनी संख्या में देश में कदाचित् ही अन्यत्र दृष्टिगोचर होते हों। तमिलनाडु में विश्वविख्यात मीनाक्षी मंदिर तथा वृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम्, केरल प्रदेश में कन्या कुमारी, गुरूवायूर मंदिर, शबरी मलाई, आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति तीर्थ स्थान, सिंहाचलम्, अन्नवरम, कनकादुर्गा मंदिर, श्रीशैलम, मंत्रालय, कर्नाटक प्रदेश में "कूड़ाल" पुण्य क्षेत्र नरसिंह-क्षेत्र, श्रीरंगपुरम्, गाणगापुर, चामुण्डेश्वरी, महाराष्ट्र प्रदेश में पण्ढरपुर, शिर्डी आदि पवित्र स्थल तथा मंदिर इस बात के प्रमाण हैं।

भक्ति भावना का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम दक्षिण में हुआ। यहीं से ही बाद में भक्ति भावना देश के कोने-कोने में व्याप्त हुई। धर्मरक्षा हेतु यहीं से भक्ति-आन्दोलन की मशाल उत्तर भारत में पहुंची। यह उक्ति प्रसिद्ध है—"भक्ति द्राविड़ उपजी लाये रामानन्द" अर्थात् उत्तर भारत में रामानन्द के द्वारा भक्ति आन्दोलन व्याप्त हुआ। दक्षिणी भक्ति-आन्दोलन ने समूचे भारत को एक सूत्र में बाँध रखा है। इस एकता को चिर स्थायी बनाने में दक्षिण भारत के संतों (भक्तों) की विशेष भूमिका चिरस्मरणीय रहेगी। संत कबीर ने भी इस बात का समर्थन किया है कि द्राविड़ प्रदेश भक्ति-तत्व के विकास का केन्द्र रहा।

यह उल्लेखनीय है कि दक्षिणी भारत की ऋषि-संत-परम्परा महत्वपूर्ण रही है। जगद्गुरू शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णुस्वामी, वल्लभाचार्य, रामानन्द आदि दक्षिण की विभूतियाँ हैं। इन संताचार्यों के अतिरिक्त दक्षिण भारत ने कितने ही तपस्वियों, योगियों, साधु-संतों, ज्ञान-वेत्ताओं, नि:स्वार्थ त्यागियों, परम भक्तों, देशी-विदेशी, राजा-महाराजाओं, परमार्थ साधकों, मानवता के पुजारियों, मनीषियों महाकवियों आदि को समय-समय पर जन्म दिया जिनकी कीर्ति विश्व विख्यात है जिन्होंने विश्व को धर्मनिष्ठा, नि:स्वार्थ सेवा एवं मानवता का अमर संदेश दिया।

दक्षिण में शैव भक्ति की प्रधानता :

अति प्राचीन काल में ही दक्षिण भारत में शैव भक्ति परिपुष्ट रही है। यहां शैव-सम्प्रदाय का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रहा है। जन साधारण में शिव-भक्ति अत्यधिक प्रचलित रही है। शैव मतावलम्बी भक्त ईश्वर को रूद्र, शिव, शंकर, नटराज, नन्दीश्वर, वृषभेश्वर, अर्केश्वर आदि विभिन्न रूपों में पूजते हैं। शिव शम्भु भगवान के पूजनीय रूपों की विविधता दक्षिण की शैव-भक्तिधारा की विशेषता है। शिव का आदि रूप "रूद्र" है। यही वैदिक देवता आगे चलकर शिव या शंकर हुए। सारे भारत में शिव की महिमा मुक्तकण्ठ से गायी जाती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र आदि प्रदेशों में भगवान शिव, दुर्गामाता एवं गणेशजी के मंदिर अत्यधिक संख्या में पाये जाते हैं। बाद में जैसे-जैसे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण होता गया, वैसे-वैसे वैष्णव भक्ति भावना प्रतिष्ठित होती गयी। समाज में विशेषकर अभिजात-वर्ग में वैष्णव भक्ति भावना लोकप्रिय होती गयी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रकवि दिनकर जी का यह अभिमत द्रष्टव्य है—"शिव की पूजा के साथ द्रविड़ों का अधिक पुराना और निकट का सम्बन्ध था, इस अनुमान का एक आधार यह भी माना जा सकता है कि जब कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से शिव और उमा की ही पूजा प्रचलित थी, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार की पूजा का बड़ा ही व्यापक प्रचार था और शिव तथा उमा के साथ वहां कार्तिकेय और गणेश की पूजा भी बड़े ही उत्साह से की जाती थी।" (संस्कृति के चार अध्याय—पृ. 94)

यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में सन्त कवियों ने साधना के क्षेत्र में "भक्ति" को ज्ञानप्रद तथा "ज्ञान" को मोक्षप्रद माना है, जबकि हिन्दी के संत कवियों ने "ज्ञान" को प्रथम और "भक्ति" को दूसरा स्थान दिया है।

"संत" शब्द का व्यापक अर्थ :

दक्षिण में "संत" अभियान भगवान के सगुण-निर्गुण भक्तों के लिए होता है, जबकि हिन्दी साहित्य में वह कबीर, दादू आदि निर्गुण परम्परा के उपासकों तक सीमित है। इस सम्बन्ध में डा. (श्रीमती) राधाकृष्ण मूर्ति का अभिमत द्रष्टव्य है—"सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों को संत कोटि में ही ले सकते हैं, क्योंकि सबका अन्तिम साध्य तो एक ही है।

संपादक 'विवरण पत्रिका', हिंदी प्रचार सभा, नामपल्ली स्टेशन मार्ग, हैदराबाद-500001 (आ.प्र.)

1556 HA/99—5B

सच कहा जाय तो दक्षिण भारत में निर्गुण संत एवं सगुण भक्त दो भिन्न धाराएं नहीं चली हैं। निर्गुण संत एवं सगुण संतों की साधना, उपासना, आचरण और उपदेश का अन्तिम परिणाम भी लोक मंगल तथा लोकोद्धार की कामना है।" महाराष्ट्र में "संत" शब्द का प्रयोग केवल "बारकरी" सन्तों के लिए रूढ़-सा हो गया है। कर्नाटक में सद्गुण सम्पन्न आदर्शमय जीवन बिताने वाले भक्तों को "संत" कहा जाता है। केरल की सन्त-परंपरा सगुणोपासक रही, मात्र शंकराचार्य अपवाद हैं।

सगुण भक्ति की प्रधानता :

विचारणीय तथ्य तो यह भी है कि दक्षिण में सगुण भक्ति की ही प्रधानता रही है, जबकि निर्गुण भक्ति नगण्य-सी रही है। इसका मुख्य कारण है कि उत्तर भारत में संत परम्परा के उद्भव की पृष्ठभूमि में सिद्धों एवं नाथों की दार्शनिक विचारधारा की विशेष भूमिका रही है, जबकि दक्षिण में सिद्धों एवं नाथों की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही। फलतः निर्गुण संत कवियों की परम्परा का विकास उत्तर भारत की तरह दक्षिणी भारत में नहीं हो सका।

इसका दूसरा कारण दोनों भूभागों में तत्कालीन दर्शित राजनीतिक स्थितियों में भिन्नता है। साम्प्रदायिक विद्वेष जिस प्रकार उत्तर भारत में व्याप्त था, वैसा दक्षिण में नहीं था। हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदायिक एकता के सूत्रों को सुदृढ़ करने हेतु वहां के संत-कवियों ने आम जनता के सम्मुख ईश्वर के निराकार एवं निर्गुण रूप को आदर्श के रूप में रखा था, परन्तु दक्षिण में साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न ही नहीं था, विदेशियों के बाह्य आक्रमणों से दक्षिण भारत एक प्रकार से अछूता ही रहा है।

भक्ति और ज्ञान :

दक्षिण के संत कवियों की यह स्पष्ट मान्यता थी—"केवल 'भक्ति' के द्वारा ईश्वर की सम्प्राप्ति हो सकती है जबकि 'ज्ञान' से 'मुक्ति।' इस संदर्भ में दिनकर जी का अभिमत द्रष्टव्य है—"उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा ध्येय मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है और मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बन्धनों से छुटकारा। मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उसे फिर से जन्म लेना न पड़े, क्योंकि जन्म लेने से ही जीव को अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं।" (संस्कृति के चार अध्याय—पृ. 128) यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण के सन्त कवियों ने "मुक्ति" की अपेक्षा "भक्ति" को अधिक महत्व दिया है, जबकि जगद्गुरू शंकराचार्य ने "मुक्ति" के लिए "ज्ञान" की आवश्यकता मानी थी और इस प्रकार "मुक्ति" को ही महत्व दिया था।

उपर्युक्त भक्ति विषयक सामान्य पृष्ठभूमि की चर्चा के बाद दक्षिणी वाङ्मय पर विचार करना समीचीन होगा। दक्षिणी वाङ्मय इतना व्यापक है कि इस एक लेख में उन सब संत कवियों का समावेश सम्भव नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र पाँच प्रदेश हैं। इस लिए इन प्रदेशों के मात्र एक-एक प्रतिनिधि सन्त कवि के वाङ्मय पर विचार किया जा रहा है।

तमिलनाडु वाङ्मय : सन्त परम्परा :

तमिल भाषा की प्राचीन कृतियों से पता चलता है कि दक्षिण में शैव और वैष्णव दोनों भक्ति धाराएँ प्राचीन काल से ही प्रचलित रहीं। तमिल का शैव भक्ति-साहित्य ईस्वी पूर्व युग (संघ काल) से ही जनप्रिय हो चुका था। शैव भक्ति साहित्य की पुष्टि मानों तमिलनाडु के भव्य शैव मन्दिरों की विशालता एवं विपुलता में निहित है।

पाँचवीं शताब्दी के लगभग दक्षिण में भक्ति प्रधान वैष्णव-मत जब विकसित हो रहा था, तमिलनाडु में तब आलवारों ने वैष्णव मत के विकास में विशेष योग दिया। "आलवार" भक्त कवि थे। कुलशेखर आलवार को छोड़ शेष सारे संत तमिलनाडु के थे। भागवत धर्म पर वे गीतों की रचना करते थे और उन्हें गाते थे। "आलवार" भक्तों की संख्या बारह थी। यद्यपि उनका कोई सम्प्रदाय नहीं था, तो भी वे भगवान की भक्ति में मग्न होकर उनकी महिमा का गान करते तथा लोक-कल्याण की भावना का प्रचार करते थे। "आलवार" सन्तों के भक्ति रसपूर्ण गीतों का संग्रह "दिव्य प्रबन्धम्" कहलाता है। इनकी कृतियों में उपनिषद्, वेदान्त, गीता और भागवत का सार उपलब्ध है। संघोत्तर काल में अवैदिक या नास्तिक मतों के विरुद्ध जो भक्ति-आन्दोलन दक्षिण भारत में चला, उसमें शैव "नायन्मार" और वैष्णव "आलवार" सन्तों का समान योगदान रहा। "प्रबन्धम्" के सारे गीत आज भी लोग बड़े चाव तथा भक्ति से गाते हैं। तिरूक्कुरल के समान इसे भी 'तमिल वेदम्' कहा जाता है। बारहों आलवार भक्त समकालीन नहीं थे, अपितु उनके आविर्भाव का काल लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर दसवीं शती तक माना जाता है।

पाँचवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक इनके गीतों का एक बड़ा साहित्य एकत्रित हो गया। इनकी कविताओं में कहीं भगवान के विरह में व्याकुल भक्त हृदय की वेदना है तो कहीं गम्भीर दार्शनिक विचार हैं, कहीं सूफी कवियों के प्रेम गीतों से मिलते-जुलते गीत भी पाये जाते हैं। वे अपना सर्वस्व भगवान पर अर्पण करके घूमते-फिरते रहते थे। उनकी यह प्रबल धारणा थी कि भगवान की सेवा करना और भगवद् भक्तों की सेवा करने के समान है। भगवान विष्णु को अनन्त, अखण्ड तथा अविनाशी मानते थे। राम और कृष्ण को वे विष्णु का अवतार मानकर दोनों को समान भाव से आदर करते थे और उनके प्रति वे सच्चे प्रेम से व्यवहार करते थे।

चण्डाल, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय आदि जाति की भेद भावना का त्याग करके आम जनता "आलवार" की भक्त बनती थी और उनको अपना गुरू मानकर अपने आराध्य देव विष्णु की पूजा करती थी। "आलवार" भक्तों ने दास्य, वात्सल्य तथा माधुर्य प्रधान भक्ति पर अनेक पद लिखे हैं जिनका गायन करने में आज भी भक्तगण अपने जीवन को सफल मानते हैं।

तमिलनाडु में ग्यारहवीं शताब्दी में एक ऐसे आचार्य का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने आध्यात्मिक दर्शन में नयी क्रान्ति उपस्थित की थी। वे थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने जगदगुरु शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन करके उत्तर भारत में विष्णुभक्ति का पुनरुत्थान किया।

मध्ययुग में शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त की प्रतिक्रिया के रूप में चार सम्प्रदाय आविर्भूत हुए जिनका प्रभाव हिन्दी के भक्तिकाल के सगुण साहित्य पर विशेष रूप से पड़ा है। ये चार सम्प्रदाय हैं—

1. रामानुजाचार्य का "श्री सम्प्रदाय"

2. मध्वाचार्य का "द्वैत सम्प्रदाय"

3. विष्णु स्वामी का "रुद्र सम्प्रदाय"

4. निम्बार्काचार्य का "सनकादि सम्प्रदाय"

रामानुजाचार्य :

रामानुजाचार्य ने तमिलनाडु से इक्कीस मील दूर परमबदूर नामक स्थान में जन्म लिया। इनका जीवन काल सन् 1037 ई और 1137 ई के बीच माना जाता है। इन्होंने अनुभव किया कि धर्म की बड़ी शोचनीय अवस्था है। अतएव इन्होंने नये सिरे से वैष्णव धर्म को सुधारने का बीड़ा उठाया। शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन करने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की।

शंकराचार्य ने ज्ञान का आश्रय लेकर बौद्ध के शून्यवाद का खण्डन किया था। अत: शंकर का मत अधिक लोकप्रिय न हो सका। रामानुजाचार्य का नया धर्म साधारण जनता के लिए नहीं था। इसलिए अपनी उपासना-पद्धति में इन्होंने भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। रामानुज पदार्थ-त्रय में विश्वास करते थे। पदार्थ-त्रय-परब्रह्म (विष्णु) चित (जीव) और अचित् (जड़ या हृदय) है। ये तीनों अविनाशी हैं, परन्तु केवल ब्रह्म स्वतंत्र हैं। शेष दो परब्रह्म में निहित और उसी पर निर्भर हैं।

तमिलनाडु में वैष्णव भक्ति के विकास से बहुत पहले ईसा से पूर्व पहली शताब्दी में एक ऐसे आदि सन्त महाकवि का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने मानव-जाति को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने एक नये मानव-धर्म की स्थापना की थी। वे सन्त महाकवि थे—तिरुवल्लुवर। हम उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

तमिलनाडु के आदि संत कवि तिरुवल्लुवर :

तमिल के प्राचीन कवियों में आदि संत महाकवि तिरुवल्लुवर का नाम बड़े आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाता है और उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ "तिरुक्कुरल" को "तमिलवेद" की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत साहित्य में जो स्थान वेद और श्रीमद्भगवत को प्राप्त है, वही स्थान तमिल साहित्य में तिरुक्कुरल के लिए सुरक्षित है। वैसे तिरुवल्लुवर का समय तमिल विद्वानों ने ईसा से पहली शताब्दी के आस-पास निर्धारित किया है, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तिरुवल्लुवर द्वारा विरचित "तिरुक्कुरल" ग्रन्थ विश्व विख्यात है जिसका अनुवाद संसार की प्राय: सभी प्रमुख भाषाओं में सम्पन्न हो चुका है। यह ग्रन्थ मूलरूप में आज भी उपलब्ध है और इसमें परिवर्धन तथा परिवर्तन नहीं के बराबर हुआ है। इस ग्रंथ को "तमिल का वेद" इसलिए कहा जाता है क्यों कि इसमें वेदों का सार निहित है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में तमिल विद्वानों की यह मान्यता है—"राई में छेद कर तिरुवल्लुवर ने इसमें सप्त सागरों को भर दिया है।" वेदों की तरह "कुरल" भी हमें उत्तम जीवन जीने का आदेश देते हैं। इसका संदेश सार्वदेशिक एवं सार्वभौम है। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि सभी धर्मावलम्बियों ने इस ग्रंथ को अपना ग्रंथ कहा है, क्यों कि यह किसी विशिष्ट धर्म के संग दायरे से एक दम मुक्त है। सभी धर्मों के मूल तत्व इसमें अपनाये गये हैं।

"तिरुक्कुरल" ग्रन्थ वास्तव में एक आदर्श जीवन-काव्य है। इसमें लौकिक जीवन का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है, और मानव जाति को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। जीवन के चार पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से इसमें केवल तीन ही लिये गए हैं, क्योंकि तिरुवल्लुवर की यह मान्यता थी कि धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी कुरलों के आदेशों के पालन से मोक्ष की साधना स्वत: पूर्ण हो सकती है। तिरुवल्लुवर और अन्य भारतीय संतों के बीच सब से बड़ा अन्तर यह है कि जब अन्य संत-कवियों ने परलोक सुधारने पर सब से अधिक बल दिया है, जब कि इस संत महाकवि ने इहलोक को अधिकाधिक सुगठित, सुनियोजित, सुसंस्कृत और सार्थक बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। यही कारण है कि ईश्वर की महिमा पर बहुत कम लिखा गया है—केवल दस छन्द लिखे गए हैं, शेष ग्रन्थ में आदर्श जीवन का सन्देश मानव को दिया गया है।

तिरुवल्लुवर ने स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश दिया है—विनम्रता, अहंकार हीन जीवन, समस्त प्राणियों को ईश्वरमय जानकर सबके प्रति अपने समान व्यवहार एवं आचरण, सब के प्रति प्रेम, सौहार्द, सब के दु:ख को अपना दु:ख, सबके सुख को अपना सुख मानकर सबकी सहायता के लिए दौड़ पड़ना ही ईश्वर-प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। जिसमें ये गुण नहीं हैं, वह लाख तपस्या करे, लाख पूजन और जप करें, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्यों कि यह सब आडंबर अधिक है, सत्य कम।

"तिरुक्कुरल" ग्रंथ की रचना बड़े व्यवस्थित ढंग से की गयी है। यह ग्रंथ तीन भागों में विभक्त है—1. धर्म 2. अर्थ और 3. काम। धर्मकाण्ड में (38) अध्याय हैं, अर्थकाण्ड में (70) और कामकाण्ड में (25) अध्याय रखे गये हैं। इसके प्रत्येक अध्याय में दस कुरल हैं और इस प्रकार (133) अध्यायों को मिलाकर (1330) कुरल संकलित हैं। तिरुक्कुरल का अर्थ है—"दिव्य दोहा"। कुरल एक तरह का छन्द है, जो दोहा-सा दो पंक्तियों का होता है। गम्भीर अर्थ और उच्चभाव के लिए "कुरल" की प्रसिद्धि है।

कुरलों का अध्ययन करने से पता चलता है कि "संत कवि तिरुवल्लुवर राजतंत्र, समाज-व्यवस्था और मानव जीवन के अद्वितीय ज्ञाता थे। वे एक कुशल नीतिज्ञ, प्रखर पण्डित एवं राजा तथा प्रजा के कुशल मार्गदर्शक थे। कबीर और तुलसी की तरह तिरुवल्लुवर गृहस्थ जीवन से दूर नहीं रहे, बल्कि अन्त तक आदर्श पूर्ण गृहस्थ जीवन जीते हुए उन्होंने समाज को सही रूप में देखा, परखा और आदर्श समाज-व्यवस्था के लिए आवश्यक गुणों को सूक्ति रूप में अपने शब्दों में ढाल दिया। अत: इस ग्रंथ को मानव-जीवन के समग्र रूप का एक दर्पण कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस ग्रंथ में धर्म, नीति व्यवहार, प्रेम, श्रृंगार, मानवीय गुण, राजनीति, समाज-नीति, अर्थ नीति, संस्कृति आदि सभी विषयों तथा गुणों की व्यवस्था की गई है। ऐसे महाकवि पर कोई भी भाषा-साहित्य, जाति-समाज और देश गर्व कर सकता है।

सन्त कवि तिरुवल्लुवर के पाँच कुरलों का हिन्दी भावार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. धर्म आचरण जो करें वन्दनीय वे सन्त।
   पाप नाश से ज्ञान से मिलती मुक्ति अनन्त॥

2. गृहिणी की रक्षा नहीं प्राचीरों का काम।
   सती मनोबल ही करे रक्षा आठों याम॥

3. कर्मों का ही फल मिलें लाभ-हानि धन-धाम।
न्याय-नीति छोड़े नहीं, यह सज्जन का काम॥

4. धर्म ग्रन्थ मन्थन हुआ निकला यह नवनीत।
जीवनमात्र का जगत में करुणा सच्ची मीत॥

5. शासन जिसकी स्वयं पर, आत्म-बोध का ज्ञान।
ऐसे मानव का सदा होता है सम्मान॥

केरल-वाङ्मय : संत-परम्परा :

दक्षिण-भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आध्यात्मिकता के दीप जलाकर सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाले महान् दार्शनिक जगद्गुरू शंकराचार्य को जन्म देकर केरल प्रदेश वन्दनीय हो गया है। ईसवी संवत् के प्रारम्भिक शताब्दियों में केरल में जैन एवं बौद्ध धर्मों का आधिपत्य था। प्राचीन काल में केरल के लोग कई देवी-देवताओं की पूजा करते थे। पूजा और उपासना में द्राविड़ पद्धतियों का अनुसरण हो रहा था जो विशेष धार्मिक दर्शन पर आधारित न था। धीरे-धीरे सगुण भक्ति की पीयूष धारा जन-मानस को परिप्लावित करने लगी। महान वैष्णव सन्त कुलशेखर आलवार तथा शैव सन्त चेरमान पेरुमाल आदि सन्तों ने ईश्वर के समक्ष भावनात्मक आत्म समर्पण की भक्ति का विकास किया। अनेक संतों का आविर्भाव होने लगा जिन्होंने जनता में धार्मिक उत्साह की लहर पैदा कर दी जिससे केरल में हिन्दू धर्म का पुनरूत्थान हुआ। यहां शैव और वैष्णव संतों में विभाजन रेखा खींचना असम्भव है। अधिकतर संतों के आराध्यदेव राम और कृष्ण ही थे, पर साथ ही साथ शिव, रवि, गणेश, भगवती दुर्गा आदि की आराधना केरल में होती है। आधुनिक युग में संत नारायण गुरू का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मानव-मात्र के लिए" का संदेश सुनाकर विपुल जन-समुदाय का उद्धार किया। जनश्रुति के अनुसार केरल प्रदेश को जन्म देने का श्रेय परशुराम को है।

केरल प्रदेश का मध्यकालीन साहित्य भक्ति की पुनीत धारा से ओतप्रोत रहा है। इस भक्ति साहित्य में रामकाव्यों का विशिष्ट स्थान है। मलयालम में रामकाव्यों की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। बात यह है कि यह प्रान्त प्राचीनकाल से संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र रहा और यहां संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि यहां वाल्मीकि "रामायण" तथा "अध्यात्म रामायण" का पठन-पाठन होता रहा और इन दोनों ग्रंथों ने भावी रामायणकारों को मार्ग-दर्शन किया। यहां तक कि मलयालम के अति प्राचीन लोक गीतों तक में रामकथा को अत्यधिक प्रश्रय प्राप्त हुआ था। आज भी केरल के प्रत्येक घर में सन्ध्याकालीन भजन-कीर्तन में रामनाम संकीर्तन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इन कीर्तनों में प्राचीन रामकथा सुरक्षित है। धर्मप्राण केरलीय जनता के लिए श्रीरामचन्द्र जो सर्वाधिक आदर्शपूर्ण देवता है और उनके अवदानों का वर्णन निरंतर होता आ रहा है। लोक गीतों में प्रचलित यही रामकथा आगे के रामकाव्यों की उत्स भूमि है।

संत महाकवि तुंचत् एपुत्तच्छन :

सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में केरल के मलबार में एक ऐसे संतमहाकवि का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने अध्यात्म रामायण की युगान्तरकारी कृति केरल को दी है। उस संत का नाम है भक्तोत्तम महाकवि तुंचत् एपुत्तच्छन। उत्तर भारत में जैसे तुलसी के "रामचरित मानस" का पठन-पाठन होता है वैसे केरल के घर-घर में इस "रामायण" का पारायण सुचारू रूप से होता आ रहा है।

एपुत्तच्छन का जब जन्म हुआ था, तब केरल की सामाजिक व्यवस्था अस्तव्यस्त एवं शिथिल थी। देशी राजा पारस्परिक विद्रोह एवं कलह में अपना समय बिता रहे थे। विदेशी शक्तियाँ भी अपना आतंक फैला रही थीं। साहित्य के क्षेत्र में तमिल भाषा का आतंक था। अतः एपुत्तच्छन को बड़ा भारी दायित्व उठाना पड़ा। एक ओर समाज को सुव्यवस्थित करने तथा जनता को मार्गदर्शन करने का दायित्व था तो दूसरी ओर मलयालम को तमिल के आतंक से मुक्त कर उसके सहज रूप में प्रतिष्ठित करना था। इस कारण तुंचत् का ध्यान शुरू में मलयालम भाषा का रूप स्थिर करने की ओर गया। इसीलिए तुंचत् को "मलयालम भाषा के जनक" कहा जाता है। उन्होंने अपनी मातृभाषा को तमिल की अस्पष्टता एवं संस्कृत की दुरूहता से विमुक्त किया। उनकी भाषा मणि-प्रवाल शैली (संस्कृत एवं मलयालम मिश्रित) प्रांजल उदाहरण है। उनकी भाषा शताब्दियों बाद आज भी आदर्श मानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि तुंचत् मलयालम भाषा की वह मध्यम कड़ी है, जिसके आधार पर मलयालम के प्राचीन एवं नवीन रूप का दर्शन किया जा सकता है। वे उच्चकोटि के भक्त, कवि एवं दार्शनिक थे। "अध्यात्मरामायणम्", "महाभारतम्", "भगवद् गीता", "हरिनाम संकीर्तनम्" तथा "इरूपतिनालुवृत्तम्" उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, किन्तु उनकी ख्याति का आधार सतम्भ "अध्यात्म रामायणम्" ही है। डॉ. एन. पी. कुट्टनपिल्लै का अभिमत है— "महाकवि एपुत्तच्छन की अध्यात्मरामायणम्" के सामने दूसरे सारे रामकाव्य निष्प्रभ हो गये, जैसे कि तुलसी के मानस के रहते हुए रामायण ग्रंथ हिन्दी में स्थान नहीं पा सके। "— केरल : साहित्य और संस्कृति — पृ. 23."

अध्यात्म रामायणम् :

महाकवि तुंचत् की "अध्यात्म रामायणम्" एक स्वतंत्र रचना नहीं है, वह संस्कृत की "अध्यात्म रामायण" का छायानुवाद मात्र है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि तुंचत् में मौलिकता का अभाव है। उन्होंने अपनी रामायण के लिए कथावस्तु एवं घटनाओं का ढाँचा संस्कृत ग्रंथ से ग्रहण कर, उसमें नवीन उद्भावनाओं और कल्पनाओं को प्रश्रय देकर अपनी रामायण लिखी है, जिसके कारण "अध्यात्मरामायणम्" एक स्वतंत्र रचना-सी लगती है। कवि ने केरल की अतिप्रिय किलिप्पाट्टु शैली में यह रचना की है। अर्थात् भक्त कवि ने उमा-महेश्वर संवादरूप में प्राप्त रामकथा को शारिका के मुँह से कहलवाया है। बालकाण्ड से लेकर युद्ध काण्ड तक इसके छः काण्ड हैं और राम के राज्याभिषेक के साथ इसकी कथा समाप्त होती है।

एपुत्तच्छन ज्ञानी एवं भक्त कवि थे। कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने कैवल्यावस्था की प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना था। बात तो ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी रामायण में स्थान-स्थान पर भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है और यह बताया है कि भक्ति से जगन्मुक्ति प्राप्त होती है। किन्तु गहराई से अवलोकन करने पर स्पष्ट विदित होता है कि एपुत्तच्छन शंकर-परम्परा के कवि थे। शंकराचार्य ने मुक्ति के लिए ज्ञान

की आवश्यकता मानी थी। एपुत्तच्छन ने कई स्थलों पर यह स्पष्ट बताया है कि मोक्ष ज्ञानाश्रित है। सच्चे गुरू के प्रसाद से अज्ञान दूर होता है और भगवद्-ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब भगवद् कृपा से, कर्म बन्धन से मुक्ति और चिन्मय चरणों में लयता सम्भव होती है। आगे वे बताते हैं कि भगवद्-कथा तथा नाम-श्रवण से धीरे-धीरे भक्ति मन में उत्पन्न होती है, इस भक्ति के बढ़ने से भगवद् बोध मन में बढ़ता है। भक्ति के बढ़ने से तत्वज्ञान का उदय और उससे मुक्ति प्राप्त होती है।

एपुत्तच्छन भक्ति को ज्ञानप्रद तथा ज्ञान को मोक्षप्रद मानते हैं। यही नहीं, भगवान श्रीराम शबरी को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि तीर्थ-स्थान, तप, वेदाध्ययन, यागादि कर्मों से भगवत् प्राप्ति नहीं होती। केवल भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सहायक है। वे स्पष्ट करते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति मुक्ति साधन है क्योंकि इससे तत्व ज्ञानानुभूति होती है। इससे स्पष्ट है कि एपुत्तच्छन् की भक्ति भी ज्ञानमय है और ज्ञान से वे मुक्ति की सिद्धि स्वीकार करते हैं।

एपुत्तच्छन की रामायण व्यक्तिगत साधना के साथ लोकधर्म का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत करती है। दोनों का समन्वय इस कृति की श्रेष्ठता का कारण है। एपुत्तच्छन् जनवादी कवि हैं और उनका दृष्टिकोण लोकधर्म पर केन्द्रित है। उनकी समन्वय भावना कर्म, ज्ञान तथा उपासना, व्यक्ति धर्म तथा लोक-धर्म, जप-तप-ध्यान सब में झलकती है। उनके राम लोक संग्रह की भावना से भूमि पर अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके शिष्ठजनों का उद्धार करते हैं।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भक्तोत्तम महाकवि एपुत्तच्छन् ने ही मलायालम भाषा में रामभक्ति की पीयूष धारा बहायी है। उनकी कृति "अध्यात रामायणम्" भावपक्ष एवं शिल्पपक्ष दोनों दृष्टियों से मलयालम राम-काव्य-परम्परा में अपना विशेष स्थान रखती है।

कर्नाटक वाङ्मय : सन्त-परम्परा :

साहित्य की दृष्टि से कन्नड़ एक अत्यन्त समृद्ध भाषा है। "पंचद्राविड" भाषाओं में इसका अपना एक विशिष्ठ स्थान है। कर्नाटक में प्रथमतम और अत्यन्त व्यापक रूप में प्रधान धर्म शैववाद था। इसमें कई सम्प्रदाय थे जैसे पशुपत, कालमुख और कापालिक। कश्मीर और तमिल के शैववाद भी कर्नाटक में प्रविष्ट हुए और शैव सम्प्रदायों को एक बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। कुछ कालमुख शिक्षक और धार्मिक मठों के प्रमुख महान् विद्वान थे और कर्नाटक में वे बहुत जनप्रिय थे।

दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण शैव-सम्प्रदाय कर्नाटक के वीर शैवों का है जो "लिंगायत" कहलाता है। कर्नाटक में इस मत का प्रचार-प्रसार अल्लम प्रभु, संत बसवेश्वर, चन्न बसव, अक्कमहादेवी आदि संतों ने किया जो भक्ति-पंथ में "कायक" (शारीरिक परिश्रम) को महत्व देकर अपनी-अपनी जाति व पेशे के अनुसार जीवन बिताते हुए अपने भक्ति रस-भीनी "वचन" से लोकोद्धार के कार्य करने में भी सफल हुए। इन संतों की एक अविरल परम्परा आज तक चलती आ रही है। यह विश्व व्यापी वीरशैव मत आन्ध्र में भी लोकप्रिय हुआ। इसमें द्वैत, अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत तीनों का सामंजस्य पाया जाता है। वीर शैव सन्त "शिव शरण" कहलाते हैं। इन्होंने अपने अनुभव की बातों को सरल लोकभाषा कन्नड़ में व्यक्त करके कर्नाटक के स्थान को आध्यात्मिक व साहित्यिक जगत में ऊँचा उठा दिया।

क्रान्तिद्रष्टा सर्वज्ञ :

कन्नड़ साहित्य को सम्पन्न बनाने में जिन महापुरुषों ने अपना अप्रतिम योगदान किया है, उनमें क्रान्तिद्रष्टा कवि "सर्वज्ञ" का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ कर्नाटक के कबीर के रूप में प्रख्यात हैं, जिनकी लेखनी ने जाति-पाँति का भेद मिटाकर, ऊँच-नीच के भाव का निर्मूलन कर हृदय में स्थित परमात्मा की आराधना का मार्ग प्रशस्त किया। "सर्वज्ञ" महान् जनकवि थे। जनता के बीच में उठकर उन्होंने जन-समाज की अभूतपूर्व सेवा की। सामान्य जनता का उद्धार ही उनका जीवन-धर्म था।

कर्नाटक के महान् जनकवि के रूप में विख्यात "सर्वज्ञ" का सोलहवीं शताब्दी में कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़ जिले में मासूर नामक एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध गांव में अवतरण हुआ। इनके पिता का नाम बसवरस था। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के वर-प्रसाद के रूप में एक माली नामक कुम्हार तरूणी से "सर्वज्ञ" का जन्म हुआ था।

"सर्वज्ञ" बड़ा सार्थक नाम है। इस नाम से यह पता चलता है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी साधना से महान् और "सर्वज्ञ" बन सकता है। उन्होंने कहा भी है कि सर्वज्ञ नाम किसी अहंकार या झूठे अभिमान के कारण नहीं रखा गया है, बल्कि सबसे एक-एक बात सीखकर ही मैं विद्या का पर्वत बन गया हूँ। "सर्वज्ञ" क्रान्तिद्रष्टा युग-चेतना के प्रतीक बन गए। उन्होंने जाति-पाँति का झूठा भेद मिटाकर निर्मल श्रद्धा से परमात्मा की अनन्य आराधना का मंत्र जन-समाज को दिया। उनका स्पष्ट मत था कि ज्ञानी को छुआ छूत नहीं होती, आकाश को खम्भे और दीवारें नहीं होतीं और योगी की कोई जाति नहीं होती। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसके चरणों मे दुनिया की हर शक्ति झुकती है। क्रोध पाप की जड़ है और प्रेम परमात्मा का साक्षात् रूप है।

सर्वज्ञ एवं कबीर में साम्य :

सर्वज्ञ और कबीर के विचारों में गज़ब का साम्य है। ऐसा लगता है कि 'सर्वज्ञ' कबीर की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। दोनों ही घुमक्कड़ संत थे। दोनों के कालसमय में एक शताब्दी का अन्तर था, कबीर पहले हुए थे। कबीर ने अपने पदों में दान की महिमा पर प्रकाश डाला है, उसी प्रकार सर्वज्ञ का भी विचार था कि जो दानी है, वही धनवान है और जो धन को छिपाकर रखता है, वह चोर है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह तो जीवन का पाथेय है। मूर्तिपूजा का सर्वज्ञ ने भी डटकर विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि शिला पर शिलाओं का ढेर लगाकर पूजा करने वाले आखिर में शिला ही बनते हैं। परमात्मा तो दूध में समाये घी की तरह और जन में व्याप्त अग्नि की तरह मानव के अंतरंग में व्याप्त है। वह निराकार है, कबीर के शब्दों में "ज्यों पुहुपन में बास" है। कबीर की तरह सर्वज्ञ भी वेदों को उतना महत्व नहीं देते, बल्कि स्वयं अर्जित अनुभव और सत्संग से प्राप्त ज्ञान ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। वे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ही देवालय है, जीव ही शिवलिंग है, बाहरी आडम्बरों का त्याग कर जो परमात्मा का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है।

संत कवि का काव्य :

कर्नाटक में सर्वज्ञ के "वचन" अथवा पद्य "त्रिपदी" के नाम से जाने जाते हैं। "त्रिपदी तीन चरणों" का पद्य है और शुद्ध कन्नड़ का ही

छन्द है। प्रत्येक ''त्रिपदी'' के अन्त में कवि का-नाम ''सर्वज्ञ'' विद्यमान है। सर्वज्ञ ने अपनी कविता के तीन चरणों में ही जीवन का सार तत्व भर दिया है। गागर में सागर भरने की कला में 'सर्वज्ञ' अद्वितीय हैं।

सर्वज्ञ ने जीवन पर्यन्त संसार की माया से स्वयं को मुक्त रखा और हमेशा भ्रमण करते रहे। इसीलिए उनके पास अनुभवों का समृद्ध संसार था। निरन्तर घमूते रहने से उनका चिन्तन भी विशाल होता गया। उन्होने जो कुछ ग़लत और आडम्बरपूर्ण देखा, उसकी डँके की चोट पर निन्दा की। बिना किसी भय के वे नि:स्पृह और क्रान्तिकारी कवि के रूप में जीवन की सत्य-साधना में लगे रहे और वैराग्य से जनता का मन जीतकर समाज को अपनी ज्वलन्त वाणी और चेतना से प्रबोधित करते रहे। गुरू के प्रति उनके मन में भी असीम सम्मान था। नारी को वे पवित्र मानते थे और सदाचार तथा पातिव्रत्य को उसका मूल गुण स्वीकार करते थे। उनके लिए ज्ञान सर्वोपरि था। अत: ज्ञान के निर्मल रूप के वे आराधक थे। विद्या को ही वे माता-पिता कहते थे और बुद्धि को सहोदर। इसीलिए मानव-शरीर के तमाम व्यंजनों की उन्होंने कटुआलोचना की। मानवता की अखण्ड सेवा में उन्हें सर्वाधिक आनन्द आता था।

'सर्वज्ञ' के ऐसे नमूने के रूप में कुछ त्रिपदियों का हिन्दी पद्यानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है जो समाज को, व्यक्ति को और राष्ट्र को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और ज्ञान-साधना की पवित्र धारा में निमज्जित करते हैं—

1. सदा और सर्वत्र ही शोभा पाता सत्य ।
   विजय सदा ही सत्य की मिश्रित भले असत्य ॥
2. दन्त पंक्ति के मध्य में रसना करे निवास ।
   दुष्ट जनों के बीच में त्यों सज्जन का वास ॥
3. पिता न शिक्षा दे अगर गुरू न दे यदि ज्ञान ।
   रोगी सुत देखे न माँ तीनों शत्रु समान ॥
4. मोह धरा का जो तजे, धन से मन हट जाय ।
   मोह कामिनी छोड़कर शिव त्रिनेत्र बन जाय ।
5. सर्वोत्तम है ज्ञान धन, सदा रहे वह पास ।
   छीन सके कोई नहीं पूर्ण करे अभिलाप ।।
6. मंगलमय हो यह जगत भू मांगल्य निधान ।
   चाह यही है विश्व नित गायें मंगल गान ।।
7. हुआ धर्मक्षय तो सदय प्रभु होते अवतीर्ण ।
   रक्षित होते सन्त जन धर्म न होता शीर्ण ॥

आन्ध्र वाङ्मय : संत परम्परा :

तिरूमला-तिरूपति क्षेत्र से श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। फिर भी पेन्ना नदी के उत्तर में इस सम्प्रदाय का विधिवत् प्रचार ई. 13वीं शती के पश्चात् ही हुआ। अनेक रेड्डी, वेलमा राजा अपनी प्रजाओं के साथ वैष्णव मत में दीक्षित हुए। वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। वैष्णवालयों में ''प्रबन्धम्'' का विधिवत् पाठ चलता था। ''प्रबन्धम्'' की भाषा तमिल होने के कारण तेलुगु भाषियों को उनके भावबोध में कठिनाई होती थी। इस समस्या के समाधान के रूप में कई तेलुगु भाषी वैष्णवों ने ''प्रबन्धम्'' के अनुकरण पर तेलुगु में गीत प्रस्तुत किये हैं। इस अनुष्ठान् को आरम्भ करनेवाले श्रीकृष्णमाचारी थे जिन्होंने ''सिंहगिरी की वचनमुलु'' नाम की रचना की है। इन वचन गीतों में सिंहाचल क्षेत्र के श्रीवराहनृसिंह प्रशस्ति है। दूसरे उल्लेखनीय आचार्य अन्नमाचारी हैं जिन्होंने 32,000 कीर्तनों की रचना की है। 'प्रबन्धमो'' के साथ अन्नमाचारी कृत आन्ध्र गीतों का विनियोग भी मंदिरों में हुआ है। ''प्रबन्धम्'' यदि ''द्रविड़ वेद'' है तो अन्नमाचारी के गीत ''आन्ध्रवेद'' कहलाते हैं। इन गीतों का ''वैष्णवमत'' के आन्ध्र देशीय प्रचार में महत्वपूर्ण स्थान है।

15वीं शती में आन्ध्र में एक ऐसे वैष्णवभक्त का आविर्भाव हुआ जिसकी वाणी ने तेलुगु वाङ्मय में अमृत की ऐसी झड़ी लगाई कि समस्त आन्ध्र जनता सुध-बुध भूल गई। उस महाकवि का नाम भक्तपोतना था। भक्त कवि पोतना की सादगी और पवित्रता ने उनकी वाणी को एक ऐसा रूप प्रदान किया है, जो अन्यत्र दुलर्भ है। भक्त पोतना और उनके ''भागवत'' ग्रन्थ को हम विश्व के उच्चकोटि के साहित्कारों और उनकी रचनाओं के साथ रख सकते हैं।

सन्त कवि वेमना :

आन्ध्र प्रदेश के कबीर के रूप में प्रख्यात वेमना मध्य युगीन सन्त-परम्परा के उज्ज्वल नक्षत्र थे। मनुष्य की समानता की घोषणा करते हुए वेमना ने जाति-पांति और ऊँच-नीच की कृत्रिम व्यवस्था का खण्डन किया था। वे परब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का अनुभव कर चुके थे और जीवन की नाना विषमताओं की कटुता को समझकर अन्त में योगमार्ग की ओर उन्मुख हुए थे। हिन्दुओं में भी ''शैव'' तथा ''वैष्णव'' की आपसी कट्टरता तथा दुश्मनी का विरोध कर वेमना ने धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम पर पनपनेवाले पाखण्ड, आडम्बर, भ्रष्टाचार तथा कुतर्क और झूठे वाग्विलास का जमकर विरोध किया था। अज्ञान तथा नैतिक पतन से उन्हें इतनी चिढ़ थी कि वे आजीवन मनुष्य की इन कुप्रवृत्तियों से संघर्ष करते रहे।

महत्व :

हिन्दी संसार में जो स्थान तथा सम्मान महात्मा कबीरदास को प्राप्त है, तेलुगु-साहित्य में वही स्थान तथा सम्मान सन्त वेमना को प्राप्त है। यों तो इनके उपदेशों में सूर, तुलसी तथा रीम का भाव-परिमल भी सन्निहित है; लेकिन कबीर के विचारों तथा उपदेशों से इनका सर्वाधिक साम्य एवं सादृश्य है। वेमना कबीर की विचारा धारा से अत्यधिक प्रभावित लगते हैं। कबीर की तरह वेमना ने भी अपना एक अलग पन्थ चलाया था, जिसमें ''सप्राज्ञलु'' अर्थात् सात आदेशों या नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। दोनों ही घुमक्कड़ सन्त थे।

वेमना के जन्म-स्थान तथा समय के विषय में विद्वानों के बीच बड़ा मतभेद है, लेकिन सामान्यत: इनका समय अट्ठारहवीं सदी का पूर्व भाग माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि आन्ध्र प्रदेश के कड़पा जिले के ''पामूर'' गाँव के समीप स्थित एक पहाड़ी गुफा में इन्होंने जीवित-समाधि ग्रहण कर ली थी। कहा जाता है कि पारिवारिक जीवन की कटुता ने वेमना को पारमार्थिक साधना की ओर मोड़ा। फलत: वे योग तथा वैराग्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उनकी जीवन-सरिता प्रतिकूल दिशाओं में वहकर तथा चट्टानों से टकराकर योगियों के विरक्त वनों में प्रवाहित हुई है।

कबीर और वेमना दोनों का ज्ञान स्वानुभव से सराबोर है, दोनों का पाण्डित्य अनुभव-प्रसूत है और दोनों के उपदेशों पर लौकिक जीवन तथा अनुभवों की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। वेमना स्वभाव से निर्भीक थे। कविता का अमोघ अस्त्र तो उनके पास था ही जिसके द्वारा उन्होंने बिना किसी मुरौवत के संसार को धोखा देने वाले आत्मवंचकों तथा पाखण्डियों और कर्मकाण्डियों पर जबर्दस्त प्रहार किया।

वेमना का दार्शनिक पक्ष :

"प्रेम" के ढ़ाई अक्षरों में यदि कबीर ने दुनिया भर के पाण्डित्य का निचोड़ पाया तो वेमना ने "शिव" के दो अक्षरों में मुक्ति का सरलतम मार्ग दिखाया। साधना-मार्ग के भयंकर अवरोधक तत्व "कनक" और "कामिनी" के प्रति दोनों में निन्दा के भाव कूट-कूटकर भरे पड़े हैं। तत्वज्ञान से रहित वेद एवं शास्त्रों का पाठ दोनों के लिए निरर्थक है। वेमना की साधना का मार्ग विशुद्ध ज्ञानमय ही रहा और वे "शिव" के रूप में ही उस अज्ञेय तथा परोक्ष सत्ता का संकेत पाते हैं। वेमना के दार्शनिक विचारों पर शुद्ध अद्वैत की गहरी छाप है और उनका ब्रह्म निरूपण ठीक उपनिषदों की पद्धति पर है।

संत कवि :

वेमना का काव्य मानव-जीवन का पवित्र दर्पण है, जिसमें मानवता की विविध प्रवृत्तियों का सुन्दर प्रतिबिम्ब अंकित है वेमना का मुक्तक काव्य है। जीवन की सम्पूर्णता का इतना बड़ा आराधक तेलुगु साहित्य में विरल ही है। आज भी आन्ध्र के जन-जन की जिह्वा पर सूक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी भाषा में तेलुगु की अनौपचारिक मिठास है तथा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि साधर्म्य मूलक अलंकारों से विभूषित है। कबीर, दादू, रैदास जैसे सन्त कवियों की तरह वेमना भी दलित जाति के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। कर्मकाण्ड के विरोधी वेमना ने अपने चिन्तन में अर्थहीन कर्म की जटिलताओं का बड़ा व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है। इस तरह लौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आन्ध्र के जन-जीवन में चेतना और उत्साह की भावना जाग्रत कर तेलुगु साहित्य वाटिका को वेमना ने सुकोमल पद्य-प्रसूनों से सुशोभित कर दिया है। वेमना के कुछ पद्य-प्रसून प्रस्तुत हैं —

1. टूटा लोहा जोड़िये तथा अग्नि संभार ।
   मन टूटा कटू वचन से जुड़ा न बारम्बार ॥
2. वर्षों सींचे दूध से, नीम न मीठा होय ।
   कितना ही सम्मान दे, खल सज्जन नहीं होय ॥
3. जितना जितना दान दें, धन बढ़ता ही जाए ।
   नीर उलीचो हाथ दोउ, जल गड्ढे में आय ॥
4. जने सूकरा अधिक शिशु, हथिनी जनती एक ।
   एक श्रेष्ठ जन ही अलम्, दुर्जन व्यर्थ अनेक ॥
5. वेद शास्त्र में खोजते पड़े अन्ध ज्यों कूप ।
   उर दर्पण बिंबित वही ईश भावना रूप ॥

मराठा वाङ्मय : संत परम्परा :

जो प्रदेश आज "महाराष्ट्र" के नाम से जाना जाता है, वह अत्यन्त प्राचीनकाल से एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। महाराष्ट्र का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है।

महाराष्ट्र में भी वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के बाद कुछ ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय प्रादुर्भूत हुए जो बड़ी मात्रा में जनता को प्रभावित करने में समर्थ हुए। उनमें से प्रमुख हैं-- "महानुभाव सम्प्रदाय", "वारकरी सम्प्रदाय", "दत्त सम्प्रदाय" और "समर्थ सम्प्रदाय"। इन विविध सम्प्रदायों के संतों और भक्तों ने उत्कृष्ट कृतियों द्वारा अपने-अपने विचारों एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। "वारकरी" संतों के "अभंग" तो अतीव लोकप्रिय हैं और सभी वर्गों की जनता को प्रभावित करते हैं। समर्थ रामदास जैसे संतों की वाणी ने राजनीतिक क्षेत्र को भी अत्यधिक प्रभावित किया है जिनसे प्रेरणा पाकर ही वीर शिवाजी ने महाराष्ट्र को स्व-राज्य का मूल मंत्र सिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति एक महान हिन्दू शक्ति के रूप में उभर कर सामने आयी है।

तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र में सन्त ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था। उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति की भागीरथी प्रवाहित की। महाराष्ट्र में संत-परम्परा इससे पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी। महाराष्ट्र सन्त-परम्परा इस प्रकार रही है:

1.	संत चक्रधर स्वामी	:	12वीं शताब्दी
2.	संत ज्ञानेश्वर	:	13वीं शताब्दी
3.	संत नामदेव	:	13वीं शताब्दी
4.	संत एक नाथ	:	16वीं शताब्दी
5.	संत तुकाराम	:	17वीं शताब्दी
6.	संत रामदास	:	17वीं शताब्दी

मराठी संतों में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास से "मराठी संत पंचायतन" बनता है।

संत एकनाथ :

महाराष्ट्र की संत परम्परा में दक्षिण काशी पैठण निवासी संत एकनाथ (ई. 1533 से ई. 1599) विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने वाराणसी में रहकर श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध की सुविख्यात टीका लिखी। श्रीएकनाथ ने ज्ञानेश्वरी का भी सम्पादन किया। महाराष्ट्र में भागवतधर्म को मनोहारी और सर्वांग सुन्दर स्वरूप एकनाथ ने ही दिया।

एकनाथ को माता-पिता का सुख नहीं मिल सका। एकनाथ के जन्म के थोड़े ही समय के बाद पिता सूर्यनारायण ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और इसके पश्चात् नाथ की माता भी परलोक सिधारी। नाथ का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था जिसने अपना विध्वंसकारी प्रताप दिखाया। भानुदास के वंश का इकलौता अंकुर होने के कारण नाथ के दादा ने उनका नाम एकनाथ रखा। वे प्रेम से नाथ को बचपन में "एका"-- "एक्या" कहकर बुलाते थे। अब इस अनाथ शिशु के लालन-पालन का भार उनके दादा-दादी के कन्धों पर पड़ा। इस जर्जर अवस्था में भी उन्होंने नाथ के लालन-पालन, क्रीड़ा-कौतुक में तिलभर भी कमी नहीं आने दी।

यह उल्लेखनीय है कि "संत एकनाथ जन्म-- चतु: शताब्दी समारोह" 4 अगस्त 1998 (श्रावण शु. 11 शके 1920) को दक्षिण काशी पैठण में

राज्य के उप-मुख्यमंत्री श्रीगोपीनाथ राव मुण्डे के हाथों "संत एकनाथ समाधि मंदिर परिसर" में सोत्साह सम्पन्न हुआ। इससे संत एकनाथ का महत्व सिद्ध होता है।

संत-मण्डल में एकनाथ का स्थान :

संत मण्डल में एकनाथ हिमाचल सदृश उच्च और भव्य दिखाई देते हैं। वे भूतदया की सजीव मूर्ति और शान्ति के महासागर थे। उन्होंने हमारे सामने गृहस्थाश्रम का आदर्श प्रस्तुत किया, वे महाराष्ट्र सरस्वती के कंठमणि थे, उनमें प्रपंच और परमार्थ का संगठन पाया जाता था। महाराष्ट्र भर में उनके नाम की दुदुंभी बज रही थी। सारे भारत खण्ड में उनकी निर्मल कीर्ति फैली हुई है। मानव ही नही, वरन् देव भी उनके चरित्र पर मोहित हो जाते थे। संत-मण्डल में एकनाथ का कार्य महान् और अलौकिक है। महाराष्ट्र में भागवत धर्म की नींव संत ज्ञानेश्वर महाराज ने रखी और तुकाराम ने उस पर कलश चढ़ाया। भागवत धर्म रूपी मंदिर की नींव और कलश के बीच का स्वरूप तथा कला-कौशल का अधिकांश भाग सन्त शिरोमणि एकनाथ के हाथों निर्मित हैं।

अपूर्व व्यक्तित्व :

संत एकनाथ का बहुआयामी व्यक्तित्व था। उनके विलक्षण व्यक्तित्व के मुख्य पहलू थे — जन्मजात भक्त, श्रद्धावान् शिष्य, आदर्श गृहस्थ, दार्शनिक कवि, लोकप्रिय उपदेशक, सन्त शिरोमणि, संयोग के देवदूत एवं मानवता के पुजारी। उन्होंने विश्वव्यापी प्रेम का सन्देश दिया।

संत एकनाथ ईश्वर भक्त से पहले पीड़ित प्राणियों के परमसेवक थे। कहा जाता है कि अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए हर वर्ष गर्मियों में हज़ारों श्रद्धालु कांबड़िये पैदल यात्रा कर हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगाजल भरकर अपने-अपने नगर के शिवालय में यह जल, शिव की प्रतिमा पर चढाते हैं, ताकि उनके कंठ के हलाहल की जलन गंगा जल द्वारा शमित की जा सके।

एक बार इसी तरह हरिद्वार से गंगाजल लाता कांबड़ियों का एक दल जब रेगिस्तान पारकर महाराष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा था तो मार्ग में एक कांबड़िये ने देखा कि बेहद गर्मी से बेहाल एक गधा प्यास से बुरी तरह तड़प रहा है। गधा धरती पर गिरा पड़ा था। उस अकेले कांबड़िये से गधे की यह छटपटाहट देखी न गई। वह कुछ देर तक शिव के विष और इस विषम परिस्थिति में पड़े गधे की प्यास से दोनों की तुलना करता रहा। अन्त में उसकी भावना ने ज़ोर मारा और उसने वह सारा गंगाजल उस गधे को पिला दिया। गधे को नया जीवन मिला। बाकी कांबड़िये इस कृशकाय कांबड़िये पर बहुत बिगड़े। आगे चलकर यही कांवड़िया अपनी रचनाओं द्वारा अमर हो गया। इस संत का नाम एकनाथ था। इस दृष्टान्त से यह बात सिद्ध हो जाती है कि सन्त एकनाथ संवेदनशील थे।

दार्शनिक कवि :

जन्म-जात भक्त की हैसियत से एकनाथ जन्मजात कवि थे। वे महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपनी रचना वर्णों ओर बहुजन समाज दोनों के लिए की, वर्णों की अपेक्षा बहुजन समाज के लिए अधिक रचना की। उनकी रचना सर्वव्यापी भगवान की महत्ता एवं कीर्ति पर केन्द्रित होकर मनुष्य को, आध्यात्मिक मूल्य को पहचान कर, पावन जीवन बिताने का दिव्य सन्देश प्रदान करता है।

डॉ. रानड़े का कहना है ——"मुख्य रूप से एकनाथ ने वेदान्त के गहन विचारों से आम जनता को अवगत कराया। . . . एकनाथ की कथन शैली इतनी सरल, स्पष्ट और लोकप्रिय है कि उनके समय के पूर्व और पश्चात् भी कोई संत दार्शनिक विचारों को इतनी लोकप्रियता से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त न कर सका।"

"भागवत" एकनाथ का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एकनाथ की उच्चतम प्रज्ञा का बोध होता है। उनकी दार्शनिक विद्वत्ता, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रगाढ़ अनुभव, उनकी काव्य प्रतिभा और साहित्यक कला उच्चपद को पहुँच गई थी। उनकी रचना में गहन विचारों, प्रचुर भावों और मनमोहक शैली का समन्वय है। लगभग समस्त विचारों की अभिव्यक्ति उपयुक्त शब्दों में हुई है। उनकी भाषा में अद्‌भुत लचक पाई जाती है। सन्त एकनाथ के कुछ पद द्रष्टव्य हैं:

1. कोई थल ऐसा नहीं जहाँ न हों भगवान ।
   अणु-अणु में वह व्याप्त है, फिर भी शेष महान् ॥

2. बाह्य शत्रु भी दुखद हैं पर वे रहते दूर ।
   मन में ही षटशत्रु जो, वे दु:खप्रद भर पूर ॥

3. दया क्षमा दासी बनी जिसकी, वह है संत ।
   नित्य शान्ति में लीन जो वह ज्ञानी गुणवन्त ॥

4. प्रभुचिन्तन चिंता मिटे सफल बने सब काम ।
   तारे जन सन्तोषप्रद चिन्तन है सुखधाम ॥

5. वन्दन हरि-हर करें यदि कथनी करनी एक ।
   मात्र बधारे ज्ञान जो, शिक्षित मूर्ख अनेक ॥

सारांश में, एक दिव्यानुभूति से परिचालित दक्षिण के इन महान् संतों ने अपने तप:पूत जीवन एवं मानव साक्षेप उच्च विचारों तथा आदर्शों से परिपूरित व्यापक वाङ्मय द्वारा दक्षिण मात्र को नहीं, सम्पूर्ण भारतीय जन-जीवन को अनुप्राणित किया कि वे आज भारतीय संत-परम्परा में प्रकीर्तित एवं आराधित मनीषी हैं।

1556 HA/99—6A

हिन्दी काव्य-शास्त्र की नई दिशाएं

—डा० रामदास 'नादार'

हिन्दी काव्य-शास्त्र मूलतः संस्कृत काव्य-शास्त्र की पुष्कल सामग्री और समृद्ध परम्परा को उपजीव्य बनाकर विकसित हुआ है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में काव्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष की संश्लिष्ट चेतना का निभ्रान्ति दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, किन्तु हिन्दी काव्य-शास्त्र का प्रारम्भिक विकास जिन परिस्थितियों में हुआ उनमें किसी सूक्ष्म जटिल चिन्तन के लिए इतना अवकाश न था। काव्य में बहिरंग के परखने और आस्वादन करने में प्रमाता वर्ग समर्थ हो सके, इतना ही उनका अभीष्ट था। अतः हिन्दी काव्य-शास्त्र की उपलब्धियों और सीमाओं का आकलन संस्कृत काव्य-शास्त्र की पूर्व पीठिका पर ही विशेष समीचीन हो सकता है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक युगीन हिन्दी काव्य-शास्त्र अंग्रेजी से भी प्रभावित है।

वर्तमान युग हिन्दी काव्य-शास्त्र के विकास की दृष्टि से उस अर्थ में इतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जिस अर्थ में रीति युग की व्यवस्थित एवं सुनिश्चित उपलब्धियां हैं अर्थात् काव्यांगों का सुसम्बद्ध, सुस्थिर विवेचन, जिसमें आलोचनात्मक प्रतिमानों एवं काव्य-सिद्धान्तों का स्वतन्त्र विकास दृष्टिगत होता हो, इस युग में दृष्टिगत नहीं होता। काव्य-शास्त्र शब्द के मूल में एक अनुशासनात्मक, दार्शनिक चेतना निहित है, जो आधुनिक काव्य-शास्त्र में अपनी अनुपस्थिति में ही अधिक महत्वपूर्ण है। डा० नगेन्द्र काव्य-शास्त्र की परिभाषा इन शब्दों में देते हैं "काव्य-शास्त्र वस्तुतः काव्य सम्बन्धी तथ्यों अथवा नियमों का आकलन नहीं है वह काव्य का दर्शन है, अर्थात् काव्य के माध्यम से व्यक्त मानव-सत्य का अनुसंधान एवं उपलब्धि है। आशय यह है कि काव्य-शास्त्र का लक्ष्य उपलब्ध सृजनात्मक साहित्य को व्याख्यायित एवं विश्लेपित कर उसमें निहित जीवन-दर्शन एवं साहित्यिक प्रतिमानों का पुनः आख्यान प्रस्तुत करना है, किन्तु वर्तमान काव्य का मूल्यांकन करते समय आज भी परम्परावादी आलोचक केवल संस्कृत काव्य-शास्त्र में पारिभाषित मानदण्डों की ही पुनरावृति करते हैं। यहां तक कि लक्षण के साथ उदाहरण भी या तो संस्कृत के अनुवाद हैं या उन्हीं के समानान्तर विकसित किये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लक्षण और लक्ष्य के मध्य जीवन्त सम्पर्क सूत्र अनुपस्थित रह गया तथा काव्य-शास्त्र एक रूढ़ यान्त्रिक प्रक्रिया में परिणत हो गया। वस्तुतः हिन्दी के आधुनिक साहित्य की अपनी कुछ निजी विशेषता एवं उपलब्धियां हैं, जो स्वतन्त्र एवं व्यापक काव्य-शास्त्र की अनिवार्यता की मांग करती हैं। 'कामायनी', 'द्वापर', 'राम की शक्ति पूजा', 'कुरुक्षेत्र', 'अंधायुग', 'संशय की एक रात' जैसी कृतियों का विश्लेषण संस्कृत काव्य-शास्त्र के रूढ़ प्रतिमानों के आधार पर नहीं किया जा सकता।" गद्य में भी इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र है। शुक्ल जी के या सियारामशरण के निबन्धों को, अथवा महादेवी के रेखा-चित्रों को आप बलात् 'ऐसे' की किस परिभाषा में बोध सकेंगे।

स्पष्टतः हिन्दी काव्य-शास्त्र का विकास लक्ष्य साहित्य की सापेक्षता में ही हो सकता है और यह भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के सामंजस्यपूर्ण पुनः व्याख्यान द्वारा संभव है। आधुनिक हिन्दी काव्य-शास्त्र के विकास का विशलेषण करते समय यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है कि उसकी मौलिकता अर्जुनदास कोडिया, जगन्नाथप्रसाद भानु और सेठ कन्हैयालाल के निबन्धों की अपेक्षा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नन्ददुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, डा० नामवरसिंह आदि आलोचकों की आलोचनात्मक कृतियों के सन्दर्भ में ही विशेष उल्लेख्य है। आचार्य शुक्ल ने काव्य में लोक-मंगल-विधायक नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना के साथ उसके रागात्मक पक्ष की समष्टि पर पर्याप्त बल दिया। साधारणीकरण का पुनः आख्यान, रसात्मक-बोध के प्रत्यक्ष रूप विधान का महत्व तथा सिद्धावस्था में कर्म संघर्ष की दीप्ति, मुक्तक काव्य की अपेक्षा प्रबन्ध-काव्य में जीवनगत सौन्दर्य एवं वैविघ्य के विस्तार की आकांक्षा आदि में उनके मौलिक चिन्तन का सहज उन्मेष दृष्टिगत होता है। प्रकृति रस की स्थापना द्वारा उन्होंने आधुनिक काव्य की एक मौलिक विशिष्टता रेखांकित की है। डा० नन्ददुलारे वाजपेयी ने काव्य के मूल्यांकन में सौष्ठववादी मूल्यों को स्थान दिया है। उन्होंने सौन्दर्य शास्त्र और अभिव्यंजनावाद से प्रेरणा ग्रहण कर सौन्दर्यवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। शांतिप्रिय द्विवेदी की अन्तर्मुखी प्रभाव ग्राहिणी क्षमता, भावना एवं सौन्दर्य शास्त्र के तारल्य से युक्त होकर छायावादी भावना के विशलेषण में विशेष समर्थ हुई है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डा० नगेन्द्र की प्रतिभा शास्त्रीय है। डा० द्विवेदी काव्य की सिसृक्षा के पुष्ट आधार का विश्लेषण करने की दृष्टि से तथा डा० नगेन्द्र काव्य में रसावादी मूल्यों की स्थापना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। डा० नगेन्द्र काव्य को मूलतः आत्मभिव्यक्ति मानते हैं, अव्यक्तिवादी चेतना नहीं, साधारणीकरण के विश्लेपण में उनकी महत्वपूर्ण देन यह है कि प्रमाता की अनुभूति का तादात्मीकरण कवि की अनुभूति से होता है। डा० रामविलास शर्मा, डा० शिवनदानसिंह चौहान, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त तथा डा० नामवरसिंह रसशास्त्र की विषयनिष्ठ प्रगतिवादी व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। डा० रामविलास शर्मा रस-सिद्धान्त एवं साधारणीकरण के परम्परित सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि, "साहित्य विकासमान है, वह एक महान सामाजिक क्रिया है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्राचीन आचार्यों ने भविष्य देखकर जो सिद्धान्त बनाये हैं, वे आज नये साहित्य पर पूरी तरह लागू नहीं किये जा सकते। जीवन की धारायें एक दूसरे से इतनी मिलीजुली हैं कि नौ रसों की मेड़ बोधकर उन्हें अपने मन के मुताबिक नहीं बहाया जा सकता।"

20/30, मोती नगर, नई दिल्ली-15

1556 HA/99—6B

डा० नामवर सिंह का आधुनिक काव्य शास्त्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योग है। नये मूल्यों की खोज और प्रतिष्ठा को लेकर चलने वाले संघर्ष के वे साक्षी हैं। काव्य मूल्यों का विकास उनकी दृष्टि में आत्म संघर्ष है। उनका कथन है कि, ''काव्य मूल्यों को इसलिए 'कमायां हुआ सत्य' कहा जाता है कि हर एक को मूल्यों के लिए खुद कीमत चुकानी पड़ती है। मूल्य हस्तांतरित नहीं किये जा सकते। अधिक से अधिक उनका पुन: प्रत्यय हो सकता है। कविता के नये प्रतिमान डा० नामवर सिंह की काव्यशास्त्रीय प्रक्रिया का दस्तावेज है। इसमें आधुनिक कविता के मूल्यांकन की समस्या तथा प्रतिमानों के प्रश्न को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं, उदाहरण के लिए रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता पर विचार करते हुए उनका कथन है कि, ''... आस्वाद पक्ष है, जो आनन्दमूलक तत्ववाद से सम्बद्ध होने के कारण एक निश्चित युग का ... से परिबद्ध है। अत: काव्य के रस की प्रसंगानुकूलता-अर्थ मीमांसा की पद्धति से ही संभव हो सकती है और यह अर्थ-निर्णय कौरी अनुभूति का विषय नहीं, अपितु सांस्कृतिक चेतना एवं युग की ऐतिहासिक आवश्यकता के संदर्भ में ही किया जा सकता है। उक्त काव्य शास्त्रीयों के अतिरिक्त विश्लेषक काव्य शास्त्रकारों की परम्परा है, जो मौलिक तत्ववाद की अपेक्षा तथ्यों के सुस्पष्ट विश्लेषण को दृष्टि में रखकर चली है। डा० रामविलास शर्मा का 'आस्था और सौन्दर्य', गुलाबराय का 'सिद्धान्त और अध्ययन' तथा 'काव्य के रूप', डा० गोविन्द त्रिगुणायत के 'शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त', डा० दशरथ ओझा का 'समीक्षा-शास्त्र' तथा डा० रामदत्त भारद्वाज का 'काव्य-शास्त्र' इत्यादि ग्रन्थ इसी कोटि के हैं। आधुनिक हिन्दी कवियों ने काव्य सर्जना के साथ काव्य तत्व मीमांसा की अन्त: प्रवेशिनी दृष्टि का परिचय दिया है। पंत की 'पल्लव की भूमिका' में नवीन सौन्दर्य दृष्टि का उन्मेष दृष्टिगत होता है, जिसमें काव्य कला के आभ्यान्तरिक तथा बाह्य रूप का अत्यन्त निष्ठापूर्वक विवेचन किया गया है। काव्य भाषा के स्वरूप, पर्याय शब्दों के चमत्कार, लिंग-निर्णय, अलंकार, खड़ी बोली इत्यादि पर उन्होंने अत्यन्त विवेक सम्मत पर्यालोचन किया है। उनका मत है कि ब्रज भाषा जीवन के उदात्त पक्ष एवं जीवन के सुकुमार पक्ष के वहन के अनुकूल है। काव्य भाषा की विशेषता के संदर्भ में उनका कथन है— कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है। अन्यत्र उनका कथन है कि भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द प्राय: संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। अलंकार को कवि पंत अभिव्यक्ति का अभिन्न अंग मानते हैं। इस प्रकार पंत की 'पल्लव की भूमिका' के फलस्वरूप काव्य के कला पक्ष के प्रति हिन्दी में एक नये दृष्टिकोण का विकास हुआ है। काव्य कला के विवेचन में प्रसाद की 'काव्य कला तथा अन्य निबन्ध' पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके संदर्भ में उनका विचार है कि, ''रस में फलयोग अर्थात अन्तिम संधि मुख्य है। इन बीच के व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं, रस को खोजकर उसे छिन्न-भिन्न कर देना है। यह सब मुख्य रस वस्तु के सहायक मात्र हैं, अन्वय और व्यतिरेक से, दोनों प्रकार से वस्तु निर्देश किया जाता है।''

स्रष्टा कवियों में महादेवी एवं दिनकर ने भी काव्य-सिद्धान्तों का सजग साहित्यकार के धरातल से मौलिक प्रस्तुतीकरण किया है। दिनकर साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं। उन्होंने साहित्य की परिभाषा इन शब्दों में की है, ''कलाकार की मानसिक अवस्था विशेष में जीवन अपने जिस अर्थ में प्रगट होता है, उसी के भावमय चित्रण को हम साहित्य कहते हैं।''

काव्य की सोद्देश्यता के उपासक होते हुए भी वे आनन्दवाद की प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, सच तो यह है कि ऊंची कला कोशिश करने पर भी अपने की नीति और उद्देश्य के संसर्ग से बचा नहीं सकती, क्योंकि नीति और लक्ष्य जीवन के प्रहरी हैं और कला जीवन का अनुकरण किये बिना जी नहीं सकती। अन्यत्र उनका कथन है कि, ''कविता का उद्देश्य आनन्द जीवन के उपयोगी तत्वों का संयोग उन तत्वों का संयोग उन तत्वों से स्थापित करना है, जो हमें आनन्द देते हैं। अपनी प्रसिद्ध कृति 'शुद्ध कविता की खोज' में वे सोद्देश्यता की अपेक्षा सर्जनात्मक के विशिष्ट आनन्द को महत्व देने लगे हैं।

वहां आत्म-विस्मृति मिलती है कहां अन्य कर्मों से ?

और मिले, तो वह मनुष्य भी श्रमिक नहीं, स्रष्टा है।''

छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी ने 'यामा' और 'दीपशिखा' की भूमिकाओं में काव्य सिद्धान्तों का स्वच्छ उद्‌घाटन किया है। काव्य को छायावाद, रहस्यवाद, गीतीकाव्य, यथार्थ-आदर्श, सामायिक समस्या की उन्होंने स्वानुभूत व्याख्या की है। श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय का कथन है कि महादेवी ने साहित्य की जीवनव्यापी विविधता और उसमें प्रतिफलित होने वाले प्राय: सभी विषयों को लेकर इतने विस्तार और इतनी गहनता से किया है कि पाठक के मन में उनकी मान्यता और समन्वय वादी दृष्टि एवं उनके सामंजस्यपूर्ण जीवन दर्शन के प्रति किसी प्रकार की उलझन शेष नहीं रह जाती। काव्य कला के विषय में महादेवी का कथन है कि ''कला सत्य के ज्ञान को सिकता के वालु में नहीं खोजती, अनुभूति की सरिता के तट से विशेषबिन्दु के रूप में ग्रहण करती है। छायावाद के विषय में इनकी प्रसिद्धोक्तियां छायावाद की मूल चेतना को सर्ववाद के रूप में व्याख्यायित करती हैं। छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अरे मूर्त और अमूर्त विश्व को मिला कर पूर्णता पाता है। यथार्थ और आदर्श की समन्वयात्मक स्थिति का बोध कराते हुए महादेवी जी अपना निष्कर्ष इन शब्दों में व्यक्त करती हैं, ''जीवन का वह यथार्थ जिसके पास आदर्श का स्पन्दन नहीं केवल शव है और वह आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं प्रेत मात्र है। महादेवी जी का विवेचना साहित्य वस्तुत: काव्यशास्त्रीय चिन्तन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी विवेचना'' शास्त्रज्ञ आचार्य की कठोर बौद्धक रेखाओं में घिरी न होकर जीवन को स्पन्दित करने वाली भावना प्रपात की तरह स्वच्छ और सतत् प्रसरणशील है। डा० नगेन्द्र के शब्दों में, ''शुक्ल जी की शास्त्रीय गवेषणा से सर्वथा भिन्न यह शैली प्रसाद और पन्त की बौद्धिक विवेचना की अपेक्षा टगौर की लचीली काव्य चिन्तना के अधिक समीप है।''

आधुनिक काव्यशास्त्र का विकास इन्ही काव्य चिन्तकों के आलोक-वृत के अन्दर हुआ है। नई कविता के विचार के साथ आलोचकों की एक टोली सामने आती है जो कवि-कर्म को प्राचीन रूढ़ शास्त्रीय मर्यादाओं से निष्कासित कर अन्वेषण और प्रयोगों की श्रृंखला में विश्लेषित करती है। नये काव्य के समीक्षकों में लक्ष्मीकान्त वर्मा, डा. जगदीश गुप्त, अज्ञेय आदि प्रमुख हैं। अज्ञेय काव्य में नये संदर्भों के ग्रहण करने के प्रति विशेष आग्रहशील हैं। उनका कथन है कि, ''काव्य एक व्यक्तित्व की नहीं, एक माध्यम की अभिव्यक्ति है। उनके काव्य चिन्तन पर 'टी०एस० इलियट'

का निर्विवाद प्रभाव है। काव्य रचना मूलत: अपने को अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है। अपने ही भावों की निर्व्यक्तिकरण की चेष्टा है। बिना इसके काव्य निरा आत्म निवेदन है । और सब होकर भी इतना व्यक्तिगत है कि काव्य की अभिधा के योग्य नहीं! सार्वजनीनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। प्रयोगवादी कवियों में शमशेर, भारती, गिरजाकुमार माथुर ने काव्य के आधारभूत सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है। माथुर की नई कविता, सीमा और संभावनाएं नयी कविता के विकास पथ और आधुनिक समस्याओं के विश्लेषण के साथ काव्य प्रवृत्ति के विविध आयामों का मार्मिक उद्‌घाटन करती है। नाद-सिद्धान्त के विषय में उनके कुछ मौलिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं,—कोई भी प्रखर अर्थ या आशय बिना उतने ही प्रखार तथा अच्युत शब्द नाद द्वारा ब्यंजित नहीं हो सकता और कोई भी रचना मात्र अर्थ की श्रेष्ठता से कविता की संज्ञा नहीं पाती। वह उपयुक्त शब्द-नाद की लय से ही कविता की परिधि में आ सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी काव्य शास्त्र की परम्परा पर्याप्त प्राचीन और सुविकसित है। जहां संस्कृत काव्य शास्त्र से पूरा लाभ उठाया गया है वहां, समय-समय पर हिन्दी के शास्त्र चिन्तकों ने अपनी मौलिक उद्‌भावनाओं के द्वारा भी हिन्दी काव्य शास्त्र को समृद्ध किया है। वे अंग्रेजी काव्य शास्त्र से भी प्रभाव ग्रहण करते रहे हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में हिन्दी काव्य शास्त्र का एक ऐसा रूप उभरेगा जो संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भापाओं के काव्य शास्त्रों से प्रभाव ग्रहण कर अपना एक स्वतंत्र, विशिष्ट एवं समन्वित रूप रखेगा। डा० शान्ति गोपाल पुरोहित ने इस सम्बन्ध में अपनी आशा इन शब्दों में व्यक्त की है— 'हमें आशा है कि भविष्य का हमारा काव्य शास्त्र न तो विशुद्ध रूप से संस्कृत काव्य-शास्त्र का प्रतिरूप होगा और न पूर्णरूपेण अंग्रेजी सिद्धान्तों के अनुरूप ही। संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य काव्य शास्त्रीय पद्धतियों के समन्वय से उत्पन्न और विकसित एक भारतीय काव्य शास्त्र होगा। निश्चय ही हिन्दी काव्य शास्त्र के नए आयामों के द्वार हमारे सम्मुख खुला रहे हैं और हिन्दी काव्य शास्त्रीय एवं विचारक हिन्दी काव्य-शास्त्र विपय के स्वतन्त्र चिन्तन में संलग्न है।

हिन्दी एक संगठित करने वाली शक्ति है।
हिन्दी का प्रचार कार्य एक यज्ञ है।

काका साहिब गाडगिल

सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र

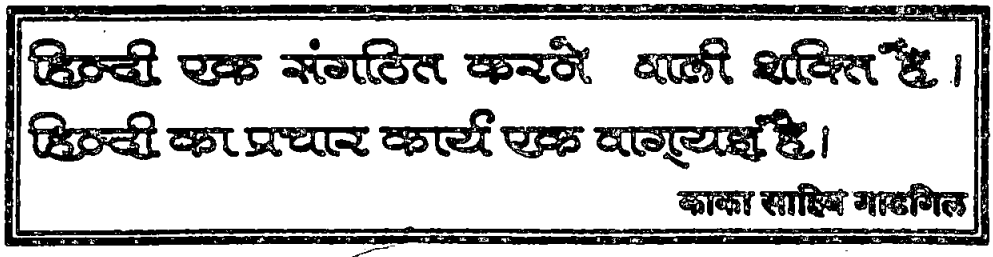

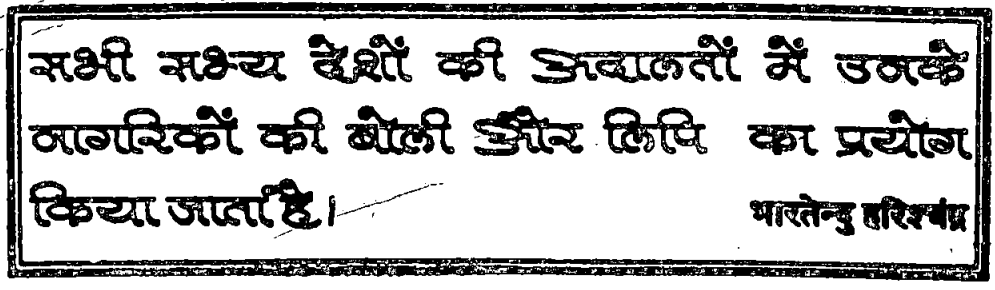

नारी : एक अनुशीलन

—दयानाथ लाल

कहा जाता है कि नारी ब्रह्म की श्रेष्ठतम कृति है किन्तु नर और नारी में श्रेष्ठ कौन है; यह भी एक सवाल उभरकर सामने आता है। इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं परन्तु हमें यह स्वीकारने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि नारी रचना से ही जीव एवं जगत को लाभ हुआ है तथा समस्त विश्व की सभ्यता और संस्कृति के विकास में नारी का सिर्फ सहयोग ही नहीं रहा अपितु उसके मूल में नारी ही विद्यमान रही। विकास चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसे हम एक अनवरत प्रक्रिया ही कहेंगे। प्राचीन ग्रन्थों में, नर हो या नारी, दोनों का उल्लेख है।

संस्कृत का एक वाक्य है—"एकोअहम् बहुस्याम :" याने एक बार ब्रह्म की इच्छा हुई कि एक से मैं अनेक हो जाऊं। अत: उन्होंने अपने को दो रूपों में विभाजितकर वाम भाग से नारी और दक्षिण अंग से पुरूप की रचना की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ भारतीय दर्शन के जानकार शिवशक्ति में, ब्रह्मा-सरस्वती में, विष्णु-लक्ष्मी में, राधा-कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानते। इसी भावव्यन्जना को भारतेन्दु ने भी वाणी दी—

"जो हरि सोई राधिका
जो शिव सोई शक्ति।
जो नारी सोई पुरूप
या न कछु विभक्ति॥"

द्वैतवाद को यहां स्थान नहीं मिलता यह भी ठीक है, लेकिन इतने ही पर हमें संतोप नहीं कर लेना चाहिए। पुराणों के कुछ ऐसे भी ज्ञाता हैं जिनकी विचारधाराएं उपर्युक्त विचारधाराओं से अलग दीखती हैं, वैसे ज्ञानियों का कहना है कि पुरुषों में आठ और नारियों में बारह गुण होते हैं। नारी में जो बारह गुण होते हैं, वे इस प्रकार हैं—हाव, भाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदाहरण, स्थिरता तथा गाम्भीर्य। नारी के इन्हीं गुणों को रसशास्त्रियों ने विशेप रूप से विवेचित किया है। नर-नारी के बीच जहां तक श्रेष्ठता का सवाल है तो नारी ही संसार की अमूल्य निधि है, सौंदर्य है। कष्ट सहन में दृढ़; सात्विक मर्यादा में कटिबद्ध और धर्मपरायणता में वह अडिग दिखाई देती है। सूफी कवियों ने नारी शरीर के द्वारा ही ईश्वर के दिव्यप्रेम एवं स्वरूप के दर्शन किए, उनकी झांकी प्राप्त की। अन्य भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के मुताबिक नारी आदिदेवी माँ पार्वती का रूप है। अतएव नर और नारी में नारी का ही स्थान श्रेष्ठ माना जाना चाहिए लेकिन नारी की यह महानता है कि वह पुरुप को ही अपने से श्रेष्ठ मानती है; उसे ही सबकुछ समझती है। यदि ऐसा गुण नारी में नहीं होता तो सीता भगवान राम के साथ किसी भी कीमत पर वन में नहीं जाती । जब भगवान श्रीराम वनवास के लिए चल पड़े थे तो सीता भी उनके साथ चल पड़ी थी और यों कहा था :—

"जिय बिनु देह
नदी बिनु बारी।
तैसेइ -नाथ
पुरुप बिनु नारी॥"

नारी रूप के अन्तर्गत नारी-सौंदर्य विशेप रूप से विवेचनीय है पर सौंदर्य है क्या? इसे सबसे पहले समझना-बूझना जरूरी है। दरअसल सौंदर्य वही है जो मानवमन में रस का संचार करे और सुन्दर चीज की वजह से जब हमारे मन में रस-संचार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और उसके फलस्वरूप जो कुछ हम अनुभव करते हैं, वस्तुत: उसी का नाम है-सौंदर्यबोध या सौंदर्य चेतना। नारी के लगभग सभी अंगप्रत्यंग इसी सौंदर्य चेतना के केन्द्र- बिन्दु हैं। नारी रूप-चित्रण में कवि या कलाकार कहीं हिचकता हुआ दिखाई नहीं देता। अन्य रीतिकालीन कवियों की नाई कवि सेनापति ने भी नारी सौंदर्य को अत्यधिक बखाना है। उनकी दृष्टि में नारी-अधर एवं उसके दांतों का सौंदर्य देखिए:—

"बिम्ब है अधर बिम्ब
बुन्द से कुसुम दन्त।"

सचमुच में मानव जीवन जितना सुन्दरता से प्रभावित होता है उतना संसार की किसी अन्य वस्तु से नहीं। नर हो या नारी दोनों की यही जन्मजात प्रवृत्ति रही है। मैथिल कवि विद्यापति ने नारी के मांसल रूप का विश्लेपण कर अपने अद्‌भुत दृष्टिकोण का परिचय दिया। नारी-रचना को संस्कृत के महाकवि कालिदास ने एक घटना के रूप में बताया। हिन्दी समीक्षकों का कहना है कि विश्व की समस्त श्रेष्ठ एवं सुन्दर चीजों को एकत्र कर स्वयं ब्रह्मा ने नारी की सृष्टि की और यही कारण है कि वह अत्यधिक मादक तथा मोहक बनी। कविवर मतिराम भी इसे स्वीकारते हैं:

"संचि विरंचि निकाई मनोहर
लाजति मूरतिवन्त-बनाई।"

यों तो प्रत्येक युग में काव्य का केन्द्र नारी रही है किन्तु रीतिकाल में उसका जो अत्यधिक वर्णन हुआ उस पर हमें अवश्य दृष्टि डालनी होगी। लेकिन उसके पहले एक बात और, नारी एवं उसके अंग-प्रत्यंगों का रोचक वर्णन जो हिन्दी जगत् का मध्यकाल की देन है, उसके प्रति भला हम मुँह कैसे मोड़ सकते? सूर ने वात्सल्य रस के द्वारा रतिभूमि को अद्‌भुत एवं अनोखा रंग प्रदान किया। कबीर ने नारी को माया, मोहनी, ठगनी के रूप में देखा:— "कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड।" नारी माया का रूप जरूर है, इस पर दो मत नहीं हो सकते फिर भी उसमें परम ज्योति का प्रकाश-पुंज है। सूफी संतों ने नारी को "नूर" कहा, जिससे सारा विश्व जगमगाता है; चमकता है। नूर कवि तो नारी के पार्थिव रूप को निहारते-निहारते थके नहीं:—

"नर नारिन के अंग में
बहे नूर परकास।"

सचमुच में रक्त एवं मांस से बने शरीर में ईश्वर या अल्ला का नूर झलकता है। हमारे यहाँ की नारी के हावभाव पर विचार करते हुए गालवीय

अधिशासी, वित्त एवं लेखा विभाग (प्रशा.) बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो—827001

जी का कथन बड़ा रोचक एवं हृदयग्राही है। उनके अनुसार—"भारतीय नारियाँ प्राय: पति की आज्ञा पालन करने में हिचकती नहीं, भले ही उनकी इस ओर रूचि हो या नहीं। अत: "हाँ" कहना उनका स्वभाव होता है किन्तु प्रणय-बेला में वे प्राय: "ना" का प्रयोग बड़ी उत्सुकता से करती हैं। कार्य वही करती हैं जो प्रेमी चाहता है किन्तु "नाहीं" या "ना" भी कहती जाती हैं।" दूल्ह सुकवि[1] ने ऐसा अनुभव किया है, यथा:—

"धरी जब- बाहीं
तब करी जुम नाहीं
पाइ दियो पलिकाही
नाहीं-नाहीं के सुहाई हो।
बोलत थे-नाहीं
पट खोलत में नाहीं
कवि दूलह-उधाही
लाख भांतिन लहाई हो॥"

हर व्यक्ति अपनी-अपनी क्षमता एवं बुद्धि के मुताबिक किसी विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है तथा यही वजह है कि बुद्धिवाद् और हृदयवाद या द्वन्द्व आज भी मानवसमाज में विराजमान है। राम-काव्य-परम्परा में तुलसी की नारीभावना इसका एक प्रमुख प्रमाण है। नारी की प्रकृति रावण के अनुसार जरा गोस्वामी तुलसी की भाषा में निरखिए:

"नारी-सुभाव सत्य कवि कहहीं।
अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥
साहस, अनृत, चपलता, माया।
भय, विवेक, असौच, अदाया॥"

नारी-हृदय की गति कैसी होती है; उसमें कितना कपट भरा रहता हैं; इसका विचित्र चित्र रामचरित मानस में जो अंकित है, वह भी यहां अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:

"बिधिह न—नारि
हृदय—गति जानी।
सकल कपट—अघ
अवगुन—खानी॥"

कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है-तुलसी काव्यगंगा पर। क्या वैदिक साहित्य की ओर उनका ध्यान न गया था? नारी को तो तीनों लोक की जननी तक कहा गया है। शक्तिसंगमतंत्र के ताराखण्ड में शिवजी कहते हैं:

"नारी त्रैलोक्य जननी
नारी त्रैलोक्य रूपिणी।
नारी त्रिभुवनाधारा
नारी देह-स्वरूपिणी॥"

जो हो पर तुलसी साहित्य की ओर जब पुन: ध्यान जाता है तो एक बात और याद आती है और वह यह है कि तुलसी के मुताबिक नारी में संयम का घोर अभाव है। किसी भी सुन्दर पुरूप को देखकर वह रसार्द्र हो जाती है; अपना चारित्रय-विवेक खो बैठती है अर्थात् वह किम् कर्त्तव्य विमूढ़ हो जाती है। राम चरित मानस में इस तरह का प्रसंग आया है:—

"भ्राता, पिता, पुत्र उरगारी।
पुरूप मनोहर निरखत नारी॥
होइ विकल मन सकहिं न रोकी।
जिमि रविमनि द्रव रबिहिं बिलोकी॥"

इतना ही नहीं और आगे देखिए कि नारी कितनी अधम से अधम प्रकृति की होती है; हॉलांकि यह एक अजब-सी बात लगती है, पर विश्व महाकवि तुलसी कृत रामचरित मानस में ऐसा वर्णन पाया गया है और जो पाया गया है उसकी तरफ भला किसका ध्यान केन्द्रित नहीं हो सकता ? अपने बारे में, अन्य नारी के बारे में शबरी भगवान राम से क्या कहती है और किस प्रकार कहती है, उसकी भावना द्रष्टव्य है:—

"अधम तै अधम
अधम अति नारी।
तिन्ह महँ-मैं
मतिमंद-गँवारी॥"

कुछ आलोचकों का मत है कि तुलसीदास ने नारी-जाति की सदा निंदा की किन्तु इस कथ्य के विरोध में तुलसी-समर्थकों का कहना है कि- "कवि पर देशकाल का प्रभाव था। उस युग में स्त्रियों की दशा अत्यन्त हीन थी। वे वास्तव में ही अज्ञ, मतिमंद तथा लोकवेद-विधिहीन थीं। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन दृष्टिकोण भी नारी को केवल जीवन का उपकरण अथवा दासी ही मानता था। अतएव तुलसी ने अपने युग की स्थिति तथा विचारधारा के अनुरूप ही नारी का चित्रण किया।"[2] हिन्दी के सुप्रसिद्ध समीक्षक डा. नगेन्द्र इस तर्क को थोड़ा भी नहीं स्वीकारते। इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि-"यह तर्क साधारण कवियों के लिए तो ठीक हो सकता है, तुलसी जैसे क्रान्तद्रष्टा कवि के लिए नहीं। और फिर, सूर ने ऐसा क्यों नहीं किया?"[3] नगेन्द्र जी का कहना बहुत हद तक सही जरूर है लेकिन सर्वांग सही नहीं, क्योंकि तुलसी ने नारी की सिर्फ निंदा ही नहीं की सच तो यह है कि उनकी दृष्टि में नारी जब-जब जैसी दिखाई दी तब-तब उन्होंने उसके संबंध में वैसा ही भाव व्यक्त किया। कहीं-कहीं नारी अंग-प्रत्यंगों की प्रशंसा भी तुलसी ने खुले शब्दों में की है। जैसे-"नारी नयन सर काहू न लागा?" एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा- "नारी न मोहे, नारी के रूपा।" क्या इसमें नारी सौंदर्य नहीं झलकता? खैर, इस विवाद के घेरे से हटकर एक बार मैं पुन: कहूँगा कि तुलसी ने नारी या नारी जगत् की प्रशंसा भी जरूर की, हाँ इतना सही अवश्य है कि प्रशंसा की अपेक्षा उसकी निंदा उन्होंने अधिक की और हो सकता है यही कारण रहा हो जिसके चलते रीतिकालीन कवियों की आँखे नारी-सौंदर्य चित्रण के प्रति खुली और जब खुली तो तुलसी के विपरीत नारी की प्रशंसा जमकर उन्होंने की। यहाँ तक कि नारी के एक-एक अंग-प्रत्यंग के सौंदर्य भी तत्कालीन काव्य- लोक में अछूते नहीं रहे। कुछ आलोचक रीति-कालीन काव्य पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि -"वह हेय एवं निन्दनीय है क्योंकि उसमें प्रकृति का निरर्थक प्रयोग हुआ है।" इस प्रकार के विचार व्यक्त करने वालों में डा. नन्द किशोर तिवारी का भी नाम आता है परन्तु सही अर्थ में उपर्युक्त विचार के संबंध में कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कारण, रीतिकालीन काव्य तो पूर्ण समृद्ध काव्य है और मूलत: इसी काल के कवियों ने काव्य की कला को कला के शुद्ध रूप में ग्रहण किया। नारी-सौंदर्य-विश्लेपण में उनका निरीक्षण एवं परीक्षण अनूठा एवं अपूर्व

सिद्ध हुआ। नायिका के रूप में जब उमंग आती है तो उस वक्त ऐसा लगता है; मानों उसकी तरूणाई का नवीन प्रष्फुटन हुआ हो। नारी एवं रीतिकालीन काव्य परम्परा में नारी-सौंदर्य-चित्रण पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान सोमदत्त गालवीय का मानना है कि "इस जगत् का सार ही नारी है क्यों कि वह श्रृंगार की श्रेष्ठ परिणति है, सम्मोहिनी विद्या है; सौंदर्य रूप श्रेष्ठ लक्ष्मी की उत्कृष्ट पदवी है; काम के यौवन का भारी मद है। रति प्रवाहों की सरिता है; हावभाव रूपी सम्पदाओं की क्रीड़ा है और सौंदर्य का अखण्ड और पवित्र पण है। रीतिकालीन काव्य में आध्यात्मिकता का ह्रास हुआ और भौतिक सौंदर्य चित्रण ध्येय बन गया। राधा-कृष्ण के चित्रण में आध्यात्मिक सौंदर्य कम और भौतिकता का प्राबल्य रहा। नारी या नायिका की तन-दीप्ति, रूप-माधुर्य, भावभंगिमा देखकर रीति कवि उसे सर्वश्रेष्ठ मान बैठे। इस काल में मांसल, बाह्य और हृदय आवर्जक चित्र प्राय: प्राप्त होते हैं। नवल अंगनाओं की छवि, वयसन्धि और मुग्धातत्व के वर्णन के प्रति सचेष्टता और वीर्य-विक्षोभक अंगों का मांसल सौंदर्य इस युग की विशेपता है। इस काल के कवियों ने नारी के दैहिक रूप की सज्जा, कामोज्जित अंगों का आकर्षण तथा किशोर-किशोरी अवस्था के रूप चित्र प्रस्तुत किए क्योंकि श्रृंगार का सार इसी अवस्था में प्रकट होता है।" देव कवि की उक्ति भी इसी कथ्य का प्रमाण है। यथा—

"वाणी का सार
बखान्यो सिंगार
सिंगार को सार
किशोर-किशोरी।"

श्रृंगार प्रधान रसिकों का कहना है कि काव्य में श्रृंगार ही एकमात्र रस है; अन्य रस तो उसके सहयोगी हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार भोजदेव ने अपने "श्रृंगार-प्रकाश" ग्रन्थ में इसकी पुष्टि की है। वास्तव में जगत् में जो जैसा है, उसका वर्णन भी वैसा ही करने के लिए साहित्यकार बाध्य होता है; अन्यथा उसके साहित्य की मर्यादा नहीं रह जाती। ऐसी दशा में नारी रूप को रीतिकालीन कवियों ने जहां जैसा देखा-समझा वैसा ही अगर अपने काव्य में पिरोकर मानव-समाज को लौटाया तो इसमें उनका क्या गुनाह? संस्कृत में कहा गया है—"कवय: किम् न पश्यन्ति?" यानी कवि क्या नहीं देखता? वह जिस चीज को देखता है, हृदय की दृष्टि से देखता है। वह असुन्दर चीज को भी सुन्दर बना सकता है। इसीलिए हिन्दी साहित्य के कुछ आलोचक कहते हैं कि कवि अथवा साहित्यकार के पास असुन्दर से सुन्दर, सुन्दर से सुन्दरता और सुन्दरतर से सुन्दरतम् बनाने की क्षमता होती है। कविवर रसरंग की रसीली भाव-व्यंजना का एक चित्र देखें:—

"सुपमा के सिंधु को
सिंगार के समुन्दर तै
मथिके स्वरूप-सुधा
सुख सौ निकारे हैं।
करि उपचार-तासौ
स्वच्छता-निकारै
तामे सौरभ सुहागश्री
सोहास-रस डारे हैं।
कवि रसरंग ताको
सत्य जो-निकारै
तासौ राधिका-बदन
वेष विधि ने संवारे हैं।"

नारी के अंग-प्रत्यंगों के चित्रण में रीतिकालीन कवियों की देन को भूला नहीं जा सकता। नारी के अनेकानेक मनोरम तथा हृदयग्राही चित्र वे मानस पटल पर रेखांकित कर गए हैं। नारी जीवन एवं नारी सौंदर्य पर गौर करते वक्त हमें स्मरण रखना चाहिए कि नारी अपने सौंदर्य तथा महत्व के कारण ही बहुत प्राचीन काल से मानव-समाज का एक विशेष अंग के रूप में सुशोभित रही है। अब आइए, इसी प्रसंग के दौरान सीधी, सपाट और अत्यधिक खुली सड़क पर। कहा जाता है कि जब विरहिणी नायिका विरह-वियोग में अत्यधिक तप्त हो जाती है तो वैसी अवस्था में जिसे भी वह देख लेती, वह जलकर भस्म हो जाता है। इसी को कहते हैं— "विरह-वियोगिनी की आग।" कृष्ण-वियोग में तप्त राधा को यहाँ विस्मृत नहीं किया जा सकता तथा इसकी सजीव कल्पना महाकवि गंग की कलम से जो एकाएक फूट पड़ी थी, वह दर्शनीय है—

"गंग कहै वृन्दावन
चन्द बिन चन्दमुखी,
चंदहि निहारेगी-तो
चन्द जरि-जाइगो।"

वास्तव में संयोग के क्षणों में जो चीजें सुखदायिनी जान पड़ती हैं, वही वियोग के क्षणों में कष्ट कारक बन जाती हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज के कुंज गोपियों के लिए जो शत्रु समान हो गए थे, उसे कौन कृष्ण-भक्त नहीं जानता? गोपियों की भावना महाकवि सूरदास के शब्दों में देखिए—"बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजै।" संस्कृत में कहा गया है—

"स्त्रियाश्चरित्रं
पुरूपस्य भाग्यम्
दैवो न जानाति
कुतो—मनुष्य: ?"

नारी चरित्र बड़ा विचित्र होता है। लेकिन अब इसकी गहराई में अधिक न जाकर अब हम नारी के मादक एवं मोहक सौंदर्य का मूल्यांकन हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के फलक पर करना नितान्त आवश्यक समझते हैं। क्योंकि इस काल में भी नारी-अंग-प्रतयंगों का चित्रण कम नहीं हुआ पर इस संदर्भ से थोड़ा-सा-अलग हटकर यह भी स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि नारी-विवश-वेदना आज मानव समाज में जो व्याप्त है; उसे भी आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में हम यों भी कह सकते हैं कि नारी जीवन विप-बेली पर कुसुमित होते हुए किसलय की भाँति है। मैथिलीशरण गुप्त का ध्यान इस ओर गया था; तभी तो उन्होंने कहा—

"अबला जीवन हाय!
तुम्हारी यही कहानी?
आँचल में है—दूध
और आँखों में पानी॥"

गुप्त जी मुख्यत: हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति के सजग गीतकार थे। उनकी मान्यता है कि मानव जीवन सन्यास से नहीं, संघर्ष से संचालित होना चाहिए। वे मानवतावाद के प्रबल पोपक तथा समर्थक थे। खैर, जहां तक आज के युग में नारी-श्रृंगार-वर्णन का प्रश्न है तो इस पर कुछ वैज्ञानिक विचारकों का विरोध है। वे कहते हैं कि वैज्ञानिकों के हृदय पर कविता की

छाप छोड़ना, विशेपकर, श्रृंगार रस की, पत्थर में छेद करने के समान है। यह सत्य है किन्तु पूर्ण सत्य नहीं क्योंकि जब तक मानव-तन में हृदय का योग है, उसे स्नेह-सिक्त करने हेतु काव्यरस का पुटपाक अति आवश्यक है। दरअसल मानव-समाज को हृदय-हीनता से बचाना काव्य का एक प्रमुख कार्य है। कहा जाता है कि शारीरिक और आत्मिक सौंदर्य ही आकर्पण के मूलभूत तत्व हैं। तो भला ऐसी अवस्था में नारी-सौंदर्य का वर्णन जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, अभी के युग में क्यों और कैसे नहीं हो सकता ? दुनिया की सभी भाषाओं का सत्साहित्य नारीरूप, नारी चेष्टा और नारी भाव से ओतप्रोत है। आधुनिक युग तो नारी -जागरण का भी युग है। उसके सौंदर्य की सुन्दर अभिव्यक्ति शत-प्रतिशत हो रही है तथा आगे भी होती रहेगी। इसका कारण भी है। कहा गया है कि—

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,
रमन्ते—तत्र देवता:।''

छायावादी काव्य के प्रथम प्रर्वतक महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत कर नारी संसार को धन्य-धन्य किया। उन्होंने कहा कि—

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास, रजत, नग-पगतल में।
पीयूप-श्रोत-सी बहा करो
जीवन के सुन्दर समतल में॥''

अब मैं, दुनिया से पूछता हूँ कि इससे बढ़कर नारी सौंदर्य भला और कैसा हो सकता है ? अन्त में, भक्त शिरोमणि हित हरिवंश महाप्रभु की पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए मैं, अपना कथ्य समाप्त करता हूँ—

''जो जाको
प्यारो लगे,
सो सुख लेहु अघाय।''

संदर्भ-सूची:—

1. काव्य में नारी, निबंध
2. तुलसी और नारी, निबंध, ले. डा. नगेन्द्र
3. आस्था के चरण, पृष्ठ-389
4. हिन्दी काव्य में उरोज सौंदर्य, पृष्ठ-42

> " आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिन्दी भारत-भारती होकर विराजती रहे "
>
> – गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर

> " राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है "
>
> – *महात्मा गांधी*

पुरानी यादें—नये परिप्रेक्ष्य

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : लोकपथ से लोकसभा का शिखर पुरुष

—डा० लक्ष्मीनारायण दुबे

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील के छोटे तथा पिछड़े गांव म्याना की टूटी फूटी झोंपड़ी (जहां पशु बंधा करते थे) में पैदा हुए बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' अपने राष्ट्रीय त्याग, पराक्रम तथा तेजस्विता से दिल्ली में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा राजेन्द्र प्रसाद के मध्य ससम्मान स्थापित हो गए। 'नवीन' जी बंगाल के 'रिनेसा' से प्रभावित न होकर (जिससे छायावादी कवि अभिभूत हुए) लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय पत्रकारिता, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा आर्यसमाज से शुरु में प्रभावित हुए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व की रेखाओं में गहरा रंग भरा। वे जब उज्जैन में पढ़ते थे तभी क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित हो जाना चाहते थे परन्तु अपने शिक्षकों के समझाने-बुझाने के कारण, किसी प्रकार मान गए। इन माताओं ने अपनी संतानों को बनाया और उनमें बड़ी समानता है — 'नवीन' की मां, चन्द्रशेखर आजाद की माता, डा. सर हरी सिंह गौर की जननी एवं डा. श्रीनिवास शास्त्री की माता। वे अपने जीवन में अपनी माता (जिन्हें वे जीजी कहते थे) राधाबाई, अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी तथा जवाहर लाल नेहरु से सर्वाधिक प्रभावित हुए।

1916 की दिसम्बर की कड़कड़ाती ठण्ड में जब वे लखनऊ-कांग्रेस में गए तो फिर उनके जीवन में युगांतकारी परिवर्तन आ गया। यहां मध्य प्रदेश की तीन विभूतियों ने लोकमान्य तिलक के रथ को खींचा था: बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामप्रसाद 'बिस्मिल' तथा चन्द्रशेखर 'आजाद'। वे यहां लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरु, जवाहरलाल नेहरु, ऐनी बिसेण्ट, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, डा. राजेन्द्रप्रसाद तथा आचार्य कृपलानी के सम्पर्क में आए। उनकी किशोरवस्था की राष्ट्रीयता के निर्माण में खण्डवा की 'प्रभा' तथा कानपुर के 'प्रताप' ने अग्रण्य भूमिका का निर्वाह किया जिनके वे परवर्ती काल में परम उन्नायक तथा तेजस्वी पत्रकार बने।

मां ने बहुत आग्रह किया कि बेटा वैष्णव जन हैं हम लोग इसलिए भगवान की झारी भर परन्तु वे भारत माता की झारी भरने निकल गए कानपुर और सदा के लिए कानपुर के शेर बन गए। उज्जैन में ट्यूशन तथा कानपुर में पत्रकारिता का धंधा करके पढ़े। अपने अध्ययन काल में कभी जूते नहीं पहने परन्तु भोजन के मामले में उनके जोड़ीदार रविशंकर शुक्ल एवं वृन्दावनलाल वर्मा रहे। उन्होंने बड़ी गरीबी भोगी थी और सब कुछ प्राप्त करके भी अनिकेतन ही बने रहे। आर्थिक क्षेत्र में वे गीता के स्थिर प्रज्ञ तथा परम वीतराग बने रहे। अपने बचपन के नगर शाजापुर से उनकी इतनी आसक्ति थी कि कानपुर से निर्वाचित होकर प्रथम लोकसभा के संसद सदस्य बनने पर, उन्होंने अपनी मातृभूमि शाजापुर को गुना मक्सी रेल लाइन से जोड़ने का सफल प्रक्रम किया। उनके कारण शाजापुर की स्थिति आज अखिल भारतीय हो गयी है।

'नवीन' जी की पहली रचना 'संतू' कहानी के 'सरस्वती' (1918) में छपने का एक रोचक किस्सा है। उन्होंने जब यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रकाशनार्थ भेजी तो वहां से उत्तर आया कि यह किस बंगला कहानी का अनुवाद है? वह इतनी श्रेष्ठ समझी गयी। वे संस्कृत में बनारसीदास चतुर्वेदी के अशुद्ध गीता-पाठ पर आपत्ति करते थे और कानपुर में बी. ए. अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में जब गांधी की आंधी में पड़कर, सर्वप्रथम बार जवाहरलाल नेहरु के साथ लखनऊ-जेल में गए तब उनके नेहरु जी पर लिखित अंग्रेजी निबन्ध को जेल के सहयात्रियों राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, महात्मा गांधी के छोटे बेटे तथा बाद में अंग्रेजी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक देवदास गांधी, जार्ज जोजफ तथा बापू के सचिव महादेवभाई देसाई ने उसे उर्दू के प्रख्यात शायर तथा बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के आचार्य तथा अध्यक्ष फिराक गोरखपुरी का लिखा मान लिया जो कि इस समय इन 'भयानक बंदियों' से पृथक, लखनऊ-कारागृह की एक अलग बैरक में कैदी थे। इसी लखनऊ जेल मे उन्हें जवाहरलाल नेहरु शेक्सपियर का 'मैकबैथ' नाटक पढ़ाया करते थे जिससे प्रेरणा लेकर उन्होंने इकलौता महाकाव्य 'ऊर्मिला' लिखा न कि मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' की तरह जिसकी प्रेरणा के स्रोत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख 'कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता' था। 'साकेत' तो हिन्दी साहित्य में स्थापित हो गया परन्तु 'ऊर्मिला' सदा की भांति ही उपेक्षिता-विस्मृता-त्यक्ता रह गयी।

1936 में ही लखनऊ में 'निराला' ने 'राम की शक्तिपूजा' लिखी जब कि 'नवीन' ने 'जूठे पत्ते' जिससे हिन्दी में प्रगतिवाद आया और इसी वर्ष प्रेमचंद का देहांत हुआ जिनके साथ 'नवीन' कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में शिक्षक रहे थे। 'नवीन' का कारागृह में ही अमरशहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खण्डकाव्य 'प्राणार्पण' उनके देहांत के पश्चात् प्रकाशित हुआ और उसका काव्य-शिल्प 'निराला' की 'राम की शक्तिपूजा' से टक्कर लेता है। 'निराला' 'नवीन' को 'बड़े भैया' कहते थे और 'निराला' पर हो रहे घात-प्रतिघात, आक्षेप-आरोप के बचाव में 'नवीन' ने अपनी छाती खोलकर, उस पर अपने वार सहन करते हुए, अपनी प्रखर पत्रकारिता से कानपुर की 'प्रभा' में उनकी प्राण-प्रण से रक्षा की थी। गणेशशंकर विद्यार्थी क्लिष्टता तथा दुर्बोधता के कारण, 'निराला' की कविताएं 'प्रभा' में छापने के पक्ष में नहीं रहते थे परन्तु 'नवीन' उनका अर्थ समझाकर छाती ठोंककर उनको प्रकाशित करते थे। 'निराला' की प्रथम कविता को प्रकाशित करने का श्रेय 'नवीन' को है। ये दोनों हिन्दी के नीलकण्ठ तथा चिर विषपायी थे।

'नवीन' ने काकोरी षड्यंत्र अभियोग ('वे') नेताजी सुभाषचन्द्र बोस (अमर सुभाष की कथा) तथा सरदार पटेल (अष्टधातु का आदमी) पर जो सम्पादकीय लिखे — वे हिन्दी पत्रकारिता में अमर तथा अप्रतिम

लक्ष्मीकांतम्, पथ संख्या-2, आनन्द नगर, मकरतमया, सागर - 470004 (म०प्र०)

1556 HA/99—7

हैं। वे हिन्दी के एकमेव ऐसे पत्रकार थे, जिनके अग्रलेखों को अंग्रेजी पत्रकारिता में उद्धृत किया जाता था। 'नवीन' जैसा प्रखर, निर्भीक तथा साहसी पत्रकार तथा साहित्यकार हिन्दी में नहीं हुआ। इसी कारण वे अपना एक पैर कारागृह में रखते थे। वे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की भांति दस बार कारागृह गए जबकि नेहरुजी नौ बार गए थे। उन्होंने नेताजी को 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में अपना मत दिया था परन्तु जब गांधीजी का यह वक्तव्य आया कि पट्टाभि की हार मेरी हार है, 'नवीन' ने सुभाष बोस को कलकत्ता तार भेजकर, अपना मत वापस मांग लिया था। वे हिन्दी साहित्य के सुभाषचन्द्र बोस थे क्योंकि दोनों में पर्याप्त साम्य मिलता है। कानपुर में उन्होंने अमर शहीद भगतसिंह को अपने पास रखा था और वे उनके हिन्दी में लिखित अग्रलेखों का परिमार्जन किया करते थे। भगतसिंह के बलिदान पर 'नवीन' ने लिखा था कि यदि वह लार्ड कर्जन का भी बेटा होता तो भी इतना प्यारा, दुलारा, ममतीला ही होता। भगतसिंह की फांसी का समाचार सुनकर वे सप्ताह भर रोते रहे थे और किसी से नहीं मिले थे। उन्होंने 'प्रभा' में एक कालम प्रकाशित किया था 'नहीं छपेंगी' और इसके अंतर्गत वे बड़े-बड़े लेखकों के अस्वीकृत लेखों के नाम छाप दिया करते थे। वे 'प्रसाद' तथा 'निराला' के प्रति बड़ी आस्था रखते थे। 'प्रसाद' की 'कामायनी' को अन्तरराष्ट्रीय ग्रन्थ बनाने का श्रेय 'नवीन' को है। जब यूनेस्को से जवाहरलाल नेहरु के पास 'रामचरितमानस' के पश्चात् हिन्दी के किसी महाकाव्य के विश्व की भाषाओं में अनुवाद कराने हेतु नाम सुझाने का पत्र आया तो सब दौड़ पड़े परन्तु 'नवीन' ने अपने महाकाव्य का नाम न सुझाकर नेहरुजी को 'कामायनी' का सुझाव दिया जिसे नेहरुजी ने तुरन्त मान लिया। 'नवीन' के त्यागी, मस्तमौला तथा फक्कड़ व्यक्तित्व ने सियारामशरण गुप्त के ग्रन्थ के कारण, साहित्य अकादमी के पुरस्कार को ठुकरा दिया था।

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सरकार सबसे अधिक 'नवीन' से चौंकती थी और उनके खिलाफ गुप्तचर सदा-सर्वदा कानपुर से लखनऊ तथा दिल्ली रिपोर्ट भेजा करते थे। 'नवीन' स्वयं क्रांतिकारी थे और उन्होंने शहीदों तथा क्रांतिकारियों की बड़ी मदद की। उनकी कहानियों में मालवा की वेदना छिपी है और सम्पादकीय में उत्तर प्रदेश का दावानल। वे कानपुर में लखनऊ, दिल्ली में रहते हुए अपने प्यारे मालवा को हर-हमेशा याद किया करते थे और मालवी में ही बोलते थे। उन्होंने सदा दूसरों को आगे बढ़ाया परन्तु सर्वशक्तिमान तथा सर्वसंसाधन सम्पन्न होते हुए भी न अपने साहित्यकार और न अपने पत्रकार को प्रसारित किया और इसी के कारण वे राजनीति तथा साहित्य के मध्य झूलते रहे। वे जेल में देश के प्रथम पंक्ति के महापुरुषों के साथ रहे परन्तु कभी अपने व्यक्तित्व को 'प्रोजेक्ट' नहीं किया। 1950 से 1960 के मध्य भारत सरकार को उनके राष्ट्रीय संघर्ष की याद नहीं आयी और देहांत के सिर्फ चार दिन पूर्व उनको 'पदम्भूषण' की सनद मिली। उनका समूचा गद्य साहित्य तथा कविता-वाङ्मय तितर-बितर हो गया। सिर्फ उनकी कहानी ही रह गयी।

जब वे केन्द्रीय विधान परिषद में उत्तर प्रदेश से चुनकर आए तो वायसराय लार्ड वेवल उनके संस्कृत ज्ञान से प्रसन्न हो गया। एक बार महात्मा गांधी ने 'नवीन' से अंग्रेजी में एक प्रारूप तैयार कर लाने को कहा और जब वे उसको लेकर बापू के पास गए तो गांधीजी बोले कि यह तो नेहरुजी का लिखा मालूम होता है परन्तु 'नवीन' ने कहा - यह तो मेरा लिखा हुआ है। बापू 'नवीन' की अंग्रेजी से हर्षित हो गए। हिन्दी को लेकर 'नवीन' के गांधीजी तथा नेहरुजी से मतभेद थे यद्यपि वे इन दोनों के पीछे प्राण तक त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। 1935 के इन्दौर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजर्षि टण्डन के साथ गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' का विरोध किया था। यहीं उन्होंने साहित्य परिषद् की अध्यक्षता कर रहे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अध्यक्षीय भाषण को बड़ी कुशलता के साथ पढ़ दिया जिसको आचार्यजी अपने दमा रोग के कारण, पढ़ने में बड़ी असुविधा महसूस कर रहे थे। वे सभी कांग्रेस अधिवेशनों में गए और उन पर 'प्रताप' में लिखा। गांधीजी ने उनकी ईमानदारी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की थी। भारतीय संविधान सभा में हिन्दी के सन्दर्भ में जवाहरलाल नेहरु से टकराने में जब राजर्षि टण्डन तथा सेठ गोविन्द दास कतराते थे तब 'नवीन' दहाड़कर अपने प्रिय इष्टदेव नेहरुजी का विरोध किया करते थे। वे हिन्दी के शहीद बन गए और इसकी कीमत उनको चुकानी भी पड़ी थी। जब नेहरुजी कहते थे कि हिन्दी में मुझे हिन्दू की गंध आती है तो 'नवीन' जवाब देते थे कि मुझे तो हिन्दी में हिन्द की सुगंध आती है। हिन्दी को राजभाषा बनाने में उनकी सक्रिय तथा अहम भूमिका रही। वे राजभाषा आयोग में हिन्दी के पीछे डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या से भिड़ जाया करते थे। उनका जीवन मंत्र था - न दैन्यम् न पलायनम्। उनमें कबीर तथा रसखान का दुर्लभ समन्वय था। भारतीय साहित्य में मृत्युगीत सिर्फ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, 'नवीन' तथा 'निराला' ने लिखे हैं। ब्रजभाषा में लिखने वाला यह कवि अलबर्ट आईंस्टीन के सापेक्षवाद को अपनी प्रगतिशील कविता का विषय बताता है और 'मम श्रीकृष्ण शरणम्' कहते हुए नयी दिल्ली में शरीर त्याग दिया जहां वे अपने परिणत जीवन के पन्द्रह वर्षों तक रहे। उनके दिल्ली के अंतिम पांच वर्ष भयानक रुग्णता तथा मानसिक तनाव में व्यतीत हुए।

दिल्ली उनको रास नहीं आयी यद्यपि 5, विण्डसर प्लेस साहित्यकारों का तीर्थ स्थान था और वे केन्द्रीय परिषद्, भारतीय संविधान सभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य रहे। वे न तो केन्द्रीय सरकार में मंत्री ही बन पाए और न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक बार का प्रसंग है। 1954 की आठ दिसम्बर को उनका जन्मदिन था। अजीत प्रसाद जैन, कैशवदेव मालवीय, महावीर त्यागी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी तथा अन्य कुछ उनके यहां भोज पर आए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका था। नया मध्य प्रदेश अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था। यों ही सहज भाव से अजीत प्रसाद जैन ने उनसे पूछ लिया : बड़े भाई! आप तो मध्य प्रदेश के हैं। बताइए, इस नए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन उपयुक्त हो सकता है? 'नवीन' तपाक से बोले - एक तो पं० बालकृष्ण शर्मा या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र। पर बालकृष्ण शर्मा को तो जवाहर भाई (वे इसी नाम से जवाहरलाल नेहरु को सम्बोधित करते थे और नेहरुजी उनको बालकृष्ण कहते थे) मूर्ख समझते हैं तब केवल जो आदमी शेष बचता है वह है भाई द्वारका (अर्थात् द्वारका प्रसाद मिश्र) लेकिन उसे लोग बनने नहीं देंगे। इस पर इंदिरा गांधी बोलीं - चाचाजी, यह तो आप गलत कहते हैं, पापा तो नहीं सोचते आपके बारे में। इस पर ठहाका मारकर 'नवीन' हंसे और कहने लगे - इन्दु बेटी! तुम क्या जानो? एक बार नेहरुजी का 'नवीन' के पास फोन आया कि हम तुमको राजदूत बनाकर विदेश में भेज रहे हैं। 'नवीन' ने तपाक से फोन रखते हुए कहा कि जब मुझे देश में ही नालायक करार दे दिया है तो विदेश में मैं कौन लायक हो जाऊंगा?

'नवीन' की शताब्दी बीत गयी—अब इक्कीसवीं शताब्दी द्वार पर खड़ी हो गयी है। दरवाजा खटखटा रही है। इस शिखर पुरुष का इक्कीसवीं शताब्दी में 'नवीन' जागरण कर सकें तो हमारी श्रद्धा को एक सम्यक उपक्रम मिल सकेगा।

हिंदी का भूमंडलीकरण

—डा० विमलेश कान्ति वर्मा

आज हिंदी का भूमंडलीकरण हो गया है। भारत इक्सीसवीं सदी में एशिया की महाशक्ति बनेगा। केवल संख्या बल ही नहीं, जिस तीव्र गति से स्वतंत्रता के बाद विज्ञान, व्यापार तथा विविध क्षेत्रों में भारत ने विकास किया है उससे विविध विदेशी शक्तियाँ भारत में रुचि ले रहीं हैं। भारत के परमाणु परीक्षण ने भी विश्व को आतंकित कर रखा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर भारत में पूँजी निवेश, भारतीयों की विश्व के विविध देशों में पद-प्रतिष्ठा तथा विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर बनती-बढ़ती सम्मानजनक स्थिति से विश्व पटल पर भारत एक नव संसाधन सम्पन्न शक्तिशाली महादेश के रूप में उभरा है।

जब भी व्यक्ति या देश की छवि बनती है उस देश को तथा वहां के निवासियों को समझने के लिए देश की भाषा व संस्कृति में भी रुचि बढ़ती है। भारत यों तो चिरकाल से कला, विज्ञान तथा अनेक क्षेत्रों में सम्पन्न होने के कारण विदेशियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है और भारतीय विद्या में विदेशियों ने पर्याप्त रुचि भी ली है किन्तु इधर पिछले पाँच दशकों में भारत के प्रति विदेशियों की रुचि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और भारतीय साहित्य तथा भारतीय भाषाओं में भी उनकी रुचि अधिक बढ़ी है।

हिंदी भारत की प्रधान भाषा है। भारत में हिन्दी का मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों का प्रतिशत 42.95% है। यदि द्वितीय भाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने वाले भारतीयों की संख्या भी हिन्दी भाषी संख्या में जोड़ दी जाए तो यह प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में रहने वाला, सुदूर पश्चिम में बसे भारतीय से संपर्क मात्र हिन्दी के माध्यम से ही कर सकता है। यही स्थिति कश्मीर में बसे भारतीय की है जो कन्याकुमारी में बसे भारतीय से बात करने के लिए केवल हिन्दी को ही समर्थ पाता है। यह शक्ति, संपर्क भाषा कही जाने वाली अंग्रेजी में नहीं है। वह देश की जनसंख्या की एक प्रतिशत से भी कम लोगों की मातृभाषा है। यह सत्य सबसे पहले महात्मा गांधी ने पहचाना और घोषणा की कि कांग्रेस अधिवेशन की कार्यवाही केवल हिंदी में होगी क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र तक यदि हमें कांग्रेस का संदेश पहुंचाना है तो यह केवल हिंदी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। गांधी के स्वर में स्वर मिलाते हुए देश के सभी महान राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों तथा विधिवेत्ताओं ने हिंदी को ही अखिल भारत की देशव्यापी भाषा माना।[1]

आज विदेशी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामग्री उत्पादक कंपनियाँ भी हिंदी के महत्व को समझते हुए अपने विज्ञापन में तो हिन्दी का प्रयोग बड़े पैमाने पर करती ही हैं, नियुक्ति के लिए हिंदी तथा किसी एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान अंग्रेजी की तुलना में अधिक आवश्यक मानती हैं। आज देश में किसी भी भाषा का साहित्यकार अपनी रचना को हिंदी भाषा में प्रकाशित देखना चाहता है। वह या तो हिंदी में लिखना चाहता है नहीं तो अपनी रचना का हिंदी भाषा में अनुवाद कराना चाहता है। कारण उसका हिंदी प्रेम नहीं, हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता है। हिंदी ही उसे बड़ा तथा देशव्यापी पाठक वर्ग दे सकती है। हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता से आज कौन अपरिचित है। सभी भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के यदि वार्षिक आंकड़े देखें जाएं तो सभी भारतीय भाषाओं (हिंदी को छोड़कर) में बनी फिल्मों की संपूर्ण संख्या भी हिन्दी फिल्मों की तुलना में नगण्य ही होती है। दूसरी भाषाओं के अभिनेता या अभिनेत्रियां हिंदी फिल्मों में इसीलिए आना चाहते हैं जिससे उन्हें बड़ा दर्शक वर्ग मिल सके। यही स्थिति पत्रकारिता के क्षेत्र में है जहां हिंदी में प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक है। हिंदी की इसी व्यापकता के कारण आज हिंदी को देश की प्रधान भाषा विश्व में माना जाने लगा है और विदेशी विद्वान हिंदी का विविध कारणों से अध्ययन कर रहे हैं।[2]

भारत के बाहर फीजी, मारिशस, सूरिनाम, त्रिनिदाद तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे लाखों प्रवासी भारतीय जो आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व शर्तबंदी प्रथा के अंतर्गत इन देशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में भेजे गए थे और आज वहां के स्थायी नागरिक हैं, मातृभाषा के रूप में हिंदी का ही व्यवहार करते हैं। ये प्रवासी भारतीय मूलत: पश्चिमी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से इन देशों में पहुंचे थे। इनकी भाषा प्रमुखत: भोजपुरी तथा अवधी थी इसलिए प्रवासी भारतीयों के बीच आपसी संपर्क का माध्यम ये ही भाषाएं बनीं। कालान्तर में यही हिंदी इन प्रवासी भारतीयों की अस्मिता का प्रतीक बन गई। आज भी इन देशों में बसे प्रवासी भारतीय परिवार आपस में हिंदी का ही व्यवहार करते हैं। वे हिंदी का सम्मान करते हैं तथा हिंदी का प्रचार प्रसार चाहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हिंदी ही समस्त भारतीयों को जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक माध्यम है। हिंदी इन देशों में केवल भारतीयों के बीच ही नहीं, बल्कि इन देशों के मूल निवासियों के बीच भी अच्छी तरह समझी व बोली जाती है। फीजी में तो हिंदी को संवैधानिक संसदीय मान्यता भी प्राप्त है और देश का कोई भी सांसद हिंदी में अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तुत: इन देशों में बसे हुए भारतीय मूल के उन लोगों की संख्या को भी

73 वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

1. वर्मा, विमलेश कान्ति : हिन्दी : राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक (दस्तावेज 1947-1950) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1997
2. वर्मा, विमलेश कान्ति : हिन्दी और उसकी उपभाषाएं — एक संक्षिप्त सर्वतोमुखी सर्वेक्षण, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, संस्करण 1995

हिंदी भाषा भाषियों की संख्या में परिगणित करना चाहिए जो मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार करते हैं।

भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश व बर्मा में हिंदी भाषा बोलने और समझने वालों की संख्या पर्याप्त है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से खड़ी बोली प्रधान शैली है। नेपाल में हिंदी पूरे देश के 53 प्रतिशत नेपालियों की मातृभाषा है इन देशों के अतिरिक्त भारतीय मूल के लोग-अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया या अफ्रीका-चाहे कहीं भी बसे हों हिंदी बोलते और समझते हैं। वस्तुत: हिंदी विदेशों में बसे भारतीयों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। वहां बसा भारतीय हिंदी के माध्यम से अपने को भारत से जोड़ना चाहता है। प्रवासी भारतीयों की पहली तथा दूसरी पीढ़ी में हिंदी मातृभाषा तथा तीसरी और चौथी पीढ़ी के बाद दूसरी भाषा बन जाती है। ये प्रवासी भारतीय हिंदी को उन देशों में भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है। यहां भारतीय विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, रेडियो पर लम्बी अवधि के हिंदी प्रसारण होते है और इतना ही नहीं प्रवासी भारतीय हिंदी में मौलिक साहित्य सृजन भी करते हैं।[3]

भाषा की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बोलने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। भारतीय विश्व के अनेक देशों में आजीविका की खोज में सुनहले भविष्य का सपना लिए हुए मजदूरों के रूप में गए थे किंतु अपने परिश्रम, लगन तथा ईमानदारी से वे हर देश में सुशिक्षित, सुप्रतिष्ठित तथा सम्मानित नागरिक बन गए। उनकी उन्नत सामाजिक स्थिति के कारण ही उनकी भाषा भी सम्मानित भाषा बनी। प्रवासी भारतीयों का बड़ा दल सबसे पहले मारिशस, 1834 ई. में गया था फिर 1845 में त्रिनिदाद, 1860 ई. में दक्षिण अफ्रीका, 1870 में गुयाना, 1873 में सूरिनाम तथा 1879 ई. में फीजी समुद्री जहाज से पहुंचा था। इन देशों में जाने वाले भारतीय सामान्यत: अवधी तथा भोजपुरी बोलते थे। कुछ खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे। अन्य प्रदेशों से जाने वाले भारतीय संख्या में इतने कम थे कि उनके बीच पारस्परिक व्यवहार की संपर्क भाषा अवधी और भोजपुरी रही जिनमें कुछ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुद्री यात्रा के दौरान समाविष्ट हो गया। विदेशी भूमि पर कदम रखने के बाद वहां के मूल निवासियों तथा अंग्रेज़ अफ़सरों से जब उन का संपर्क हुआ तो वहां के कुछ शब्द भी उनकी हिंदी में प्राय: तदभव रूप में सम्मिलित हो गए। धीरे-धीरे उनकी शुद्ध अवधी या शुद्ध भोजपुरी का रूप बदलने लगा और हिंदी की एक नई विदेशी भाषिक शैली का विकास हुआ। इस प्रकार अनेक नवीन मार्मिक शैलियां पनपीं जिनके नए नामकरण भी कर दिए गए क्योंकि वे भाषा बोली जाने वाली हिंदी से बहुत भिन्न थीं इनमें स्थानीय भाषा का प्रभाव भी पर्याप्त दिखता था। फीजी में बोली जाने वाली हिंदी को वहां के प्रवासी भारतीय फीजी बात कहते है 'सूरिनाम की हिंदी को सरनामी हिंदी या सरनामी कहा जाता है तथा दक्षिण अफ्रीका की हिंदी को नैताली।[4] इन शैलियों का व्यवहार प्रवासी भारतीय अधिकांशत: घर में तथा औपचारिक बातचीत में करते हैं। इनमें साहित्यिक रचना बहुत कम होती है पर साहित्यिक रचनाओं में इनका प्रभाव निश्चय ही देखा जा सकता है। चूंकि इन नई भाषिक शैलियों में साहित्यिक लेखन बहुत कम होता है इसलिए इनका भाषिक स्वरूप वहां के हिंदी लोकगीतों में ही देखने को मिलेगा।

विदेशी विद्वानों ने प्रवासी भारतीयों के मध्य प्रचलित हिंदी की नई शैलियों के महत्व को समझा क्योंकि उनके निकट आने का, उनसे घुलने मिलने का सबसे सहज तरीका उनकी अपनी भाषा को समझना तथा उस पर अधिकार प्राप्त कर लेना था। यही कारण है कि विदेशी विद्वानों ने प्रवासी भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी की शैलियों पर विविध दृष्टियों से कार्य किया। इनका व्याकरण तैयार किया, हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी कोश तैयार किए और इनके महत्व को आंका। रोडने मोग का फीजी हिंदी का व्याकरण, सूजा हील्स का फीजी हिंदी-अंग्रेजी-फीजी हिंदी कोश इस दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयास हैं।

रूसी भाषाविदों का विचार है कि उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा पार्या भी हिंदी की ही एक भाषिक शैली है। पारया भाषा के लिए ज़बानेइ अफ़गानी, इंकू, सुरहानी, चंगर, चश्क गरक आदि नामों का भी प्रयोग होता है। पार्या की न अपनी कोई लिपि है, न ही लिखित साहित्य किंतु इसका लोक साहित्य मर्यादा सम्पन्न है। लोकगीत तथा लोक कथाएं दोनों ही पारया में मिलती हैं। रूसी विद्वान ओरांस्की ने पार्या के लोक साहित्य पर विस्तार से शोध किया है।

हिंदी भाषा अध्ययन की विदेशी परंपरा पर्याप्त पुरानी है। वस्तुत: हिंदी भाषा के अध्ययन और व्याकरण लेखन की परंपरा विदेश में सत्रहवीं शदी के अंतिम दशक से ही प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जान जोशुआ केरलियर का लिखा हुआ व्याकरण है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख बी. शुल्तज़ ने अपने ग्रंथ "ग्रामातिका हिंदोस्तानिका" में किया है। यह पुस्तक मूलत: डच में थी तथा 1695 ई. के आस-पास लिखी गई थी। तब से आज तक निरंतर विदेशियों द्वारा निजी स्तर पर तथा विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए विभिन्न विदेशी शोधार्थियों द्वारा विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध किया जा रहा है। ये अध्ययन हिंदी के भाषा तथा साहित्य दोनों ही पक्षों पर हो रहे हैं।

आज हिंदी भाषा का अध्ययन और अध्यापन विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में हो रहा है।[5] कहीं यह अध्ययन प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर हो रहा है तो कहीं विश्वविद्यालय के स्तर पर। कहीं यह अपनी मातृभूमि भारत से जुड़े रहने का भावनात्मक माध्यम समझा जाता है तो कहीं इसके अध्ययन का उद्देश्य आधुनिक भारत के अंतर्तम को समझना है। विदेशों में हिंदी शिक्षण कहीं निजी प्रयासों द्वारा तो कहीं धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा तो कहीं सरकारी स्तर पर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहा है। विश्व के विभिन्न उच्च अध्ययन संस्थानों में भी हिंदी के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान की व्यवस्था

---

3. वर्मा, विमलेश कान्ति : फीजी में हिंदी की साहित्यिक परिधि, राजभाषा भारती वर्ष 1995 अंक 69 पृष्ठ 56-68 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार लोक नायक भवन, नई दिल्ली

4. वर्मा, विमलेश कान्ति : फीजी बात : हिंदी की विदेशी भाषिक शैली, भाषा वर्ष 36 अंक 2 पृ. 34-45 केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

5. वर्मा, विमलेश कान्ति : विश्व में हिंदी : अध्ययन पन की और अध्याय से स्थिति, राजभाषा हिंदी; संपादन : राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार; प्रकाशन विभाग, भारत सरकार,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, सं. 1998 पृ. 245-275

है। अमरीकी की डॉ. शोमर का कहना है कि अमरीका में ही 113 विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिंदी अध्ययन की सुविद्याएं उपलब्ध हैं जिनमें से 13 तो शोध स्तर के केन्द्र बने हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस समय विश्व के 143 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की विविध स्तरों पर व्यवस्था है।

हिंदी विश्व की उन महत्वपूर्ण भाषाओं में है जिसमें साहित्य सृजन न केवल भारत में वरन् विश्व के अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा हो रहा है। नि:संदेह हिंदी की विशिष्ट भाषिक शैलियां तो विदेश में विकसित हुई ही हैं, आज कितने ही विदेशी धारा प्रवाह हिंदी में लिख रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाएं उनके देशों में तथा भारत में प्रकाशित होती हैं और सम्मान पाती हैं। कुछ रचनाएं तो भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त कर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। फीजी के कमला प्रसाद मिश्र; मारिशस के अभिमन्यु अनत, सोमदत्त बरचौरी, सूरिनाम के मुंशी रहमान खान, सूर्य प्रसाद वीरे के साहित्यिक अवदान को कौन भुला सकता है। अंग्रेज कवि चैम्बर लेन ने हिंदी में अनेक गीत लिखे, जे. टी. थामसन ने खीष्ट चरितामृत दोहा चौपाई में लिखा, जूलियस फ्रेडरिक उलभन ने हिंदी में 'वह श्रेष्ठ मूलक था' लिखा तो ओदोलेन,स्मेकल के 'मेरी प्रीत तेरे गीत', स्वाति बूं, कमल को लेकर चल आदि कितने ही ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित हुए।

अपनी भाषा में अभिव्यक्ति तथा उसके व्यापक प्रचार-प्रसार की इच्छा ने विदेशी हिंदी-प्रेमियों को हिंदी पत्रकारिता की ओर उन्मुख किया। आज विदेशों में कई हिंदी पत्र निकल रहे हैं जो बड़ी संख्या में छपते हैं जिनमें प्रवासी भारतीय लेख, कविता तथा कहानियां आदि लिखते हैं। इनमें तरह-तरह के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं तथा भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इनमें छपती हैं। ये पत्र-पत्रिकाएं मूलत: भारतीयों के संगठित वर्ग के निजी प्रयासों से निकलती हैं। कभी-कभी बड़ी व्यावसायिक प्रकाशन संस्थाएं भारतीय वर्ग के मध्य पहुंचने के लिए व्यावसायिक स्तर पर भी पत्र निकालती हैं। फीजी टाइम्स द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक 'शांतिदूत' एक ऐसा ही पत्र है जो फीजी से लंबे समय से निकल रहा है और अपनी जीवन यात्रा के साठ वर्ष पूरा कर चुका है। आज भी यह पत्र विदेशी हिंदी पत्रकारिता का कीर्तिस्तम्भ बना हुआ है।

विदेशों में भारत के प्रति विद्वानों की बढ़ती हुई रुचि ने विदेशियों को भारतीय साहित्य और विशेषकर हिंदी साहित्य के अनुवाद की ओर भी प्रेरित किया है। हिंदी साहित्य का विश्व की अनेक भाषाओं में निरंतर अनुवाद हो रहा है। प्रेमचंद की कृति 'गोदान' का विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ। तुलसी कृतरामचरितमानस के अनुवाद तो बाइबिल के बाद विश्व की विविध भाषाओं में सब से अधिक हुए हैं। जर्मन, फ्रेंच तथा अंग्रेजी में हिन्दी साहित्य के अनुवाद की एक परंपरा रही है। समकालीन हिन्दी साहित्य के अनुवाद के प्रति विदेशियों की रुचि इधर और बढ़ी है।

स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर हिन्दी आज विश्व की एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है जो अपने संख्या बल के आधार पर तो विश्व की दूसरी प्रमुख भाषा है ही वह विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसे विश्व के किसी भी देश में बसे हुए तथा किसी भी भाषा के बोलने वाले वे मूलत: रहे हों, वे भारतीय हिन्दी को अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ मानते हैं, वे उसकी सुरता तथा प्रतिष्ठा के प्रति निरंतर सचेत हैं। विदेश में हिन्दी की कई भाषिक शैलियों का उन्होंने विकास किया है और उसमें वे अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हिन्दी अध्ययन-अध्यापन की एक सुष्ठु परंपरा विदेश में रही है, हिन्दी पत्रकारिता का विदेशों में निरंतर विकास हो रहा है, हिंदी साहित्य के अध्ययन और अनुवाद के प्रति भी विदेशियों की रुचि बढ़ रही है। हिन्दी आज भारत की ही नहीं विश्व भाषा का रूप ले चुकी है।

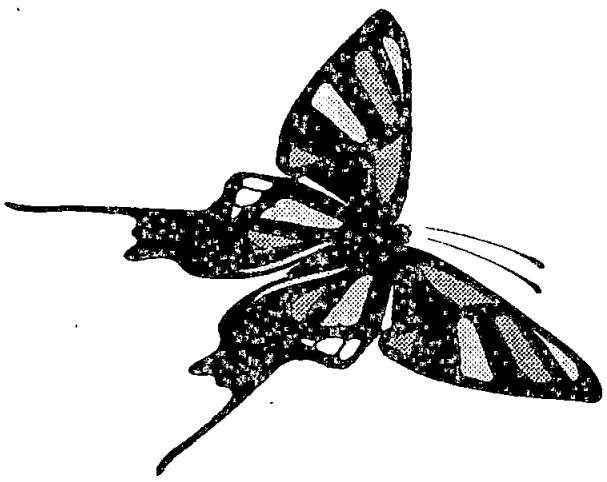

विश्व-स्तर पर हिन्दी के बढ़ते कदम

—गुणानन्द थपलियाल

मानव सभ्यता के विकास के जो स्थान महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनमें गंगोत्री और हिमालय की तलहटी में गंगा और सिंध का मैदान महत्वपूर्ण है। गंगोत्री से गंगा चली और उसने जिस भूमि को सींचा, संवारा, और सरसब्ज किया वह गंगा का मैदान कहलाया। भारत के इसी प्रदेश में संसार की पहली सभ्य भापा संस्कृत का जन्म हुआ। इस भाषा से आगे चलकर अनेक भाषाएं निकली, जिनको भारत-यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएँ माना जाता है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी तक के मदर, फादर और ब्रदर शब्दों का जन्म संस्कृत के मातृ-पितृ और भ्रातृ शब्दों से हुआ, जो फारसी में मादर, पिदर और बिरादर बने और बाद में यूरोप की भाषाओं में अनेक रूप लेते हुए अंग्रेजी के वर्तमान शब्द बन गए।

संसार की अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत है और हिन्दी इसी संस्कृत का तद्‌भव रूप है। यानी यही संस्कृत भापा अपभ्रंश की गलियों से गुजरती हुई आधुनिक हिन्दी बनी। इस हिन्दी के विकास में भारत के सभी क्षेत्रों की भापाओं ने और यहां की जनता ने योगदान किया है। यह योगदान केवल भापा के स्तर पर ही नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और यहां तक कि राजनैतिक स्तर पर भी रहा। हिन्दी को पनपाने, बनाने और संवारने में भारत की प्राय: सभी भाषाओं ने अपना योगदान किया है। यही नहीं, भारत पर विदेशी प्रभुत्व के कारण इसमें कतिपय विदेशी शब्द दूध-पानी की तरह घुल-मिल गए हैं। इसीलिए हिन्दी का शब्द-भंडार सीमित से असीमित की ओर अग्रसर होता आया है।

प्रथम विश्व-हिन्दी सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी ने कहा था कि, "हिन्दी विश्व की महान भापाओं में से है। यह करोड़ों की मातृ-भाषा है और करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो इसे दूसरी भापा के रूप में पढ़ते हैं। सभी भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक परम्परा के समान उतराधिकारिणी हैं। ये भाषाएँ भारत की राष्ट्र-भाषाएँ हैं, और इनमें से हिन्दी भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क की भापा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार बहुत विशाल है।"

संसार के जिन देशों में हिन्दी पनप रही है, उन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है। एक में कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ भारतवंशियों की संख्या पर्याप्त है और दूसरी कोटि में उन देशों का उल्लेख किया जा सकता है जहाँ शुद्ध भापा-प्रेम के कारण लोग हिन्दी सीखते, बोलते और पढ़ते हैं। विदेशों में हिन्दी से जुड़े हुए अधिक लोगों की संख्या ऐतिहासिक कारणों से उन देशों में है जहाँ भारत-वंशियों की संख्या अधिक है और इस संदर्भ में मॉरीशस के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने प्रथम विश्व-हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर अपने अध्यक्षीय भापण में कहा था—"हिन्दी हमारी संस्कृति और धर्म की भापा है। हिंदी हमारे उन्मुक्त चिंतन की भापा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम विश्व के एक बहुत बड़े जन समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हिंदी वह भापा है, जिसे लेकर पिछले 150 वर्षों से हमने अपने बाप-दादा की परम्परा को जिन्दा रखा है।" आदि-आदि।

भारत को छोड़कर दुनिया के कोने-कोने में आज लगभग पौने दो करोड़ अनिवासी भारतीय और भारत वंशी विराजमान है और उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लगभग सौ डेढ़-सौ साल पहले मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गुयाना, बारबाडोस जमैका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जाकर बस गए। इन सबके साथ भारतीय मिट्टी की सुगन्ध भी वहाँ पहुँची। यही नहीं, इनके साथ हमारा जीवन-दर्शन, जीवन-शैली, हमारे गीता-रामायण जैसे ग्रंथ वहाँ पहुँचे और इस प्रकार उन दूर-दूर के देशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा यानी हिन्दी की गूँज आज भी निरन्तर सुनाई पड़ती है।

भारत के बाहर विदेशों में रह रहे मूल भारत-वंशियों के अतिरिक्त उन लोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, जो भारत-वंशी न होते हुए भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन और शोध कार्यों में संलग्न हैं। ऐसा करके वे भारत को भली प्रकार जानना चाहते हैं और इस दिशा में उनकी प्रगति सराहनीय रही है। यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमरीका और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में हिन्दी और भारतीय भापाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था वर्षो से चली आ रही है। जिन देशों में भारत-वंशी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, वहां तो हिन्दी का होना स्वाभाविक है किन्तु उनके अतिरिक्त रूस, अमरीका जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में लगभग डेढ़ सौ ऐसे विश्व-विद्यालय हैं, जिनमें हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है और इन सबके साथ-साथ भारत का विद्वत-वर्ग भी जुड़ा हुआ है और पिछले दो-तीन दशकों से ऐसा तारतम्य बन गया है कि निरंतर सम्मेलन, सभा और संगोष्ठी के माध्यम से इन विद्वानों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता रहता है। यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि हिन्दी सभी को जोड़ने वाली भाषा है, यह प्रेम की भाषा है। हिन्दी की अपनी इसी विशिष्टता के कारण समय-समय पर विश्व-हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है। सबसे पहला विश्व-हिन्दी सम्मेलन सन् 1975 में नागपुर यानी भारत में हुआ। इस सम्मेलन का उद्‌घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया और इसकी अध्यक्षता मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने की। इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा के रूप में स्वीकार

डी-2/154, रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन, लोनी, गाजियाबाद, (उ०प्र०)

किया जाए। उसके तुरंत बाद ही यानी सन् 1976 में दूसरा विश्व-हिन्दी सम्मेलन मॉरीशस में आयोजित किया गया। जिसको याद कर लोग कहा करते हैं—"न भूतो न भविष्यति", न पहले कभी ऐसा सम्मेलन हुआ है और न भविष्य में होगा। इस सम्मेलन में भारत से लगभग 250 विद्वानों एवं राजनेताओं ने भाग लिया और सभी इस बात से अत्यंत प्रफुल्लित थे कि मॉरीशस की सुन्दर भूमि पर हिन्दी का बिरवा किस प्रकार फलता-फूलता और पुष्ट होता जा रहा है। इसके बाद सन् 1983 में तीसरा विश्व-हिन्दी सम्मेलन नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया और इसकी अध्यक्षता कैम्ब्रिज के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मैग्रेसर ने किया फिर एक लम्बे अंतराल के बाद चौथा हिन्दी विश्व-सम्मेलन पुनः मॉरीशस की भूमि पर सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में अनेक देशों के विद्वान् पधारे और आपस में विचार विनिमय के उपरांत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। यहाँ माँग की गई कि अब तक के चार विश्व हिन्दी सम्मेलनों में जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। भारत और मॉरीशस की सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम शीघ्रातिशीघ्र उठाए जाएँ। इसी सम्मेलन में ट्रिनिडाड के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव रखा कि पांचवाँ विश्व-हिन्दी सम्मेलन ट्रिनिडाड में वर्ष 1996 में आयोजित किया जाए, क्योंकि इसी वर्ष भारतीयों के उस देश मे पहुँचने के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने हैं। अतः पांचवाँ विश्व-हिन्दी सम्मेलन ट्रिनिडाड में सम्पन्न हुआ। इससे पहले सन् 1993 में ट्रिनिडाड में ही एक अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत सहित अनेक देशों के लोग शामिल हुए थे। यह सम्मेलन पूरे पाँच दिनों तक चला और इसकी अनेक विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं।

दक्षिण अफ्रीका में छोटे-छोटे 365 द्वीपों को मिलाकर बने गुयाना में 50 प्रतिशत से भी अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहाँ भारतीय तीज-त्यौहार, पूजा-पाठ, बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आज भी दशहरा और दीपावली यहाँ के राष्ट्रीय त्यौहार हैं। श्रीरामचरितमानस और गीता यहाँ के भी समादृत धर्म-ग्रंथ हैं। यहां के रेडियो एवं टेलीविजन पर हिन्दी-गीतों के कार्यक्रम होते हैं तथा सिनेमा घरों में हिन्दी-फिल्में निरंतर प्रदर्शित की जाती हैं।

गुयाना की तरह सूरीनाम के कई भागों में भी हिन्दी के प्रति लोगों का बहुत आदर है। रोजी-रोटी की तलाश में लगभग एक शताब्दी पूर्व भारतीय अप्रवासी यहां पहुंचे थे। वे अपने साथ अपनी भाषा, अपनी बोली और अपने संस्कार ले जाना नहीं भूले थे।

जापान के टोकियो विश्व-विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए हिन्दी विषय लेने का प्रावधान है। इसी तरह ओसाका विश्वविद्यालय में भी हिन्दी एक विभाग के रूप में प्रतिष्ठित है। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हिन्दी के विकास में रेडियो जापान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से नियमित रूप से हिन्दी प्रसारण होता है। यहां भारत के कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और पत्रकारों से भेंट-वार्ताएं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों में मानी जाती हैं।

भारत को छोड़कर विदेशों में सवा सौ से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है और अमरीका से लेकर मॉरीशस तक तथा जापान से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक अनेक देशों में स्थानीय स्तर पर हिन्दी की संस्थाएं काम कर रही हैं। जहां-जहां भी हिंदुस्तान के लोग रोजी-रोटी की तलाश में पहुंचे, वहां-वहां हिंदी स्वतः ही पहुंची है। मॉरीशस ट्रिनिडाड, गयाना, फीजी, सूरीनाम आदि देशों में अब यही लोग सत्ता के भागीदार भी हो गए हैं।

इस समय, जहां भारत में 90 प्रतिशत से भी अधिक लोग हिन्दी बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं वहां विदेशों में भी हिन्दी प्रेमियों की संख्या करोड़ों में विद्यमान है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। हिन्दी अपनी वर्णमालाओं, मात्राओं, ध्वनियों और लिपि की स्पष्ट वैज्ञानिकता और विशिष्टता के कारण संसार में एक दिन अपना वर्चस्व स्थापित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

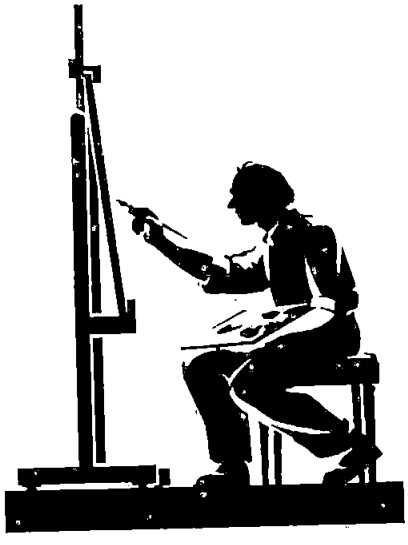

मोहन दास करमचंद गांधी

—नवकान्त बरुआ

वचना

नागरी लिप्यन्तरण

राम-राज्यर सपोन-पियासी
कामर कवि,
दुर्मुखर शुनिबा मिनति ?
आकौ एवार आहिबाने तुमि
एइ कथा-कबलइ :
एबारेइ आहि, एके बारे ग'ला
आरु तुमि घूरि नाहा!

प्रमोद-उद्यान साजि राजघाट
बाराकपुरत
जीयाइ राखिछों आमि तोमार
मरण।

हिन्दी अनुवाद

रामराज्य के स्वप्न-तृपित हे कवि, हे कर्मठ
इस दुर्मुख की
इतनी विनती क्या सुन लोगे ?
एक बार क्या दर्शन दोगे फिर धरती पर
यह कहने के लिए
कि आया था मैं लेकर एक संदेसा
लौट गया हूं और सदा के लिए
नहीं आऊँगा, तुम निश्चिन्त भाव से मन की करना!

सजा-सजा कर उपवन और उद्यान
बैरकपुर में यहाँ, वहाँ पर राजघाट में
जीवित रखे जा रहे हैं हम
केवल गांधीजी का मरना!

सर्वव्यापी और शाश्वत

—नीलमणि फूकन

नागरी लिप्यन्तरण

कोत आछा तुमि जाना, चकुर आँतर होले हब परा नाई। नाम उच्चारण मात्रे शून्य लोक परिपूर्ण क'रि देखा—दिया—स्वप्न दिठकर दोमोजात बहि आछा। पदक्षेप देखों तोमारेइ, स्मृति पथ जुरि गै आछा, लोकारण्य माजे तुमि आगर दरे। धुलि कपार पाछे पाछे उरि फुरे येनि योवा तुमि; तोले खलकनि नद-नदी, तर्पण एचलु आशे तोमार नामत; जले, स्थले, शून्ये उठै ध्वनि 'बापूजीर जय,' राजघाट होल तीर्थ स्थान जगतर। योगासन थै तात केनि ग'ला तुमि? प्रश्न किय चोवा बहि आछे जिनि तोमार अन्तर।

हिन्दी अनुवाद

स्वप्न और सत्य के बीच में प्रतिष्ठित तुम
आंखों से ओझल नहीं
यों तो जाने कहां हो!
नाम आया ओठों पर और
शून्य लोक हुआ पूर्ण
लगने लगा चारो-तरफ जैसे जहां-तहां हो!
ढंके हुए स्मृति पंथ
चलते चले जा रहे हो
पहले की भांति ही लोगों से घिरे हुए
निकले हो जहां से अभी छाई है धूल वहां
आतुर है नद-नदी अंजुलि भरे हुए!
राजघाट बन गया है
तीर्थस्थल विश्वभर का
गूंजित है तीनों लोक बापू की जय से
जीतकर हमारा अंतर
तुम हो आसीन मन में
कहां गये पूछें क्यों
छूटें मृत्यु भय से!

"राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार से हिन्दी ही ऐसी भाषा है।"

लोकमान्य तिलक

बापू जी

—मेघराम पाठक

नागरी लिप्यन्तरण

उत्तांल-उन्मत्त-रण-समुद्रतीरत शान्तिर सु-शुभ्र-ध्वजा लइ दु हातत;
शोभछिला तुमि कोन परम वैष्णव सत्य-यज्ञ पाति हेरा विश्वर-वैभव!
तोमार—हांहि देखि भाव ह'ल पूर्णिमार जोन
जगत भुलाला जारे हेरा कँचा सोण!
तोमार—शौर्य देखि भाव ह'ल, तुमि नव सूर्य
हीमतात बाजे तयु, वज्र कंठे तूर्य!
तोमार—न्याय निष्ठा देखि, भावो तुमि युधिष्ठिर
क्षत्रिय रणेरे राखा रणे उच्च शिर!
तोमार—दया देखि भावे विश्वे बुद्ध अवतार
महान् हृदय लइ आहिला इ बार!
तोमार—क्षमा देखि भावे सबे, येन सरगर
यीशु तुमि, प्रतिहिंसा नाइ हिंसुकर!
तोमार—भ्रातृ भाव देखि लोके भावे महम्मद
पुनु आहिछिला लैहिया गद्‌गद्!
तोमार—भक्ति देखि भाव हय—श्रीमन्त शंकर
प्रेम अवतार तुमि श्री चैतन्यर!
तोमार—आत्मत्याग देखि भावो, हरिश्चन्द्र तुमि
यिगुणेरे गरीयसी भारतर भूमि!
तोमार—अहिंसा अग्निरे गढ़ा, धरमर भेटि
उदार उदात्त सुरे, गाला यार गीति!
तोमार—राजनीति देखि विश्वे करे धन्य धन्य
विचक्षण कृष्ण तुमि नोहा कोनो अन्य!
तोमार—समदर्शी हिया देखि भावे नि:स्थ जने
राम अवतार येन प्रसार रंजने!
तोमार—पराधीन दलितर बाबे कान्दे हिया
मानवर बन्धु आरु एने नाइकीया!
तुमि —सर्व धर्म—समन्वयी, योगी—कर्मवीर
युग श्रेष्ठ सौन्दर्यर पुत्र भारतीर!
पुण्य श्लोक राजऋषि जगत-वन्दन
लोवा नमस्कार मोर, हे महात्मन्!

हिन्दी अनुवाद

उत्ताल लहरें जब उठीं रण की जलधि तट पर
हाथ में लेकर पताका शान्ति की
हे परम वैष्णव किया मख कठिन तुमने सत्य का
तुम कौन जिसने विश्व का वैभव बढ़ाया—क्रान्ति की!
हंसी मानों पूर्णिमा की चांदनी हो।
छवि जगन्मोहन कि कंचन की बनी हो
शौर्य जैसे उदित्त होता सूर्य हो
नम्रवाणी यों कि जैसे तूर्य हो!
न्याय निष्ठा में युधिष्ठिर तुम
दया में थे दूसरे गौतम
क्षमा ईसा-सी अलौकिक थी
हानि चाही नहीं हिसंक की!
राम के किंकर कि शंकर अन्य
प्रेम के अवतार नव-चैतन्य
त्याग के हरिचंद सब के हित
देश पाकर हुआ गौरवान्वित!
अहिंसामय अग्निआधृत धर्म
गेय हैं सारे तुम्हारे कर्म
कृष्ण जैसे विचक्षंण ज्ञानी
नीति सारे विश्व ने मानी!
प्रजा रंजक राम के अवतार
सभी के प्रति तुम समान उदार
हृदय रोता था दलित को देख
बन्धुता की कहां ऐसी रेख!
सर्वधर्म समन्वयी योगी
तुम्हारी समता कहां होगी
पुत्र भारत के सुशोभन हे
लो हमारे अमित वंदन हे!

पुस्तक समीक्षा

गांव की राधा

[पुस्तक : गांव की राधा (कहानी संग्रह), लेखक : डॉ इन्द्र सेंगर, मूल्य : 100 रुपये, संस्करण : 1998, प्रकाशक : ग्रन्थ भारती 5/288, गली नं. 5, वैस्ट कान्ति नगर, दिल्ली-110051]

हिन्दी जगत के सुधी लेखक डॉ. इन्द्र सेंगर द्वारा रचित यह कहानी संग्रह ''गाँव की राधा'' लेखक की नवीनतम रचना है। इस कहानी संग्रह में लेखक ने जीवन के विभिन्न अनुभव रूपी पृष्ठों से कुछ विषय उठाए हैं और उन पर अपनी भावना और शब्दों की तूलिका चलाई है। इस संग्रह की सभी कहानियां अच्छी बन पड़ी हैं। अत: समीक्षा करते समय कहानियों को एक-एक कर उठाना ही उचित प्रतीत होता है।

इस संग्रह की दसवीं और अंतिम कहानी ''गाँव की राधा'' है किन्तु चूंकि लेखक ने उसे शीर्षक रूप में चुना है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कहानी बेहतरीन है। कहानी की कथावस्तु राधा नाम की दो लड़कियों के आस-पास घूमती है। पहली लड़की ग्रामीण वातावरण की है, जो एक समाजसेवी युवक को अपने सहज-सरल व्यवहार से बरबस अपना भाई बना लेती है और ठीक वैसा ही निश्छल व्यवहार उसके गाँव के सभी लोगों का है; किन्तु वही युवक जब शहरी लड़की के घर पहुंचता है तो वातावरण में छल, शंका और भ्रान्तियां पैदा हो जाती है, जो शहरी वातावरण में पली-बढ़ी स्वच्छन्द आधुनिक नारी की जकड़न को उद्घाटित करती है तथा विडम्बना यह है कि उसके अपने नजदीकी संबंधी उसे आशंकित दृष्टि से देखते हैं, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से एकदम् विरोधाभास रखता है।

''अंकुर'' कहानी में संतान प्राप्ति न होने पर पति द्वारा परित्यक्ता नारी के जीवन की विषम दशा की ओर ध्यान खींचा गया है, जो हमारे समाज की उस विसंगति की ओर उंगली उठाती है जहां संतानविहीन नारी को त्याज्य मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेखक ने नारी के माध्यम से मनुष्यता का अपमान करने वाले समाज के विरूद्ध यथोचित समाधान सुझाने का भी प्रयास किया है लेकिन उसका निर्णय प्रबुद्ध पाठकों पर छोड़ दिया है।

''जहर के घूंट'' भी एक अच्छी कहानी है, जिसमें जात-पात और अस्पृश्यता के व्यवहार की तुलना में निश्छल प्रेम और सद्भाव से सबका मन जीतने वाले व्यक्ति की हार भी जीत के समान है। कहानी सहजता से आगे बढ़ती है और मार्मिकता पूर्ण परिवेश में समाप्त होती है।

''गाँव के घूंघट'' और ''गुलाब के फूल'' कहानियों में क्रमश: एक नारी चरित्र और प्रबुद्ध मानव के माध्यम से गांव और समाज के उत्कर्ष और नए दृष्टिकोण के सूत्रपात का शंखनाद लेखक ने किया है, जो उसके आशावादी और प्रगतिवादी विचारों का द्योतक है तथा उसके लेखन को अन्य समकालिक लेखकों के नितांत मनोरंजनवाद से आगे विकास और प्रगतिपरकता की ओर मोड़ता है।

''इंतजार किसी का'' माननीय भावनाओं के मंथन और तामसिक वृत्ति पर सात्विक वृत्ति की निरंतर विजय की कहानी है। लेखक ने मानव मन की गहरी थाह ली है, जो उसकी इन कृतियों से परिलक्षित होता है। ''मिथिलापुरी बनी दुल्हन'' एक पौराणिक कहानी है, जिसमें विभिन्न चरित्रों के माध्यम से प्राचीन काल में विभिन्न राज्यों की कमजोर न्याय व्यवस्था, अराजकता और मनुष्य की उदात भावनाओं का अच्छा चित्रण किया है।

आज की समसामयिक समस्याओं को उठाती है कहानी ''अक्षांश'' तथा ''और वह जिन्दा है'' जिसमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थान्धता का वर्णन लेखक ने किया है। प्रदूषित परिस्थितियों और व्यक्तियों के बीच फंसा आज का ईमानदार व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य, अपनी इच्छा शक्ति और विषम परिस्थितियों में जकड़ कर रह जाता है। यद्यपि वह इन परिस्थितियों में जूझने का भरसक प्रयास करता है किन्तु कभी-कभी जब उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है और परिस्थितियां उस पर हावी हो जाती हैं, तो वह अपना आपा खोकर आत्महत्या तक का भी प्रयास करता है। जो निस्संदेह एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। वास्तविकता के नजदीक होने पर भी अक्षांश कहानी के संवाद लंबे हो गए हैं वे भाषण की तरह लगने लगे हैं।

संग्रह की सभी कहानियां अच्छी बन पड़ी हैं। एक बारगी पाठक मन को छूकर चली जाती हैं और मजबूर कर देती हे कि उन्हें पुन: पूरा पढ़ा जाय। हिन्दी साहित्य जगत इन कहानियों से समृद्ध होगा ओर प्रबुद्ध समाज इनका स्वागत करेगा। ऐसा हमारा विश्वास है।

—मीनाक्षी रावत
ए. टू. ए.-121,
जनकपुरी, नई दिल्ली-58

संवेदना के भिन्न आयामी गीत

[पुस्तक : धार पर हम (गीत संकलन), संपादक : वीरेन्द्र आस्तिक, प्रकाशक : आलोक पर्व प्रकाशन 1/6588 पूर्वी रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32, मूल्य : 160/- संसकरण : 1998]

''धार पर हम'' श्री वीरेन्द्र आस्तिक द्वारा सम्पादित समकालीनता की 'धार' पर संचरण करने वाले सोलह गीतकारों के मात्र 5-5 रचनाओं का ऐसा संकलन है जो आज के गीत परिवर्तित परिदृश्य को सामने ही नहीं रखता है, वरन् डॉ. सुरेश गौतम तथा स्वयं संपादक के द्वारा लिखे ऐसे आलोचनात्मक लेखों को प्रस्तुत करता है जो आज के गीत के कथ्य एवं रूप को एक ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। डॉ. सुरेश गौतम ने पूरे लेख को गीतात्मक भाषा का वह चमत्कृत रूप प्रदान किया है जो मेरे विचार से आलोचना की भाषा का रूप नहीं है। किसी कथ्य या विचार को प्रस्तुत करते समय डॉ. गौतम रूपक-उपमा आदि की एक ऐसी कुहेलिका का सृजन करते है कि जिससे कथ्य पृष्ठभूमि में चला जाता है और पाठक भाषा

के चमत्कारी रूप में उलझ कर रह जाता है। यह गद्य-काव्य तो हो सकता है पर गीत की आलोचना नहीं। आलोचना की भापा संयत, विवेकपूर्ण तथा विश्लेपणात्मक होती है। इस दृष्टि से संपादक वीरेन्द्र आस्तिक की भाषा अपेक्षाकृत आलोचना की भाया है। मै यहां पर संकलित गीतों की संरचना पर विचार करना चाहूंगा जिसमें रूप और कथ्य दोनों शामिल होंगे और प्रसंगानुसार उपर्युक्त आलेखों का भी जिक्र करूंगा।

जैसाकि मैंने कहा कि इस संकलन में सोलह गीतकार हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, मध्यप्रदेश तथा हरियाणा से लिए गए हैं जो हिन्दी जाति के व्यापक फलक को संकेतित करते हैं। उत्तर प्रदेश से सात गीतकार है जिनके नाम हैं रवीन्द्र भ्रमर, कुँवर बेचैन, यशमालवीय, अवध बिहारी श्रीवास्तव, शतदल, कौशलेन्द्र और स्वंय संपादक वीरेन्द्र आस्तिक। मध्यप्रदेश से चंद्रसेन 'विराट', इसका 'अंश्क' तथा सुश्री शरद सिंह। महाराष्ट्र (बम्बई) से सूर्य भानु गुप्त, बिहार से सत्यनाराण, दिल्ली से इन्दिरा मोहन, हरियाणा से राधेश्याम शुक्ल, राजस्थान से मुकुट सक्सेना तथा बंगाल (कलकत्ता) से बुद्धिनाथ मिश्र। यह तालिका स्पष्ट करती है कि इस संकलन में समकालीन गीतकार है जिनमें से श्री रवीन्द्र भ्रमर तथा सूर्य भानु गुप्त अपेक्षाकृत पुराने हैं। पर है समकालीन। इस सूची में एक नाम रह गया है जो गीतकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मेरा संकेत नईम की और है। फिर भी यह संकलन महत्वपूर्ण है जो संपादक की दृष्टि का परिचायक है।

सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना जरूरी है कि गीत या नवगीत तथा कविता (मुक्त छंद या छंदोबद्ध) की संरचना में अन्तर है और यह अन्तर कथ्य के 'ट्रीटमेंट' तथा रूप के सघनीकृत तथा संक्षिप्त होने में है। डॉ. सुरेश गौतम ने गीत को जिस तरह अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया है वह मेरी दृष्टि से एकांगी है। ये दोनों विधाए काव्य के अंग हैं। अत: जहां गीत के तत्व (लय, ध्वनि) कविता में प्राप्त होते हैं, वहीं गीत की संरचना में खुरदुरापन मांसलता के स्थान पर रूक्षता या तिक्तता, रोमानियत का परिवर्तित रूप तथा वैचारिकता का सघनीकृत रूप प्राप्त होते है। इस अन्तर्मेदन (इंटर एक्शन) को यदि ध्यान में रखा जाए तो दानों विधाओं में संरचनात्मक अन्तर होते हुए भी 'संवाद' की परोक्ष स्थितियां प्राप्त होती है। यहां पर डॉ. गौतम का यह निष्कर्प है कि अकविता/नयी कविता जहां समाप्त होती है, गीत वहां से अपनी यात्रा प्रारम्भ करता है। (पृष्ठ-31) इसका अर्थ यह हुआ कि गीत इससे पूर्व नहीं था, जब कि गीत का अस्तित्व आदिम काल से किसी न किसी रूप में रहा है, हां समय तथा स्थान की सापेक्षता में उसका रूप तथा उसकी संरचना में अन्तर आया है। कथ्य की दृष्टि से चाहे वह आज का गीत हो या गद्यकाव्य—दोनों में "विपयानुभूति" का हलका या तीखा रूप प्राप्त होता है। क्यों कि यह विषयानुमति आज का कटु-यथार्थ है, जिसे समकालीन गीत, पारम्परिक और नये रूपाकारों के द्वारा व्यक्त कर रहा है। इस संग्रह में अनेक गीत, (सभी नहीं) इसी प्रकार के है जो अपनी संरचना में इस विपयानुभूति को अर्थ देते हैं। यहां पर मैने विपयानुभूति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है जिसमें विडम्बना, शोपण, यंत्र सभ्यता, अंधविश्वास, आतंक, बाजार व्यवस्था तथा विसंस्कृतिकरण के अनेक वे रूप है जिनसे आज का मानव संघर्परत है।

विशेपकर रचनाकार विचारक तथा कलाकार। अनेक उदाहरणों में से यहां मैं एक दो उदाहरण ही देना चाहूंगा जो विपायानुभूति के उपयुक्त रूप को अर्थ देते है। कहीं-कहीं पर नये रूपकार भी हैं यथा—

मिल की चिमनी, भोपू, शोर धुआँ राख
यंत्रबोध मीच गया भीतर की आंख
संवेदन पर अपनी कौन जो सहीदे।
मेघों पर कढे हुए, किरण के कसीदे।

— चंद्रसेन विराट

अयोध्या के माध्यम से आज की त्रासद स्थिति का संकेत—

राम नहीं, केवल कुहराम है अवध में
सड़के हैं मटमैली, जुलूस की यात्राएं
इश्तहार रचते हैं अनजानी संज्ञाएं
पडयंत्री छलनाएं, सत्य से मुकरती हैं
सीता जी रोज नयी आग से गुजरती हैं

— राधेश्याम शुक्ल

यश मालवीय मुकुट सक्सेना तथा कौशलेन्द्र आदि की रचनाओं में विपयानुभूति के भिन्न रूप प्राप्त होते हैं। यह अवश्य है कि कभी वे प्रकृति के द्वारा, कभी मानवीय सम्बन्धों के द्वारा तथा कभी मिथकों, आद्यरूपों के द्वारा इस विपयानुभूति को इसलिये व्यक्त किया जाता है कि जिससे समाज में परिवर्तन आए और व्यक्ति अपने अस्तित्व तथा अस्मिता को 'अर्थ' दे सके। 'चहुँ ओर व्याप्त तिमिर चक्र' से पांव तो अवश्य उलझ रहे हैं पर मानव की जिजीविपा तथा अस्मिता उसे यह करने को विवश करती है कि—

पावों में तिमिर चक्र उलझे पर
आँखों में धैर्य के उजाले हैं

— मुकुट सक्सेना

इस संग्रह में संवेदना के अनेक रूप हैं जो यथार्थ के वाह्य तथा आंतरिक पक्षों से टकराते है। जहां तक यथार्थ के आंतरिक पक्ष का प्रश्न है, वह परिवारिक बिम्बो, प्रकृति,व्यापारों प्रेम और राग के मर्म स्पर्शी रूपों तथा कभी-कभी नये रूपाकारों तथा प्रतीकों के द्वारा हमारे 'मर्म' को आंदोलित करते हैं जिनमें कभी-कभी वाह्य यथार्थ का कटु-तिक्त रूप भी ध्वनित होता है। अवध बिहारी श्रीवास्तव, डॉ हसाक अश्क, रवीन्द्र भ्रमर, वीरेन्द्र आस्तिक तथा सत्य नारायण आदि गीतकारों में यह प्रवृत्ति कमोवेश रूप में प्राप्त होती है। ये गीत हमारे मर्म को मात्र सहलाते नहीं है, वरन हमारे मर्म को आंदोलित एवं उद्वेलित भी करते हैं—हमें संवेदना के स्तर पर कुछ 'सोचने' को विवश करते हैं। सत्यनारायण की एक रचना है, "शब्द से भरता हुआ" जिसमें कवि अपनी सार्थकता को अपनी आंतरिक सृजन-ऊर्जा से संबन्धित करता है जिसमें वाह्य का संघर्प भी है और अंतर की संघर्प ऊर्जा-पूरी रचना इतनी गठित एवं लयात्मक है कि पाठक के हृदय को वह किसी न किसी स्तर पर आंदोलित करती है—

सच नहीं केवल वही, जो सामने है दिख रहा
दृष्टि पथ के पार कोई है मुझे जो लिख रहा
मौन रह कर भी, मुझे यों शब्द से भरता हुआ
कौन है मुझ में, मुझे यो सार्थक करता हुआ

— सत्यनारायण

पूरे संग्रह में कहीं-कहीं घर, बेटी, परिवार, प्रकृति दृश्य तथा प्रकृति घटनाएं इस प्रकार रचनात्मक अर्थवत्ता प्राप्त करती हैं, कि यथार्थ का आंतरिक पक्ष जो हमारी संवेदना को कहीं गहरे ले जाती हैं, पर एकांतिक रूप में नहीं। लोकगीत की संवेदना को लेता हुआ अवधविहारी श्रीवास्तव की एक रचना "पत्र नहीं आया" की संरचना में एक वधू को अपने बाहर गए प्रिय की चुलाने का उपक्रम है, पर चेतना नहीं, परोक्ष रूप से कभी अम्मा के द्वारा कभी गौरये के जोड़े के द्वारा, कभी मेले के निमंत्रण के द्वारा तो कभी भाभी की चिट्ठी के द्वारा- ये सभी माध्यम वधू के अन्तरमन की बेचैनी, प्रतीक्षा तथा त्याग को व्यक्त करने के लिए हैं—

बहुत दिनों से आप न आए, पत्र नहीं आया
अम्मा कहती सूना लगता है घर का आंगन
× × ×
भाभी की चिट्ठी आयी है पूछा है भेजूं
छोटे मोजे और खिलौने, चांदी की करधन।

—*अवधविहारी*

संवेदना के ये भिन्न रूप इस संग्रह को यथार्थ के भिन्न रूपों से जोड़ते हैं, पर जहां तक रूपाकारों, प्रतीकों का संबंध है, वे अधिकतर लोक परम्परा से ही लिए गए हैं क्योंकि वे हमारे मनस् में गहरे बैठे हुए हैं। ज्ञान-विज्ञान के नये प्रतीकों आशयों का कम ही प्रयोग प्राप्त होता है जो हमारे विचार से आज के गीत की एक एक ऐसी मांग है जो गीत को और उसकी संरचना को ये आयाम दे सकता है। गीतकार जहां तक आज का संबंध है, वह ज्ञान संवेदना के आयामों को तभी सार्थक ढंग से छू सकता है, जब वह ज्ञान विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त अपनी 'संवेदना' को व्यापक ही नहीं बनायेगा वरन् अपने बोध को भी रचनात्मक अर्थवत्ता दे सकेगा। यह मात्र प्रस्ताव है, क्योंकि रचनाकार को निर्देश नहीं दिया जा सकता है, पर उसके सम्मुख प्रस्ताव तो किया जा सकता है, और यही आलोचक और रचनाकार का स्वस्थ द्वन्द्वात्मक संबंध है।

मैं एक आलोचक के नाते इस गीत संग्रह को समकालीन कविता के समानान्तर रखकर यह कहना चाहता हूं कि गीत और कविता का द्वन्द्वात्मक संबंध है, उनमें संरचनात्मक अन्तर होते हुए भी एक दूसरे में अनुप्रवेश करने की शक्ति है। आज की कविता का यह एक व्यापक फलक है जिसमें अनेक काव्य विधाएं संवाद की स्थिति में यथार्थ के रंग रूपों को अपने तरीके से 'अर्थ' दे रही हैं। इस दृष्टि से इस संग्रह का मैं स्वागत करता हूँ।

—वीरेन्द्र सिंह
पता : 5 झ 15
जवाहर नगर
जयपुर (राज.) 302004

भारतीय बैंकिंग और भाषा प्रयोग

[पुस्तक : भारतीय बैंकिंग और भाषा प्रयोग, लेखक : डा. अजेश कुमार जैन, प्रकाशक : राष्ट्रीय सेल्स एजेंसीज जयपुर, पृष्ठ संख्या : 138, मूल्य : रु. 80, संस्करण : 1998]

प्रत्येक व्यवसाय ग्राहक पर, उसकी आवश्यकताओं और उसकी अपेक्षाओं पर आधारित होता है। इसलिए यह ग्राहक की भाषा में ही संपन्न होता है। व्यावसायिक स्पर्धाएं व्यवसाय को अधिक से अधिक ग्राहक-उन्मुख बनाने हेतु प्रेरित करती हैं। इसमें भाषा की प्रमुख भूमिका होती है क्योंकि व्यवसाय के उत्पादों, सेवाओं आदि की विशेषताओं को सूक्ष्मता से ग्राहक तक पहुंचाने तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को उसी गंभीरता से समझने में भाषा ही सेतु का कार्य करती है। इसलिए भाषा प्रयोग में परिवर्तन देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता रहता है, सरकारी नीतियां इन परिवर्तनों में सहायक एवं नियामक की भूमिका निभाती हैं। यह कहना है कि प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय का जिसे डा. जैन ने अपने गहरे बैंकिंग एवं राजभाषा प्रयोग संबंधी अनुभवों के आधार पर तथ्यपूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया है।

पुस्तक के दूसरे व तीसरे अध्याय में 'बैंकिंग संबंधी हिन्दी और अंग्रेजी शब्दों के स्वरूप' तथा 'बैंकिंग संबंधी हिन्दी और अंग्रेजी वाक्यों के स्वरूप' का विवेचन, विश्लेषण एवं व्यावहारिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में बैंकिंग में हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण में 256 बिन्दुओं पर विविध भाषा-भाषी, विविध शैक्षिक स्तर वाले, विविध कार्य क्षेत्रों और विविध पेशों के ग्रामीण, शहरी, अर्धशहरी 100 अभिभावकताओं से प्राप्त 25,600 अभिमतों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के दूसरे आधार के रूप में लिए गए विविध बैंकों के भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में भाषा प्रयोग के आंकड़े हैं जो यद्यपि अद्यतन नहीं हैं किन्तु विश्लेषण किए जाने के समय और पुस्तक के रचना-काल को देखते हुए सामयिक हैं। पुस्तक के पांचवें अध्याय में बैंकिंग में भाषा प्रयोग की दिशा एवं संभावनाएं प्रस्तुत करते हुए उसके 'अपेक्षित व्यावहारिक स्वरूप' का विवेचन किया गया है जो तथ्य परक एवं तर्क सम्मत है।

पुस्तक की पांडुलिपि को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पुस्तक की भाषा सरल तथा विषय के अनुरूप है और शैली सहज एवं तर्कपूर्ण है जिससे सामान्य पाठक वर्ग इसका लाभ सहजता से ले सकता है और राजभाषा कर्मी तथा इस दिशा में शोधकार्य करने वाले विद्वान इसका उपयोग प्रामाणिक संदर्भ साहित्य के रूप में कर सकते हैं।

—घनश्याम गुप्ता

अक्षरों के साये

[पुस्तक : अक्षरों के साये (आत्म कथा), लेखिका : अमृता प्रीतम, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट नई दिल्ली, मूल्य : रु. 125]

'अक्षरों के साये' अमृता प्रीतम की एक सुन्दर एवं प्रभावी कृति है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा ही कही है। अपने बाल्यकाल से लेकर जीवन की इस सन्ध्या तक के हाल को, उपन्यास में संजो कर इसे आत्मकथात्मक रूप प्रदान किया है। प्रायः देखा गया है कि जीवन की

सांध्य बेला में व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है—अमृता भी इस दिशा में अपवाद नहीं है और वह स्थिति धुंधली सी है।

इसमें उन्होंने जीवन के यथार्थ को देखा मात्र ही नहीं है—अपितु भोगा और अनुभव भी किया है। देश विभाजन की विभीषिका का स्वाद चखा है और जो व्यक्ति किसी चीज/समस्या का स्वाद चखता है—उसकी अनुभूति और लेखन प्रभावी और सशक्त होता है। धर्म के नाम पर होने वाले नंगे नाच को देखकर उनका अन्तर्मन विद्रोह कर उठा—

उठो वारिस शाह
कहीं कवर में से बोलो

*   *   *

पंजाब की एक बेटी रोई थी
तू ने लम्बी दास्तान लिखी
आज तो लाखों बेटियां रोती हैं
उठो! और अपना पंजाब देखो!
आज हर वेले में लाशें बिछी हैं
और चुनाव में पानी नहीं
....अव लहू बहता है।

बंटवारे की दहशत इतनी थी कि वह चीत्कार कर उठी—

एक तूफान आया
यह बदन बाकी है
पर नसीब डूब गया...

बस इतना जानती
कि इसी बहाने धरती पर
धर्म और ईमान बिकता है
यहां देश की नार बिकती है.......

विभाजन का असर उनके जीवन पर अथाह है। उसको वह सायों के रूप में देखती और अनुभव करती हैं। उनका कहना है कि ये साये ही उनका जीवनभर पीछा करते रहे हैं और आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे/ वे साये मौत, हथियारों, अक्षरों और सपनों के रहे हैं जो आज भी साथ-साथ चल रहे हैं। ये साये धीरे-धीरे सरकते रहे कि इन्होंने उसे घेर लिया और वे अक्षरों के साये बन गये।

लेखिका धर्म के बाह्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करती। उनके अनुसार हिन्दू, मुस्लिम तो एक नाम मात्र है। वास्तव में धर्म तो मानवधर्म हैं। वह लिखती है—

'धर्म तो मन की अवस्था का नाम है। उसकी जगह मन में होती है, मस्तक में होती है और घर के आंगन में होती है......' आगे एक स्थान पर कहती हैं—

'अगर देश की मिट्टी को धर्म समझ लिया जाए—तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता। मानवीय सम्बन्धों के विषय में भी लेखिका का वही दृष्टिकोण है . . . . .'

'दुनिया में रिश्ता एक ही होता है—तड़प का, विरह की हिचकी का, और शहनाई का, जो विरह की हिचकी में सुनाई देती है। यही रिश्ता साहिर से भी था और इमरोज से भी. . . .'

चाहे रिश्ता सामाजिक हो, वैवाहिक हो अथवा मित्रता का—विचार बहुत अच्छे लगते हैं परन्तु क्या इन्हें वास्तविक कसौटी पर रखा जा सकता है अथवा नहीं ? विचारणीय प्रश्न यही है।

वैसे भारतीय संस्कृति में ऐसे विचार तो बहुत पहले से ही रखे गए हैं। ऋगवेद में तो बहुत पहले कहा गया है—'एकैव मानुषी जाति'।

हमारा लक्ष्य, ''वसुधैव कुटुंबकम्'' का है। मानव की स्वतंत्रता धर्म निरपेक्षता, मानवतावादी—भारतीय जीवन शैली का मूल मंत्र है— इसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है परन्तु अन्य कोई भी समुदाय इसे स्वीकार नही करता। इस उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर भारतीय ही घाटे में रहे हैं—लेखिका ने बंटवारे की विभीषिका का दानवीय नृत्य देखा भी था—फिर भी उन्हीं लोगों से सामीप्य कोई विवशता हो सकती है। देश, जाति, समाज के प्रति अपने दायित्व के प्रति सचेत भी हैं। इसीलिए देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण की उन्होंने बात भी की है। सम्भवत: बहु असीम शक्ति के प्रति नतमस्तक होना चाहती है—कर्म, उपासना-ज्ञान-शरीयत, तरीक्त, हकीकत के उपरान्त ही मार्फत की अवस्था में व्यक्ति पहुंचाता है/वह कहती हैं

''चार चिराग तेरे बलन हमेशा
में पंजवा बालन आई''

उस परम शक्ति के समीप्य की यह अन्तिम स्थिति होती है, जिसके अन्तर्गत अनुभूति तो होती है परन्तु वह वर्णन से परे होती है। लेखिका स्वयं एक स्थान पर लिखती हैं— 'पिछले कुछ बरसों से कई बार इस तरह की गनूंदगी तारी हो जाती है कि करीब तीन दिन सोये-सोये निकल जाते हैं जागती हुई भी जाग नहीं सकती. . . .'

. . . . .'कई दिनों से लग रहा था कि मैं हर समय सोई हुई हूं'— यह स्थिति चरमावस्था की ही हो सकती है। इसमें विभाजन के वातावरण, धर्माचार्यों की निरूपता आदि का सुन्दर चित्रण है। भाषा में प्रवाह, आकर्षण एवं पकड़ है। कहीं-कहीं दार्शनिक भी हो गई। पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार भी है। भाषा आलंकारिक हैं।

'चिंतन के हवन कुण्ड में जो आत्मा की अग्नि है—उस अग्नि से उठते हुए धुंए की लकीर मेरे माथे के तेवर है'

अमृता जी ने अपनी आत्मकथा में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं मानवीय भावनाओं को जगाने का यत्न किया है जो भारतीय समाज की धरोहर हैं। काश कि समाज के सभी वर्ग इसे अपना पाते।

पुस्तक की साज सज्जा गेट-अप सुन्दर एवं आकर्षक है इस सुन्दर कृति के लिए लेखिका बधाई की पात्र हैं।

—एम. एल. मैत्रेय
35, सुखराम अपार्टमेंट, प्लाट-1, सेक्टर-9,
रोहिणी, दिल्ली-97

मानव अधिकार और पुलिस बल

[पुस्तक : मानव अधिकार और पुलिस बल, लेखक : भूषण लाल वोहरा, भारतीय पुलिस सेवा, प्रकाशक : के. के. पब्लिकेशन्स, एच.आर., 6-ए, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली-110085, पृष्ठ संख्या : 141, मूल्य : रु. 60 रु. 100 (जिल्द सहित)]

मानवाधिकार, उनकी रक्षा और सम्मान आज के समय की जीवन रेखा है। जीवन के हर क्रियाकलापों व क्षेत्रों में मानवाधिकार बहुत गहराई

व तीक्ष्णता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कोई भी विभाग विशेषकर कानून व लोक व्यवस्था से जुड़ा पुलिस जैसा विभाग, इसके व्यापक प्रभाव से न तो अछूता रह जाता है और न ही रहना चाहिए। मानवाधिकारों का न केवल व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है, अपितु इसके विभिन्न आयामों में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आये हैं।

मानवाधिकार कोई नया विषय नहीं है, किन्तु मानवाधिकार इस मुल्क में अपने विभिन्न आयामों के साथ विश्व व समाज के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, वह अत्यन्त ही नवीन है। कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारों व कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत चुनौती भरा भी है। मानवाधिकारों की रक्षा आज हमारा प्रमुख कर्तव्य है। मानवाधिकारों का सम्मान उसके नये रूप की पहचान एवं उसका सम्यक अभिबोध आज की महत्ती आवश्यकता है। मानवाधिकार केवल पीड़ित एवं अपराधग्रस्त व्यक्तियों का नहीं, अपितु उन सभी का है जो पुलिस के संपर्क में किसी न किसी रूप में आते हैं। इसका व्यवहारी कारण इतना सरल नहीं हैं जितना मात्र कथन। इसके लिए हमें अपने दशाब्दियों पुराने दृष्टिकोण व अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना होगा। जब तक यह बदलाव दृष्टिगोचर नहीं होगा तब तक वर्तमान समय में हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से नहीं कर पाएंगे।

इन्हीं उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए समीक्षित पुस्तक 'मानव अधिकार और पुलिस बल' की रचना की है भारतीय पुलिस सेवा के उच्च अधिकारी श्री भूपण लाल वोहरा ने, जो कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। इसके पूर्व वे अनेक पुलिस विभागों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी कार्य कर चुके हैं। पुलिस से संबंधित कई पुस्तकों की रचना भी इन्होंने की है।

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। मानव अधिकारों की बदौलत ही व्यक्ति अपनी आत्मिक, सामाजिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो पाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। फिर भी आजकल देश के विभिन्न भागों में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें अक्सर सुनाई देती हैं। सभी पुलिस कर्मी और विशेषकर उन्हें जो जनता के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, को मानवधिकारों की जानकारी देने एवं उनमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

लेखक ने इस पुस्तक में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं की सरल भाषा में विवेचना की है। समीक्षित पुस्तक को लेखक ने सात अध्यायों में विभाजित कर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रथम अध्याय में आलोक, द्वितीय अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणाएं एवं कार्य, तृतीय अध्याय में भारतीय संविधान एवं कानून, चतुर्थ अध्याय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पंचम अध्याय में अपराधी आतंकवादी और मानव अधिकार, षष्ठम अध्याय में मानव अधिकार और पुलिस बल तथा सप्तम अध्याय (अंतिम अध्याय) में भारतीय पुलिस के आचार संहिता, 1985 की चर्चा की है। पुस्तक के अंत में तीन परिशिष्ट भी संलग्न किए गए हैं जिनमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आचार संहिता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट तथा भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रमुख गैर-सरकारी संस्थाओं की सूची सम्मिलित है।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पुलिस व सुरक्षा बलों में नौकरी करने वाले भी मानव हैं और उनके अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। केवल पुलिस बलों में सेवा करने से उनके मानव अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। पुलिस बलों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए भी कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं। इसका मुख्य कारण इस विषय पर उनकी कम जानकारी और प्रशिक्षण है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक एक पाठ्यक्रम और सामान्य ज्ञान के रूप में लिखी गई है जिससे कि पुलिस कर्मियों को मानवाधिकारों का विस्तार से ज्ञान हो सके और वे अपने कर्तव्य भली भांति निभा सकें।

हिन्दी में इस महत्वपूर्ण विषय पर कम ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। अत: ऐसे प्रयास स्वागत योग्य हैं। यह पुस्तक पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों एवं आम जनता के लिए भी उपयोगी है।

—कैलाशनाथ गुप्त
—डी.बन.ए. /115, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

पहाड़ व जीवन के यथार्थ को उकेरती कविताएं

[पुस्तक—'कि भोर हो गई', लेखक : डॉ. दिनेश चमोला, मूल्य—50/- रुपये, प्रकाशक—इरावदी पब्लिकेशन्स सी-487, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018]

युवा साहित्यकारों में डॉ० दिनेश चमोला का नाम सुपरिचित है, इनकी लगभग पांच हजार से अधिक रचनाएं विविध भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, इसके अतिरिक्त इनकी प्रकाशित पुस्तकों में 'मौसमी खुदेड़' 'यादों के खण्डहर' 'अर्थ ऑफ सालीट्यूड' (अंग्रेजी कविता), 'बिखरे मोती' 'समकालीन वर्नी कविताएं' 'चम्पा का राजकुमार' 'बोलो चिड़िया बोलो मैना' 'हम हैं सूरज चंदा मां के' 'दूर के पड़ोसी' 'माटी का कर्ज' आदि मुख्य हैं।

'कि भोर हो गई' युवा कवि डॉ० चमोला की सद्य प्रकाशित 41 कविताओं का संग्रह है। ये कविताएं जीवन के आस-पास के परिवेश से अपनी कविताएं हैं। कहीं इनमें पहाड़ की सुरम्य वादियों से बिछड़ने की पीड़ा की प्रतिध्वनि है तो कहीं-कहीं मानव मन की विकृतियों को चुनौती देता आक्रोश, इनमें कहीं यथार्थ की सपाटबयानी है तो कहीं पीड़ा व संवेदना की परतें बोलती करुणा की अभिव्यक्ति। कहीं मां, मातृभूमि के गहरे ममत्व से हो जाने की असीमित चाह, शब्दों के संसार की विरासत को अपने में जीता कवि मां के इस ऋण से उऋण होना चाहता है। संग्रह की पहली कविता 'शब्द ऋण' में कवि कहता है—

मां ने
दिया था मुझे
जन्म के उपरान्त
शब्द बटोरने का यह अभिधान
तब से आज तक
बटोरता रहा हूँ
इन्हें
परन्तु
नहीं तय कर पाया हूं
तय शब्दों से शब्दों के
बीच की दूरी

पर्वतीय भूमि का चित्र बार-बार कविताओं में मुखरित होता दिखाई देता है। ये कविताएं गहरी संवेदना को चित्रित करती हैं। जहां एक ओर पहाड़ के गांव से हो रहे पलायन की चिन्ता कवि के भावुक मन को झकझोरती है वहीं महानगर से एक दिन गांव की वापसी पर गांव के सौंदर्य की शून्यता के प्रति भी सचेत करते हुए कवि कहता है--

'मित्र'
जब तुम शहर से । वर्षों बाद
लौटोगे फिर गांव। तो
नहीं पाओगे वह सब
जो। देखा था तुमने
अन्तिम बार
गांव से विदा होते हुए

आज के परिवेश में देश जाति में उपज रही हिंसा व वैमनस्यता के प्रति भी कवि का भावुक मन बराबर चिन्तित है। मूल्यों का ह्रास कवि को कतई पसन्द नहीं है। वह मनुष्य से मनुष्य की पहचान करने का आग्रह करता है। कवि विनाश नहीं बल्कि विकास का पक्षधर है। आपसी प्रेम भाव व भाई-चारे का पक्षधर है। होली के बिम्ब में कविता की बानगी देखिए—

होली।
खून नहीं
फाग बरसो
आग नहीं
राग बरसो
सिख लो। सबको
अपने-अपने फूल की
पहचान करनी

बाल श्रमिकों व भटकते बचपन को सहेजने की बात भी कवि को बराबर विचलित करती है। बचपन किसी भी देश का भविष्य है। अबोध बचपन की लघुता में भावी देश-जाति की विराटता व महानता की ढूंढ खोज करने के संकेत देता हुआ कवि उनकी भावी संभावनाओं को सहेजते हुए कहता है:—

कौन जाने। किसी देश का
अपार भविष्य। किसी अनाथ......
साधनहीन बच्चे के
बचपन से जुड़ा हो!
इन्हें पहचानो!
मत पिसने दो इन्हें
अभाव की चक्की में
इन्हें सहेजो
ये निर्माता हैं
भावी राष्ट्र के

एक ओर 'मां। तुम लौट आतीं', 'प्रतीक्षा वसुन्धरा', 'यादें मेरे गांव की', 'एक दिन अचानक', 'मन्दाकिनी के किनारे', 'ले चल मन उस शैल शिखर', 'झरना' जैसी संवेदनात्मक व दर्द समेटती कविताएं हैं तो दूसरी ओर समय की अनेकतापूर्ण चुनौतियों का डट कर सामना करने का आक्रोश भी है। 'भीषण ज्वालामुखी' में संघर्षों की बात पर अपना कर्तव्य तलाशना व चुनौतियों का सामना करने की उत्कर्ष देखिए—

नहीं होगा
कुछ। मुझे बाहर से
शीतलता देने से
मेरे अन्तर में
जो दहकती है। एक भट्टी
जो। दिनोंदिन
उगलती है लावे

महानगर का आपाधापीमय जीवन कवि को बराबर उत्तेजित करता रहा है। महानगर के दमघोटू शोर शराबे में भी कवि को पर्वत की रम्य घाटियों की खामोशियां आमंत्रित करती हैं। वह कृतघ्नता के मुखौटे में नहीं अपितु सत्य के आवरण अर्थात् प्रकृति के परिवेश में रच-बस जाना चाहता है। प्रकृति के सौंदर्य का अहसास कब हो पाता है महानगर में। कवि का बिम्ब देखिए:—

महानगरीय
चहल पहल में
दिखता है मुझे कहीं
अपने गांव का पनघट
और। उससे जुड़े
दर्जनों। स्नेह के रिश्ते
कौन। जानता है यहां
महत्व। बसन्त के फूलने।
सूर्य के उगने। और छिपने का

कुछ कविताएं दार्शनिकता को लिए हुए हैं, इनका परिसीमन संसार की दूरियों से भी परे हैं इनमें 'अपना सपना', 'परिचय', 'प्रकाश', 'आत्मविश्वास', 'क्षितिज के उस पार', 'मेरे मानस', आदि कविताएं

और [illegible] की कलम' अनुभूतियां समेटे दार्शनिक कविताएं हैं। कुछ कविताएं स्वयं कविता को ही परिभाषित करती हैं। 'भाग्य की लकीरें' कविता की पंक्तियां देखिये :

कभी
सुबह दोपहरी में
नदी के किनारे
चुपका-चुपके
रेत पर जा
लकीरें भरता हूं
तो वह
कविता बन जाती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि संग्रह की सभी कविताएं अपने में गहरी संवेदना लिए कुछ न कुछ बोलती प्रतीत होती हैं। ये जीवन व धरती के [illegible] अनुभवों की खुशबू देती कविताएं हैं। पर्वत के पथ पर प्रगति की [illegible] से कविताएं [illegible] विस्तृत [illegible] प्रतिनिधित्व करती हैं। पुस्तक की छपाई व रूप सज्जा [illegible] है। कुछेक अशुद्धियां, जैसे पन्नों का अनुक्रम आदि का [illegible] खटकता है। अच्छा होता यदि कविताएं अलग-अलग पृष्ठों पर दी गई होतीं, संग्रह की अधिकांश कविताएं पहाड़ व पर्वतीय संवेदना से ओत-प्रोत हैं।

—अलका
टाइप-5-2-25
आई. आई. पी. कालोनी
देहरादून-248005 (उ. प्र.)

समालोचना

[पुस्तक: सैर कर दुनिया की गाफिल; लेखक : प्रवीण कारखानीस; प्रकाशक : जीवन प्रभात प्रकाशन मुम्बई; मूल्य: 100 रुपए, मार्च 1998]

प्रवीण कारखानीस ने अपनी पुस्तक 'सैर कर दुनिया की गाफिल' के द्वारा भारतीय युवकों को एक चुनौती दी है कि वह पश्चिमी सभ्यता के दिवानेपन को छोड़कर अपने पड़ोसी देशों की यात्रा करें और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें। लेखक ने जिस खूबसूरती से एक-एक यात्रा का वर्णन किया है उसे पाठक के मानस पटल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसे भी यह महसूस होने लगता है कि जैसे वह भी लेखक के साथ-साथ उस देश की सैर कर रहा है। उसे यह यात्रा वृत्तांत न लगकर एक उपन्यास लगने लगता है तथा इस पुस्तक की रोचकता का पुट पाठक की अभिरुचि बनाए रखता है तथा इसकी शैली भी प्रवाह पूर्ण लगती है।

यात्रा हमारी संस्कृति एवं दर्शन की एक अमूल्य पूंजी है। बिना घूमे फिरे कोई कल्पना करना किसी लेखक को तो शायद सुख दे भी दे, परन्तु पाठक को इससे न तो आत्मीयता मिलती है और न ही उसे मानसिक सुख मिलता है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने पड़ोसी देशों के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक [illegible] स्थानों का निरीक्षण बड़ी बारीकी से किया है। [illegible] को [illegible] की तरह 'परान्नः सुखाय' बनाने का अथक प्रयास किया है। घूमने के साथ साथ ज्ञानार्जन करना मुख्य उद्देश्य रहा है।

लेखक ने शब्दों के चयन में बिल्कुल कोताही नहीं बरती और प्रत्येक यात्रा-वर्णन में स्थान [illegible] शैली की भाषा का प्रयोग करके पाठकों को अपनी भाषा में समझाने का सफल प्रयास किया है। यात्रा [illegible] में "[illegible] लंका", "विश्व की छत तिब्बत", "नव निर्माण की [illegible] पर [illegible]", "दोलीग्रस्त युद्ध-अफ्रीका", नजैदा, मलावी और बैंस शीर्षक भी पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। लेखक [illegible] कम समय में अधिक-से अधिक घूमने की लालसा को [illegible] दिखाई देती है और कम-से-कम खर्च करके अधिक-से अधिक [illegible] करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ भारतीयता को भी संजोए रखा गया है। [illegible] वृत्तांत में लेखक उस देश के इतिहास, भूगोल, [illegible], खान-पान, जाति, भाषा, मुद्रा, पर्व, रीति रिवाज, धर्म, रंग-रूप, वेश-भूषा, संगीत, पर्यावरण, वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों से पाठकों को [illegible] कराता चलता है। लेखक अपनी [illegible]-दृष्टि से जिस जिस देश में गया, वहां की सांस्कृतिक धरोहर को परखने का प्रयास किया है तथा उस देश की गरिमा को बताया है।

सुदूर अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा, खाड़ी, जाम्बिया, जिम्बावे देशों की यात्रा करते समय भारतीयता नमूना भी प्रस्तुत करने में लेखक ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। लेखक जिस-जिस देश में गया उस देश की अच्छी-अच्छी बातों को अपने पाठकों को बताने में चूक नहीं की, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने स्वयं आत्मीयता से उस देश के लोगों से मिलकर उनसे अपनी भावनात्मक एकता स्थापित कर विश्वबंधुत्व की भावना का भरपूर परिचय दिया है।

श्रीलंका के निवासी हिन्दी न जानते हुए भी हिन्दी गीतों की धुनों पर सिंहली गीतों के [illegible] की लोकप्रियता, बांगला देश की स्वाधीनता का इतिहास, रामकृष्ण मिशन एवं गुरुद्वारे की भव्यता, भूटानी लोगों की धर्मपरायणता, तिब्बत की मानसरोवर झील की रमणीयता, [illegible] की आधुनिकता, युगांडा लोगों की आत्मीयता भारतीय पाठक के मन को यह अहसास दिलाती है कि भारतीयों के प्रति इन देशों के लोगों में कितना प्रेम है।

लेखक ने अपनी यात्रा-वृत्तांतों को बताने में जिस शैली का प्रयोग किया है शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सीधे-सादे सरल शब्दों का प्रयोग करके अपनी अपूर्व शैली से पाठक को भी अपने साथ बांधे रखता है। उनके यात्रा-वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय चाहे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल अथवा किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो चाहे उसने भारत भी पूरा न देखा हो, लेखक से ऐसा घुल-मिल जाता है कि उससे अधिक-से अधिक जानकारी चाहता है। शायद इसी कारण से लेखक को प्रत्येक देश की जनसंख्या, उनमें विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिशत, जलवायु, उपज, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण, सभ्यता आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने में असुविधा नहीं हुई होगी। लेखक ने अपने खुले मन की आँखों से सार्थक वस्तुओं से प्रभावित होकर अपने पाठकों को अनुभूत किया है।

कुल मिलाकर 'सैर कर दुनिया की गाफिल' घुमक्कड़ प्रकृति के लोगों के लिए "मील का पत्थर" सिद्ध होगी। सम्पन्न राष्ट्रों की तड़क-भड़क, दिखावेपन, नाइट क्लबों की रंगीनियों के वर्णन की लीक से हटकर लेखक ने हमारे पड़ोसी तथा अफ्रीका देशों की गरीबी और असमानता का चित्रण सुन्दर ढंग से किया है। निश्चय ही यह पुस्तक घुमक्कड़ प्रकृति के लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी और हो सकता है इस पुस्तक से प्रेरित होकर कई और यात्री भी तिब्बत के पठार पर बना कोई और मिट्टी का घर ढूंढ लें।

बी० एस० कस्तूरिया
ए-107, सूरजमल विहार,
दिल्ली-110 092

श्रीमद्भगवद्गीता

[पुस्तक : श्रीमद्भगवद्गीता, रूपांतरकार : श्री मोहनचन्द्र बहुगुणा, प्रकाशक : गढ़वाली प्रकाशन बी 2 बी 48, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, मूल्य-पुस्तकालय संस्करण रु. 100.00, जन संस्करण : रु. 30.00]

किसी कृति के सम्पूर्ण भाव को सहेज कर एक सरल भाषा में अनुवाद करना कठिन कार्य है। फिर भी कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो बार-बार लेखक-मन को उद्वेलित करती हैं। श्रीमद्भगवद्गीता भी ऐसी रचना है जिसका अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आज भी इसके अनुवाद का सिलसिला जारी है।

प्रस्तुत पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का हिन्दी रूपान्तरण है। अनुवादक हैं श्री मोहनचन्द्र बहुगुणा। हालांकि हिन्दी में इस भाषा का अनेक बार अनुवाद हो चुका है, इस पर अनेक टीकाएं और व्याख्याएं लिखी जा चुकी हैं। विवेकानन्द, अरविंद, मोहनदास करमचन्द गांधी, विनोबा भावे आदि ने इसकी व्याख्याएं की हैं, इन्होंने समय-समय पर इससे प्रेरणा ली हैं।

कर्म की प्रधानता पर आधारित यह पौराणिक रचना कालातीत मानी जाती है। प्रसंग है महाभारत का युद्ध। रणस्थल कुरूक्षेत्र है। योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। अपने विरोधी कौरव-सेना में अपने रिश्तेदार, पितामह भीष्म, गुरू द्रोण, मित्रों को देखकर उसका मन विचलित हो गया। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था—कहा, 'शरीर सिर्फ एक माध्यम है, आत्मा अमर है यह न जन्म लेता है न मरता है। इस शरीर से मोह व्यर्थ है। अतः मनुष्यों को फल की चिन्ता किए बिना कर्म करना चाहिए।'

महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि जब श्रीकृष्ण गीता का उपेदश दे रहे थे तो काल ठहर गया था। सत्य ही यह उपदेश काल, देश, धर्म समाज की सीमाओं से परे है। आज भी इस युग में हम इसके उपदेशों को बार-बार याद करते हैं। हिरोशीमा पर परमाणु बम गिराने वाला जहाज के चालक से जब यह पूछा गया कि बम गिराने के वक्त वह कैसा महसूस कर रहा था। तब चालक ओपेन हाइमर ने कहा, मुझे श्री गीता की वे पंक्तियां याद आ रही थीं ..... मैं ही महाकल हूँ, सारे ब्रहमाण्ड का नाश करने वाला.....।'

विषाद का कारण चाहे लाखों बेगुनाहों की मौत हो या फिर परिवारजनों-रिश्तेदारों का दुर्व्यहार हो, श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता बनी हुई है।

बहरहाल, मोहनचन्द्र बहुगुणा का प्रयास इस वजह से सराहनीय है क्योंकि इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का न सिर्फ हिन्दी-पद्य में अनुवाद किया है बल्कि मूलकृति के करीब रहने का भी प्रयास किया है। हालांकि इस वजह से अनेक जगहों पर कविता बन नहीं पाई है। फिर भी ज्यादातर जगहों पर पद्यात्मक अनुवाद सरस लगता है। साथ ही अनुवादक ने मूलकृति की गरिमा को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। शब्दों को ज्यों का त्यों लेने का प्रयास किया है। पर हर भाषा की एक प्रकृति होती है। किसी कृति के अनुवाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनुवादक श्री बहुगुणा ने आत्मा शब्द को पुलिंग बताया है। संस्कृत में आत्मा पुलिंग है परन्तु हिन्दी में यह स्त्रीलिंग है।

कुछ त्रुटियों के बावजूद, श्रीमद्भगवद्गीता जैसे गूढ़ अर्थ वाले रचना का अनुवाद एक प्रशंसनीय प्रयास है।

—स्मिता
26 ए, ऊना एनक्लेव,
मयूर विहार, फेज I,
नई दिल्ली।

"आनन्द गीता"

[पुस्तक : आनन्द गीता, लेखक : हरिशंकर गीतेय 'गतिये', मूल्य : 100 रु०, प्रकाशक : शोभा प्रकाशन, सी-72, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबढ़ी रोड, नई दिल्ली-110045]

श्रीमद्भगवद्गीता विश्व के महान ग्रन्थों में से एक है। गीता में सार्वभौमिक, सार्वकालिक सनातन एवं शाश्वत तत्वों का प्रतिपादन किया गया है जो व्यक्ति को मानवत्व तथा महामानवत्व का स्वरूप प्रदान कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है और साक्षात्कार कराता है। ऐसा मनुष्य किसी भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए वरदान सिद्ध होता है। गीता का प्रादुर्भाव स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निस्तृत वाणी द्वारा हुआ है। अस्तु, मानव के उत्थान तथा कल्याण, ऐहिक एवं पारलौकिक शान्ति, समृद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य, कर्तव्य-बोध, ज्ञान तथा तपस्विता आदि का महान संदेश देती है। गीता के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति में श्रद्धा, प्रेम, सद्भाव, परोपकार, सदाचार, स्थित-प्रज्ञता, योग, क्रमशः शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा का संयम होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति शनैः शनैः आचरण द्वारा अपने जीवन लक्ष्य की ओर उसी प्रकार अग्रसर होता जाता है, जिस प्रकार गंगा की पवित्र धारा हिमालय से निसृत होकर सम्पूर्ण मानव समाज का कल्याण करती हुई समुद्र में आत्मसात हो जाती है। अर्थात् ऐसा महात्मा सम्पूर्ण समाज का हित करता हुआ परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाता है। वेदान्त की भाषा में इस अवदैत कहते हैं।

भारत ही नहीं अपितु विश्व के प्राय: सभी महापुरूषों ने गीता का आश्रय लेकर अपने अपने समाजों का मार्ग-दर्शन किया है। इन महापुरूषों में आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीर्थ, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आचार्य विनोवा भावे, प्रो० मैक्समूलर, गेटे तथा कारलाइल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन महापुरूषों ने गीता के नियमों का पालन करते हुए उस पर भाष्य लिखे हैं तथा मानवोत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज-कल भी अनेक महापुरूषों ने गीता के प्रचारार्थ अपना जीवन समर्पित कर रखा है। भारत की स्वतंत्रता की प्रथम प्रेरणा शक्ति रानी लक्ष्मीवाई गीता की नियमित पाठक थीं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पं० जवाहर लाल नेहरू गीता के बहुत प्रशंसक थे। गीता का अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में किया गया है। एक बार स्वामी रामतीर्थ को गीता की प्रति भेंट करते हुए प्रो० कारलाइल ने कहा था कि इस महान ग्रंथ का अनुवाद विश्व की 117 भाषाओं में उपलब्ध है।

भारतवर्ष की सभी भाषाओं में इस अमूल ग्रंथ के अनुवाद शताब्दियों से प्राप्त हैं। मारिशस, ट्रिनिडाड, ग्याना तथा सूरीनाम के पुनर्निर्माण में गीता की महत्वपूर्ण भूमिका है। गीता की वह प्रति मॉरिशस में आज भी सुरक्षित है, जिसे भारत से जाने वाले मजदूर अपने साथ ले गये थे तथा जिसे वे नियमित रूप से पढ़ा और सुना करते थे।

वंधुवर श्री हरिशंकर गौतम 'गीतेय' एक संगीत प्रेमी सज्जन हैं। उन्होंने गीता के सिद्धांतों के अनुसार यथाशक्ति जीवन-शैली को ढालने की चेष्टा की है। श्री मद्भगवत्गीता का पद्यानुवाद करके उन्होंने हिन्दी भाषा, राष्ट्र तथा संस्कृति की महान सेवा की है। इस पद्यानुवाद से हिन्दी तथा अहिंदी भाषी लाभ उठा सकेंगे। भाव-पक्ष की दृष्टि से भी श्री गौतम ने काफी सावधानी वरती है। उन्होंने जहां एक ओर जटिल दर्शनिक विचारों तथा पारिभाषिक शब्दों को सरल हिन्दी भाषा में अनुदित करने की चेष्टा की है वहां दूसरी ओर उन्होंने गीता के भाव-पक्ष की भी मौलिकता को यथावत सुरक्षित रखा है। इससे आनन्द गीता में सहजता सरलता, स्वाभाविकता तथा सुलभता आ गयी है जिसके परिणामस्वरूप गीता में आनन्द की सृष्टि हुई है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण भी गीता के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। उनके विचार स्पष्ट हैं, उनमें दुरूहता तथा विलष्टता नाम मात्र को नहीं है। यथा—

'हे जनार्दन ! यदि कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ लगता तुमको।
कर्म भयंकर करने में फिर, क्यों लगाते केशव ? मुझको ॥1 ॥
(तृ०अ०पृ० 31)'

'प्रकृति गुणों के द्वारा ही, अर्जुन! सब कर्म हुआ करते।
किन्तु अहंकारी विमूढ़ जन, निज को कर्ता माना करते'' ॥2 ॥
(तृ०अ०पृ० 37)'

मूलत: श्री गौतम कवि नहीं हैं, किन्तु उनकी कविता पर पकड़ सराहनीय है। उनकी अभिव्यक्ति, प्रसाद, माधर्य एवं ओजमयी है तथा सत्यं, शिवं, सुन्दरम् का साक्षात्कार कराती है। यंत्र-तत्र छन्द रचना में शिथिलता अवश्य पायी जाती है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है, किन्तु इस प्रकार के गूढ़ गंभीर भावों को छन्दबद्ध कर सरल,स्पष्ट और सर्व सुलभ शैली में प्रस्तुत करना उनकी कलात्मक परिपक्वता का परिचायक है। इस निर्वाह में उन्होंने सावधानी वरती है।

'आनन्द गीता' की भाषा प्रांजल तथा परिष्कृत है। तत्सम प्रधान शब्दावली का बाहुल्य है जो सम्पूर्ण भारत में समझी और व्यवहार में लायी जाती है। भाषा व्याकरण सम्मत है तथा वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखा गया है।

हिन्दी भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा है। इस दृष्टि से श्री लेखक ने संस्कृत श्लोकों का हिन्दी में पद्यानुवाद प्रस्तुत कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की सराहनीय सेवा की है। इसके अध्ययन से जहां एक ओर सम्पूर्ण देश के जनमानस में संस्कृति, अध्यात्म और समाज के प्रति एकात्मता, एकानुभूति तथा अखंडता का स्पन्दन होगा, वहीं दूसरी और राष्ट्रीय एकता की दिशा में राष्ट्र भाषा हिन्दी की आवश्यकता तथा महत्ता का बोध उत्पन्न होगा। अस्तु, श्री गौतम बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। मैं श्री गौतम के दीर्घायु तथा स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूँ ताकि वे भविष्य में इसी प्रकार का और कार्य करते हुए राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा करते रहें।

डा. रामबाबू शर्मा
सी-2/136 (श्री राम निकेतन)
जनकपुरी, नई दिल्ली—110058

ईश्वर को चापलूसी नहीं, श्रेष्ठ कार्य पसंद है।

मुख्य नियंत्रक कार्यालय, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, ग्वालियर

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बनाने तथा उसे कायम रखने के लिए दिनांक 14-9-98 को हिंदी दिवस/सप्ताह मनाया गया।

दिनांक 14-9-98 को सहायक निदेशक (राजभाषा) ने औपचारिक रूप से शुभारम्भ की। श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी ने हिन्दी सप्ताह के आयोजनों का उद्घाटन किया। श्री दिनेशचन्द्र काण्डपाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने उद्घाटन समारोह के कार्यक्रमों का संचालन एवं संयोजन किया। श्री दिनेशचन्द्र काण्डपाल द्वारा शासन की राजभाषा नीति पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 की मुख्य-मुख्य बातें सभी उपस्थित कर्मचारियों को अवगत कराई गई। श्री बी. पी. निर्मय, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने कार्यान्वयन एवं राजभाषा के कार्यालयीन प्रयोग का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत किया। वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित भाषाई सद्भाव के रूप में आयोजन किये जाने की वांछा के अनुरूप तथा भारत की सामासिक संस्कृति (Composite culture) के प्रति सम्मानस्वरूप कार्यालय में अपने प्रकार का यह पहला एवं अनूठा आयोजन किया गया।

हिन्दी एवं बंगला के बोलचाल में सामान्य तौर पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों की जानकारी श्री दिनेशचन्द्र काण्डपाल द्वारा दी गई। श्री नित्यानन्द, बनर्जी, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा बंगला भाषा में प्रचलित अनेक शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को सामने रखा गया। एक अहिन्दी भाषी कर्मचारी की सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में अनुभव होने वाली कुछ कठिनाइयों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। श्री बनर्जी ने हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्ति का हिन्दी के प्रयोग में उपयोग एवं लाभ भी अपने अनुभव के आधार पर समझाया। बंगला भाषा के विभिन्न शब्दों के उन्होंने हिन्दी में अर्थ भी बताए।

श्री भास्कर खेर, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा मराठी भाषा के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। मराठी भाषा का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना कितना आसान है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस पर एक अन्य मराठी भाषी कर्मचारी श्री रविन्द्र डोंगरे ने संकेत दिया कि मराठी भाषी कर्मचारी द्वारा हिन्दी का प्रयोग किए जाने में मात्रा सम्बन्धी कुछ गलतियों का हो जाना स्वाभाविक है, फिर, भी उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में वे गर्व अनुभव करते हैं।

श्री दिनेशचन्द्र काण्डपाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने भारोपीय भाषा परिवार की अनेक भाषाओं के सामान्य तत्वों की विशद् विवेचना प्रस्तुत की। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, उड़िया तथा असमी की लगभग एक सौ अभिव्यक्तियों का उदाहरण देकर उनके हिन्दी में शब्दानुवाद, भावानुवाद तथा अनुकरण सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा समझाए गए। विभिन्न भाषाओं में वाक्य-विन्यास बताए गए। अनेक भाषाओं का 'उत्स' संस्कृत भाषा से शब्दों के उद्भव की जानकारी दी गई। विभिन्न प्रांतों में जन्मे एवं अहिन्दी भाषी महापुरुषों, लेखकों आदि द्वारा हिन्दी के पक्ष में प्रकट किये गये विचारों से उपस्थितों को अवगत कराया गया। 'भारतीय भाषाओं के सौहार्द' को समर्पित इस अनूठे आयोजन को सफल बनाने के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया।

हिन्दी सप्ताह के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणामों का पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 15-01-99 को आयोजित किया गया।

समारोह का औपचारिक आरम्भ श्री एस. के. गोयल, मुख्य नियंत्रक द्वारा "दीप प्रज्वलन से हुआ" वन्देमातरम् की प्रस्तुति के उपरांत माला पहना कर "मुख्य नियंत्रक" श्री एस. के. गोयल, का अभिनन्दन किया गया। विशिष्ट अतिथि श्री एस. बी. मिश्रा, उप नारकोटिक्स आयुक्त (प्रशासन) को सम्मान स्वरूप पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।

उप नारकोटिक्स आयुक्त (प्रशासन) श्री शैलेश बिहारी मिश्रा ने कहा कि "शब्द" और "कृति" के प्रभाव ही हर ओर प्रभावी दिख रहे हैं। कार्य के प्रति मौन समर्पण की महत्ता एवं know thyself से know thy work का अधिक महत्व आंकना उनकी गूढ़ गम्भीर अभिव्यक्ति में ध्वनित हुआ। "हिन्दी एवं राजभाषा नीति से जुड़े कर्मियों को सम्पूर्ण समर्पण के साथ कार्यान्वयन में जुट जाना चाहिए," यह उनका सुझाव था।

हिन्दी सप्ताह के दरम्यान आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा रखते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिन्दी भाषा का प्रसार कुछ इस तरह बढ़ाए जाने हेतु सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जिससे कि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति (Composite culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

मुख्य नियंत्रक श्री एस. के. गोयल ने उनके सहज, सुबोध उद्बोधन में हिन्दी के प्रयोग सम्बंधी व्यवहार में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की। बोलचाल की अपेक्षा लिखने में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के निदान स्वरूप उन्होंने अभ्यास एवं दैनंदिन प्रयोग की निरंतरता को बनाए रखने का सुझाव दिया। श्री गोयल, ने, रेखांकित किया कि शैक्षिक व्याकरण का एक प्रयोजन यह भी है कि वह प्रचलित भाषा प्रयोग का विश्लेषण कर समाज द्वारा ग्राह्य या सही रूपों का संकेत दे। उन्होंने बताया कि व्याकरण मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। अधुनातन शोधों द्वारा अनेक भाषाओं की 'उत्स' संस्कृत भाषा के स्वरूप एवं संरचना की वैज्ञानिकता स्थापित हो जाने के तथ्य को इंगित करते हुए आने वाले समय में इसके प्रयोग, उपयोग और व्यापक ग्राह्यता

की संभावनाओं पर भी श्री गोयल ने विचार व्यक्त किये। श्री गोयल ने कहा कि हिन्दी का वाक्य-विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए और यह ठीक नहीं होगा कि वह संस्कृत के दुरूह समस्त पदों की लड़ी हो या अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र। कविता की पंक्तियों के साथ श्री गोयल ने संभाषण सम्पन्न किया।

दूरसंचार विभाग, अहमदनगर

अहमदनगर दूरसंचार कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा दि. 1-9-98 से 14-9-98 तक मनाया गया। हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन कार्यालय के महा प्रबंधक श्री एन. एन. गुप्ता ने दि. 7-9-98 को दीप प्रज्वलित करके तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के चित्र को माल्यर्पण करके किया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने हिंदी टाइपिंग, तार लेखन, निबंध, वाक्, शुद्ध लेखन कार्यालयीन टिप्पण और प्रारूप लेखन आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दि. 14 सितंबर 1998 को महा प्रबंधक श्री एन. एन. गुप्ता तथा नेवासा महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉ. शहाबुद्दिन शेख की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, मेरठ के उपाध्यक्ष डॉ. शहाबुद्दिन शेख ने हिंदी की महत्ता को उजागर करते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता की जननी है। पारस्परिक समन्वय तथा सद्भाव निर्मिति की भाषा होने के कारण उसका कोई भाषाई विकल्प नहीं है। इसलिए सभी स्तरों पर राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की नितांत आवश्यकता है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उप महा प्रबंधक श्री अ. प. भट्ट ने राष्ट्रभाषा हिंदी की अनिवार्यता का महत्व प्रतिपादन करके हिंदी को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने की मांग की।

महाप्रबंधक श्री एन. एन. गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी प्रस्थापित करने के लिए कर्मचारीगण प्रयत्नशील हैं। उन्होंने मत व्यक्त किया कि देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं के कारण हिंदी प्रचार में अल्प कठिनाई का अनुभव हो रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्प से हिंदी को सभी स्तरों पर अपनाने में सुलभता हो सकती है।

दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता

हिंदी सप्ताह समारोह का शुभारंभ 08-09-98 को किया गया। मुख्य समारोह दिनांक 14-09-98 को संपन्न हुआ। हिंदी सप्ताह के दौरान हिन्दी कहानी लेखन, हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं, जिसमें कर्मचारियों/अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिनांक 14-09-98 का मुख्य समारोह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री बाबूलाल जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बांग्ला साहित्यकार श्री नवारुण भट्टाचार्य उपस्थित थे। समारोह का आरंभ श्री राजेश शर्मा द्वारा निर्देशित एंटेन चेखव की कहानी पर आधारित नाटक "गिरगिट" से हुआ। इस अवसर पर श्रीमती उषा गांगुली द्वारा निर्देशित विजय दलवी का नाटक "मय्यत" का भी मंचन हुआ।

हिंदी दिवस समारोह में केन्द्र की हिन्दी गृह-पत्रिका "सुचेतना" के दसवें अंक का विमोचन श्री नवारुण भट्टाचार्य के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अन्य अतिथि थे—श्रीमती वसुमति डागा, श्रीमती तृप्ति भट्टाचार्य एवं डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक श्री ए. आर. खाँ।

समारोह में अतिथियों द्वारा हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केन्द्र के निदेशक अभियंता श्री अरूण कुमार विश्वास, मुख्य प्रस्तुतकर्ता श्री वी. आर. वधन, अधीक्षण श्री पी. सी. शिकदार, संयुक्त निदेशक (समाचार) श्री वीरेन साहा तथा राजभाषा प्रभारी श्री कल्लू प्रसाद भी आद्योपांत उपस्थित थे।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

दि. प. ला. में दिनांक 14 सितंबर से क्षेत्रवार हिंदी सप्ताह प्रारंभ हुआ। जिसके प्रथम चरण में 14 से 19 सितंबर तक उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र, पटेल नगर तथा द्वितीय चरण में 21 से 26 सितंबर तक केन्द्रीय पुस्तकालय में निबंध, सामान्य ज्ञान/हिंदी टंकण, टिप्पण-प्रारूप लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें दोनों क्षेत्रों के विभिन्न कर्मचारियों ने बड़े उत्साह व लगन से भाग लिया। हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए संस्थान के निदेशक डा. बनवारी लाल ने कहा कि भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में विभिन्न भाषा के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हिंदी ही उपयुक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी हिंदी का ज्ञान रखते हैं उनका कर्त्तव्य है कि सरकारी कामकाज हिंदी में करें।

इन प्रतियोगिताओं में लगभग 80 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया जिनमें से 35 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अहिंदी भाषी कर्मचारी को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया। इन प्रतियोगिताओं में लाइब्रेरी के कनिष्ठ पुस्तकालय परिचरों ने भी विशेष उत्साह दिखया और बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।

हिंदी सप्ताह के समापन समारोह पर श्रीमती मोहिनी गर्ग, सदस्या, दि० ला० बो० एवं नई दिल्ली नगर पालिका ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए जिससे कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो क्योंकि इन प्रतियोगिताओं से कर्मचारियों का ज्ञानवर्धन होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल हिंदी में ही नहीं अन्य भाषाओं में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी भाषाओं के व्यक्तियों को आगे आने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलें।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लाइब्रेरी के कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों

की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सराहना भी की। अंत में श्री एस.एम. सिबतेन, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी ने आभार व्यक्त किया।

आकाशवाणी, कण्णूर

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकाशवाणी, कण्णूर केन्द्र में पाक्षिक समारोह दिनांक 1-9-98 से 14-9-98 तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समारोह का प्रमुख आकर्षण 14 सितम्बर 98 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह रहा। श्री के. टी. वेणुगोपालन, सहायक अभियंता ने स्वागत भाषण दिया, उन्होंने 14 सितम्बर को हर वर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में बताया। श्री एम० राधाकृष्णन, केन्द्र अभियंता ने समारोह का उद्घाटन किया, अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है, तथा सरकारी काम-काज में राजभाषा का प्रयोग करने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि आवेदन पत्र जैसे आकस्मिक छुट्टी, प्रतिबंधित छुट्टी आदि को हिन्दी में लिखने का प्रयास करें। समारोह में डा० पी० बालकृष्णन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, कृष्णमेनोन कालेज (अब श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय, पय्यन्नूर के उप निदेशक) मुख्य अतिथि थे। अपने भाषण में डा० बालकृष्णन ने कहा कि हिन्दी भाषा संपूर्ण भारत को एकसूत्र में बांधती है। अत: यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम, हिन्दी भाषा में बोलने का प्रयास करें तथा सरकारी कर्मचारी अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

कम्पनी कार्य विभाग, कलकत्ता

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा का आयेजन दिनांक 1-9-98 से 14-09-98 तक प्रादेशिक निदेशक कार्यालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, प० बंगाल कार्यालय, कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान हिंदी की पांच प्रतियोगिताएं तथा तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

उद्घाटन समारोह दिनांक 01-09-98 को किया गया। इस अवसर पर दोनों कार्यालयों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सी. डी. पाइक, प्रादेशिक निदेशक ने किया तथा समारोह की अध्यक्षता ग्रहण की। उद्घाटन समारोह का संचालन श्रीमती मीनी बेबी, हिंदी अनुवादक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने श्री एस० के० मंडल, कम्पनी रजिस्ट्रार से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री मंडल ने हिंदी की उपादेयता पर बल देते हुए कहा कि हिंदी में काम करना आसान है, बस शुरूआत करने की देर है। तत्पश्चात् श्री एन० पी० मिश्रा, हिंदी अधिकारी ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित किए जाने वाली कार्यक्रमों की सूचना दी और अधिक से अधिक संख्या में हिंदी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात् श्रीमती बेबी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे ''कार्यालय दीप'' पत्रिका का विमोचन करें। पत्रिका का विमोचन करते हुए अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि कुछ सालों में हिंदी के कामों में बहुत प्रगति हुई है। पत्रिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी सहायता से सभी को हिंदी सीखने में मदद मिलेगी।

समापन समारोह दिनांक 14-09-98 को हुआ। आरंभ में श्री एन० पी० मिश्रा, हिंदी अधिकारी ने श्री वी० एल० सिन्हा, प्रोदेशिक निदेशक प्रभारी से अनुरोध किया कि वे इस समारोह की अध्यक्षता ग्रहण करें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित श्रीमती कमलेश अरोड़ा, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालिका श्रीमती मीनी बेबी ने श्री एस. के. मंडल, कम्पनी रजिस्ट्रार, प. बं. से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर कुछ संदेश दें। श्री मंडल ने हिंदी दिवस के महत्व को उजागर करते हुए सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया। तत्पश्चात् श्री एल. आर. मीणा, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार तथा श्री गुलाब चंद यादव, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि श्रीमती कमलेश अरोड़ा ने राजभाषा हिंदी के संबंध में संदेश दिया और हमारे कार्यालय में हिंदी की प्रगति को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात् श्री एन. पी. मिश्रा, हिंदी अधिकारी ने प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। श्री बी. एन. सिन्हा ने अपने कर कमलों से प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। तदुपरान्त श्री सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अत: हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें। उन्होंने हिंदी की प्रतियोगिताओं तथा कार्यशालाओं में हिस्सा लेने तथा पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। अन्त में उन्होंने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

आयुध निर्माणी, देहू रोड

आयुध निर्माणी, देहू रोड में दिनांक 14-9-98 से 28-9-98 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन दिनांक 14 सितम्बर 1998 को महाप्रबंधक श्री जी. एन. गोयल, ने सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके तथा ''दीप प्रज्वलित'' कर किया। इस दौरान, हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, हिन्दी टाइपिंग, शब्दावली, टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, शुद्ध लेखन, नारा, वाद-विवाद, कांव्य-पाठ तथा प्रश्नमाला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 107 प्रतियोगियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में 36 विजेता कर्मचारियों को महाप्रबंधक, श्री जी.एन. गोयल ने 28 सितंबर, 98 को समापन समारोह के अवसर पर नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने हिन्दी पत्रिका ''ज्योति'' का विमोचन भी किया। उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि सभी की भागीदारी से तथा सरल से सरल भाषा के प्रयोग से हम सभी अपना और अधिक काम हिन्दी में करने में कामयाब हो सकते हैं। हमें रोज के कामों में भी हिन्दी का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचलित शब्द जो आसानी से सभी समझ सकते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे कुछ कर्मचारी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में बहुत रुचि ले रहे हैं। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

दिनांक 14 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1998 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में अभिरुचि उत्पन्न करने तथा मानसिकता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

महानिदेशक की ओर से राजभाषा में कार्य करने हेतु 'अपील' जारी की गई जो मुख्यालय में एवं सर्वेक्षण के समस्त मण्डल कार्यालयों में प्रेषित की गई। मुख्यालय में एवं मंडल कार्यालयों में 'अपील' जारी करने से राजभाषा के प्रति कर्मचारियों/अधिकारियों में मूल रूप से कार्य करने की मानसिकता बनी है और उन्होंने इस कार्य को भी गम्भीरता से लिया है। पूरे सप्ताह चले आयोजनों में हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी निबंध, वाद-विवाद व टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस वर्ष समूह 'घ' के लिए भी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

इन प्रतियोगिताओं में 75 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें 37 कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। प्रतियोगिताओं के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों ने पूरे मनोयोग एवं उत्साह से भाग लिया। इस बात का प्रमाण यह है कि निदेशक स्तर के प्रतियोगियों ने हिन्दी सप्ताह के दौरान भाग लिया। दिनांक 18-9-98 को कार्यक्रम का शुभारम्भ कु० शोभना श्रीवास्तव के सरस्वती वंदना से हुआ।

मुख्यालय में राजभाषा की स्थिति की समीक्षा सहायक निदेशक (रा०भा०) ने की व उप-निदेशक (रा०भा०) श्री सी.पी. सिंह ने हिन्दी की पिछले वर्ष हुई प्रगति के सम्बन्ध में बताया तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों से राजभाषा हिन्दी में मूल रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

समापन समारोह में महानिदेशक श्री अजय शंकर ने राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के महत्व को बताया एवं सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से अपना दैनंदिन कार्य हिन्दी में भी करने की अपील की।

अन्त में सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र महानिदेशक द्वारा प्रदान किये गये।

महानिदेशालय में इससे राजभाषा के कार्यान्वयन पक्ष पर सकारात्मक रुचि दिखाई दी एवं कर्मचारियों/अधिकारियों ने सप्ताह भर चले कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से भाग लिया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कलकत्ता

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कलकत्ता में दिनांक 14 सितंबर से 25 सितंबर, 1998 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें स्टाफ-सदस्यों ने राजभाषा हिन्दी में अधिकांश क़ामकाज किया अथवा करने का प्रयत्न किया। दिनांक 14 सितंबर को औपचारिक उद्घाटन के बाद 15 सितंबर को हिन्दी निबंध-लेखन, 16 सितंबर को हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण, 18 सितंबर को हिन्दी कविता-पाठ, 21 सितंबर को हिन्दी सुलेख व श्रुतिलेख तथ 22 सितंबर को हिन्दी वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में 28, हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रतियोगिता में 25, हिन्दी कविता-पाठ प्रतियोगिता में 34, हिन्दी सुलेख व श्रुतिलेख प्रतियोगिता में 38 तथा हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में 20 स्टाफ-सदस्यों ने सोत्साह भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतियोगियों की दो श्रेणियां रखी गयीं।

इस अवसर पर कलकत्ता कार्यालय की राजभाषा पत्रिका—'समग्र विकास' (1998) के लिए स्टाफ-सदस्यों से रचनाएं आमंत्रित की गयीं।

'हिन्दी पखवाड़ा' पर दिनांक 25 सितंबर, 1998 को कार्यालय में हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन कलकत्ता शाखा कार्यालय तथा पूर्वी अंचल कार्यालय ने संयुक्त रूप से किया।

समारोह के अध्यक्ष बैंक के मुख्य महा प्रबंधक श्री जयन्त गोडबोले ने हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया एवं विकास बैंक में इस ओर हुई प्रगति की सराहना की। अपने अध्यक्षीय भाषण को आगे बढ़ाते हुए श्री गोडबोले ने कहा कि कारोबार बढ़ाने के लिए भी हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री के हिन्दी दिवस-संदेश भी पढ़ कर सुनाये।

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार एवं 'छपते छपते' हिंदी दैनिक के संपादक श्री विश्वम्भर नेवर, ने कहा कि विकास के साथ ही आम जनता की भागीदारी के लिए आवश्यक है कि देश की भाषाओं का सरकारी कामकाज में प्रयोग हो। ऐसा न होने पर आर्थिक विषमता बढ़ती है एवं अराजकता फैलने का डर रहता है। श्री नेवर ने आगे कहा कि भाषा का उपयोग ही उसकी सबसे बड़ी सम्पदा है। हिन्दी सच्चे माने में तभी राजभाषा बनेगी जब प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग होगा--श्री नेवर ने अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा का कार्यान्वयन कराने वाले विभ्रान्तियों का निवारण करें, तभी प्रयास सफल होगा।

मुख्य वक्ता के रूप में राजभाषा विभाग (भारत सरकार) के प्रभारी उप निदेशक श्री रामानुज पाण्डेय ने हिन्दी राजभाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल दिया। श्री पाण्डेय ने आगे कहा कि हिन्दी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल करके इस कार्य को सरल बनाया जा सकता है।

कार्यालय भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, इलाहाबाद

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय इलाहाबाद में 'हिन्दी पखवाड़ा—1998' के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय में हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी निबन्ध, हिन्दी काव्य-पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकाधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए निर्धारित चार पुरस्कार दिए गए।

"हिन्दी पखवाड़ा—1998" का मुख्य कार्यक्रम 14 सितम्बर, 1998 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री वीरेन्द्रकांत पाठक, सचिव, कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने किया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में सबके सहयोग का आह्वान किया।

मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव, आयुक्त ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हिन्दी में कार्य की बराबर प्रगति हो रही है। उन्होंने भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय का हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाषा देश को एकता के सूत्र में बाँधती है। उप आयुक्त ने आश्वस्त किया कि हिन्दी की प्रगति में कार्यालय का सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा।

मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार का कार्यालय तमिलनाडु परिमंडल, चेन्नई

मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार तमिलनाडु परिमंडल, चेन्नई के कार्यालय में 1 सितंबर से 15 सितंबर, 98 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान निबंध, वाक्, शब्द-शक्ति टिप्पण एवं प्रारूपण, गीत, सुलेख और वार्तालाप आदि प्रतियोगिताएं कर्मचारियों के लिए तथा पाठ-पठन, गीत गायन वाक् आदि कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित की गईं। पखवाड़े का मुख्य समारोह 14-09-98 को संपन्न हुआ। श्री टी.जी. सारनाथन, मुख्य महाप्रबंधक ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री के.आर. रंभाड, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे। महाप्रबंधक श्री खा. महादेवन भी मंच पर उपस्थित थे। सबने अपना-अपना भाषण हिन्दी में प्रस्तुत करके सब लोगों को प्रसन्न किया। श्री जे. सत्यनारायण, उप निदेशक (राजभाषा) ने हिन्दी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री के.आर. रंभाड़ के करकमलों से हिन्दी टिप्पण और आलेखन पर मुद्रित पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त हिन्दी में अच्छे काम करने वाले अनुभाग को एक चल शील्ड भी प्रदान की गई। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यालय के महानिदेशक लेखा परीक्षा, डाक और दूरसंचार, दिल्ली

दिनांक 7 सितम्बर, 1998 से 21 सितम्बर, 1998 तक दोनों कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान दोनों कार्यालयों में अधिकांश कार्य हिंदी में किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में दोनों कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में हुए सफल प्रतियोगियों को को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

वैस्टर्न कोलफील्ड लि०, नागपुर

दिनांक 14-9-98 से 25-9-98 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह का उद्घाटन समारोह निदेशक (वित्त) श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नागपुर के प्रख्यात वक्ता डा० वेद प्रकाश मिश्र उपस्थित थे। श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रभाषा से होती है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज की तरह हमें राष्ट्रभाषा को भी अन्तर्मन से स्वीकार करना चाहिए।

श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वैस्टर्न कोलफील्ड में राष्ट्रभाषा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और आशा है कि कंपनी द्वारा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी का सम्मान राष्ट्र सम्मान के बराबर है, हिंदी भारतीयता की पहचान है और यह भाषा अपने आप में पूर्ण समृद्ध है तथा भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं की वाहिनी है। सप्ताह के दौरान निबंध, कहानी, प्रश्न मंच, टिप्पण आलेखन वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

केन्द्रीय उपोषण उद्यान संस्थान, लखनऊ

संस्थान में 14 सितम्बर, 1998 को हिंदी दिवस तथा 14 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 1998 तक हिंदी चेतना मास का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यकारी निदेशक डा० धर्मेन्द्र सिंह राठौर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी देश की राजभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा, जनभाषा, सम्पर्क भाषा भी है तथा यह हमारी मातृभाषा भी है। इसलिए हम सब का पावन कर्तव्य है कि हम हृदय से इसका सम्मान करें और अपने निजी तथा सरकारी कार्यों में इसका अधिकाधिक प्रयोग करें। चेतना मास के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अधिकांश कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री के संदेश की प्रतियां भी परिचालित की गईं और यह आह्वान किया गया कि भारत सरकार की

राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में और वैज्ञानिक लेखन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प लें। प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड असम ऑयल डिवीजन, डिगबोई

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन) डिगबोई में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 1998 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े की शुरूआत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक से हुई जिसमें कार्यकारी प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियम, अधिनियम व प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में श्री लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री के हिन्दी दिवस के अवसर पर दिए गए संदेश को श्री एच. एन. हजारिका, महाप्रबंधक (तकनीकी), श्री ए. के. अरोड़ा, निदेशक (रिफाइनरी) के संदेश को श्री पी. डी. तालुकदार, उप महाप्रबंधक (एल पी जी) एवं श्री ए. एन. दास, कार्यकारी निदेशक, ए. ओ. डी. के संदेश को श्री आनन्द प्रकाश, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक (साइट) ने पढ़कर सुनाया। इस पखवाड़े के अंतर्गत लघुकथा, निबंध, टिप्पण व प्रारूपण, नारा, आशुभाषण, काव्यपाठ, हिन्दी टंकण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 08 अक्टूबर, 1998 को श्री ए. एन. दास, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असम ऑयल डिवीजन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिगबोई रिफाइनरी, ई. आई. एल. व ऑयल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत ए. ओ. डी. हॉयर सेकेण्डरी स्कूल की छात्राओं के भजन से हुई। श्री एच. एन. हजारिका, महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं सह उपाध्यक्ष हिन्दी कार्यान्वयन समिति ने सभी विशिष्ट अतिथियों व हिन्दी प्रेमियों का स्वागत किया एवं 14 सितम्बर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी अनुभाग द्वारा संचालित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारे देश की संपर्क भाषा और प्रभावशाली भाषा है तथा यह लोगों में एकता, समता एवं सद्भाव स्थापित करती है। काव्यात्मक ढंग से बोलते हुए उन्होंने कहा कि "ढूंढ़ो तो बहाने लाखों हैं, सीखो तो सरल ये भाषा है, हर प्रांत की अपनी भाषा है, हर देश की अपनी भाषा है, हर प्रांत की भाषा के संग-संग, हो राष्ट्रभाषा की भी उमंग, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी अभिलाषा है"।

आयुध निर्माणी, भंडारा

आयुध निर्माणी, भंडारा में दिनांक 14-09-98 से 28-09-98 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन अर्थात् दिनांक 14-09-98 को श्री एस.एन. पाटील, संयुक्त महाप्रबंधक/कार्मिक, एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रमों की अध्यक्षता की तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात् चिट निकालकर हिन्दी पखवाड़ा समारोह/कविता पाठ प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। डॉ. काशीनाथ पाण्डेय कार्यशाला-प्रबंधक, एवं सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने पुष्पगुच्छ से अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायकगणों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने वैचारिक एवं प्रेरक वक्तव्य के माध्यम से लोगों को हिन्दी में कामकाज करने की प्रेरणा दी तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हिन्दी पखवाड़ा के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हिन्दी कविता-पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नमंच, सुलेखकला, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, पारिभाषिक शब्दावली, हिन्दी नाम, वाद-विवाद, हिन्दी टंकण, आदि प्रतियोगिताएं प्रमुख रहीं।

इस अवसर पर एक विशेष हिन्दी पटल (काउन्टर) का भी प्रबंध किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी के प्रयोग में आनेवाली विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्य में श्री ए. के. शिंदे, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं श्री बी.बी. देशमुख, अवर श्रेणी लिपिक का विशेष योगदान रहा। दिनांक 26-09-98 और 28-09-98 के साथ-साथ पूरे पखवाड़े के दौरान दोपहर के बाद इन्होंने सभी लोगों को हिन्दी में काम करने के लिए मार्गदर्शन किया तथा अपना पूर्ण सहयोग दिया। वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ कवियों ने भी अपने वैचारिक कविताओं एवं सुमधुर कंठ से श्रोताओं को प्रभावित किया।

इस अवसर पर श्री आर.के. वार्ष्णेय महाप्रबंधक जी ने राजभाषा पत्रिका "प्रकाशपुंज, 1998" का अपने कर कमलों से विमोचन किया और अपनी शुभकामनाएं दी कि पत्रिका राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और भाईचारा बनाने में सफल हो।

श्री एस.एन. पाटील, संयुक्त महाप्रबंधक/कार्मिक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और कर्मिकों से आग्रह किया कि वे अपना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में ही करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें इस पुनीत कार्य के लिए सबका सहयोग अवश्य मिलेगा।

मुख्य अतिथि श्री आर. के. वार्ष्णेय महाप्रबंधक ने आयुध निर्माणी, भंडारा में हिन्दी में हो रहे कामकाज की प्रशंसा करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि "यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आयुध निर्माणी, भंडारा ने अपने यहाँ हिन्दी पखवाड़ा मनाया और इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। लोगों में हिन्दी के प्रति जागरूकता लाने तथा विभिन्न अनुभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आयुध निर्माणी, भंडारा ने प्रेरणा और प्रोत्साहन का जो सहारा लिया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम राजभाषा हिन्दी के विकास में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। आयुध निर्माणी, भंडारा में काफी काम हिन्दी में हो रहा है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि सबके सहयोग और मदद से कुछ ही दिनों में सारा कामकाज हिन्दी में होने लगेगा।

प्रर्वतन निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली

निदेशालय में 14 सितम्बर, 1998 को हिन्दी दिवस तथा 28 सितम्बर, 1998 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर प्रर्वतन निदेशक की ओर से एक अपील भी जारी की गई, जिसमें सभी शासकीय एवं व्यावहारिक कार्यों में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कहा गया। इस समारोह की अध्यक्षता विशेष प्रर्वतन निदेशक श्री एम.सी. जोशी ने की। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की प्रतीक है। इसके विकास में ही राष्ट्र का विकास है। इसे अंगीकार करना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नैतिक एवं सांविधिक दायित्व है। हिन्दी पखवाड़े के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर

संस्थान में 1 सितम्बर, 1998 से 15 सितम्बर, 1998 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह में डा. यतीन्द्र तिवारी, प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अर्मापुर, कानपुर ने कहा कि हिन्दी में राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता, राष्ट्रीय एकरूपता एवं राजनैतिक, सामाजिक सम्यकता का बोध होता है। संस्थान के निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में एक प्रवृत्ति अत्यन्त घातक है। वह है अंग्रेजी में सोचकर उसी में लिखना और उसके अनुवाद द्वारा हिन्दी को अपनाने की सोचना । उन्होंने कहा कि जब तक हिन्दी अनुवाद की भाषा बनाई जाती रहेगी। उसमें दुरुहता, अस्पष्टता तथा व्याकरणहीनता बनी रहेगी। श्री रागवेन्द्र कोशलेन्द्र प्रकाश ल.ऊ.सा. अधिकारी ने कहा कि हिन्दी में नवीन उज्ज्वलता है, जिसमें जन-मानस भी प्रकाशित होगा। अंग्रेजी का व्यवहार लोकतंत्र की सफलता के प्रति अंधेरा है। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक अनुरूपता के लिए हमें शासन कार्य में हिन्दी व्यवहार के लिए नैतिक दृष्टि से बाध्य है।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, राजस्थान

संस्थान मे 8 सितम्बर से 14 सितम्बर, 1998 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान अनेक आयोजन किए गए जिसमें संस्थान के 525 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया । हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी शब्दावली, वैज्ञानिक/तकनीकी लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया। समापन समारोह में अपने अध्यक्षीय व्याख्यान में संस्थान के निदेशक प्रो. राजेन्द्र नारॉयण विश्वास ने कहा कि हमारे देश की सभी भाषाएं अत्यंत समृद्ध हैं और हिन्दी उन सभी भाषाओं की कड़ी है। इसलिए देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिन्दी बोली और समझी जाती है और भारत के लगभग 70 प्रतिशत भू-भाग में हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में जानी व मानी जाती है। विभिन्न प्रतियोगिकताओं में हुए विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि., दामनजोड़ी, उड़ीसा

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि. में 14-9-98 को हिन्दी दिवस मनाया गया और 1 सितम्बर, 1998 से हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान वाक, निबंध, नोटिंग एवं मसौदा आदि प्रतियोगिकताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर पहली बार "नारा" प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिण कमान, पुणे

1 सितम्बर, 1998 को मुख्य कार्यालय के केन्द्रीय सभागार में हिन्दी पखवाड़ा उद्‌घाटन समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा लेखा नियंत्रक श्रीमती राजेश्वरी नाथ ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पखवाड़े का शुभारम्भ किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्रीमती राजेश्वरी नाथ ने कहा कि कार्यालय के प्रत्येक दिवस को हिन्दी पखवाड़े के रूप में मानकर कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालयों में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। अत: सभी कर्मचारियों को इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उत्तरी अंचल एवं नई दिल्ली शाखा कार्यालय ने राजभाषा के कार्यान्वियन के लिए उत्साहजनक वातावरण बनाने के लिए 14 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1998 तक संयुक्त रूप से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया । हिन्दी दिवस के आगमन पर बैंक, नराकास, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित की गई अन्तर-बैंक प्रतियोगिताओं में भी स्टाफ ने बड़ी दिलचस्पी से भाग लिया। 18 सितम्बर, 1998 को हिन्दी सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार डोडा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डी.पी. बन्दुनी, उप निदेशक (का.) राजभाषा विभाग थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गए। अब हम सभी को मिलजुल कर हिन्दी के प्रयोग के प्रति शुद्धतावादी दृष्टिकोण त्यागकर राजभाषा नीति को लागू करने हेतु एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। यही भारत सरकार की मंशा भी है और इसी में भाषा नीति की सफलता है। मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार डोडा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्टाफ को हिन्दी के प्रयोग के लिए आह्वान करते हुए कहा कि रचनात्मक सोच केवल अपनी भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बेहतर कार्य केवल अपनी भाषा में ही कर सकता है।

कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (पे. सवि.), मेरठ छावनी

दि. 14-9-98 को रक्षा लेखा नियंत्रक (पे.संवि.) कार्यालय, मेरठ छावनी द्वारा हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। एक सितम्बर से प्रारम्भ हुए हिन्दी पखवाड़ा के दौरान हिन्दी निबन्ध, टिप्पणी-प्रारूप लेखन, श्रुतलेख-सुलेख तथा कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं जिनमें बड़ी संख्या मे कर्मचारियों ने भाग लिया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री बीर सिंह मीणा, नियंत्रक रक्षा लेखा (पें.संवि.) ने अपने सारगर्भित उद्‌बोधन में राजभाषा हिन्दी की सरलता तथा सहजता की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है और गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्वानों ने भी हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में बहुत बड़ा समर्थन दिया है अत: हम सभी का यह दायित्व है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम सहज और सरल ढंग से राजभाषा हिन्दी में करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें और इसके लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करें।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर में दिनांक 14-9-98 से 25-9-98 तक ''हिन्दी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

भारत हिन्दी प्रचार सभा, तृश्शूर के प्राचार्य श्री पी. राधाकृष्णन ने विशेष अतिथि के रूप में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया।

समापन समारोह का प्रारम्भ इस संस्थान के अवर श्रेणी लिपिक श्रीमति के. विजयलक्ष्मी द्वारा आलापित प्रार्थना के साथ हुआ, जिसके पश्चात् नामित राजभाषा अधिकारी श्री के.ए. मात्यु ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में नामित राजभाषा अधिकारी ने सदस्यगण का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि ओणम पर्व की छुट्टियों की वजह से 1-9-98 से 15-9-98 तक ''हिन्दी पखवाड़े'' के आयोजन के निर्णय को कार्यान्वित न किया जा सका। तथापि, उन्होंने समस्त सदस्यों की हिन्दी के प्रति अभिरुचि के लिए हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए उपस्थित सदस्यों की भारी संख्या इस अभिरुचि का ही प्रमाण है।

तत्पश्चात् संदर्भाधीन अवसर पर गृह मंत्री श्री लालकृष्ण अडवानी एवं अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त (ल.उ.) माननीय श्री के.वी. हरनीराया द्वारा दिए गए संदेशों को पढ़ा गया। तदोपरान्त निदेशक महोदय श्री जगेश चंद्र पांडेय ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में, राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में नामित राजभाषा अधिकारी श्री के. ए. मात्यु द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस संबंध में विकास आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त निर्देशों तथा राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विविध पुरस्कारों-यथा-पद्मश्री ए. आर. भट्ट पुरस्कार योजना, राजभाषा चल वैजयंती आदि की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, एवं आग्रह किया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं में भाग लेकर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु पुरस्कार प्राप्त करें। उन्होंने आशा प्रकट की कि नामित राजभाषा अधिकारी श्री के. ए. मात्यु की कुशल देखरेख में संस्थान में राजभाषा हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति होगी।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, तृश्शूर के प्राचार्य श्री पी. राधाकृष्णन, जिन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप मे पधारकर संस्थान को गौरवान्तित किया—ने सदस्यगण को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि राजभाषा भी है। हिन्दी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में एक कड़ी का काम करती है। इसलिए उसकी महत्ता बनाए रखना, एवं उसकी प्रगति की दिशा में कार्य करना हमारा कर्तव्य है।

विशिष्ट अतिथि ने अपने भाषण के उपरांत, पखवाड़े के दौरान आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों एवं हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले तीन कर्मचारियों को अपने कर-कमलों से पुरस्कृत किया। कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हिन्दी गीतों से सदस्यगण को आनन्दित किया गया।

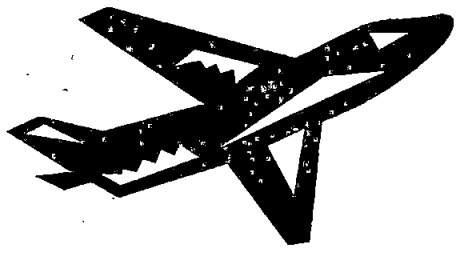

कार्यशाला

जल संसाधन मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेशानुसार वाप्कोस में प्रत्येक तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 31-3-99 को वाप्कोस के साकेत स्थित कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 14 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिन्होंने हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग के व्यावहारिक प्रशिक्षण में गहरी रुचि ली। इस कार्यशाला का उद्‌घाटन श्री जी. बन्द्योपाध्याय, मुख्य अभियन्ता (जल आपूर्ति) ने किया। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी सहभागियों को राजभाषा के रूप में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। हिन्दी टिप्पण व आलेखन के कुछ नमूने सहभागियों को देकर उनसे अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर राजभाषा विभाग से उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री डी. पी. बन्दूनी एवं जल संसाधन मंत्रालय से अवर सचिव (परियोजना) श्री जे. एल. चुघ को समुचित मार्गदर्शन के लिये बुलाया गया तथा श्री आर. आर. बंसल, प्रबन्धक (रा. भा.) ने भी विस्तार से चर्चा की ताकि वे इसी प्रकार कार्यालय के अपने दैनिक कार्यों में भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित हों। कार्यशाला को अधिक रुचिकर बनाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई "कम्प्यूटर की वाणी" एवं "नई मंजिल की नई राह" नामक वीडियो कैसेट् का भी प्रदर्शन किया गया।

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

राजभाषा हिन्दी को सही रूप में अपना स्थान दिलाने एवं कार्यालयों/शाखाओं में इसे प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाने की दृष्टि से बैंक ऑफ इंडिया में अन्य उपायों के अतिरिक्त प्रभावी निरीक्षण एवं डेस्क प्रशिक्षण के साथ-साथ विशेषीकृत एवं उन्नत हिन्दी कार्याशालाओं के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तेजी लाने एवं हिन्दी कार्यान्वयन को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए सभी शाखाओं में एक नामित हिन्दी अधिकारी एवं एक नामित लिपिक को चयनित किया गया है जिससे वे शाखा में समय-समय पर उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान तत्काल कर सकें और प्रशासनिक कार्यालय को आंकड़े सही एवं समयावधि में भेज सकें।

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिनांक 30-12-98 से 2-1-1999 तक नामित हिन्दी अधिकारियों एवं लिपिकों हेतु एक उन्नत कार्यशाला का आयोजन, बैंक के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें दिल्ली की विभिन्न शाखाओं के 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उक्त चार दिवसीय कार्यशाला का संचालन बैंक के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), श्री अद्‌भुत प्रकाश मिश्र एवं क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी, श्री बलदेव राज ने किया। श्री मिश्र ने सत्र के प्रारम्भ में सभी नामित हिन्दी अधिकारियों/लिपिकों को भारत की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी दी। श्री मिश्र ने बताया कि हमारा भारत विभिन्न हिन्दी भाषा-भाषी देश है परन्तु देश के बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली एक भाषा मात्र "हिन्दी" है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी इसके पूर्णतः कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है इच्छा शक्ति का अभाव। हम यह समझते हैं कि कम्प्यूटरीकरण से इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति धीमी पड़ी है परन्तु हमें आशा है कि कम्प्यूटरीकरण आगामी वर्षों में हिन्दी के कार्यों को और भी आसान कर देगा जब ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित हो जाएंगे कि बटन दबाते ही सभी कार्य हिन्दी में या द्विभाषी होने लगेंगे। फिर भी वर्तमान व्यवस्था के रहते हुए हम बैंक में हाथ से लिखकर किए जाने वाले कार्य हिन्दी में कर सकते हैं।

श्री मिश्र ने आगे बताया कि विडम्बना यह है कि हम सभी 'क' क्षेत्र के निवासी होते हुए भी हिन्दी में काम करने में हिचकिचाते हैं जबकि विभिन्न प्रान्तों से आये अहिन्दी भाषी हिन्दी कार्यों में विशेष रूचि रखते हुए सभी कार्य व बातचीत हिन्दी में करने लगे हैं। यही नहीं हमारे उत्तरांचल के महाप्रबंधक-सह-आंचलिक प्रबंधक अहिन्दी भाषी (तमिल भाषी) हैं परन्तु हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा व कार्यशैली सराहनीय व उत्साहवर्धक है। वे प्रत्येक पत्र पर हस्ताक्षर भी हिन्दी में करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब हिन्दी समस्त भारतीय भाषाओं के बीच सम्पर्क भाषा का भी कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब हिन्दी की पहचान है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के हिन्दी में दिये गये ओजस्वी भाषणों ने हिन्दी की सरलता एवं स्पष्टता के फलस्वरूप सभी राष्ट्रों के बीच भारत की छवि को और निखारा है।

श्री मिश्र ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि आज से ही संकल्प लें कि शाखाओं में जाकर न केवल अपने सभी कार्य हिन्दी में करेंगे अपितु अन्य साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी, श्री बलदेव राज ने शाखाओं से भेजी जाने वाली विवरणियों के प्रेषण में पाई जाने वाली विसंगतियों के बारे में नामित अधिकारियों/लिपिकों से विस्तार से चर्चा की ताकि समय पर सही आंकड़े प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जा सकें। इसके अलावा श्री राज ने, शाखाओं द्वारा आदर्श पत्र लेखन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी और बैंक के आंतरिक कामकाज को सुगमता से किये जाने के संबंध में चर्चा की।

श्री बलदेव राज ने, हिन्दी में कार्य करने के प्रति, मानसिकता परिवर्तन पर अधिक बल दिया एवं कहा कि ऐसा नहीं कि हम काम जानते नहीं या कर नहीं सकते परन्तु इसके प्रति उदासीनता का रुख अपनाये हुये हैं। प्रतिभागियों द्वारा चर्चा के बाद हिन्दी के विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में, श्री राज ने बताया कि 'जहां चाह वहां राह' का सूत्र सदैव उपयोगी माना गया है। हिन्दी में कार्य करना 'शुरू तो करो' हाथ स्वयं चलने लगेगा। और शीघ्र होने लगेगा । 100 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हिन्दी को मनोयोग से अपनाने एवं कार्य करने में हमें गर्व

महसूस करना चाहिए और गुलामी की मानसिकता का अंत:करण से त्याग करना चाहिए और यही मातृभाषा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हिन्दी भाषा विकसित, समृद्ध एवं शिष्टाचार सम्पन्न है जबकि अंग्रेजी संबोधन एवं शब्दार्थ में दोषपूर्ण एवं अस्पष्ट है जैसे कि उदाहरणार्थ-अंकल, आंटी, ब्रदर-इन-ला इत्यादि के शब्दार्थ अस्पष्ट हैं। इसी प्रकार गुणवती, कामिनी इत्यादि अनेक शब्दों का सही लेखन एवं उच्चारण अंग्रेजी भाषा में संभव नहीं जबकि हिन्दी भाषा सरल, परिशुद्ध एवं असंदिग्ध है।

मुंशी प्रेमचन्द ने भाषा की दासता को असली दासतां माना है क्योंकि स्वतन्त्र राष्ट्र की पहचान उसका राष्ट्रध्वज,राष्ट्रगान एवं राष्ट्रभाषा होते हैं। इसी संदर्भ में महाकवि मैथलीशरण गुप्त ने, राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं संवेदना प्रकट करते हुए ठीक ही लिखा है :

"जिसको न निज गौरव,
निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, पशु निरा,
और मृतक समान है।"

कितनी सुखद बात है कि भारत सरकार ने अब तक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का मार्ग अपनाया है। यही नहीं भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं परंतु विडम्बना यह है कि हमारे अंत:करण से अंग्रेजी की छाप नहीं मिट सकी, अभी भी हम हिन्दी में काम करना गौरव की बात नहीं समझते, हमारे मानस पटल पर उदासीनता एवं स्वार्थपरता के बादल इतने गहरा गये हैं कि राष्ट्रभाषा व राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं कर्तव्य-परायणता की जरा भी किरण दिखाई नहीं देती, लज्जा आनी चाहिए भारत माँ के सपूतों को जिनकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का आये दिन तिरस्कार होता रहता है जबकि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, वर्मा, श्रीलंका, जापान एवं चीन आदि देशों की भाषाएं अंग्रेजी की मोहताज नहीं हैं, तो क्या कारण है कि हम हिन्दी को अंग्रेजी की वैसाखी लेकर चलने को बाध्य कर रहे हैं ? हम उन आजादी के परवानों, भारत माता के सपूतों के बलिदान को भूल गये जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तन, मन, धन समर्पित कर दिया ताकि भारतीय जनता गुलामी की घुटन से राहत पाकर सुख की सांस ले। क्या हम राष्ट्रभाषा को सम्मान देने हेतु अपनी भाषा को अपनाते हुये समस्त कामकाज हिन्दी में नहीं कर सकते ? आईये विचार करें और आज से ही ठोस निर्णय लें कि हमारी कलम एवं जबान पर केवल हिन्दी हो। ऐसा करने से न केवल हमें आत्मिक आन्नद की अनुभूति होगी अपितु भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति भी सहज हो सकेगी।

आवास एवं नगर विकास निगम लि०, नई दिल्ली

दिनांक 10-11 दिसम्बर, 1998 को कन्याकुमारी स्थित विवेकानन्द परिसर में हडको के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त नोडल अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला की गयी।

दिनांक 10-12-98 को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. मलिक मोहम्द ने विधिवत विशेष हिन्दी कार्यशाला का उदघाटन किया तथा इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में संकाय सदस्य के रूप में सभी प्रतिभागियों को हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं प्रादेशिक प्रयोग के साथ-साथ गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हिन्दुस्तानी हिन्दी (हिन्दी-उर्दू मिश्रित) के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने विस्तारपूर्वक तथा उदाहरण देकर समझाया कि उत्तरी भारत बल्कि समस्त भारत में भी कह सकते हैं सभी हिन्दी-सिनेमाओं में हिन्दुस्तानी भाषा का भरपूर प्रयोग किया जाता है और यही स्थिति दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों की है। उन्होंने खेद प्रकट किया कि कुछ हिन्दी प्रचारक क्लिष्ट हिन्दी का प्रचार करके न केवल हिन्दी का अहित करते हैं बल्कि इसके प्रचार-प्रसार और प्रगामी प्रयोग में बाधा भी डालते हैं। उन्होंने जोर देकर सभी नोडल अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे आम बोलचाल की सरल और साधारण हिन्दी का प्रयोग करें और करवायें।

द्वितीय सत्र की अध्यक्षता मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) श्री जयवीर सिंह चौहान द्वारा की गयी तथा इस सत्र के उपरांत अगला सत्र श्री जयवीर सिंह चौहान ने स्वयं लिया तथा अपने उत्साहित उदघोषणा में सभी प्रतिभागियों को न केवल भारत सरकार की राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी अपितु उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के आसान तरीके भी बताए तथा इसके साथ ही संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली को भरने तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की जाने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने के आसान तरीके बताये।

तृतीय सत्र केरल में हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष श्री के. जी. बालकृष्णा पिल्लै ने लिया तथा उन्होंने अपने भाषण के दौरान हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रति सौहार्द तथा उनके प्रचार-प्रसार में सहयोग देने का भी प्रस्ताव किया। श्री पिल्लै का मानना था कि भारत के संविधान की अष्टम सूची में दर्ज 18 भाषाओं के पूर्ण विकास के बिना हिन्दी का विकास नहीं हो सकता। अत: जहां एक ओर उन्होंने अपने कार्यालय का सारा कार्य हिन्दी में करने का आग्रह किया वहीं साथ ही सभी प्रान्तीय भाषाओं के प्रति श्रद्धा-आदर रखने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि श्री पिल्लै स्वयं मलयाली अर्थात अहिन्दी भाषी हैं तथापि वे न केवल केरल में हिन्दी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष हैं बल्कि हमारे मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं तथा देश में तन-मन से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगे हैं।

चतुर्थ सत्र में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीरा सिन्हा ने इस कार्यशाला के विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए निगम में नोडल अधिकारियों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया। उसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि निगम के विभिन्न विभागों एवं आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग तथा प्रसार को बढ़ाने तथा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नामित किए गए राजभाषा समन्वय अधिकारियों के रूप में उनसे क्या-क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। उन अपेक्षाओं के अंतर्गत उन्हें क्या-क्या कार्य करना है और उन कार्यों को वे किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विस्तारपूर्वक यह बताया कि विभिन्न विभागीय विषयों के विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित पदों पर आसीन नोडल अधिकारी राजभाषा समन्वय अधिकारी

की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने-अपने संबंधित विभागों में भारत सरकार की राजभाषा निति, राजभाषा नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उन्हें क्या-क्या कदम उठाने हैं ! चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सभी कर्त्तव्यों पर सभी नोडल अधिकारी अपनी प्रतिक्रिया 15 जनवरी, 1999 तक मुख्यालय को देंगे ताकि उसके उपरांत एक विस्तृत कार्यालय आदेश जारी किया जा सके।

अगले दिन 11 दिसम्बर, 1998 को प्रमुख (राजभाषा) ने अपने सत्र में राजभाषा अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों की प्रबंधकीय भूमिका को स्पष्ट करते हुए अपने भाषण में प्रबंधन के नियम, मैनेजमेंट प्रिंसिपिल *(Swot-Strength, Weaknesses, Opportunity & Target)* अर्थात् शक्तियां, कमजोरियां, अवसर तथा लक्ष्य पर अपने भाषण को केन्द्रित रखा। प्रमुख (राजभाषा) का यह मानना है कि हम सभी हिन्दी अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं :—एक तो वह शक्तियां जो राजभाषा नियम, अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम अथवा राजभाषा आदेशों के अनुसार हमें दी गयी है तथा दूसरी कुछ शक्तियां हमारे निजी व्यक्तित्व में निहित *(These are inbuilt in our personality)* इन सभी शक्तियों, कमजोरियों, अवसर तथा लक्ष्यों को राजभाषा के विषय पर केन्द्रित करने के लिए हमें अपने आपसे कई प्रश्न करने होंगे। अंत में प्रमुख (राजभाषा) ने एक बहुचर्चित लोककथा सुनाकर सभी प्रतिभागियों का न केवल मनोरंजन किया अपितु उन्हें इस लोक कथा के माध्यम से दिए गए संदेश के अनुसार हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, वह कथा कुछ इस प्रकार है :—

"एक जूतों की कंपनी के प्रबंधक को किसी एक विशेष शहर में अपने जूतों की बिक्री के लिए सेल्समेन का चुनाव करना था। इस संदर्भ में उन्होंने एक सज्जन को मार्केट में सर्वे करने के लिए भेजा। उन सज्जन ने तीन दिन बाद लौटकर जूतों की कंपनी के प्रबंधक को बताया कि इस शहर में जूतों की बिक्री की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस शहर के सभी लोग बिना जूतों के नंगे पांव घूमते हैं इसके बाद प्रबंधक ने एक अन्य व्यक्ति को सर्वे हेतु भेजा वह व्यक्ति आधे घंटे बाद ही लौट आया और प्रबंधक से बोला की इस शहर में जूतों की बिक्री की बहुत अधिक संभवना है क्योंकि यहां तो किसी के पास जूते ही नहीं है।"

हिन्दी के प्रचार प्रसार के संदर्भ में उक्त कथा का उल्लेख प्रमुख (राजभाषा) ने कुछ इस प्रकार किया कि "ग" क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार करने का अवसर "क" और "ख" क्षेत्र से कहीं अधिक है और यदि इस लक्ष्य को सामने रखकर और अपनी सब कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी शक्तियां लगायेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे।

प्रमुख (राजभाषा) के भाषण के उपरांत श्री अमजद अली खान, वरिष्ठ प्रबंधक भारत अर्थमूवर्स बेंगलूर ने "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों में भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने की अनेक व्यवहारिक विधियां बताईं। चूंकि श्री अमजद अली खान स्वयं एक भाषाविद हैं और उन्हें दक्षिण भारत की सभी भाषाओं के साथ साथ उर्दू, फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी और पश्तो का भी भरपूर ज्ञान है इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारियों की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक राजभाषा के वर्णमाला के आधार पर विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने राजभाषा नियम 1976 के सभी 12 नियमों को भरपूर जानकारी दी और प्रतिभागियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में यह एक बहुत ही उल्लेखनीय और स्मरणीय संयोग है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित श्री अमजद अली खान जो स्वयं मुस्लिम हैं तथा दक्षिण भारत के प्रदेश आन्ध्रा में जन्में हैं और उनकी धर्मपत्नी तमिल हैं फिर भी पूरे देश में हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

अंतिम सत्र में कार्यकारी निदेशक (प्रबंध सेवाएं) श्री कल्याण जैन ने सभी प्रतिभागियों को हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए उनके अनेक प्रश्नों और समस्याओं का समाधान किया तथा खुले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान, प्रमुख (राजभाषा), श्री पिल्लै तथा श्री अमजद अली खान की मदद से सभी प्रतिभागियों की राजभाषा हिन्दी संबंधी सभी प्रश्नों और सभी समस्याओं का समाधान किया। श्री कल्याण जैन के मार्गदर्शन में हिन्दी विभाग ने इस सफल कार्यशाला का संचालन किया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रशिक्षण केन्द्र, दि. क्षे. का., आसफ अली रोड, नई दिल्ली

दिनांक 16 मार्च, 1999 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में दि.क्षे.का. 1 से लगभग 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल कासखेडीकर, मुख्य प्रबंधक एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति (उपक्रम), दिल्ली, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड उपस्थित थे।

हिन्दी कार्यशाला के आरंभ में हिन्दी अधिकारी श्री एस.डी. वर्मा ने मुख्य अतिथि श्री अनिल कासखेडीकर, श्री तेजिन्दर सोबती, उप प्रबंधक तथा उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री तेजिन्दर सोबती, उप प्रबंधक ने अपने स्वागत भाषण में इस बात पर बल दिया कि हिन्दी में काम करने में हमें झिझकना नहीं चाहिए और हमें हिन्दी को सहजतापूर्वक अपनाना चाहिए व हिन्दी ही हमारे देश की एक अच्छी संपर्क भाषा हो सकती है क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग हिन्दी पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं।

श्री अनिल कासखेडीकर ने अपने व्याख्यान सत्र में **संघ की राजभाषा नीति और हिन्दी कंप्यूटरीकरण** पर काफी उपयोगी जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने संघ सरकार की राजभाषा नीति के बारे में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा या कामकाज की भाषा भी है। हमें अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करना है। भारतीय संविधान ने केन्द्र को व राज्यों को उनकी राजभाषा निश्चित करने की छूट प्रदान की है। भारत सरकार ने अपनी राजभाषा हिन्दी तय की है जिसकी लिपि देवनागरी है व जिसमें भारतीय अंकों का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्होंने राजभाषा नीति के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) राजभाषा संकल्प, 1968 और 1976 के राजभाषा नियमों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी भाषी या अहिन्दी भाषी क्षेत्र कौन-कौन से हैं व पत्र व टिप्पणी लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कंप्यूटरीकरण के विषय में बताते हुए कहा कि आजकल के माहौल में कम्प्यूटर पर कार्य करना आवश्यक हो गया है व धीरे-धीरे अंग्रेजी की ही तरह हिन्दी में कम्प्यूटर साफ्टवेयर आने भी आरंभ हो गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भले ही आज कंप्यूटरीकरण के कारण हिन्दी कार्यान्वयन में काफी कठिनाइयां आ रही हैं परन्तु आने वाले समय में यही कम्प्यूटर हिन्दी में कार्य करने में सबसे बड़ा सहायक होगा।

व्याख्यान का दूसरा सत्र श्री राजेन्द्र काण्डपाल, प्रशासनिक अधिकारी दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड ने लिया। उनके व्याख्यान का विषय था **राजभाषा कार्यान्वयन का व्यावहारिक पक्ष**। उन्होंने इस विषय के अंतर्गत संघ की राजभाषा नीति की अपेक्षाएं, हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन, बैठकें आयोजित करना, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण इत्यादि विषयों पर चर्चा की।

तीसरा सत्र श्री नरेश बंसल, अनुवादक दि. क्षे. का. 1 द्वारा लिया गया। व्याख्यान का विषय था **हिन्दी में किया जा सकने वाला अर्ध-तकनीकी सामान्य पत्राचार एवं होने वाली सामान्य अशुद्धियां**। उन्होंने प्रतिभागियों को पत्र के मुख्य अंगों के विषय में जानकारी दी। अंत में कार्यालयीन पत्र व कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के विषय में बताया। विभिन्न प्रकार के अन्य अर्ध-तकनीकी पत्राचार के उदाहरण देते हुए उसमें होने वाली सामान्य अशुद्धियों के विषय में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी।

अगला सत्र श्री वेद प्रकाश, प्रशासनिक अधिकारी दि.क्षे. का. 2 द्वारा **हिन्दी में किया जा सकने वाला तकनीकी प्रकृति का सामान्य पत्राचार** विषय पर लिया गया। उन्होंने उक्त विषय के अंतर्गत प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी दी व यह भी बताया कि ऐसे पत्राचार में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए। सामान्यत: इसमें कौन-कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं व इन्हें कैसे दूर किया जाए।

कार्यशाला का अंतिम व्याख्यान श्री आर.पी. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दि. क्षे. का. 1 ने लिया। उनके व्याख्यान का विषय **द्विभाषिक फार्मों को हिन्दी में कैसे भरें एवं अभ्यास कार्य था**। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को फार्मों के सैट वितरित किए और हिन्दी में भरवाने का अभ्यास करवाया तथा इन फार्मों को हिन्दी में भरने के संबंध में होने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा की।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं राजभाषा हिन्दी सम्बंधी प्रावधानों के अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि संस्थान के उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को नेतृत्व एवं प्रेरणा प्रदान करें। इस दृष्टि से दिनांक 08-03-1999, को सभी प्रभागीय प्रमुखों के लिए **"राजभाषा नीति तथा संसदीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश और इस संदर्भ में कार्यपालकों की भूमिका"** पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. एच. एस. राणा, प्रबंधक नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर इस कार्यशाला के वक्ता रहे।

संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रभागीय प्रमुखों को उनका उत्तरदायित्व स्पष्ट किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं। धारा 3/3 के अंतर्गत जारी 14 तरह के कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। उपस्थित अधिकारियों को हिन्दी में छोटे-छोटे वाक्य लिखने के लिए प्रेरित किया गया। चर्चा के दौरान बताया गया कि क्लिष्ट शब्दों से बचें और केवल सरल हिन्दी का प्रयोग करें। यह कार्यशाला उपस्थित अधिकारियों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं प्रेरणादायक रही। इस कार्यशाला में महानिदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और सभी प्रभागीय प्रमुख मिलाकर कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन राजस्थान परमाणु बिजलीघर

राजस्थान परमाणु बिजलीघर एवं राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना इकाई 3 एवं 4 द्वारा संयुक्त रूप से 1 से 9 फरवरी, 1999 तक कुल चार द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशालाएं विक्रमनगर स्थित सेमीनार हाल में आयोजित की गईं जिनका संचालन भारत सरकार के सेवानिवृत्त उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल एवं राजभाषा विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डा. मोतीलाल चतुर्वेदी ने किया।

प्रथम हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन रापबिघ के वरिष्ठ प्रबन्धक (का. एवं औ. सं.) श्री महेन्द्र सिंह ने किया। इस कार्यशाला का समापन रापविप 3-4 के वरिष्ठ प्रबन्धक (का. एवं औ. सं.) श्री शरद कुमार शर्मा ने किया। दूसरी कार्यशाला का उद्घाटन रापविप के मुख्य अधीक्षक श्री देवकुमार गोयल ने तथा समापन उप महाप्रबंधक (संविदा एवं सामग्री प्रबंधन), रापविप 1 से 4 श्री सी.बी. जैन ने किया। तृतीय एवं चतुर्थ कार्यशालाएं रापविप 3 व 4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित की गईं जिनका उद्घाटन क्रमश: श्री आर. रघुनाथन, उप महाप्रबन्धक (का. एवं औ. सं.), रापविप 1 से 4 तथा श्री के.एस. छाबड़ा, मुख्य अभियंता (निर्माण), रापविप 3-4 ने किया। तृतीय कार्यशाला का समापन रापविप के वरिष्ठ प्रबन्धक (का. एवं औ. सं.) श्री महेन्द्र सिंह ने तथा चतुर्थ कार्यशाला का समापन रापविप 3-4 के अपर मुख्य अभियंता (मापयंत्रण एवं विद्युत) श्री सी.पी. झाम्ब ने किया। इसप्रकार इन कार्यशालाओं में रा.प.बि.घ. एवं रा.प.वि.प.3-4 के लगभग 130 प्रतिभागियों ने हिन्दी का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया तथा राजभाषा नियम, अधिनियन एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने कार्यशाला में लिखित अभ्यास भी किया।

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चिन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन तथा हिंदी में सरकारी कामकाज करने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को होने वाले संकोच को दूर करने के उद्देश्य से 16 एवं 17 फरवरी 1999 को कर्मचारियों के लिए द्वि दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 16-2-99 को किया गया। कार्यशाला के आयोजन के लिए केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती के. शोभा को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों को नेमी टिप्पणियों/पत्राचार आदि के संबंध में बताया। सीमाशुल्क कार्यालय के सहायक निदेशक श्री पी.टी. चाक्कों और युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी के डॉ. लता आनन्द ने राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला।

दिनांक 17-2-1999 को आयोजित समापन समारोह के अवसर पर युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डॉ. के. लता आनन्द, प्रशासनिक अधिकारी मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित थे। संस्थान के निदेशक डॉ. सी.पी. वरगीस ने राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में इस कार्यालय द्वारा किए जा रहे विविध कार्यकलापों पर प्रकाश डाला।

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, विजया बैंक, अहमदाबाद की ओर से दिनांक 30 नवम्बर, 1 और 2 दिसम्बर'98 को अधिकारी वर्ग हेतु हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बैंक के सहायक महा प्रबन्धक श्री के. मोहनदास ने किया। श्री मोहनदास ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि थोड़े से प्रयास से हिन्दी आसानी से सीखी जा सकती है और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भाषा का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने जागरुक हैं, न कि इस बात पर कि हमें कितनी अच्छी हिन्दी आती है।

कार्यशाला के अंत में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें सयाजीपुरा शाखा के श्री राममोहन शेट्टी को प्रथम और अलकापुरी, बड़ौदा शाखा के श्री प्रदीप एक्का को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

आकाशवाणी, तिरुवनन्तपुरम

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17-2-99 से 18-2-99 तक द्विदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 17-2-99 को केन्द्र निदेशक श्री एन. एस. ऐसक महोदय ने इसका विधिवत् उद्घाटन किया। उन्होंने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला और अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अधिक-से-अधिक कार्य हिंदी में करें। हिंदी अधिकारी श्री उत्तम चंद साह ने कहा कि हिंदी कार्यशाला की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब लोग कार्यालयीन काम-काज हिंदी में करेंगे।

दिनांक 17-2-99 को कार्यशाला में व्याख्यान का विषय था, "हिंदी पत्राचार"। इस विषय पर तिरुवनन्तपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सचिव श्रीमती एम. विशालाक्षी ने हिंदी-पत्राचार के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला और प्रशिक्षणार्थियों से अभ्यास भी करवाया।

कार्यशाला के दिन अर्थात् दि. 18-2-1999 को "संघ सरकार की राजभाषा नीति और संवैधानिक व्यवस्था" विषय पर केरल के हिंदी भाषा के विद्वान श्री डी. के. पणिक्कर ने व्याख्यान दिया। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निमित्त संवैधानिक व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को राजभाषा का रूप देने के पीछे कारण यह है कि यह भाषा भारत के प्रायः सभी प्रांतों में कमोबेश बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। उन्होंने कार्यालय के काम-काज में सरल हिंदी का प्रयोग करने की बात कही।

विजया बैंक बेंगलूर महानगर अंचल

बैंक अधिकारियों के लिए 4-3-1999 से 5-3-1999 तक एक उच्च स्तरीय हिन्दी कार्यशाला स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर में चलाई गई। इस में कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का शुभारंभ-श्री जयप्रकाश, वरिष्ठ प्रबंधक, स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर ने किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि राजभाषा को एक संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तभी सही मायनों में कार्यान्वयन होगा। इस पर हम सब को सोचना है तदनुसार अपनी मानसिकता बदलना है। इसमें प्र. क्रा. की समय-सारणी में बताए विषयों पर चर्चा हुई तथा बैंकिंग के विभिन्न विषयों को राजभाषा हिन्दी में अनुवाद कराने पर भी जोर दिया गया। कार्यशाला समापन समारोह में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्य प्रबंधक श्री एच. जी. पै भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यशाला आयोजन आदि के संबंध में विचार-विमर्श किया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई राजपुरा दरीबा खान के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालयीन काम-काज में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से दिनांक 1-4-99 से 2-4-99 तक द्वि-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका दिनांक 2-4-99 को उपमहाप्रबंधक (अ. स.) श्री आर. के. गौड़ के मुख्य आतिथ्य एवं दरीबा खान मजदूर संघ के वरिष्ठ सचिव श्री कल्याण सिंह शक्तावत के विशिष्ट आतिथ्य में समापन हुआ।

इस कार्यशाला में कनिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉ जयप्रकाश शाकद्वीपीय ने राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक व्यवस्था, अधिनियम, नियम, राज्य व उनकी भाषाएं, वर्णों का मानकीकरण, संख्यात्मक शब्दों का मानक रूप, देवनागरी में तार-प्रेषण, पत्राचार, प्रारूप लेखन, प्रोत्साहन योजनाओं एवं विराम चिह्नों का प्रयोग आदि विषयों पर सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

प्रशासनिक अधिकारी श्री बी. एन. माथुर ने टिप्पणी-लेखन संबंधी प्रशिक्षण एवं क. श्रम कल्याण अधिकारी, आदर्श चतुर्वेदी ने पदनामों की जानकारी दी।

इस अवसर पर अपने उद्‌बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि सीखने एवं निरन्तर अभ्यास से किसी भी भाषा में पारंगतता हासिल करना आसान है। उन्होंने आम बोल चाल के सरल शब्दों का प्रयोग कर अधिकाधिक कार्य हिन्दी में ही करने का आह्‌वान किया।

विशिष्ट अतिथि श्री कल्याण सिंह शक्तावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति सरल है, उन्होंने कार्यशाला में सिखाए गए पत्राचार, टिप्पणी लेखन का रोजमर्रा के कार्यालयीन काम में प्रयुक्त करने पर बल दिया।

कार्यालय महालेखाकार (ले. प.)

कार्यालय महालेखाकार (ले. प.)—प्रथम एवं द्वित्तीय की वर्ष 1998-99 की तृतीय हिन्दी कार्यशाला दिनांक 26-10-98 से 30-10-98 तक आयोजित की गई। इस कार्यशाला के प्रारम्भ में हिन्दी अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए हिन्दी भाषा की व्यावहारिकता एवं कार्यालय के कार्यों में इसके अधिकाधिक प्रयोग के बारे में बताया तथा इस तथ्य पर जोर दिया कि हिन्दी में कार्य करने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है बल्कि हिन्दी में कार्य करना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यशाला के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के द्वारा हम सभी को हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त करनी है। इस अवसर पर श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा, सहा. लेखा परीक्षण अधिकारी/राजभाषा अनुभाग ने कार्याशाला की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहा कि इस कार्यशाला का उद्‌देश्य प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी का विशेष प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि कार्यालय के समस्त कार्य को हिन्दी में करने का अभ्यास कराना भी है।

कार्यशाला का समापन दिनांक 30-10-98 को हुआ। इस अवसर पर श्री के. एस. रमोत्रा, उप महालेखाकार (राज्य राजस्व) ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लेने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर में प्राण और आत्मा का विशेष महत्व रहता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में उसकी संस्कृति एवं भाषा का महत्व होता है। भारत में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो समूचे राष्ट्र को एकता में बांधे रख सकती है। उन्होंने हिन्दी भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दी एक पूर्ण भाषा है क्योंकि व्यक्ति विशेष के द्वारा जो भी बोला जाता है उसे उसी प्रकार हिन्दी में लिखा भी जा सकता है। श्री रमोत्रा ने प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की कि हिन्दी को अपनी आत्मा से अपनाएं तथा भविष्य में अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही करें।

आँचलिक कार्यालय (पें. संवि.) इलाहाबाद

दिनांक 13-7-98 से 17-7-98 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आँचलिक कार्यालय के साथ रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी इलाहाबाद कार्यालय के कुल 15 कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

कार्यशाला में सर्वप्रथम अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यशाला की आवश्यकता , महत्व, उपयोगिता एवं राजभाषा अधिनियम, नियम तथा राजभाषा के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम आदि की विस्तृत जानकारी हिन्दी अधिकारी द्वारा दी गई। तत्पश्चात् अलग-अलग विषयों के 20 पाठ उक्त कार्यशाला में हिन्दी अधिकारी एवं व. ले. परीक्षक द्वारा पढ़ाए गए तथा उन पर आवश्यक अभ्यास भी कराया गया।

समिति

आयकर आयुक्त जालन्धर

जालन्धर प्रभार की केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 10 मार्च, 1999 को आयकर आयुक्त श्रीमती एस. के. आलेख की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में लिए गए निर्णय तथा विचार-विमर्श इस प्रकार है :

सदस्यों से अनुरोध किया गया कि हिन्दी में किए गए समस्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर मुख्यालय को भिजवा दी जाए।

प्रशासन संबंधी फाइलों में अधिकतर नोटिंग हिन्दी में हो रही है अध्यक्ष-महोदय ने अन्य कार्य-क्षेत्रों में भी नोटिंग हिन्दी में किए जाने का अनुरोध किया।

प्रभार में हिन्दी अनुवादकों-आशुलिपिकों-टाईपिस्टों की कमी के बारे में मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को सूचित किया जा चुका है। प्रभार के पांच निम्न श्रेणी लिपिकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित करवाने हेतु उनके नाम राजभाषा विभाग को प्रेषित किए जा चुके हैं। तीन और निम्न श्रेणी लिपिकों को इस पाठ्यक्रम में नामित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

बैठक के अंत में, अध्यक्ष-महोदया के निदेशानुसार सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी सदस्यों से निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया :—

कर निर्धारण के क्षेत्र में प्रोसेसिंग का सारा कार्य यथासंभव हिन्दी में किया जाए तथा इसकी उचित रिर्पोटिंग भी की जाए।

सभी प्रकार के नोटिसों पर करदाता का नाम व पता हिन्दी में लिखा जाए।

स्थापना-प्रशासन-लेखा संबंधी सारा कार्य यथासंभव हिन्दी में किया जाए।

सभी तरह के रिमाईडर, इन्डोरस्मेंट, निल स्टेटमेंट हिन्दी में जारी की जाएं।

पूर्वोत्तर रेल, गोरखपुर

मुराकास. की वर्तमान वित्त वर्ष की चौथी तिमाही बैठक 19-3-99 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, श्री कमल किशोर अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

वराधि-1 एवं मुराकास के पदेन सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेल के राजभाषा कार्यान्वयन अभियान को दिशा देने में इस शीर्षस्थ समिति का महत्वपूर्ण योगदान है।

समिति-अध्यक्ष ने कहा कि सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के रेल प्रशासन के संकल्प के बाद हिन्दी का प्रयोग-प्रसार रेल के हर-क्षेत्र में बढ़ा है। रेल के निर्णय लेने के हर स्तर पर हिन्दी माध्यम से कार्य-संचालन की अनिवार्यता महसूस की जा रही है। इस परिवर्तित माहौल में राजभाषा विभाग की भूमिका अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो गई है। अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक को उद्धृत करते हुए सारगर्भित स्वर में कहा कि हमें हिन्दी को अपनी कार्य-संस्कृति के गर्भ गृह तक पहुंचाना है। इसके लिए मुराधि. ने निर्देश दिया कि रेल कार्य मूलतः हिन्दी में सम्पन्न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए तथा कंप्यूटर के माध्यम से सम्पूर्ण काम-काज हिन्दी में करने के प्रति निरन्तर जागरूकता बरती जाय। मुराधि. का विचार था कि इस दो-सूत्री कार्य-योजना को अपनाने से हिन्दी कार्य को उत्कृष्टता के नऐ आयाम मिल सकेंगे। मुराधि. ने राजभाषा विभाग को कार्यशैली में निरन्तर गुणात्मक निखार लाते रहने का आदेश दिया तथा कहा कि विभाग को कार्य-पद्धति एवं कार्यशैली पर पैनी नजर रखी जा रही है।

समिति की पिछली बैठक के बाद सदस्यों ने निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया :—

बी. जी. सेन्सस' विषयक पुस्तिका हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है।

चिकित्सा विभाग का मासिक अर्धसरकारी पत्र हिन्दी में तो है ही, इस महत्वपूर्ण प्रलेख में प्रतिमाह हिन्दी प्रगति का विवरण भी शामिल किया जा रहा है।

रेसुब. द्वारा अपराध-समीक्षा-विवरण हिन्दी में प्रेषित हो रहा है तथा सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रतिस्पर्धाओं के जरिए विभाग में हिन्दी के प्रति मौजूद सक्रिय जागरूकता को नए तेवर प्रदान किये जा रहे हैं, वाणिज्य विभाग में गोपनीय रिपोर्ट विषयक प्रक्रिया शत-प्रतिशत हिन्दी में संपन्न हो रही है। आरक्षण-चार्टों के द्विभाषिक प्रदर्शन के संबंध में विभाग रेलवे बोर्ड के साथ सतत् संपर्क में है। सिगनल विभाग में मासिक पी.सी.डी.ओ. द्विभाषिक रूप में प्रेषित किया जा रहा है। विभाग में कंप्यूटर पर हिन्दी कार्य हेतु 'लीप-ऑफिस' ('Leap Office') व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। विद्युत् विभाग में हिन्दी सहायक को पूर्णकालिक व्यवस्था होनी चाहिए। मैनुअलों एवं प्रशिक्षण-सामग्री का हिन्दी रूपांतर स्थानीय विद्युत् प्रशिक्षण केन्द्र में कराया जा रहा है।

आयकर आयुक्त मुख्यालय, जालंधर

आयकर आयुक्त मुख्यालय जालंधर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 9 मार्च 1999 को सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय प्रशा.), जालंधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति को बताया गया कि

बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यालय पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार की राजभाषा नीति को कारगर ढंग से लागू करना है।

समिति को बताया गया कि मुख्यालय पर हिन्दी में पत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कफी कम है। सभी सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श के द्वारा निम्न निर्णय लिए गए :—

यथासंभव सभी पृष्ठांकन हिन्दी में किये जाएं।

फारवार्डिंग पत्र हिन्दी में जारी किये जाएं।

रूटीन प्रकार के सभी रिमांइडर हिन्दी में जारी किए जाएं।

मुख्यलिपिक (प्रशा.) डाक हिन्दी में मार्क करें।

इस वर्ष कर्मचारियों को मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए।

कार्यालय के 2 निम्न श्रेणी लिपिकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर पत्र किसी भी हालत में अंग्रेजी में डिस्पैच न हों।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली

प्र. मु. ले. नि. कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक लेखा नियंत्रक श्री एम. प्रान. कोनचाड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 3-3-99 को सम्पन्न हुई।

बैठक में हिन्दी अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा हिंदी में एक वार्षिक पत्रिका निकालने आदि मदों पर विस्तार से चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए आग्रह किया कि हिन्दी (राजभाषा) को और अधिक प्रभावी एवं प्रगतिशील बनाने के लिए अपने-अपने अनुभागों में ज्यादा-से-ज्यादा कार्य हिंदी में करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है और यह सब तभी संभव हो सकेगा जब सभी अधिकारीगण इस कार्य में एक जुट होकर लग जाएं।

अन्त में आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया कि सभी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य इस समिति की गरिमा बनाए रखने के लिए राजभाषा के अनुदेशों का ज्यादा-से-ज्यादा अनुपालन करें।

लखनऊ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ की 41वीं अर्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 16 फरवरी, 1999 को केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ डॉ. सी. एम. गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नगर स्थित केन्द्र सरकार के 120 कार्यालयों के विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों/हिन्दी अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में उपनिदेशक कार्यान्वयन श्री डी. पी. बन्दूनी व न. रा.का.स. बैंक के सदस्य सचिव श्री आर. सी. गुप्त भी उपस्थित थे। संस्थान के हिन्दी अधिकारी एवं सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ डॉ. विजय नारायण तिवारी ने बैठक में उपस्थित सभी महानुभवों का हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यसूची—जिसमें नगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों आदि की सूची, हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण, धारा 3 (3) का अनुपालन, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर देना, मूल पत्र हिन्दी में जारी करना, यांत्रिक सुविधाओं की उपलब्धि, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, पत्र/पत्रिकाओं का प्रकाशन, हिन्दी पदों की स्थिति तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नराकास के सदस्य कार्यालयों के सहयोग से राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन, नराकास पत्रिका का प्रकाशन एवं नराकास के सदस्य कार्यालयों के लिए हिन्दी कंप्यूटर प्रशिक्षण पर चर्चा हुई।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के हिन्दी अधिकारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ के सचिव डॉ. विजय नारायण तिवारी ने कार्य सूची के उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर नराकास के लगभग 100 केन्द्रीय कार्यालयों की अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं समीक्षा के पश्चात् राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए 10 कार्यालयों को पुरस्कारों एवं प्रमाण-पत्रों से सम्मानित किया गया। जिसमें से आकाशवाणी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, हिंदी कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों के आयोजन तथा राजभाषा पत्रिका प्रकाशन के लिए भी 47 कार्यालयों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। राजभाषा पत्रिका प्रकाशन के लिए नराकास में प्रकाशित होने वाले लगभग डेढ़ दर्जन पत्रिकाओं में से प्रथम पुरस्कार सी.डी.आर.आई. राजभाषा पत्रिका, द्वितीय पुरस्कार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, क्षे. कार्यालय,लखनऊ, (यूनीस्वर) को तथा एन.बी.आर.आई. की राजभाषा पत्रिका (विज्ञान वाणी) को द्वितीय पुरस्कार तथा मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार के कार्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका (विविधा) को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास की यूनिट प्रथम के प्रभारी आकाशवाणी द्वारा अपनी यूनिट की पाँच दिवसीय हिन्दी कंप्यूटर कार्यशाला के आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री डी. पी. बन्दूनी ने प्रमाण-पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा प्रबंधन के नये आयामों पर चर्चा करते हुए इस प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही एवं एक विराट हिन्दी मेला के आयोजन का भी सुझाव दिया। इस आयोजन से जहां एक ओर सभी कार्यालयों के राजभाषा विषयक प्रगति का प्रदर्शन होगा, वहीं एक दूसरे से प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पधारे उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री डी.पी. बंदूनी ने अपने वक्तव्य में सहज हिन्दी का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया और कहा कि जब हम परिष्कृत एवं संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का मोह छोड़ देंगे और अपने काम-काज में आम आदमी की हिन्दी

का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो निःसन्देह राजभाषा कार्यान्वयन में अपेक्षित गति आ सकेगी।

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति डॉ. सी.एम. गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समर्पित भाव से राजभाषा के काम-काज को आगे बढाएं तथा देश के विकास में राजभाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि कहीं न कहीं हमारी भाषा हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के सामूहिक सहयोग से राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन तथा नराकास के सामूहिक प्रयास से एक नराकास पत्रिका का प्रकाशन किया जाए तो यह एक सार्थक एवं रचनात्मक प्रयास होगा। इस पर बैठक में उपस्थित लगभग सभी कार्यालयों प्रमुखों ने अपनी सहमति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, ने नराकास के सदस्य कार्यालयों के लिए हिन्दी कंप्यूटर-प्रशिक्षण की भी घोषणा की। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान के हिन्दी अधिकारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, डॉ. विजय नारायण तिवारी सुनिश्चित करेंगे।

तमिलनाडु

तूतीकोरिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी. फिलिंग प्लांट, तूतीकोरिन में आयोजित की गई । इस बैठक में श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन ने राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व किया ।

तूतीकोरिन स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों ने उक्त बैठक में भाग लिया । समिति का स्वागत करते हुए श्री जे. वेदगिरी, प्रबंधक, एल.पी.जी. फिलिंग प्लांट, बीपीसीएल ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति का लेखा-जोखा, कार्यान्वयन और कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करने के लिए आज बड़े पैमाने पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय यहां इकट्ठे हुए हैं ।

बैठक का उद्घाटन श्री डब्ल्यू. एस. अरुलदास कान्तैया, अध्यक्ष-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं महाप्रबंधक, भारी पानी संयंत्र-तूतीकोरिन, परमाणु ऊर्जा विभाग और श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चिन ने दीप प्रज्वलित कर किया । अपने उद्घाटन भाषण में श्री डब्ल्यू.एस. अरुलदास कान्तैया ने कहा कि तमिलनाडु "ग" क्षेत्र के अंतर्गत आता है । राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी कार्यालयों को समुचित प्रयास करना होगा । इसके लिए हमें योजनानुसार कार्य करना चाहिए । यह पाया गया है कि बहुत से कार्यालयों में हिंदी-प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है । उन्होंने उपस्थित सभी सदस्य-कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि इस मद पर अधिक से अधिक ध्यान दें और आश्वासन दिया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण सहयोग दिया जायेगा ।

श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन ने अपने भाषण में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के कार्यक्षेत्र और कार्य पर प्रकाश डाला । तमिलनाडु के आखिरी छोर पर स्थित तूतीकोरिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उन्होंने प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए तथा तत्संबंधी समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन से पूर्ण सहयोग दिया जायेगा ।

जयपुर

नगर भाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की 36वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 24 फरवरी, 1999 को सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता श्रीमती उ० शंकर, महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान ने की । अध्यक्ष महोदया ने कहा कि विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त विवरणों से यह ज्ञात होता है कि अनेक कार्यालयों ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं अथवा इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं । लक्ष्य प्राप्त करने वाले कार्यालयों को बधाई देते हुए, उन्होंने लक्ष्य प्राप्त न करने वाले कार्यालयों से निवेदन किया कि वे अपनी कठिनाइयों से नगर समिति को अवगत कराएं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति निरन्तर उनका सहयोग करेंगी । उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यालय में राजभाषा विभाग की ओर से हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र चल रहा है जिसमें हिन्दी भाषा का शिक्षण दिया जाता है । इसी प्रकार इस केन्द्र पर हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। नियमित कक्षाएं लगती हैं । वर्ष में दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है । उन्होंने सदस्य कार्यालय प्रमुखों से आग्रह किया कि प्रशिक्षण के लिए शेष रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलवाएं । हिन्दी प्रशिक्षण पाने वाले कर्मियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनेक प्रोत्साहन एवं नगद पुरस्कार भी प्रदान किये जाने का प्रावधान है, इनका अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहिए । अध्यक्ष महोदया ने पुनः 36वीं अर्द्धवार्षिक बैठक में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनन्दन किया तथा बैठक की कार्यवाही के संचलान में सभी के सहयोग की अपेक्षा की ।

बैठक में बताया गया कि 15-16 जनवरी, 1999 को भोपाल में संयुक्त क्षेत्रीय राजाभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा इस सम्मेलन में जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तीन सदस्य कार्यालयों को वर्ष 1997-98 में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया । इस प्रकार धारा 3(3) के निर्देशों की अनुपालना नहीं हुई हैं । बैठक में अनुरोध किया गया कि सभी कार्यालयों को धारा 3(3) के निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए । मूल पत्राचार के बारे में बताया गया कि इसका प्रतिशत कुछ कार्यालयों में लक्ष्य से काफी नीचे हैं । 6 कार्यालयों में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 25% से भी कम हैं । 3 कार्यालय 50% से कम तथा 7 कार्यालय 75% से भी कम हैं जबकि राजभाषा विभाग द्वारा इस मद में शत-प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है । अतः कार्यालयों से निवेदन किया गया कि वे मूल पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास करें । बैठक में साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए ।

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त विवरणों से ज्ञात होता है कि अनेक कार्यालयों ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं अथवा

इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । किन्तु कुछ कार्यालय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बेहिचक अपनी कठिनाइयों से अवगत कराएं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह नगर समिति निरन्तर सहयोग करेगी ।

राजभाषा नीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग कि ओर से इस कार्यालय में हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र चल रहा है जिसमें हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि सिखलाने की व्यवस्था है । नियमित कक्षाएं लगती हैं, वर्ष में दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है । सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया गया कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण दिलवाएं । हिन्दी में प्रशिक्षण पाने वाले तथा हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मियों को अनेक प्रोत्साहन एवं नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं । जिनका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए । अध्यक्ष महोदया ने पुन: 35वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी का हार्दिक अभिनन्दन किया तथा बैठक की कार्यवाही के संचालन में उनके सहयोग की अपेक्षा की ।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक श्री विचारदास ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के सभी सदस्य कार्यालयों को लक्ष्य-प्राप्ति के लिए बधाई देते हुए कहा कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा लगभग सभी मैनुअलों और संहिताओं का अनुवाद किया जा चुका है। यदि किसी कार्यालय में अनुवाद के लिए कोई सामग्री शेष है तो उसे ब्यूरो कार्यालय में भेज कर अनूदित कराया जा सकता है ।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 5 दिवसीय, 1 माह एवं तीन माह का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । जयपुर में भी इन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा सकता है जिसमें जयपुर स्थित कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं । अध्यक्ष महोदया की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जयपुर में भी एक 5-दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है ।

भोपाल

दिनांक 1 जनवरी, 1999 को केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल के सभा भवन में मुख्य आयकर आयुक्त श्री अमूल्य कुमार महान्ती की अध्यक्षता में समिति नगर राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नगर के 21 कार्यालयों द्वारा भेजे गए प्रगति के आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगर के कार्यालयों में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें केवल हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है लेकिन अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी में प्रवीण न होने से कार्यालयों में हिंदी में कामकाज बढ़ नहीं पा रहा है ।

21 सदस्य कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कार्यालयों में कुल 371 अधिकारी और 2036 कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से 302 अधिकारी और 1552 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। शेष 69 अधिकारियों और 484 कर्मचारियों को हिन्दी में ''प्रवीण'' किया जाना है। निर्णय लिया गया कि इन अप्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीण कराने की दृष्टि से शीघ्र ही प्रशिक्षित कराया जाए। साथ ही, इस मद पर चर्चा के समय कुछ सदस्यों द्वारा यह बताया गया कि अर्धवार्षिक रिर्पोट के प्रोफार्मा (प्रारूप) में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का कॉलम न होने से यदि प्रारूप में एक कालम और बढ़ाकर जाकर हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी ले ली जाए तो उससे और अधिक सुविधा रहेगी और तब प्रथमदृष्टि में यह पता चल जाएगा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीण किया जाना है।

समिति को बताया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में से उपक्रम, निगम अलग कर दिए जाने के बाद सदस्य कार्यालयों की संख्या 80 रह गई है जिनमें से केवल 21 कार्यालयों ने समिति की आज की बैठक के लिए अद्धवार्षिक प्रारूप में जानकारी भेजी है। शेष 59 कार्यालयों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में वांछित जानकारी नहीं भेजी है। इसलिए समिति की इस बैठक में शेष 59 कार्यालयों के आंकड़ों की समीक्षा नहीं हो पाई है।

समिति ने इस पर खेद व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि सभी कार्यालय-अध्यक्ष अपन-अपने कार्यालयों की स्थिति की समीक्षा कर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की जानकारी बैठक के आयोजन के एक सप्ताह पहले नियत प्रारूप में भर कर सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भिजवा दिया करें। समिति ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के कार्यालयों उपक्रमों और व्यक्तियों को शतप्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए। फिर भी, 48,763 मूल पत्र अंग्रेजी में भेजा जाना नि:संदेह खेद-जनक है। समिति ने इस प्रकार हिन्दी में प्राप्त 75,612 पत्रों में से 1,916 आसूचना ब्यूरो कार्यालय द्वारा अंग्रेजी में उत्तर भेजने और 52,064 पत्रों को हिन्दी में उत्तर भेजने की स्थिति की गहन समीक्षा का संबंधित कार्यालय के प्रतिनिधि से जानकारी ली और उन कारणों को जानना चाहा जिनके रहते हिन्दी के पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में भेजा गया। समिति की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताई गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि हिन्दी के पत्रों का जवाब शतप्रतिशत रूप से हिंदी में ही दिया जाना चाहिए और यह कार्य अत्यन्त सावधानी से किया जाना चाहिए । यदि हिंदी के पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर दिया जाता है तो यह स्थिति कतई उचित नहीं है । यदि किसी कार्यालय में हिंदी का अच्छा कार्य हो रहा है तो इस प्रकार के आंकड़ों से ऐसे कार्यालयों के कामकाज की प्रगति की स्थिति धूमिल होती है ।

समिति को यह बताया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार हिंदी कामकाज में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो पा रही है और इसका एक कारण है कि कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन न किया जाना है । यदि दिए गए लक्ष्य के अनुरूप हिंदी कार्यशालाओं का आयोजना किया जाता है ता इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा ।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि कार्यालयों में हिंदी में कार्यशालाओं का आयोजन कर हिंदी टिप्पण और आलेखन लिखने को प्रोत्साहन दिया जाए एवं इसकी नियमित सूचना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को दी जाए ।

समिति के अध्यक्ष श्री अमूल्य कुमार महान्ती, मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर विभाग की स्थिति के संदर्भ में बताया कि चूंकि आयकर विभाग में अधिकांश कार्य तकनीकी प्रकार का होता है फिर भी, करदाताओं को सूचना देना, निर्धारण-आदेश पारित करना, प्रतिदाय जारी करना आदि कार्य हिंदी में किए जाते हैं । करदाता यदि अंग्रेजी में कामकाज की अपेक्षा करता है तो उस स्थिति में करदाता की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखकर तद्नुसार अंग्रेजी में काम करना होता है फिर भी आयकर विभाग में प्रत्येक स्तर पर हिंदी कामकाज बढ़ाने के लिए वे स्वयं सतत रूप से ध्यान देते हैं । श्री महान्ती ने अपने संबोधन में आगे कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस अर्द्धवार्षिक बैठक का यही उद्देश्य है कि हम लोग परस्पर मिलजुलकर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ ले सकें। जिन कार्यालयों ने हिंदी कामकाज बढ़ाने में अभिनव प्रयास किए हैं उनका अनुकरण किया जाना जरूरी है और परस्पर बैठकर हमें उन विसंगतियों को दूर करना है जिनके रहते हिंदी कामकाज लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पा रहा है । श्री महान्ती ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज की बैठक या इस प्रकार की उच्चस्तरीय बैठकों का महत्व तभी है जब ऐसी बैठकों में कार्यालय-अध्यक्ष स्वयं आकर अपने अनुभवों से बैठकों में निर्णय लेने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अनुवाद की जटिलता से कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं तो ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे लोग भाषा की कठिनाई से हिंदी में काम करने से न हिचकें बल्कि हिंदी में काम करने में गौरव महसूस करें ।

श्री महान्ती ने कहा कि वे विभिन्न अहिंदी भाषी क्षेत्रों में रहे हैं और यह बार-बार यह महसूस किया है कि पहले की अपेक्षा आज हर जगह हिंदी में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, हिंदी में टाइपिस्ट आ रहे हैं, हिंदी आशुलिपिक आ रहे हैं, हिंदी से संबंधित यंत्रों की उपलब्धता बढ़ गई है। कई जगह हिंदी कामकाज "कंप्यूटर" पर किया जाना भी प्रारंभ हो गया है । यह एक सुखद स्थिति है । यह ठीक है कि हमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है और यह सब तभी संभव होगा जब आप सभी लोग ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यालय की स्थिति देखे और जहां भी कोई कमी हो उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें ।

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 35वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 1998 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्रीमती उ. शंकर, महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान ने की । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों के संयुक्त निदेशक, श्री विचार दास तथा वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) पदेन सचिव श्रीमती ग़ज़ाला मीनाई ने भी बैठक में भाग लिया। जयपुर नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, निगमों तथा उपक्रमों के विभागाध्यक्ष अन्य प्रतिनिधि व अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदया श्रीमती उ० शंकर ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए नगर समिति की बैठकों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सदस्य कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर विवरण तैयार कर आपको दिया गया है जिसमें 62 सदस्य कार्यालयों से प्राप्त राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्य की स्थिति दशाई गई है। अनेक बार स्मरण कराने के पश्चात सभी सदस्य कार्यालयों से वांछित सूचना का न आना चिन्ता का विषय है तथा सभी कार्यालयों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि भविष्य में अधिक से अधिक सदस्य-कार्यालय सूचनाएं भिजवाएं और राजभाषा के प्रचार-प्रसार के दायित्व को पूरा करें।

जालंधर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालन्धर की छमाही बैठक 23 फरवरी, 1999, आयकर आयुक्त श्रीमती एस०के०औलख की अध्यक्षता में, सीमा सुरक्षा बल कैम्पस, जालन्धर छावनी में आयोजित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से श्री एस०के०सिंह, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) बैठक में भाग लेने हेतु जालंधर पधारे। जालंधर नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यलयों, बैंकों-उपक्रमों निगमों के 78 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के संयोजक, सीमा सुरक्षा बल की ओर से श्री सुभाष वैद, सहायक निदेशक (आपरेशन) के स्वागत-भाषण से बैठक प्रारंभ हुई।

बैठक में मुख्य रूप से, सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी को प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर चर्चा हुई। सदस्यों को गहन हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण तथा परीक्षाएं पास करने पर प्राप्त प्रोत्साहनों की जानकारी प्रदान की गई। सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा करते हुए जालंधर में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, आगरा में जालंधर नगर के तीन कार्यालयों, सीमा सुरक्षा बल, दूरदर्शन केन्द्र तथा भारत पैट्रोलियम को पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्होंने सदस्य-कार्यालयों और अध्यक्ष महोदया के प्रयासों की सराहना की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती एस०के० औलख, आयकर आयुक्त ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के जालंधर पधारने व मार्गदर्शन देने पर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान वर्ष 1997-98 के लिए पुरस्कार जीतने वाले सदस्य कार्यालयों को बधाई देते हुए अन्य सदस्यों का भी आह्वान किया कि वे पुरस्कार जीतने हेतु सघन प्रयास करें।

संगोष्ठी/सम्मेलन

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

दिनांक 25 और 26 फरवरी, 1999 को राजभाषा विभाग द्वारा भुवनेश्वर में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 1997-98 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। पूर्वांचल में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय नौवहन निगम लि०के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य को सर्वश्रेष्ठ पाया गया और प्रथम पुरस्कार स्वरूप उक्त कार्यालय को राजभाषा वैजयंती (शील्ड) प्रदान की गयी। 26 फरवरी को आयोजित पुरस्कार वितरण-सत्र की अध्यक्षता ओड़िसा के प्रधान महा लेखाकार श्री ध्रुव चरण साहू ने की और पुरस्कार वितरित किए। भारतीय नौवहन निगम की ओर से कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के कप्तान बी०के० गुप्ता ने सभाध्यक्ष के कर कमलों से राजभाषा वैजयंती प्राप्त की। कार्यालय के प्रबंधक (राजभाषा) डा० अवधेश मोहन गुप्त को भारत सरकार की ओर से राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस समारोह में नौहन निगम की ओर से श्री सुरेश चन्द्र जैन, उप महा प्रबंधक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी उपस्थित थे। द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार एच०ए०एल०कोरपुट और जीवन बीमा निगम, कलकत्ता को प्रदान किए गए। इस समारोह में श्री एम०एल० गुप्ता, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

श्री एम०एल० गुप्ता, संयुक्त सचिव, एवं डी०सी० साहू प्रधान महा लेखाकार ने अपने भाषणों में कहा कि संविधान सभा ने हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर, 1949 को अपनाया था। अब 50 वर्ष बीत चुके हैं, अत: हिन्दी को तत्काल उसका स्थान देने की आवश्यता है। दिनांक 25 फरवरी से शुरु हुए इस दो दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, ओड़ीसा, बिहार, अण्डमान निकोबार, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित उपक्रमों, बैंकों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से लगभग 250 प्रतिनिधियों, राजभाषा अधिकारियों, वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया। इस समारोह में डा०विजय पी० गोयल, निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने कम्प्यूटर पर भारतीय भाषाओं की उपलब्धता और दैनंदिन कामकाज में कम्प्यूटर के महत्व पर प्रतिभागियों को आडिओ-व्जिुअल के माध्यम से जानकारी दी।

विज्ञान संगोष्ठी

दिनांक 25 फरवरी, 1999 को केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, आगरा में एक संगोष्ठी का आयोजन "विज्ञान दिवस" के अवसर पर किया गया। संगोष्ठी का शुभारम्भ डा० यू० सेन गुप्ता, निदेशक ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का विषय "सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग" था।

अपने अध्यक्षीय भाषण में विचार व्यक्त करते हुए डा० यू० सेनगुप्ता ने बताया कि जालमा संस्थान की प्रयोगशालाओं को शीघ्र ही इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव रखा जायेगा जिसमें यहां चल रहे शोध कार्यों में और गति आ सके और वैज्ञानिक इंटरनेट का लाभ उठा सकें। इस प्रकार जालमा संस्थान अपने कार्य में और प्रगति कर सकेगा। डा० यू० सेनगुप्ता ने "सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग" विषय पर जोर देते हुए कहा कि हमें इंटरनेट पर कार्य पवित्र मन से और अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। गलत उद्देश्य से किए गये कार्यों का परिणाम हानिकार हो सकता है।

डा. वी०एम० कटोच, मुख्य वक्ता ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज के समय में संचार माध्यमों में अत्यधिक प्रगति हुई है जिसका आधुनिक स्वरूप इंटरनेट है। उन्होंने कहा कि पहले शोध कार्य के लिए पुस्तकालय में लम्बे समय तक अध्ययन करना होता था किन्तु आज इंटरनेट से विश्वभर की जानकारी कुछ ही मिनटों में प्राप्त की जा सकती है। वह भी शोध कक्ष में ही प्राप्त हो जाती है जिसके लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है और कार्य में पहले की अपेक्षा अब आसानी होती है। यदि हमारे पास कार्य करने की क्षमता है तो इस साधन के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

श्री अनिल कुमार ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान युग में इंटरनेट विज्ञान की ऐसी देन है जिसके द्वारा विश्व भर की बड़ी जानकारी कुछ सैंकन्डों में ही प्राप्त की जा सकती है। इसका उदाहरण देते हुए दि० 25 फरवरी, 99 को भारत की जनसंख्या की जानकारी दी तथा साथ ही मौसम की जानकारी भी।

डा० किरन कटोच ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध संचार साधनों में इंटरनेट एक महती उपलब्धता है जिसके द्वारा हम जैसी भी जानकरी चाहें प्राप्त कर सकते हैं इसका उपयोग विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय के साथ-साथ मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी चिकित्साक/सर्जन घर बैठे ही विश्व स्तर पर हो रहे कठिनतम शल्यक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे लाभ उठा सकता है।

इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए डा० अनीता गिरधर ने कहा कि वर्तमान युग में सूचनाओं का जाल इतना फैला हुआ है कि कोई भी जानकारी बहुत ही कम समय में प्राप्त की जा सकती है और इसके द्वारा विश्व एक छोटा-सा गांव के समान लगने लगा है।

डा० ओमप्रकाश ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग, ग्रीटिंग, काफ्रेंस, फोटोग्राफी आदि सभी सम्भव है लेकिन इंटरनेट का दुरूपयोग भी संभव है।

डा० बृजेन्द्र मिश्रा ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए जिससे कि इंटरनेट के बारे में सभी जानकारी सुचारू रूप से प्राप्त करने में आसानी रहे।

श्रीमती प्रीतपाल कौर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सूचना देती है जो कि इस समय इंटरनेट के माध्यम से सम्भव है।

श्रीमती सुधा जैन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम इंटरनेट के द्वारा रेलों के आरक्षण, बैंकों,बीमा आदि की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समय का परिर्वतन ही क्रांति है और कृषि क्षेत्र में भी इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है और इसका भरपूर लाभ तभी माना जाएगा जब यह सुविधा आम जनता तक पहुंचेगी।

डा० मधु भारद्वाज ने विज्ञान दिवस के बारे में जाकारी देते हुए बताया कि आज का दिन हम अपने राष्ट्र के महानतम् भौतिक शास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता डा०चन्द्रशेखर वेंकटरामन की उपलब्धियों को सराहने एवं वर्तमान में अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति का आकलन करने और भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां प्राप्त करने का संकल्प लेने हेतु विचार विमर्श करते हैं। आज प्रगतिशील वैज्ञानिक क्रान्ति का युग है। प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधान कार्य से लेकर अणु एवं परमाणु संबंधी नाभिकीय परीक्षण अब आम जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं । सूचना तकनीकी के विकास ने सिर्फ सूचनाओं के संग्रहण और उनके आदान-प्रदान को ही आसान नहीं बनाया बल्कि और कई-कामों का होना सहज और सरल बना दिया है।

आजादी की स्वर्ण-जयंती

आजादी की स्वर्ण-जयंती के अवसर पर युको बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 13 अगस्त, 1998 को 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शारदा सिंह ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की ।

सर्वप्रथम, श्री सुभाषचंद्र पालीवाल, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) ने राजभाषा संगोष्ठी में सभी कार्यपालकों का हार्दिक अभिनन्दन किया और कहा कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार हम इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं।

श्री मंतलाल पाण्डे, सहायक मुख्य अधिकारी (राजभाषा) ने इस अवसर पर एक गीत प्रस्तुत किया—"अरुण यह मधुमय देश हमारा" इसके बाद श्री सुभाष चंद्र राय, राजभाषा अधिकारी ने चिन्तन का परिवेश निर्माण करने के लिए गीत गाया—"नवीन कल्पना करो" इसके पश्चात् राजभाषा संगोष्ठी का चिन्तन-अनुचिन्तन पक्ष प्रारंभ हुआ।

श्री ए०सी० तपादार, महाप्रबन्धक (सतर्कता) ने अपने वक्तव्य में कहा कि आजादी के समय हिन्दी का बहुत अधिक महत्व था । हिन्दी के प्रयोग में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 'आजाद हिंद फौज' में भी हिन्दी को काफी महत्व दिया गया। उसके नारे भी हिन्दी में सोचे गये थे। हमने हिन्दी को संविधान में भी स्थान दिया है परंतु व्यवहारिक रूप में हम यह देखते है कि हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। उन्होने कहा कि हिन्दी क्षेत्रों में तो हिन्दी में काम अधिक से अधिक होना ही चाहिए। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि किसी भी स्तर पर हिंदी के काम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

श्री जी०के० गुप्ता, महाप्रबंधक (परिचालन-I) ने इस अवसर पर कार्यपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बात ठीक है कि आज ग्लोबल विलेज की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं । इसके बावजूद उदारीकरण के इस परिवेश में हमें एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान बनाए रखनी है। यदि हम अपनी पहचान ही खो बैठे तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी—यह कल्पना से भी परे है। हिन्दी पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संस्था के प्रति 'अपनापन' का भाव रखे। इस दृष्टि से जब हमें आम जनता के बीच जाना होगा तो उनसे बात करने का एक ही माध्यम है, और वह है हिन्दी। स्टार मूवी में भी कई बार सब-टाईटिल हिंदी में आते हैं जिससे कि अधिकांश जनता उसको समझ सके । जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है परंतु उसने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। जापानी भाषा का विकास करते हुए उसने सर्वतोमुखी प्रगति की है।

श्री इन्द्रमोहन शर्मा, महाप्रबंधक (वसूली) ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारी अस्मिता की पहचान है। हिन्दुस्तान एक विशाल देश है। अत: हम सब को मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भाषा के मामले में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आने पाए। भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से एवं स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम हिन्दी भाषा के महत्व को समझें । फ्रांस से बहुत से पत्र फ्रेंच भाषा में आते हैं। इसी प्रकार जर्मनी से आने वाले पत्र जर्मन भाषा में लिखे हुए हैं। जब वे पत्र भारत में किसी कार्यालय को प्राप्त होते हैं तो वे उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जब हिन्दी में पत्र लिखे जाएंगे तो सभी लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। यह ठीक है कि हम किसी पर दबाव न डालें और भाषा को उसकी अपनी गति से ही विकसित होने दें । उन्होंने कहा कि इस नीति से भाषा का विकास होगा और यह जनजीवन की भाषा बन जाएगी।

श्री राजमोहन चौबे, महाप्रबंधक ने संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हिन्दी के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध है । अब समय आ गया है कि कम्प्यूटरों में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाए और इसके लिए हिन्दी के साफ्टवेयर बनाए जाएं । उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं।

श्री बी. वेंकटरामन, महाप्रबधंक (यो. वि.) ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश में 60% से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यदि हमारे बैंक की शाखाएं 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में कार्य करने लगे तो वे ग्राहकों के हृदय को जीत सकती हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए सभी स्तरों स्तर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री बी. एल. गर्ग, उप महाप्रबंधक (लेखा) ने कहा कि हिंदी का प्रयोग बढ़ना ही चाहिए। आज देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं। वे नए-नए उत्पाद बाजार में ला रही हैं और बेच रही हैं। वे यह कार्य हमारे देश की भाषाओं के माध्यम से कर रही हैं। हमें भी अपने कार्य में तभी सफलता मिल सकती है जब हम ग्राहकों की भाषा में ग्राहकों से बातचीत करें। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वे तो हिंदी में अधिकतम कार्य कर ही सकते हैं। अंग्रेजी को स्टेट्स सिबंल के रूप में नहीं मानना चाहिए।

हिंदी को उचित मान-सम्मान मिलना चाहिए। यह भावना ठीक नहीं है कि जो अंग्रेजी लिख-बोल सकते हैं, वे ही अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि धीरे-धीरे हिंदी भी राष्ट्र में अपना उचित स्थान बना लेगी।

राजभाषा संगोष्ठी का समापन करते हुए श्री शारदा सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठी बहुत ही उपयोगी होती है और इससे सभी कार्यपालकों को प्रोहत्साहन मिलता है। इस संगोष्ठी में हिंदी के प्रयोग की समस्या उभर कर सामने आई है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज हिंदी बोलती है और समझती है। विदेशी कम्पनियां भी आज हिंदी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अत: हमें भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कोशिश करनी चाहिए। हिंदी के प्रसार से बैंक के लाभ में कोई कमी नहीं होगी बल्कि शाखाओं को इससे लाभ ही होगा। यह हमारी मानसिकता का प्रश्न है। हिंदी के प्रयोग में हमें गौरव का अनुभव करना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे वातावरण में पले हैं कि वे अंग्रेजी में ही सोचते हैं और फिर वे यह अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी में काम करना सरल है। परंतु यदि हम हिंदी में सोचें और धीरे-धीरे इसी सोच को आधार बनाकर काम करें तो हिंदी में काम करना सरल हो जाएगा। हम सब यह प्रण करें कि जितना भी कार्य हिंदी में कर सकते हैं वह तो करें। अपने कार्य में अंग्रेजी का भाग कम होता जाए और हिंदी का प्रतिशत बढ़ता जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं तो टिप्पणियों में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने आश्वासन व्यक्त किया कि यदि सभी लोग हिंदी की प्रगति के विषय में सोचें तो इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य होने की संभावना है।

श्री सुभाषचंद्र पालीवाल ने अध्यक्ष महोदय एवं सभी उपस्थित कार्यपालकों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह संगोष्ठी भले ही बोर्ड रूम में हो रही है परंतु इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे सभी उच्चस्तरीय कार्यकलाप भाग ले रहे हैं जिनके अधीन प्रधान कार्यशाला के विभाग हैं तथा अंचल कार्यालय भी हैं। अत: इस राजभाषा संगोष्ठी का संदेश पूरे बैंक में जायेगा। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दिशा स्पष्ट है और इसमें विकास की असीम संभावनाएं हैं।

हास्य व्यंग्य कवि-सम्मेलन

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में दिनांक 05-02-99 को "हास्य-व्यंग्य कवि-सम्मेलन" का आयोजन किया गया, इसमें नगर के नौ विशिष्ट कवियों ने भाग लिया । इसके मंच संचालक थे—श्री नेहपाल सिंह वर्मा। कवि सम्मेलन की शुरुआत श्री गोविंद "अक्षय" की कविताओं से हुई। उन्होने "चोर" तथा "कुत्ते" शीर्षक पर कविताएं पढ़ी। श्री दुर्गा दत्त पाण्डे "दुष्ट" ने नेता व कुर्सी के अंतरंग संबंधों के माध्यम से आज की राजनीति पर करारा व्यंग्य किया।

"मध्यांतर के सम्पादक श्री पुरुषोत्तम प्रशांत ने सरस्वती वंदना के विरोध और परमाणु परीक्षण की घटनाओं को अपनी कविताओं के द्वारा बेबाक तरीके से प्रस्तुत किया। चंद पंक्तियां इस प्रकार हैं।

हे वीणा वादनी हंस वाहिनी तू ऐसा वर दे
लूट-खसौट घोटालों के किस्से सारे बंद कर दे।
राजनीति की चौपड़ पर ऐसा मोहरा जड़ दे
पी एम की कुर्सी पर किसी कवि को धर दे।

प्रख्यात लेखिका व कवयित्री डॉ. अहिल्या मिश्र ने 'गांव बनाम शहरी संस्कृति' पर कविता-पाठ करते हुए कहा कि—

गांव में मानुष अब कहां बसेला है
गांव छोड़ कर सब शहर भगेला है।

उर्दू के लोकप्रिय शायर शाकिब बनारसी ने अपने शेर, नज्म से सबका दिल जीत लिया। चंद पंक्तियां देखें:

तेरे बगैर तेरी शायरी अधूरी है
मेरी गजल मे तेरा तजकरा जरूरी है।
यों बड़े ही अमीर होते हैं
जिंदा जिनके जमीर होते हैं।
उनकी नजरों में हेच है दुनियां
वो जो सच्चे फकीर होते हैं।
अच्छा मौसम कब आयेगा
सोच के घर दिल घबराए है।

उन्होंने आह्वान किया कि फिर देश को 'राम' से इंसान की जरूरत है।

टूटे दिलों में उसे स्थान दीजिए
सेवा करे जो देश की उसे सम्मान दीजिए।
नफरत का सर्वनाश भी होगा यकीन है
अर्जुन का मेरे हाथ में वो वाण दीजिए।
हर मां की गोद में वही संतान दीजिए
फिर राम जैसा देश को इंसान दीजिए।

उनकी प्रतीकात्मक कविता के चंद अशार है—

तुझ से बिछड़ के सारे जग में हो गई मैं बदनाम
अब आके मेरा आंचल थाम।

एक और शेर—

उस घड़ी सूझता नहीं कुछ भी
जब निशाने पे तीर होता है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में रीडर डॉ ऋषभदेव शर्मा ने कहा कि आज के हालत पर केवल व्यंग्य ही किया जा सकता है। उनकी कविताओं की चंद पंक्तियां निम्न प्रकार हैं—

नाग की बांबी खुली है आइए साहब
भरा कटोरा दूध का भी लाइए साहब।
रोटियों की फिक्र क्या है कुर्सियों से लो,
गोलियां बटने लगी हैं खाइए साहब।
टोपियों के हर महल के द्वार छोटे हैं
और झुक कर, और झुक कर जाइए साहब

उन्होंने ''दफ्तरी जिंदगी'' पर मार्मिक चोट करते हुए कहा कि—

हर दफ्तर में एक बड़ी सी कुर्सी पायी जाती है।
जिसके आगे बड़े-बड़ों की कमर झुकाई जाती है।

उन्होंने कहा कि—कुर्सियां व टोपियां कहती हैं, कि आप चुप रहें।

क्योंकि, आप बोले नहीं,
बोला कभी तो बोल की मुझको सज़ा मिली।
जो चुप रहा तो मौन की मुझको सज़ा मिली।
ऐसे में आह्वान जरूरी है .....
हटो ये रास बंद करो
खेलना ताश बंद करो
भूख का इलाज बतलाओ
ये बकवास बंद करो।

वरिष्ठ कवयित्री डॉ. इंदू वशिष्ठ ने अपनी कविता के माध्यम से विरह, पीड़ा के दर्द को कुछ यूं बयां किया—

से दिल मेरा है मुझको संभलने नहीं देगा
वो शख्स मुझे चैन से मरने नहीं देगा।

फिर ''जिंदगी'' शीर्षक से प्रस्तुत कविता की चंद पंक्तियां पेश हैं—

जिंदगी को पाने के लिए
धोखे भी तो खाइये जनाब
अनुभवों के रास्ते में क्या बताऊँ क्या मिला
खुद को आजमाने के लिए हौसला भी तो चाहिए जनाब
शाम जिंदगी में आनी है सभी के आएगी
इसकी साजिशों से कोई भी बच न पाएगा
पर खुदी को पाने के लिए
बेखुदी भी चाहिए जनाब।

व्यंग्य के युवा प्रतीक अजीत गुप्ता ने तो जैसे अपने चुटीले व्यंग्य से समां ही बांध दिया।

जिंदा रहना है तो हक
अपना जताना होगा
गांधी के बेटों को
हथियार उठाना होगा।
फिर बदलती हैं टोपियां यारो
अखबार ये रोज बतला रखे हैं
घोड़ों का चारा गधे खा रहे हैं।
किस्मत जरा चारा चोरों की देखो
साथी पे चढ़के चले आ रहे हैं।
हे ब्रह्मचारी
बोलो नारी कैसी लगती है
ममता आरी, ललिता भारी
दो नावों की सवारी
बोलो नारी कैसी लगती है
सिंहासन की ये लाचारी कैसी लगती है
बोलो नारी कैसी लगती है।
दिल्ली को मद्रास चलाए कैसा युग है
एक बंदरियां नाच नचाए कैसा युग है।
किसी लीडर को दिल के टूटने का डर नहीं होता
अगर सीने में दिल हो तो वो लीडर नहीं होता।

उन्होंने ''चूहे'' के माध्यम से देश का चित्र पेश किया—

मैं सिर्फ सोना खाता हूं
और चांदी पीता हूं

अगर मेरा हाज़मा बिगड़ गया तो देश कौन खायेगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ कवि नारायण रामचंद्र राव व्यास की ''यादें'' गीत संग्रह से ''मस्का'' शीर्षक की कविता का पाठ किया—डॉ ऋषभदेव शर्मा ने।

युग-युग का दस्तूर पुराना
मस्के से हर फिज़ा खिलती है
मस्का न हो तो बनता काम बिगड़ जाता है
तो दिल खोल कर मस्का लगा दो
मस्का हर जमाने की मांग है।

श्री नेहपाल सिंह वर्मा ने ''ये मेरा शहर है हैदराबाद'' शीर्षक से कविता पढ़ी।

मुझे लगता है मेरा शहर हैदराबाद
सब शहरों से निराला है
इसकी नींव मोहब्बत पे रखी गई थी
उस मोहब्बत का मक्सद शायरी था, इंसानी कद्र था।
नाव कागज़ की हो या काठ की
किनारों पे पहुँचने के पहले लहरों पे नाचती है।
जब भी मैंने तुम्हारी आंखों में झांका
बहुत बोलती हुई दिखीं।

श्री दुलीचंद ''शशि'' ने देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं का पाठ किया।

इंसान को संवेदना पे गर्व हो
आदमी—हैवान में फर्क होना चाहिए
जिंदगी के हाशिए में दर्द होना चाहिए।
आइनों के महल में आदमी लगने लगा
खाली लिफ़ाफ़ों की तरह।

कवि सम्मेलन के संचालक श्री वर्मा ने ''शशि जी'' के संबंध में एक रोचक प्रसंग सुनाकर उनकी काव्य साधना द्वारा देशभक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया की 71 के भारत-पाक युद्ध के दौरान शशि जी प्रतिदिन एक नई रचना सरहद पर युद्ध कर रहे जवानों के नाम लिख कर रक्षा मंत्री को भेजा करते थे।

इस प्रकार गीत, गज़ल, व्यंग्य की इस यात्रा को अपराह्न 4.30 बजे विराम मिला। इसे श्रोताओं ने खूब पसंद किया।

प्रारंभ में सहायक निदेशक (राजभाषा) गजानन पाण्डेय ने सभी का स्वागत किया और अंत में सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष एवं उप मुख्य कार्यपालक श्री यू० सी० गुप्ता ने टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। समिति के सदस्यों, राजभाषा अनुभाग के हिंदी कर्मियों ने इस कार्यक्रम की सफलता में सहयोग दिया।

राजभाषा समारोह

दक्षिण रेलवे, तिरुवनंतपुरम मंडल में राजभाषा समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस संबंध में दिनांक 8-3-99 से 30-3-99 तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिंदी प्रतियोगिताएँ : हिंदी के प्रति कर्मचारियों की दिलचस्पी बढ़ाने के उद्देश्य से 8-3-99 से 13-3-99 तक मंडल कार्यालय तथा मंडल के प्रमुख स्टेशनों में कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ चलाई गई। इन प्रतियोगिताओं में अनेक कर्मचारियों एवं बच्चों ने भाग लिया।

राजभाषा संगोष्ठी : ''अपने विभागीय कार्यनिष्पादन बढ़ाने में कंप्यूटर का योगदान'' विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी का संचालन डॉ० एन० चंद्रशेखरन नायर, सदस्य, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, नई दिल्ली एवं भूतपूर्व हिंदी प्रोफेसर, महात्मा गाँधी महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम ने किया। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक की उपस्थिति में आयोजित इस संगोष्ठी में राजभाषा अनुभाग सहित 8 शाखाओं ने संगत विषय पर शोध-प्रबंध प्रस्तुत किए।

राजभाषा समारोह के सिलसिले में पहले दिनांक 22-1-99 को तृश्शूर में एक ''पुस्तक प्रदर्शनी'' तथा वीडियो कैसेट के सहारे से एक ''बोलचाल हिंदी'' की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। दिनांक 25-3-99 को मंडल कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई। राजभाषा समारोह के दौरान हुई इस बैठक में राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

समापन समारोह : समापन समारोह दिनांक 30-3-99 को रेलवे कम्यूनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह में डॉ० धर्मवीर, सचिव, केरल सरकार एवं जानेमाने हिंदी साहित्यकार मुख्य अतिथि रहे। अपने भाषण में उन्होंने देश में आम भाषा की अनिवार्यता पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता श्री तोमस वर्गीस, मंडल रेल प्रबंधक ने की। अध्यक्षीय भाषण में मंडल रेल प्रबंधक ने संतृप्ति प्रकट की कि राजभाषा नीति को महत्व देकर इस मंडल के अधिकारी व कर्मचारी अपने दैनिक काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं। श्री आर. शिवरामकृष्णा, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, चेन्नई ने अपने आशीर्वाद भाषण में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार की भाषा नीति संबंधी नियमों से सचेत किया। श्री एम० सतीश, उपमुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक ने आगंतुकों का स्वागत किया। श्रीमती वी०के० विजयलक्ष्मी, राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रीमती रोसी तोमस, अध्यक्षा, दक्षिण रेलवे महिला संगठन, तिरुवनंतपुरम मंडल ने प्रतियोगिताओं में विजय हुए कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये। हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को पुरस्कार राशि और राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित नकद पुरस्कार और एकमुश्त पुरस्कार भी इस अवसर पर वितरित किए गए।

राजभाषा गृह पत्रिका का विमोचन : राजभाषा अनुभाग, तिरुवनंतपुरम मंडल द्वारा प्रकाशित ''संगम'' हिंदी पत्रिका का विमोचन मुख्य राजभाषा अधिकारी ने पत्रिका की पहली प्रति डॉ० धर्मवीर को देकर किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम : समारोह के अंत में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ''शांति और मैत्री'' मूक नाटक (Myming) प्रमुख आकर्षण रहा। राजभाषा अधीक्षक के धन्यवाद समर्पण के बाद राष्ट्रगान से समारोह समाप्त हुआ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर के सदस्य संगठनों तथा दक्षिण-स्थित सार्वजनिक बैंकों के सदस्य बैंकों के कार्यपालकों हेतु हिंदी संगोष्ठी

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों के मुताबिक भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतिम चरण के अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर के सदस्य संगठनों तथा दक्षिण-स्थित सार्वजनिक बैंकों के सदस्य बैंकों के कार्यपालकों हेतु 13 अगस्त, 1998 को कार्पोरेशन बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक हिंदी संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का आयोजन कार्पोरेशन बैंक और सिंडिकेट बैंक के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। संगोष्ठी में चर्चा का विषय था ''हमारा संगठन और राजभाषा हिंदी दशा और दिशा।''

संगोष्ठी की प्रासंगिकता पर भाषण देते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं कार्पोरेशन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री पी०के० मेनन ने कहा कि उच्च कार्यपालक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए सभी क्षेत्रों में एक नमूना पेश करें ताकि वे कार्यपालकों से प्रभावित हो सकें। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी वे जितनी दिलचस्पी दिखाएंगे उसका बहुत बड़ा प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है। उन्होंने कार्यपालकों से अनुरोध किया कि मात्र भाषण देने से नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने से ही राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सफल होगा।

सदस्य कार्यालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने लेखों को पढ़ा। प्राप्त सभी लेखों को एक पुस्तिका के रूप में निकाला गया।

संगोष्ठी में उपस्थित सभी कार्यपालकों का सिंडिकेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के. आर. किणि ने स्वागत किया। डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल, वरिष्ठ प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक ने संगोष्ठी के अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय के कार्यपालकों (वेतनमान IV से लेकर VII तक) हेतु 14 अगस्त, 1998 को सभा-कक्ष में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशानुसार इस विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में परिचर्चा हेतु निम्नलिखित दो विषय रखे गए थे:

1. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की ओर कर्मचारियों की मानसिकता और विद्यमान प्रणाली की न्यूनताएं।
2. हमारे उत्पादों का विक्रय, भारतीय उपभोक्ता एवं इस क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग

संगोष्ठी का उद्घाटन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एस. हूगार ने किया था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। अत: हिंदी का सहारा लिए बिना व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने कार्यपालकों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व खुले दिल से लें और इस ओर अपना योगदान देते रहें जिससे राजभाषा की प्रगति हो, साथ ही बैंक की भी प्रगति हो।

संगोष्ठी के दौरान उप महाप्रबंधक श्री पी. के. मेनन द्वारा कम्प्यूटर पर राजभाषा नीति कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा उसे सुधारने हेतु कुछ उपायों के बारे में कार्यपालकों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भी कार्यपालकों को ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना है।

संगोष्ठी में महाप्रबंधक श्री सी. एल. शेणै, श्री के० अच्युत पई तथा उपमहा प्रबंधक श्री एम. नरेंद्र, मुख्य प्रबंधक श्री आलोक कुमार गुप्ता आदि ने अपने-अपने मत व्यक्त किए।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' सप्ताह (23-28 फरवरी, 1999) के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों द्वारा हिन्दी माध्यम में अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। परिषद के निम्नलिखित संस्थानों/केन्द्रों द्वारा वर्ष 1999 के ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' के लिए निर्धारित "सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग" (Harnessing Information Technology) विषय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:

केन्दीय जालमा कुष्ठरोग संस्थान, आगरा

आगरा स्थित केन्द्रीय जालमा कुष्ठरोग संस्थान द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था ''सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग''। अपने अध्यक्षीय संबोधन में केन्द्र के निदेशक डॉ यू. सेनगुप्ता ने बताया कि जालमा संस्थान की प्रयोगशालाओं को शीघ्र ही इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव रखा जायेगा जिससे यहां चल रहे शोधकार्यों में और गति लाई जा सके तथा वैज्ञानिक इंटरनेट का लाभ उठा सकें। मुख्य वक्ता डॉ वी. एम. कटोच ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि वर्तमान समय में संचार माध्यमों में अत्यधिक प्रगति हुई है तथा विश्वभर की सारी जानकारी कुछ ही मिनटों में प्राप्त की जा सकती है। इससे शोधकार्य में पहले की अपेक्षा अब आसानी होती है। डा. किरण कटोच ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय की जानकारी के साथ-साथ इसका प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी चिकित्सक/सर्जन घर बैठे ही विश्वस्तर पर हो रहे कठिनतम् शल्यक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे लाभ उठा सकता है । डॉ अनीता गिरधर ने बताया कि वर्तमान युग में सूचनाओं का जाल इतना फैला हुआ है कि कोई भी जानकारी कम समय में प्राप्त की जा सकती है और इसके द्वारा विश्व एक छोटे से गांव के समान लगने लगा है। इस मौके पर श्री अनिल कुमार, डॉ ओम प्रकाश, डॉ बृजेन्द्र मिश्रा, श्रीमती प्रीतपाल कौर, श्रीमती सुधा जैन, श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री राजाराम ने भी अपने विचार व्यक्त किए । डॉ मधु भारद्वाज ने विज्ञान दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज का दिन हम राष्ट्र के महानतम भौतिकशास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता डॉ चन्द्र शेखर वेंकटरमन की उपलब्धियों को सराहने तथा विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति का आकलन और भविष्य के लिए विचार विमर्श के लिए आयोजित करते हैं। अंत में डॉ भारद्वाज ने सभी उपस्थित व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए संगोष्ठी का समापन किया।

क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

जबलपुर स्थित क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' मनाया गया। इस अवसर पर केन्द्र के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा जबलपुर के द्वारका नगर क्षेत्र में आनुवंशिकी रोगों की रोकथाम पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, श्रीमती पुष्पलता पाण्डेय प्रमुख वक्ता थीं। केन्द्र की एक दूसरी टीम द्वारा कुण्डम ब्लॉक के आदिवासी बहुल ग्राम बधुआ में ''मलेरिया की रोकथाम'' विषय पर एक जनसभा आयोजित की गई। केन्द्र के अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द ने उपस्थित श्रोताओं को ''मलेरिया की रोकथाम'' पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़ स्थित क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा 26 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केन्द्र पर एक ओपॅन हाउस का आयोजन किया गया जिसमें डिब्रूगढ़ के दो स्कूलों के करीब 350 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी में पोस्टरों, मॉडलों तथा जीवित नमूनों के माध्यम से विद्यार्थियों को मलेरिया, फाइलेरिया रोग, डेंगू तथा जापानी मस्तिष्कशोथ जैसे रोगवाहकजन्य रोगों के परजीवियों तथा उनके रोगवाहकों के विषय में जानकारी दी गई। आंत्रीय संक्रमणों तथा एड्स जैसे भयावह रोग से सम्बद्ध पहलुओं पर भी सूचना प्रदान की गई। अपराह्न में मलेरिया परजीवी तथा रोगवाहक मच्छरों के जीवन चक्र, उनकी नियंत्रण नीतियों तथा नशीली

दवाओं के सेवन से सम्बद्ध पहलुओं पर वीडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 28 फरवरी, 1999 को रोगवाहक जन्य रोगों तथा एड्स पर एक दूसरा वीडयो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केन्द्र के कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, जन सामान्य तथा समीप के स्कूल के 60 बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा फरवरी, 1999 के अन्तिम सप्ताह में ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' के लिए निर्धारित विषय ''सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग'' विषय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनांक 23 फरवरी, 1999 को विभिन्न सामुदायिक विकास की गतिविधियों से सम्बद्ध महिलाओं के लिए सिकन्दराबाद स्थित वाई डब्ल्यू सी ए परिसर में एक पोषण-विस्तार-कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने ''कम्प्यूटर : वरदान या अभिशाप'' विषय पर चर्चा की। प्रतियोगिता के पश्चात् सर्वोत्तम वक्ता को पुरस्कृत किया गया। इसी दिन सत्यम कम्प्यूटर, हैदराबाद के महाप्रबन्धक श्री एम. पवन कुमार ने ''विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर्स की भूमिका'' पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। संस्थान के सभी कर्मचारियों तथा आगन्तुकों ने इसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क करके अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ डी.ए. गडकरी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा पुणे स्थित एडवान्स कम्प्यूटिंग ट्रेनिंग स्कूल के श्री अरविन्द गोखले इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। संस्थान के सहायक निदेशक डॉ मिलिन्द गोरे ने ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' के महत्व का वर्णन किया। मुख्य अतिथि श्री अरविन्द गोखले ने अपने व्याख्यान में सूचना क्रान्ति के भरपूर उपयोग के महत्व के साथ-साथ इसके द्वारा देश में हो रही प्रगति के बारे में उपस्थित श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने इस संदर्भ में संगणकों की भूमिका का उल्लेखनीय वर्णन किया तथा इसकी तकनीकी रचना के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने इस क्षेत्र में उनके संस्थान द्वारा किए गए योगदानों की भी चर्चा की। व्याख्यान के पश्चात् श्रोताओं ने श्री गोखले से कई प्रश्न पूछे जिसका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया। अन्त में डॉ गोरे ने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि तथा श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का समापन किया।

रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पाण्डिचेरी

पॉण्डिचेरी स्थित रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्र के कर्मचारियों के साथ-साथ 5 स्थानिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। चूंकि यहां की स्थानिक भाषा तमिल है, इसलिए सारे कार्यक्रम तमिल भाषा में ही आयोजित किए गए।

मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर

जोधपुर स्थित मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को ''राष्ट्रीय विज्ञान दिवस'' का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में केन्द्र पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 2 स्थानिक स्कूलों के लगभग 70 छात्रों ने भाग लिया। क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान केन्द्र की सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती मधुबाला चारण इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। मुख्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता एवं कविता पाठ, वाद-विवाद प्रतियोगिता में स्कूली छात्रों के साथ-साथ कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी भाग लिया। बाद में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त पोस्टर के माध्यम से रोगवाहकजन्य रोगों, सिकतामयता (सिलिकोसिस), मृत्राशमरता, पोषणज-विकार आदि विषयों पर प्रदर्शनी तथा स्कूली बच्चों के लिए सामान्य विज्ञान के विषयों पर वाद-विवाद तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पटना

पटना स्थित राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह के अन्तर्गत 24 फरवरी, 1999 को मुजफ्फरपुर आयुक्त के कार्यालय में समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए एक बैठक आयोजित की गई। संस्थान के वैज्ञानिकों ने आमंत्रित चिकित्सकों को संस्थान की विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों से अवगत कराया तथा संस्थान द्वारा कालाज़ार पर तैयार पैम्फलेट्स का वितरण किया।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा 7 मार्च, 1999 को पूर्वी चम्पारण जिले के मझौली गांव में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई इस बैठक में कालाज़ार के विभिन्न पहलुओं पर लोकप्रिय व्याख्यान दिए गए। इसी दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी के माध्यम से गांव-वासियों को कालाज़ार के अनेक पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद

अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह के दौरान ''सूचना क्रान्ति का भरपूर उपयोग'' विषय पर हिन्दी में एक व्याख्यान आयोजित किया गया।

संस्थान के उपनिदेशक डॉ एस.के. भट्टाचार्य के स्वागत भाषण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी. पी. अहलपारा ने वर्तमान में सूचना के विभिन्न माध्यमों के विषय में रोचक जानकारी प्रदान की। व्याख्यान में आधुनिक सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल जैसे विभिन्न माध्यमों की उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी गई। डॉ अहलपारा ने 21 वीं सदी में कम्प्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में भावी समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शोधकार्य से अवगत कराया। व्याख्यान की समाप्ति पर डॉ अहलपारा ने कर्मचारियों से विचार-विमर्श किया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अन्ततः संस्थान के उपनिदेशक डॉ एच.वी.के. भट्ट द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

विविधा

जिंक-स्मेल्टर विशाखापटनम में राजभाषा कार्यान्वयन के बढ़ते चरण

परिचय :

भाषा शासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की अपनी भाषा में हो। विभिन्न मतावलंबी, भिन्न विचारधारा, अलग-अलग रहन सहन एवं खान-पान की व्यवस्था तथा वैविध्यपूर्ण संस्कृति की जनता से आवृत्त इस देश में एकता एवं अखण्डता बनाए रखने तथा सबको सुग्राह्य एक ही संपर्क भाषा एवं सरकार की राजकाज चलाने के लिए एक ही राजभाषा की जरूरत महसूस की गई। बुद्धिजीवियों व विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों के सतत प्रयासों से सरल, सुबोध एवं सर्वग्राह्य भाषा हिन्दी को रंगबिरंगे फूलों रूपी विभिन्न भाषाओं को गुलदस्ते में समाकर रखने हेतु हिन्दी को राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा मान लिया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतरराष्ट्रीय रूप है। सन 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई। इन सिफारिशों को कार्यरूप देने की दृष्टि से संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया, 1967 मे पुन: इसे संशोधित किया गया। संघ की राजभाषा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1976 में राजभाषा के नियम बनाए। ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतो की भूमिका निभाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं। यह नियम हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

सन 1966 में संस्थापित खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बहु-इकाइयों से युक्त एक सरकारी उपक्रम है। इस कम्पनी की राजस्थान में 7, आन्ध्र प्रदेश में 2 एवं उड़ीसा व बिहार में एक-एक इकाइयां कार्यरत हैं। कम्पनी का मुख्य उत्पाद जस्ता, सीसा व टग्स्टन हैं। इसके चांदी, कैडमियम, सल्फ्युरिक अम्ल, फास्फेट जैसे कई उपोत्पाद भी है। कम्पनी की आन्ध्र प्रदेश के विशाखपटनम में वर्ष, 1973 में जस्ता प्रद्रावक इकाई की स्थापना की गई थी। उक्त प्रद्रावक की उन्नति के पश्चात सीसा व कैडमियम संयंत्रों की स्थापना भी की गई है। उपर्युक्त संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति व संघ की राजभाषा की नीति के सुचारू कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1980 में एक राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा सहायक से युक्त राजभाषा एकक की स्थापना की गई। तब से आज तक राजभाषा के कार्यान्वयन में सबके सम्मिलित प्रयासों से निरन्तर प्रगति प्राप्त की जा रही है। जिंक व सीसा उत्पादन में अबाध गति से प्रगति करते हुए हमारी कम्पनी विश्व-बाजार प्रतियोगिता में निरन्तर आगे बढ़ रही है। आरम्भ में हमारे यहां राजभाषा संबंधी मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर बल दिया गया। तत्पश्चात कार्यालय व्यवहार में हिंदी लाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। भाषा जैसी संवेदनशील एवं पेचीदा विषय के परिप्रेक्ष्य में जिंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा आरम्भ से ही स्वेच्छा, प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है। आरम्भ के वर्षों में कार्यालय में प्रयोग में आनेवाली सभी रबड़ की मोहरे, रजिस्टर, नामपट्ट, साइनबोर्ड, पत्रशीर्ष व मानक मसौदे तथा अन्य लेखन सामग्री आदि द्विभाषी रूप में तैयार की जा चुकी हैं।

इन 19 वर्षों की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई कुछ अड़चने आयी, लेकिन कुल मिलाकर राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति संतुलित रही तथा विकास के पथ पर अग्रसर हुई। इन 19 वर्षों में राजभाषा कार्यान्वयन में हासिल की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दर्शाया जा रहा है :

(1) हिन्दी प्रशिक्षण :

कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत है। उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत करते हुए इकाई में 1982 से हिन्दी प्रशिक्षण की कक्षाएं हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चालू की गई थीं। तब से निरन्तर हिन्दी प्रशिक्षण जारी है। इसके परिणामस्वरूप अब तक कुल 159 कार्यपालकों में से 146 और 485 पात्र कामगारों में से 401 हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता प्राप्त की है। इस तरह 80% कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के कारण राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत इकाई का नाम 'भारत के राजपत्र' में 1998 में अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा श्रेणी 1 से श्रेणी 6 तक तकनीकी कामगार एवं श्रेणी 1 से 4 के लिपिक वर्गीय कामगारों के वर्गों में भी करीब 380 कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

हिन्दी टंकण व हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की भी विभागीय व्यवस्था है। इन प्रशिक्षणों में क्रमश: 80 लिपिकों में से 61 हिन्दी टंकण में तथा 14 आशुलिकों में से 12 हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह हिन्दी बोल-चाल की कक्षा हर वर्ष 2 सत्रों के रूप में 3 माहों के लिए चलाई जाती है। अब तक ऐसी कक्षाओं में कम-से-कम 150 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर हिन्दी की संपर्क भाषा के रूप में अपने कार्यस्थल पर उपयोग में ला रहे हैं।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अलावा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अधीन तेलुगुइतर कर्मचारियों के लिए हिन्दी माध्यम द्वारा तेलुगु सीखने की कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस तरह की कक्षाएं अब तक 10 सत्रों में चलाई गई है।

(2) हिन्दी कार्यशालाएं :

विकास चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या कला अथवाा साहित्य के, यह एक अनवरत प्रक्रिया है। इस प्रकार भाषागत कौशल विकास बढ़ाने एवं कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए 1986 से तीन मासीय/मासिक/3 दिवसीय/2 दिवसीय हिन्दी कार्यशालाएं तथा अशिक्षित एवं अकुशल कामगारों हेतु कामगार विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक ऐसी कार्यशालाएं 40 से भी अधिक आयोजित की गई है। इनके अलावा हिन्दी सुलेख अभ्यास, श्रुत लेखन अभ्यास, हिन्दी पठन अभ्यास, आदि प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी चलाई जातीं हैं। इनके अतिरिक्त साल में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है।

(3) हिन्दी में मूल पत्राचार :

इकाई मे 1980 में हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत 0.39% हुआ करता था। अथक एवं निरन्तर प्रयासों से यह प्रतिशत 62% तक पहुंचा है। इसका श्रेय कम्प्यूटरों में उपलब्ध विभिन्न द्विभाषी पैकेजों के प्रचलन को जाता है। इकाई में उपलब्ध 22 कम्प्यूटरों में अक्षर द्विभाषा पैकेज उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से कार्मिक विभाग के सी.पी.एफ., मकान निर्माण ऋण, प्रधान कार्यालय से नेमी पत्राचार एवं कार्यपालक स्थापना से संबंधित पत्राचार आदि केवल हिन्दी में भिजवाये जाते हैं। साथ ही वित्त, क्रय, विक्रय एवं भंडार विभाग में भी चैक फारवार्डिंग, बिक्री आदेश अग्रेषण, माल अग्रेषण, क्रेडिट एवं डेबिट संज्ञप्त जैसे पत्राचार हिन्दी में किये जा रहे हैं। इससे हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत दिन-व-दिन बढ़ रहा है। इस तरह धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले समस्त कागजात कम्प्यूटर के माध्यम से द्विभापी रूप में शतप्रतिशत जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा दैनिक उपस्थिति विवरण, दैनिक उत्पादन विवरण, मासिक रिपोर्ट, दैनिक उत्पादन रिपोर्ट आदि भी द्विभाषी रूप मे जारी किए जा रहे हैं। यही नहीं अनुसंधान व विकास जैसे तकनीकी प्रकृति की मासिक रिपोर्टें भी पूर्णत: हिन्दी में जारी की जा रही हैं।

(4) हिन्दी में प्रतियोगिताओं का आयोजन :

कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए त्रैमासिक/मासिक/वार्षिक तौर पर समय-समय पर हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी सुलेख, हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी सुवाच्य, हिन्दी टंकण, हिन्दी निबंध, हिन्दी वाक, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिन्दी सामान्य ज्ञान, हिन्दी सुझाव, आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हरेक प्रतियोगिता मे कम से कम 35 प्रतियोगी भाग लेते हैं। उन्हे अधिकतम रु. 150 का प्रथम, रु. 125 का द्वितीय तथा रु. 100 का तृतीय एवं रु. 75-75 के दो सांत्वना पुरस्कार प्रदान करने की परम्परा है। साथ ही वर्तमान में उपर्युक्त एक वर्ष से प्रत्येक माह एक विभाग हेतु अलग से एक प्रतियोगिता हिन्दी में आयोजित की जा रही है। इसका हिन्दी के कार्यान्वयन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा कार्यान्वयन को गति मिली है।

इतना ही नहीं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित होने वाली हरेक प्रतियोगिता में हमारे कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। इन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जैसे 1994 में अखिल भारतीय हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में अहिन्दी भाषी प्रथम तथा राज्य प्रथम पुरस्कार 1995 में अखिल भारतीय वैज्ञानिक तकनीकी प्रतियोगिता में अहिन्दी भाषी प्रथम व महिला प्रथम पुरस्कार वर्ष 1996 मे अखिल भारतीय हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में राज्य प्रथम एवं अखिल भारतीय वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिकता में अहिन्दी भाषी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी हमारी इकाई की ओर से कर्मचारी भाग लेते रहते हैं।

(5) हिन्दी में सम्मेलन/संगोष्ठियां/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन :

राजभाषा के प्रति जागरूक करने एवं सजगता बढ़ाने के लिए समय-समय पर राजभाषा गोष्ठी/संगोष्ठी/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। विशाखपटनम स्थित आकाशवाणी केन्द्र द्वारा अब तक 4 रंगारंग कार्यक्रम हिन्दी में इकाई के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सप्ताह व अन्य जिला स्तरीय सांस्कृतिक आयोजनों में इकाई के कर्मचारियों द्वारा कई एकांकी/नाटक/सांस्कृतिक संध्याएं हिन्दी में प्रस्तुत की गई हैं।

इकाई स्तर पर दो बार अखिल भारतीय स्तर के राजभाषा सम्मेलन 1982 व 84 तथा 1991 में राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा विशाखपटनम इस्पात संयंत्र, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी, राष्ट्रीय खनिज गवेषण निगम लिमिटेड आदि द्वारा समय-समय पर आयोजित कई राजभाषा संगोष्ठियों में इकाई के कर्मचारी भाग लेकर हिन्दी में तकनीकी व साहित्यिक पत्रों का वाचन किया है। साथ ही कई बार नगर स्तर पर एवं सार्वजनिक उपक्रमों के स्तर पर राजभाषा प्रदर्शिनयां भी समय-समय पर आयोजित की जाती रही है।

(6) प्रोत्साहन योजनाएं :

(क) हिन्दी में कार्यालयीन काम-काज करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने के लिए इकाई में प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रहीं हैं।

प्रथम:—कार्यालयीन काम-काज में हर रोज कम-से-कम 100 शब्द लिखने पर हर तिमाही में 100/- रु. की प्रोत्साहन राशि।

द्वितीय:—हर तिमाही में 300 'चैक' हिन्दी में लिखने पर हर तिमाही में 100/-रु. का नकद पुरस्कार।

तृतीय:—हर रोज कम-से-कम 5 पत्र हिन्दी में टंकित करने पर प्रतिमाह 60/- रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इन योजनाओं के तहत लगभग 20 कर्मचारी अपने कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में कर हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने में अपना सहयोग देकर लाभान्वित हो रहे हैं।

(ख) इसी तरह हिन्दी में रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कर्मचारियों को 'गणतंत्र दिवस' व 'स्वतंत्रता दिवस' पर इकाई द्वारा सम्मानित किया जाता है।

(ग) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लेख लिखकर पत्र वाचन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इकाई स्तर पर नकद पुरस्कार देने की प्रथा भी हैं।

(घ) स्तरीय पत्रिकाओं में हिन्दी में आलेख प्रकाशित होने पर कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय द्वारा रु. 200/- की राशि से लेकर रु. 1500/- तक की नकद पुरस्कार राशि दी जाती है।

(7) राजभाषा संबंधी प्रकाशन व संदर्भ साहित्य :

इकाई स्तर पर 'विशाखा यशद समाचार' नामक (त्रि-भाषा) त्रैमासिकी प्रकाशित की जाती है। इसमें राजभाषा गतिविधियों की जानकारी दो पृष्ठों में दी जाती है। इसके अलावा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली जिंक समाचार (द्वि-मासिक) व जिंक वाणी जैसी त्रैमासिक पत्रिकाओं में इकाई की गतिविधियां हिन्दी में प्रकाशित की जाती हैं। इनके अलावा इकाई की स्तर पर विगत 'दो वर्षों से कर्मचारियों द्वारा विरचित कविताओं, आलेखों, चुटकले तथा कार्टूनों से युक्त 'यशद भारती' नामक एक मासिक भित्ती' पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। इसके द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिन्दी को अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है।

(8) उपर्युक्त के अलावा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने तथा कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को सुलभ करने के उद्देश्य से विगत 7 वर्षों में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए है :

1. हिन्दी कार्यशाला सहायिका 2. हिन्दी कार्यशाला संदर्भिका 3. हिन्दी पत्राचार संदर्भिका 4. हिन्दी व्यावहारिक व्याकरण 5. हिन्दी सामान्य ज्ञान 6. पत्राचार संदर्भिका 7. राजभाषा सेमिनार विशेषांक-1 8. राजभाषा सेमिनार विशेषांक-2 9. विभागवार पारिभाषिक शब्दावली 10. आदर्श हिन्दी लेखक 11. हिन्दी कार्यशाला सहायिका-2। 12. हिन्दी निबंध संकलन-3 खण्डों में 13. नियम सार संक्षेप 14. स्थायी आदेश। 15. स्थापना मार्गदर्शिका 16. जांच मार्गदर्शिका 17. राजभाषा नीति निर्देशिका 18. दूरभाष निर्देशिका 19. विशाखापटनम जस्ता सीसा वरिणीका 20. कर्मचारी सेवानिवृत्ति वेतन विवरिणीका 21. गुणता मार्गदिर्शिका

(9) हिन्दी पुस्तकालय की व्यवस्था :

कर्मचारियों को कार्यालयीन काम काज हिन्दी में करते समय शब्दों अथवा वाक्य रचनाओं में मदद हेतु पर्याप्त मात्रा में हिन्दी संदर्भ साहित्य एवं शब्दकोश कार्यालय में उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसे कार्यालय सहायिका, प्रशासनिक शब्दावली आदि तथा अंग्रेजी-हिन्दी व हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश आदि हिन्दी कार्यशाला में करीब 450 कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी परिचालन पुस्तकालय जिसमें करीब 1100 हिन्दी संदर्भ, साहित्य, उपन्यास, नाटक एवं अन्य तत्संबंधित विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा हर माह कुल रु. 300/- की हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं. जो कर्मचारियों को पढ़ने हेतु घर के लिए तथा कार्यालय में लौटाने के आधार पर दी जाती हैं। इतना ही नहीं, 3 लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र यथा 'नवभारत टाइम्स', 'हिन्दी मिलाप' एवं 'दिव्य हिमाचल' भी खरीदी जाती हैं व भारत सरकार की मासिक समाचार पत्रिका 'रोजगार समाचार' भी खरीदे जाते। इसके अलावा भाषा, अनुवाद, एवं राजभाषा किरण जैसे मासिक पत्रिकाएं भी मंगवाई जाती हैं। इनमें से दैनिक समाचार पत्रिकाओं को कैंटीन में स्थापित तख्त में कर्मचारियों के पढ़ने हेतु भी प्रदर्शित किया जाता है।

(10) राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण :

इकाई स्तर हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा राजभाषा समन्वयक समिति की बैठक में हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। विभागवार हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा करके विभागीय बैठक आयोजित की जाती हैं।

प्रधान कार्यालय, उदयपुर (राजस्थान) में हर तिमाही में कम्पनी स्तर की राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा कम्पनी की राजभाषा निरीक्षण समिति /इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन कर निरीक्षण करती है।

(11) विविधा :

1. इकाई के सभी उपस्थिति रजिस्टरों, अस्पताल के वहिरंगरोगी रजिस्टर, केन्द्रीय रजिस्ट्री के आवक व जावक रजिस्टरों में इंदराज आदि द्विभाषी रूप में किये जाते हैं।

2. दैनिक उपस्थिति विवरण, दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट, लागत रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं।

3. हर बृहस्पतिवार हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

4. शुभ पर्वों, एवं सार्वजनिक पर्वों के अवसर पर संदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी किये जाते हैं।

5. सुरक्षा दिवस, उत्पादकता दिवस, अग्निशमन दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, निर्वाण दिवस, तेल संरक्षण दिवस आदि के अवसर पर हिन्दी में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

(12) प्रदर्शनी कक्ष के 25 मदों, इकाई के 325 रजिस्टरों, 800 नामपट्ट/सूचनापट्ट/साइनबोर्ड आदि पर शीर्षक आदि द्विभाषी रूप में अंकित किये गये हैं।

अम्ल बोतलों/कंटेनरों तथा कम्पनी के उपोत्पादों व उत्पादों पर कम्पनी का नाम व मदों के नाम द्विभाषी रूप में अंकित किये गये हैं। सभी लेखन सामग्री पर उत्कीर्ण, व रबड़ की मोहरें आदि भी द्विभाषी में हैं।

(13) विशेष रचनात्मक गतिविधियां :

(क) कम्प्युटरों द्वारा हिन्दी का प्रयोग :

इकाई स्तर पर कई द्विभाषी पैकेज यथा अवसर रिलिज-1 व 2, देववेस, जिस्ट कार्ड, विंडोज पर आधारित अक्षर पैकेज व लीप पर्सनल

पब्लिशर जैसे द्विभाषा पैकेज हैं। इनके द्वारा इकाई स्तर पर कई संदर्भ, साहित्य द्विभाषी रूप में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

कम्प्यूटर के माध्यम से 1999 में जहां मूल पत्राचार का प्रतिशत 10% था वहीं 1999 तक बढ़ कर 62.5% तक पहुंच गया है।

इसके साथ ही कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के साथ यथा-संभव हिन्दी अक्षर पैकेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही विशाखापटनम स्थित कार्यालयों में भी हिन्दी द्विभाषी पैकेजों में हमारे राजभाषा अनुभाग द्वारा उक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(14) राजभाषा शील्ड/पुरस्कार :

इकाई को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में राजभाषा में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु अब तक वर्ष, 1984-85 में प्रशंसा पत्र, 1987-88 में नगर स्तर पर प्रशंसा पत्र, वर्ष, 1991-92 हेतु दक्षिणी क्षेत्र में तृतीय स्थान, 1992-93 में नगर स्तर पर प्रथम स्थान, वर्ष, 1993-94 हेतु तृतीय स्थान, वर्ष, 96-97 हेतु दक्षिणी क्षेत्र में 'प्रथम स्थान' एवं वर्ष, 1997-98 में दक्षिणी क्षेत्र में 'तृतीय स्थान' से विभूषित कर राजभाषा शील्ड प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष, 1995-96 हेतु राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप में भाग लेने के प्रति केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा सक्रियता पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

साथ ही विशाखापटनम इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी में उत्तम प्रस्तुति हेतु इकाई को शील्ड प्रदान की गई है।

(15) राजभाषा के उत्तम निष्पादन में राजभाषा समन्वयकों की सक्रिय भूमिका :

राजभाषा कार्यान्वयन को त्वरित गति देने तथा सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से जून, 96 में 18 विभागों से वरिष्ठ कामगार को 'राजभाषा समन्वयक' के रूप में चुनकर राजभाषा समन्वयक समिति बनाई गई थी। साथ ही धीरे-धीरे राजभाषा कार्यान्वयन कार्य को विकेन्द्रीकृत भी किया गया है और प्रत्येक विभाग में ये राजभाषा समन्वयक राजभाषा कार्यान्वयन का जायजा लेते हैं एवं हिन्दी कक्षाओं, हिन्दी अनुवाद और अन्य गतिविधियों को लागू करने में वह राजभाषा अनुभाग का सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी की 'प्रतिदिन एक शब्द सीखा' नामक योजना से संबंधित कागजात एवं मासिक भित्ति पत्रिका का प्रदर्शन एवं प्रत्येक विभाग में स्थापित अलग-अलग राजभाषा सूचना पट्टों में प्रदर्शित करते हैं। इसके बदौलत राजभाषा हिन्दी को अच्छी गति मिली है। हिन्दी राजभाषा के रूप में केवल प्रशासनिक तौर पर ही नहीं तकनीकी तौर पर मानक भाषा के रूप में विकसित होने के लिए इनसे अच्छी मदद मिल रही है। यह हमारे लिए विशेष उपलब्धी है।

(16) भावी योजनाएं :

(क) हिन्दी में अप्रशिक्षित शेष 20% कर्मचारियों को 2002 तक प्रशिक्षित करना एवं सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने हेतु प्रेरित करते रहना।

(ख) निर्धारित कार्य क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य केवल राजभाषा हिन्दी में करवाने की चेष्टा करना।

(ग) विभागवार पत्राचार व मानक मसौदों का कम्प्यूटरीकृत पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना।

(घ) 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के स्तर पर हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना।

(च) तकनीकी प्रकाशन, मानचित्रों और फ्लो शीटों आदि को हिन्दी में भी तैयार करना।

निष्कर्ष :

चूंकि राजभाषा के कार्यान्वयन का क्षेत्र असीमित है, लेकिन हमने जिस क्षेत्र में जो भी प्रयास किया है उसमें आशातीत तो नहीं कम-से-कम संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। इतना कर गुजरने के बावजूद अभी हमारा लक्ष्य और मंजिल कोसों दूर है, लेकिन पक्के इरादों के साथ आसमान को छूने की आकांक्षाओं से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। जिंक प्रबंधन एवं कामगार राजभाषा हिन्दी को तहे दिल से लागू करने के लिए एवं सत्य-निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के साथ राजभाषा के विमल आकाश की ओर अग्रसर हैं।

प्रस्तुति : ओ. सत्यनारायण राव,
उप प्रबंधक (राजभाषा),
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
विशाखापटनम-15

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की नवम्बर, 98 की महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण

(क) प्रशिक्षण संबंधी विवरण

1. संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एक संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन दिनांक 23-11-98 से 27-11-98 तक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., जमशेदपुर में किया गया।

2. 21 कार्य दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केन्दीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिनांक 12-10-98 से 12-11-98 तक रांची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लि., रांची) के सहयोग से निफ्ट, हटिया में एक 21 कार्य दिवसीय अनुवाद-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 29 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 12-11-98 को उक्त पाठ्क्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया।

31. पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

दिनांक 23-11-98 से 28-11-98 तक एक पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्क्रम का आयोजन किया गया जिसमें 17 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

(ख) अनुवाद का विवरण

1. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. से प्राप्त समाग्री "मार्केटिंग मैनुअल" का हिन्दी अनुवाद।
2. मानकीकरण निदेशालय, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सामग्री "संयुक्त सेवा विशिष्ट" का हिन्दी अनुवाद।
3. नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. राष्ट्रीय राजधानी ऊर्जा परियोजना, विद्युत् नगर, गाजियाबाद से प्राप्त "फार्मों" का हिन्दी अनुवाद।
4. राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली से प्राप्त सामग्री के छठे खण्ड का प्रूफ शोधन।
5. श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त "श्रम संगठन" की संशोधित पुस्तिका का हिन्दी अनुवाद।
6. वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.) एयर इंडिया लि. से प्राप्त "एयरबस-ए-310 गैली लोडिंग" सामग्री का हिन्दी अनुवाद।
7. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट खण्ड-1 तथा रिपोर्ट खण्ड-2 का हिन्दी अनुवाद।
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त "मैडिकल एटैन्डैंस रूल्स" का हिन्दी अनुवाद।

आदेश-अनुदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 10-3-99 का कार्यालय जापन

विषय : हिन्दी शिक्षण योजना के अंशकालिक प्राध्यापकों को देय मानदेय पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जनवरी, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं.-18/3/92-हिशियो (मु.) का हवाला देते हुए मुझे अंशकालिक हिन्दी प्राध्यापकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय (पारिश्रमिक) देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भेजने का निदेश हुआ है।

प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति	एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए मानदेय		प्रतिदिन की कक्षाओं के लिए मानदेय	
	सरकारी सेवकों के लिए	अन्य के लिए	सरकारी सेवकों के लिए	अन्य के लिए
10 तक	रु. 180/- प्रतिमाह + रु. 12/- प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी (दोनों के लिए एक समान दर)	रु. 225/- प्रतिमाह	रु. 225/- प्रतिमाह + रु. 15/- प्रति प्रशिक्षार्थी (दोनों के लिए एक समान दर)	रु. 300/- प्रतिमाह

2. मानदेय (पारिश्रमिक) के संबंध में विभाग के पत्र सं.-12013/24/83-रा. भा. (ई.) दिनांक 5-6-1985 में दी गई शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3. यह आन्तरिक वित्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 3-3-99 के अ. वि. टि.-52 (एच.)/99/वित्त-II द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

4. मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में यह संशोधन 01 अप्रैल, 1999 से लागू होगा।

ह./-

(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)

उप सचिव, भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 21-4-99 का कार्यालय जापन

विषय : हिन्दी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/अंशकालिक केन्द्र पर तैनात अंशकालिक लिपिक तथा चपरासी को देय मानदेय (पारिश्रमिक) में वृद्धि।

गृह मंत्रालय के दिनांक 02-03-1994 के पत्र सं.-14025/1/93-केहिप्रसं/489-663 का अधिक्रमण करते हुए मुझे हिन्दी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/अंशकालिक केन्द्रों के अंशकालिक लिपिकों/चपरासियों के मानदेय (पारिश्रमिक) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित दरों पर राष्ट्रपति की मंजूरी भेजने का निदेश हुआ है जो अपने विभाग की सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त अंशकालिक रूप में हिन्दी शिक्षण के कार्य में सहयोग करते हैं :—

(1) अंशकालिक लिपिक	मानदेय की दरें प्रतिमाह
(क) पूर्णकालिक केन्द्र पर अंशकालिक लिपिक जहां हिन्दी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक लिपिक नहीं है।	255 रु.
(ख) पूर्णकालिक केन्द्र पर अंशकालिक लिपिक जहां हिन्दी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक लिपिक है।	128 रु.
(ग) अंशकालिक केन्द्र पर अंशकालिक लिपिक जहां 20 से 100 तक प्रशिक्षार्थी नामांकित हैं।	105 रु.
(घ) अंशकालिक केन्द्र पर अंशकालिक लिपिक जहां 100 से ज्यादा प्रशिक्षार्थी नामांकित हैं।	150 रु.
(2) अंशकालिक चपरासी	
(क) पूर्णकालिक केन्द्र पर अंशकालिक चपरासी जहां हिशियो का पूर्णकालिक चपरासी भी है।	68 रु.
(ख) पूर्णकालिक केन्द्र पर अंशकालिक चपरासी जहां हिन्दी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक चपरासी नहीं है।	90 रु.
(ग) अंशकालिक केन्द्र पर अंशकालिक चपरासी जहां पर 20 से 100 प्रशिक्षार्थी नामांकित हैं।	68 रु.
(घ) अंशकालिक केन्द्र पर अंशकालिक चपरासी जहां पर 100 से अधिक प्रशिक्षार्थी नामांकित हैं।	90 रु.

(3) मानदेय की दरों में संशोधन निम्नलिखित शर्तों पर किया गया है :—

1. प्रत्येक हिन्दी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक केन्द्र पर जहां पूर्णकालिक लिपिक या चपरासी तैनात नहीं हैं वहां अंशकालिक लिपिक व चपरासी नियुक्त किया जाएगा।
2. अंशकालिक लिपिक एवं चपरासी के मानदेय से संबंधित बिल उक्त स्वीकृति के आधार के पर सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा तैयार

किया जाएगा और उसे हिन्दी शिक्षण योजना से संबंधित उप निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. बिल के साथ केन्द्र के सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा कि पूर्णकालिक केन्द्र पर पूर्णकालिक लिपिक नियुक्त है या नहीं

4. मानदेय का भुगतान उन अंशकालिक लिपिकों/चपरासियों को दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति उनके विभाग की सहमति से की गई है। केन्द्र के किसी सदस्य कर्मचारी में परिवर्तन होने की सूचना सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा वेतन व लेखा (सचिवालय) मंत्रालय तथा हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशक को दी जाएगी।

5. जिस तारीख से केन्द्र बन्द हो गया है या उस केन्द्र से पूर्णकालिक प्राध्यापक को हटाया गया है तो सर्वकार्यभारी अधिकारी अंशकालिक लिपिक व चपरासी का मानदेय नहीं लेगा।

6. अंशकालिक लिपिक व चपरासी यदि अपना कार्य माह के किसी भी समय समाप्त करता है तो उसे उन दिनों का ही मानदेय दिया जाएगा जितने दिन उसने वास्तविक कार्य किया है।

7. आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टियों की अवधि का मानदेय नहीं दिया जाएगा।

8. अंशकालिक लिपिक/चपरासी को नियुक्त करने से पहले सर्वकार्यभारी अधिकारी मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा। बिना किसी पूर्व अनुमोदन के किसी भी अतिरिक्त अंशकालिक लिपिक/चपरासी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(4) ये संशोधित दरें 1-4-1999 से लागू होंगी।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि अंशकालिक लिपिक व चपरासी द्वारा किया गया कार्य श्रम साध्य प्रकार का है। इस मंजूरी को जारी करते समय मूल नियमावली के नियम-11 में दिए गए सामान्य सिद्धातों का उचित ध्यान रखा गया है।

(6) यह मंजूरी इस विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा उनके दिनांक 17-3-99 की टिप्पणी संख्या 1458/एफ.ए.(एच.)/99 द्वारा दी गई हैं।

(7) यह खर्च 1999-2000 के लिए मांग संख्या 43 के अधीन गृह मंत्रालय के मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 119 राजभाषा 03.06 कर्मचारियों को मानदेय पारिश्रमिक 03.06.42 एकमुश्त अदायगी के नामे डाला जाएगा।

ह०/—

(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)

उप सचिव, भारत सरकार

वन्देमातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्य श्यामलाम्, मातरम् !
वन्देमातरम् !
शुभ्र ज्योत्सनाम्, पुलकित यामिनीम्,
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् !
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम् !
सुखदाम् वरदाम् मातरम् !
वन्देमातरम् !

स्वतन्त्रता दिवस की पुकार

-अटल बिहारी वाजपेयी

पन्द्रह अगस्त का दिन कहता-आजादी अभी अधूरी है।
सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है।।

जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई।
वे अब तक हैं खानाबदोश गम की काली बदली छाई।।

कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी-पानी सहते हैं।
उनसे पूछो, पन्द्रह अगस्त के बारे में क्या कहते हैं।।

हिन्दू के नाते उनका दुःख सुनते यदि तुम्हें लाज आती।
तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती।।

इन्सान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है।
इस्लाम सिसकियां भरता है, डालर मन में मुस्काता है।।

भूखों को गोली नंगों को हथियार पिन्हाये जाते हैं।
सूखे कण्ठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं।।

लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया।
पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया।।

बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है।
कैसे उल्लास मनाऊं मैं ? थोड़े दिन की मजबूरी है।।

दिन दूर नहीं खण्डित भारत को पुनः अखण्ड बनाएंगे।
गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे।।

उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें।
जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें।।

15 अगस्त, 1947 को लिखित

संविधान में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, माया पुरी, नई दिल्ली-110 064
1999